लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

Preservation Day 12-8-72
Fumigated On 30-7-85
Parliament Library

[खंड 6 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. VI contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची CONTENTS

अंक 50,शुक्रवार,30 जुलाई, 1971/8,श्रावण 1893 (शक)
No. 50, Friday, July 30, 1971/Sravana 8, 1893 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या S.Q.Nos.		
1472 ब्याज की दरों में अन्तर के सम्बन्ध में भारत के रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशें	Recommendations of the Committee on Differntial rates of interest appointed by the Reserve Bank of India	1—4
1473 मद्य निषेध लागू करने के लिए राज्यों को सहायता	Assistance to States for enforcing prohibition	4—6
1475 देश में नदी-परिवहन योजनायें	River Transport Schemes in the Country	6—9
1476 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर द्वारा 'लेसर बीम' उपकरण का आविष्कार	Invention of "Laser Beam" Instrument by Indian Institute of Technology, Kanpur	9—10
1478 पंजाब सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम राहत देना	Grant of Interim Relief to Punjab Government Employees	10—11
1480 सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of General Insurance	12—13
1481 कूच बिहार में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा स्थल सीमा-शुल्क विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के रिक्त स्थान	Vacancies of Class IV Employees in the Office of Central Excise and Land Customs in Cooch-B har	14

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1486	केरल में तटवर्ती सड़क का राष्ट्रीय राजपथ में बदला जाना	Conversion of Coastal Road into a National Highway in Kerala	14–15
1488	दरभंगा से फारबिसगंज तक राष्ट्रीय राजपथ का विस्तार	Expansion of National Highway from Darbhanaga to Forbesganj	15—17
1490	जम्बो जेट विमानों को एहतियाती तौर पर जांच कराने की व्यवस्था	Arrangements for Precautionary Check-up of Jumbo Jets	17—18
1493	एकाधिकार व्यापार गृहों का शृंखला के आधार पर होटल व्यापार में प्रवेश	Monopoly Business Houses etering Hotel Business on a chain basis	18—19
1494	सफदरजंग हवाई अड्डे को वर्तमान स्थान से हटा कर अन्यत्र ले जाने का प्रस्ताव	Proposal to shift Safadarjung Airport from its Present Site	19—20
1495	नेफा और सीमावर्ती क्षेत्रों को मिलाने वाले राजपथों में सुधार करने हेतु की गई कार्यवाही	Steps Taken to improve Highways connecting NEFA with Border Areas	20—21
1496	पाकिस्तान को चोरी छिपे ले जायी गई दीवान-ए गालिब को पांडुलिपि	Manuscript of Diwan-E-Ghalib smuggled to Pakistan	21—23
1498	कलकत्ता गोहाटी अगरतला दैनिक विमान सेवा का शुरू किया जाना	Introduction of Daily Flight from Calcutta Gauhati Agartala	23
1499	अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए गैर-सरकारी बोर्ड की स्थापना	Setting up of a Non, Official Board for Inland Water Transport	23—24
1500	प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के वेतनमानों का पुनरीक्षण	Revision in the Pay Scales of Primary School Teachers	24—26

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1471	बंगला देश में उपद्रवों के कारण पर्यटकों की संख्या में प्रत्याशित कमी	Anticipated fall in Tourist Traffic due to disturbances in Bangla Desh	26—27

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
1474	विदेशों को धन भेजे जाने पर रोक	Restraint on Foreign Remittances	27
1477	मद्रास में अन्तर्देशीय जल परिवहन के लिए वक्रिधम नहर का उपयोग	Utilsation of Buckingham Canal for Inland Water Transport in Madras	28
1479	केन्द्रीय मंत्रियों के वेतनों और भत्तों पर कर लगाना	Imposition of Tax on Salaries and Allowances of Union Ministers	28—29
1482	सामान्य बीमा कम्पनियों में कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of Staff of General Insuranc Companies	29
1483	यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया के यूनिटों के विशेष मूल्य	Special Price for the Units of Unit Trust of India	29
1484	पिछड़े क्षेत्रों में ललित कला तथा संगीत संस्थाओं की स्थापना	Establishment of Fine Arts and Music Institutions in Backard Regions	29—30
1485	जीवन बीमा निगम द्वारा जम्मू और काश्मीर सरकार को होटल परियोजनाओं के लिए दिया गया ऋण	Loan Advanced by Life Insurance Corpration for Hotel Projects	30
1487	परीक्षा सुधार समिति का प्रतिवेदन	Report of Examinations Reforms Committee	30—32
1489	मैसर्स सिन्फोटिक्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, बम्बई	M/s Syntheties and Chemicals Ltd. Bombay	32
1491	बिहार में अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास की योजना	Scheme for the Development of Inland Water Transport in Bihar	32—33
1492	बाल कल्याण कार्य को बढ़ावा देना	Promotion of Welfare Services for Children	33
1497	नए हवाई अड्डों का विकास	Development of New Airport Complexes	33—34
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
6381	जामनगर में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा स्थानीय चैकों का क्लीयरेंस	Clearance of Local Cheques by Nationalised Banks in Jamnagar	34
6382	नई दिल्ली में आय-कर कार्यालय के निकट पुल का उपयोग	Use of Bridge near Income Tax Office New Delhi	34—35

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
6383	कोलक्षार और मोहनबाड़ी हवाई अड्डों पर यात्रियों को जांच के लिये प्रबन्ध	Arrangements for Checking Passengers at Borjhar and Mohanbari Air Ports	35
6384	पुरातत्वीय सर्वेक्षण को तेज करना	Toning up of Archeological Survey	35
6385	उत्तर प्रदेश के किसानों को स्टेट बैंक से ऋण	Loans to Farmers of U. P. from State Bank	36
6386	अंगोला के विद्यार्थियों को छात्र-वृत्ति की पेशकश	Scholarship offered to Students from Angloa	36
6387	चोरी छिपे लाये गये सोने की खोज	Search for Consignment of smuggled Gold	36—37
6388	फार्मेस्यूटिकल उद्योग में लगी पूंजी	Capital invested in Pharmaceutical Industries	37
6389	पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटकों के लिये आधुनिक किस्म के होटलों के निर्माण का प्रस्ताव	Proposal to Constuct Modern Type of Tourist Hotels in North Eastern States	37—38
6390	पंजाब के भूतपूर्व मंत्रियों की विदेश यात्राएं	Former Ministers of Punjab gone Abroad	38
6391	पूर्वी बंगाल के तूफान पीड़ितों के लिए दान में मिली राशि को पाकिस्तान भेजना	Remittance of Funds to Pakistan Donated for the East Bengal Cyclone Victims	38—39
6392	राजनैतिक दलों को जायदादों और अन्य परिसम्पत्तियों पर आय-कर तथा सम्पत्ति कर लगाना	Imposition of Income-tax and Wealth tax on Properties and other Assets Possessed by Political Parties	39
6393	राजनैतिक दलों को मिलने वाले दान पर कर	Tax on Donations Received by Political Parties	39—40
6394	पंजाब, पश्चिम बंगाल, मैसूर और गुजरात राज्यों के कर्मचारियों को मकान किराया	House Rent, Medical and Children Educational Facilities to Employees of Punjab, West Bengal, Mysore and Gujarat States	40

U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
	चिकित्सा और बच्चों की शिक्षा सम्बन्धि सुविधायें		
6395	अमृतसर में पंजाब रोडवेज में कुप्रबन्ध	Mismanagement in Punjab Roadways,Amritsar	40—41
6396	धनबलान गांव, पटियाला में हरिजनों का आर्थिक तथा सामाजिक बहिष्कार	Social and Exonomic Blockade Enforced in Dhablan Village, Patiala	41
6397	केरल के लिए मंजूर किये गये आदिवासी खण्ड	Tribal Block sanctioned for Kerala	41—42
6398	केरल में खेल-कूद का विकास	Development of Sports in Kerala	42
6399	केरल के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिये मैट्रिक से आगे छात्रवृत्ति	Post. matric Scholarship to Scheduled Caste and Scheduled Tribe Students of Kerala	42—43
6400	भारत के रिजर्व बैंक द्वारा केरल राज्य को मकानों के निर्माण के लिये दी गई धनराशि	Amount granted by Reserve Bank of India to Kerala State fot Construction of Houses	43
6401	रामपुर के नबाव द्वारा करों की बकाया राशि का भुगतान	Payment of Arrears of Taxes by the Nawab of Rampur	43—44
6402	बेगम रामपुर द्वारा करों का भुगतान	Payment cf Taxes by Begum of Rampur	44—45
6403	नवाब रामपुर को मूल्यवान वस्तुएं	Valuables Belonging to the Nawab of Rampur	45—46
6404	बेगम रामपुर को मूल्यवान वस्तुएं	Valuables Belonging to the Begum of Rampur	46
6405	आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथों पर खर्च की गई राशि	Amount spent of National highways in Andhra Pradesh	46—47
6406	ऋण में राहत के रूप में विदेशों से प्राप्त सहायता	Assistance received from foreign cov ntries As Debit Relief	47

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
6407	सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित सड़क	Roads Constructed by Border Roads Organisation	48
6408	जोगोघोपा-पांडू-निमातो घाट के बीच स्टीमर सेवा	Steamer Services between Joggighopa pandu-Nimatighat	48—49
6409	डिप्लोमाधारियों और इंजीनियरों द्वारा स्टेट बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली से मांगी गई सहायता	Assistance asked for by Diploma Holders And Engineers from the State Bank of India, New Delhi	49
6411	केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को गेहूं खरीदने के लिए ऋण दिया जाना	Grant of Loan for purchase of wheat to Central Government Employees	49
6412	अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को मैसूर में दिये गये ऋण	Loans given to persons belonging to Scheduled Castes in Mysore	50
6413	दमन गंगापुर के सम्बन्ध में ठेकेदार तथा सरकार के बीच विवाद	Dispute between the Contractor and Government over the Daman Ganga Bridge	50
6414	उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्रिंसिपलों की दिल्ली में हुई विचार-गोष्ठी	Seminar of Principals of Higher Secondary Schools held in Delhi	50—52
6415	बैंकों के राष्ट्रीयकरण के एवज में दी गई धनराशि का राष्ट्रीयकरण बैंकों में फिर से लगाया जाना	Extent of reinvestment in Nationalised Banks out of Compensation paid towards Nationalisatinn	52
6416	पंजाब में टैक्टरों पर लगाये जाने वाले शुल्कों के सम्बन्ध में अभ्यावेदन	Representation on ievy on tractors in Punjab	52—53
6417	मोटरकार, स्कूटर तथा साइकिल के लिये वित्त पोषकों द्वारा आयकर का अपवंचन	Evasion of income tax by Motor car Scooter And cycle Financiers	53
6418	तमिलनाडु में निर्धन बच्चों के लिये नि:शुल्क पौष्टिक आहार कार्य-क्रम	Free Nutritious food programme for poor Children in Tamil Nadu	53—54
6419	औद्योगिक पुनर्निर्माण कार्यक्रम निगम का कार्य-क्रम	Working of Industrial Reconstruction Corporation	54—55

अता० प्र० संख्या विषय U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
6420 कम्पनियों को अपनी पूंजी बढ़ाने के लिये अनुमति	Permission to Ccmpanies fcr raising their Capial	55—56
6421 जंगली जनजातियों के छात्रों के लिये छात्र वृत्तियां	Scholarships for Forest Tribal students	57
6422 पंजीकृत कम्पनियों का बंद किया जाना	Closure of Registered Companies	57
6423 सार्वजनिक वित्त संस्थानो से ऋण लेने वाले औद्योगिक एककों के प्रबन्ध में सरकार का हस्तक्षेप	Government In terferer.ce in Management of Industrial Units borrowing from Public Financial Institutions	
6424 खम्भात की खाड़ी, अन्दमान और कच्छ में प्रकाश स्तम्भ की स्थापना	Settrng up of Lighthouses in the Gulf of Cambay, Andaman and Kutch	57—58
6425 ग्वालियर में भूमि के नीचे पाया गया शाही खजाना	Royal Treasure unearthed in Gwalior	58
6426 भारत को निर्यात किये गये अख-बारो कागज के बारे में मैसर्स ऐक्सपोर्ट सेल्स कम्पनी आफ कनाडा द्वारा झूठी घोषणा के कारण विदेशी मुद्रा की हानि	Loss of foreign exchange due to false declaration by M/s Exports Sales Co. of Canada regarding Newsprint exported to India	58—59
6427 कोंका-कोंला निर्यात निगम द्वारा लाभांश का विदेश प्रेषण	Remittances on accouut of profits by Coca Cola Export Corporation	59
6530 उत्तर प्रदेश के दौरे के बारे में वोहरा समिति का प्रतिवेदन	Report of Vohra Committee regarding their visit to Uttar Pradesh	59—60
6431 जम्मू में पर्यटक मोटल के निर्माण में हुई प्रगति	Progress made in the Construction of a Tourist Motel at Jammu	60
6432 जम्मू और पुंछ के बीच विमान सेवा	Air Service between Jammu and Poonch	60
6433 जम्मू और काश्मीर राज्य में पर्यटकों के लिये आकर्षण वाले	Proposal to develop spots of Tourist Interest in Jammu and Kashmir	60—61

अता० प्र० संख्या विषय U. S. Q. Nos	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
स्थानों का विकास करने का प्रस्ताव		
6434 आन्ध्र प्रदेश में स्कूल-परीक्षाओं को समाप्त करना	Abolition of School Examination in Andhra Pra-desh	61—62
6435 राज्यों को केन्द्रीय राजस्व का आवंटन	Allocation of Central Revenues to states	62
6436 थोंक मूल्य सूचकांक में वृद्धि	Rise in Wholesale Price Index	62—63
6437 महालेखापाल कार्यालय, रांची के कर्मचारियों की गिरफ्तारी	Arrest of Employees of of A. G.s Office, Ranchi	63
6438 बिहार में आयकर की वसूली	Realisation of Income-tax in Bihar	63—64
6439 जीवन बीमा निगमके चेयरमैन द्वारा वक्तव्य	Statement made by Chairman of L. I. C.	64
6440 गैर-आदिवासियों के साथ आदिवासी लड़कियों का जबरन विवाह किया जाना	Forcible Marriage of Tribal Girls with Non-Tribals	64—65
6441 चित्तुर जिला (आन्ध्र प्रदेश) में भू-स्वामियों द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कृषि मजदूरों का सामाजिक दृष्टि से बहिष्कार	Social Boycott of Scheduled Caste and Tribe Agricultural workers by Land Lords in Chitoor District (A. P.)	65
6442 समाज कल्याण में अनुसंधान प्रशिक्षण तथा प्रशासन सम्बन्धी योजनाओं की क्रियान्विति	Implementation of Schemes relating to Research, Training and Administration in Social Welfare	65—66
6443 विकलागों के नियोक्ताओं को राष्ट्रीम पुरस्कार	National Award to Employers of Handicapped Persons	66—67
6444 राज्यों में मद्य निषेद लागू करना	Enforcement of Prohibition in State	67
6445 पश्चिम बंगाल में किसानों को ऋण देने की सुविधाओं के विस्तार के लिये नई शाखायें खोलना	Opening of new Branches for expansion of Credit Facilities to Farmers in West Bengal	68

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
6446	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के विद्यार्थियो को छात्रावासों के निर्माण के लिये पश्चिम बंगाल के उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को अनुदान	Grants to High and Higher Secondary Schools in west Bengal for Construction of Hotels for S. C, &. S. T. Student	68
6447	विश्वविद्यालयों में संस्कृत के स्नातकोत्तर विभाग	Post. Graduate Departments of Sanskrit in Universities	69—71
6448	प्रश्न-पत्र निरीक्षण बोर्ड की स्थापना	Setting up of a Moderation Board	71
6449	सामान्य बीमा के लिये नये मार्गदर्शी सिद्धान्त	New Guidelines for General Insurance	71—72
6450	परीक्षाओं में अनुचित ढंग अपनाया जाना	Use of Unfair Means in Examinations	72
6451	ग्रामीण क्षेत्रों में.राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं का खोला जाना	Opening of Branches of Notionalised Banks in Rural Areas	72—73
6452	कानपुर में आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income-Tax Outstanding in Kanpur	73
6453	राष्ट्रीय स्वास्थ्य कोर के प्रशिक्षकों की पदोन्नति	Promotion of Instructors in National Fitness Corps	73—74
6454	सामान्य बीमे के लिये एक निगम की स्थापना करने सम्बन्धी मांग	Demand for one Corporation to place of General Insurace	74
6455	मध्य प्रदेश के निमाड़ जिले में राष्ट्रीय राजपथों और पुलों का निर्माण	Construction of National Highways and Bridges in Nimar District (Madhya Pradesh)	74—75
6456	विश्वविद्यालयों के चलाये जाने के बारे में गजेन्द्रगडकर समिति की सिफारिशों	Recommendations made by Gajendra Gadkar Committee on Governance of Universities	75—76
6457	जापान द्वारा पूंजी निवेश में वृद्धि	Increases Capital Investment from Jopan	76
6458	पंजाब और दिल्ली में आयकर अधिकारियों द्वारा छापे	Raids by Income-Tax Authorities in Punjab and Delhi	76
6459	रणजीत और लोदी होटलों को हुई हानि	Losses suffered by Ranjit and Lodi Hotels	76—77

अता० प्र० संख्या विषय U.S.Q. Nos	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
6460 स्नातक पूर्व तथा स्तानक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात	Teacher Student ratios at Pre-Degree Level and Graduate Level	77
6461 पर्टन के महानिदेशक तथा उप-महानिदेशक के पदों पर नियुक्तयां	Appointment to the Posts of Director General and Deputy Director General of Tourism	78
6462 राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण	Revision of Pay Scales of State Government employees	78—80
6463 जिला विद्यालय बोर्ड, कूच बिहार में रिक्त स्थानों का भरा जाना	Filing up of Vacancies in District School Board, Cooch-Behar	80
6464 कूच-बिहार में तैरने का तालाब	Swimming Pool at Cooch Behar	80—81
6465 सामान्य बीमा कम्पनियों के अभिरक्षकों को वित्त मन्त्री के साथ बैठक	Meeting of Custodians of General insurance Companies with the Finance Minister	81—82
6466 राष्ट्रीयकृत बैंकों के छोटे दस्तकरों को ऋण	Loans to Small Artisns from Nationlised Banks	82
6467 स्मर्टस चिट फण्ड द्वारा आय कर का अपवंचन	Evasion of Income-Tax by Smarts chit Fund	82—83
6468 वर्ष 1971 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं का खोला जाना	Opening of Branches of Pulic Sector Banks in 1971	83
6469 रास्थान में राष्ट्रीयकृत तथा गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्यकरण	Working of Nationalised and Non-Nationalised Banks in Rajasthan	83—84
6470 पटना में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें	Branches of Nationalised Banks in Patna	84
6471 रिजर्व बैंक को पटना शाखा में कार्य करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	Class IV Employees working in Patna Branch of the Reserve Bank	84—85

अता० प्र० संख्या विषय U. S. Q. Nos	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
6472 दिल्ली के कालेजों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के विद्यार्थियों के लिये प्रवेश	Admission for SC & ST Students Colleges in Delhi	85
6473 कोयम्बटूर में जाली डालरों का पकड़ा जाना	Seizure of Forged Dollars in Coimbatore	85—86
6474 चीनी उद्ययोगों के लिए ऋण सम्बन्धी सुविधाएं	Credit Facilities to Sugar Industries	86
6475 पिछड़े वर्ग आयोग द्वारा को दी गई सिफारिशें की क्रियान्विति	Implementation of the Recommendation made by Backward Classes Commi-ssion	86
6476 झांसी इलाहाबाद में गंगा नदी पर पुल का पूरा होना	Completion of Bridge over the Ganges at Jhunsi. Allahabad	87
6477 वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावाली आयोग द्वारा अनुवाद एजेसियों को दिया गया अनुवाद कार्य	Translation work given to Translating Agencies by C. S. T. T.	87
6478 भारतीय भाषाओं में मानक पुस्तकों की रचना और प्रकाशन पर व्यय की गई राशि	Amount Spent on Production and Publi-cation of Standard Books in Indian Languanges	88
6479 विदेश गये मन्त्रिमंडल स्तर के मन्त्रियों पर हुआ खर्च	Expenditure on Cabinet Ministers' visits Abroad	88
6480 इम्फाल में नियमित थियेटरों के लिए विशेष अनुदान	Special Grants for Regular Theatres in Imphal	88—89
6481 इम्फाल में और इसके पास चलने वाली सिटी बसों को संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता	Need for increase in the Number of Ci Buses Plying in and Around Imphal	89
6482 मनीपुर में होटल सुविधाओं के बढ़ाये जाने की आवश्यकता	Need to Increase Hotel Facilities in Manipur	89—90
6483 मनीपुर में होटलों द्वारा वित्तीय सहायता और श्रेणीकरण के लिये आवेदन करना	Hotels in Manipur which applied for Einancial Assistance and Classification	90

अता० प्र० संख्या विषय U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
6484 इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के इम्फाल शहर स्थित कार्यालय में स्थान की अपर्याप्तता	Inadequacy of Space in Imphal City Office of I. A. C.	90
6485 विभिन्न राज्यों में बाढ़ की स्थिति का अध्ययन करने के लिये केन्द्रीय दल	Central Team to Study Flood situation in various States	90—91
6486 मुद्रा के दशमलवीकरण से पहले चलाये गये 50 तथा 25 पैसे के सिक्कों का न लिया जाना	Non-Acceptance of 50 Paisa and 25 Paisa Coins Introduced prior to Decimalisation of Currency	91
6487 स्वर्ण रेखा पुल का निर्माण	Construction of Subernarekha Bridge	91—92
6488 आन्ध्र प्रदेश में विकलांग और वृद्ध व्यक्तियों को ऋण अनुदान और वृद्धावस्था पेंशन	Loans, Crants, old Age Pension to Handicapped and old Persons in Andhra Pradesh	92—93
6489 विश्वयुवक केन्द्र को आवंटित किये गये प्लाट का कब्जा लेने के लिए श्री कुरियाकोज द्वारा हस्ताक्षर किया गया विलेख	Deed Signed by Mr. Kurlakos Taking Possession of Plot Allotted Vishwa Yuvuk Kendra	93—94
6490 विश्व युवक केन्द्र के ट्रस्टी बोर्ड में सरकार का प्रतिनिधि न होना	Non-Representation of Government on Board of Trustees of Viswa Yuvuk Kendra	94
6491 कोयला कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन	Violation of Provisions of Companies Act by Coal Companies	94
6492 मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति अनुसूचित आदिम जाति के छात्रों को समुद्रपार छात्रवृत्तियां	Overseas Scholarships to Scheduled Castes and Scheduled Tribes students from Madhya Pradesh	94—95
6493 कपड़े पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क को जारी रखने के लिये अखिल भारत कपड़ा व्यापारी संघ की ओर से ज्ञापन	Memorandum from All India Cloth Merchants Association for Continuing Levy of Additional Excise Duty on Cloth	96

6494	स्टेट बैंक ग्राफ इण्डिया का मुख्य कार्यालय	Head Office of the State Bank of India	96
6495	पटना में स्टेट बैंक ग्राफ इण्डिया के मुख्य कार्यालय की स्थापना	Establishment of a Head Office of the State Bank of India at Patna	96—97
6496	राज्यों में हिन्दी ग्रन्थ अकादमियों की स्थापना	Setting up of Hindi Granth Academy in States	97—98
6497	गया जिले में जी० टी० रोड पर शेर घाटी पुल के मरम्मत कार्य को पूरा किया जाना	Completion of Repair work of Sher Ghati Bridge (Gaya District) on G. T. Road	98
6499	एलुमलाई जिला कन्नानोर (केरल) में पर्यटक केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव	Proposal to set up a Tourist Centre at Elumalai, District Cannanore (Kerala)	98—99
6500	केरल में कुट्टानद और त्रिपुर के धान के खेतों में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए विश्व बैंक से ऋण	World Bank Loan for expansion of Irri, gation facilities in Kuttanad and Trichur Paddy ields in Kerala	99
6501	नाथेश्वरम् आरकेस्ट्रा को विदेशों में भेजना	Sending of Natheshwaram Orchestra to Foreign Countries	99
6502	होटल और पर्यटन उद्योग के विकास के लिये नार्वे के साथ हुये करार	Agreements reached with Norway for Development of Hotel and Tourist Industry	99
6503	दिल्ली विश्वविद्यालय में महिलाओं के लिये छात्रावास स्थानों की कमी	Shortage of Hostel accommodation for Girls in Delhi University	99—100
6504	ब्रह्मपुत्र नदी पर तैरता पर्यटक लाज और गंगा नदी पर तैरता होटल	Floating Tourist Lodge on Brahmaputra and floating Hotel on the Ganga	100
6505	वित्त मंत्रालय में ज्योतिष कार्य पर रहे अधिकारी	Officials practising Astrology in the Ministry of Finance	100—101
6506	उड़ानों के दौरान मदिरा के	Refusal to accept Indian Currency by Air	

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
	लिये एयर इण्डिया के अधिकारियों द्वारा भारतीय मुद्रा लेने से इन्कार	India Officials for Drinks Served during Flights	101
6508	मुरैना जिला (मध्य प्रदेश) की शिवपुर तहसील में बड़ौदा में बैंक का न होना	Non-Existence of a Bank at Baroda in Sheopur Tehsil, Morena Disrict (Madhya Pradesh)	101
6509	विदेशों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाने वाली खोज-कार्य	Exploration work by Archaeological Survey of India in Foreign Countries	102
6510	उत्पादन शुल्क की बकाया राशि	Arrears of Excise Duty	102
6511	सीमा शुल्क की बकाया राशि	Arrears of Customs Duty	102—103
6512	संयुक्त अरब गणराज्य को दिये गये ऋण तथा अनुदान	Loans and Grants Given to U. A. R.	103
6513	एयर इण्डिया द्वारा कुछ विमान सेवाओं का बन्द किया जाना	Closing down of certain Services of Air India	103
6514	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड	Central Social Welfare Board	103—106
6515	नेफा में किसानों को ऋण देना	Grant of Loans to Agriculturists N. E. F. A	106
6516	टेलीविजन के माध्यम से शिक्षा प्रसार	Education through Television	106—107
6517	तीर्थ यात्रा के महत्वपूर्ण स्थानों पर आधुनिक सुविधायें प्रदान करने सम्बन्धी योजना	Scheme to Extend Modern Facilities at Important Places of Pilgrimage	107
6518	बिहार के कुछ जिलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलना	Opening of Branches of Nationalised Banks in certain Districts of Bihar	107—108
6519	बिहार में क्रिश्चियन माइका माइन्स के नाम आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income-Tax against Christian Mica Mines, Bihar	108
6520	कोटा-शिवपुरी सड़क को राष्ट्रीय राजपथ घोषित करना	Declaration of Kota-Shivpuri Road as a National Highway	108

6521	ग्रामीण क्षेत्र में आवंटित की गई भूमि के लिये अनुसूचित जातियों के लोगों से लिया जाने वाला मूल्य	Price Charged from Scheduled Castes for the Land allotted in Rural Areas	108—109
6522	बिहार में पार्श्विक सड़क का निर्माण	Construction of Lateral Road in Bihar	109—110
6423	नेफा के स्कूलों में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाना	Use of English as Medium of Instruction in Schools in NEFA	110
6525	मोहनबाड़ी से पासीघाट, तेजू और दोपोरिजो तक विमान सेवा का आरम्भ	Air Service from Mohanbari to Pasi Ghat, Teju and Doporijo	110
6526	दिल्ली में साम्प्रदायिक कालेज	Denominational Colleges in Delhi	110—111
6527	राजस्थान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिये धन राशि का नियतन	Amount allocated to Rajasthan for Uplift-ment of Scheduled Castes and Sche-duled Tribes	111
6528	कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं की जांच करने के लिए एक समिति कीनियुक्ति	Appointment of a Committee to examine problems of Calcutta University	111—112
6529	मैसर्ज सेन रेले कम्पनी लिमि-टेड, आसनसोल को दिये गये ऋणों का कथित दुरुपयोग	Alleged misuse of loans given to M/s Sen Raleigh Co. Ltd., Asansol	112
6530	वित्त मंत्रालय में हिन्दी आफि-सरों की नियुक्ति	Appointment of Hindi Officers in the Minis-try of Finance	112
6531	वित्त मंत्रालय द्वारा हिन्दी भाषा भाषी राज्यों को भेजे गये पत्र	Communications sent by Ministry of Finance to Hindi Speaking States	112—113
6532	वित्त मंत्रालय द्वारा साधारण जनता के लिए प्रकाशित साहित्य	Literature published for General Public by the Ministry of Finance	113—114
6533	संयुक्त सचिव और उसके स्तर	Posting of Hindi Translator with Officers of	

U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
	के ऊपर के अधिकारियों के साथ एक-एक हिन्दी अनुवादक की नियुक्ति	the rank of Joint Secretary and above	114
6534	पानीपत के निकट पाकिस्तानी मुद्रा का पकड़ा जाना	Seizure of Pakistani currency near Panipat	114—115
6535	मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के जीवापुर गांव में सोने के सिक्कों का पाया जाना	Gold coins found in Jeevapur village of Rajgarh District, Madhya Pradesh	115
6536	भारत में निर्मित जहाज	Ships manufactured in India	115
6537	बड़े पत्तनों सम्बन्धी आयोग की सिफारिशें	Recommendations of the Major Ports Commission	115—116
6538	अमरीका से सहायता प्राप्त करने सम्बन्धी करार	Agreement for aid from U. S. A	116
6539	कर ढांचे का परीक्षण	Examination of Tax Structure	116—117
6540	मैसूर राज्य में छोटे किसानों को सहायता	Assistance to Small Farmers in Mysore Sate	117
6541	मैसूर में छोटे किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा धन दिया जाना	Amount of Money given by Nationalised Banks to Farmers in Mysore	117—118
6542	मैसर्ज एस्कोर्टस लिमिटेड, बंगलौर के नाम आयकर की बकाया राशि	Amount of Income-Tax Outstanding Against M/S Escorts Ltd. Bangalore	118
6543	मैसूर में आयकर का अपवंचन	Evasion of Income-Tax in Myasore	118—119
6544	तुमकुल जिला (मैसूर राज्य) में ऊपरी पुलों की कमी	Shortage of over-bridges in the Tumkur District (Mysore State)	119
6545	इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा यातायात कर्मचारियों की भर्ती	Recruitment of Traffic Staff by Indian Airlines	119—120
6546	रूबी जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी	Agencies closed by Ruby General Insurance	

अता० प्र० संख्या	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
	लिमिटेड द्वारा बन्द की गई एजेंसियां	Company Ltd.	120
6548	एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत फर्मों पर मुकदमें चलाया जाना	Prosecution of Firms under Monopolies and Restrictive Trade Practices Act	120
6549	औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम का कार्यकरण	Functioning of Industrial Reconstruction Corporation	121
6550	पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा लेखा परीक्षकों को भुगतान	Payment to Auditors by Public Limited Companies	121
6551	देश में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के डिजाइन तैयार करने के लिए ठेका देना	Contract for Designing International Air-ports in the Country	122
6552	रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के लिपिकों द्वारा रोजगार काउण्टरों पर रुपया कमाना	"Minting Money at Coin Counters" by the Clerks of the R. B. I., New Delhi	122—123
6553	केरल में हरिजनों तथा अनुसूचित जनजातियों के गांवों में पीने के पानी की सुविधाओं का अभाव	Villages in Kerala Inhabited by Harijans and Scheduled Tribes which lack drinking water facilities	123—124
6554	किसानों द्वारा लिया गया संस्थागत ऋण	Institutional Credit secured by Agricult-urists	124
6555	सेन्ट्रल रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, लिमिटेड	Central Road Transport Corporation Ltd	124—126
6556	गैर सरकारी संग्रहालयों तथा संग्रहकर्त्ताओं द्वारा प्रकाशित बुलेटिन में उल्लिखित भारत से चोरी की गई कलाकृतियों की सूची	Art Pieces Stolen and Listed in Bulletins Published by Private Museums and Collectors	126—127

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
6557	चोरी गई नटराज की प्रतिमा का न्यूयार्क में बिक्री के लिये रखा जाना	Stolen Idol of Nataraja on Sale in New York	127
6558	देश न निरक्षरता	Illiteracy in the Country	127—129
6559	राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों को अनुग्रहपूर्वक अदायगी	Ex Gratia Payment to Officers of S. T. C.	129
6560	वेतन प्राप्त कर्मचारियों को मिलने वाली कम से कम और अधिक से अधिक मासिक आय	Lowest and Highest Monthly Income of Salaried Employees	130
6561	मद्य निषेध पर टेकचन्द समिति का प्रतिवेदन	Tek Chand Committee Report on Prohibition	13 1
6562	पश्चिम बंगाल और बंगला देश की सीमा पर तस्कर व्यापार	Smuggling on West Bengal-Bangla Desh Border	131
6563	पंजाब में अध्यापकों का स्थानान्तरण	Transfer of Teachers in Punjab	131
6564	सरकारी कर्मचारियों को पर्वतारोहण के लिये प्रोत्साहित करना	Encouragement to Government Employees to take to Mountaineering	132
6565	पर्वतारोहण सम्बन्धी साहित्य का उपलब्ध न होना	Non-Availability of Literature on mountaineering	132—133
6566	तीरुचेंडर के सुब्रह्मण्यस्वामी मन्दिर को आर्थिक सहायता देना	Financial Assistance for Subrammanisswami Temple at Tiruchender	133
6567	हाउसिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया (प्रा०) लिमिटेड हिमायत नगर (आन्ध्र प्रदेश) के प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाना	Prosecution of Managing Director of Housing Corporation of India (Pvt.) Ltd. Himayatnagar (Andhra Pradesh)	133—134
6568	नई दिल्ली में एशियन फी	Financial Assistance for holding Asian	

	स्टाइल कुश्ती चैम्पियनशिप का आयोजन करने के लिये वित्तीय सहायता।	Free style Wrestling Champio ships at New Delhi	134
6569	देश में हवाई पट्टियां	Airstrips in the Country	134—135
6570	दिल्ली विश्वविद्यालय के लिये अध्यापक आवास योजना	Housing Scheme for Delhi University Teachers	135
6571	पश्चिम बंगाल में पर्यटन केन्द्रों का विकास करने का प्रस्ताव	Proposal to develop Tourist Centres in West Bengal	135—136
6572	राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संगठनों पर आय कर और धन कर का निर्धारण	Assessment of Income Tax and Wealth Tax on Political Cultural and Social Organisation	136
6573	पश्चिम बंगाल में जलाये गये / नष्ट किये गये स्कूल एवं कालेज	Schools and Colleges burnt/destroyed in West Bengal	136—137
6574	अनुसूजित जातियों के विद्यार्थियों का प्री-मेडिकल और आनर्स की कक्षाओं में दाखिला	Admission of Scheduled Caste Students to Pre-Medical and Hons. Classes	137—138
6575	पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर विश्व बैंक के दल का प्रतिवेदन	Report of World Bank Team on Pakistan Economy	138
6576	लाल किले में दिखाये जाने वाले प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम की लिपि	Script of the "Son-et-Lumeire" displayed at the Red Fort	138—139
6577	अलीपुर टकसाल के कर्मचारियों से प्राप्त अभ्यावेदन	Representation received from the Alipore Mint Employees	139
6678	केरल सरकार द्वारा कालीकट रीजनल इंजीनियरिंग कालेज को अपने हाथ में लिया जाना	Taking over of Calicut Regional Engineening College by Kerala Government	139—140
6579	बम्बई टकसाल लेखा कार्यालय के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता	Overtime Allowance to the staff of Bombay Mint Accounts Office	140

अता० प्र० संख्या विषय U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
6580 राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्यकरण	Working of Nationalised Banks	140—141
अतारांकित प्रश्न संख्या 2531 दिनांक 18-6-71 तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 2002 दिनांक 11-6-71 के उत्तर में शुद्धि करने वाले विवरण	Statements Correcting answers to U. S. Q. No. 2531 dated 18. 6. 71 and U. S. Q. No. 2002 dated 11. 6. 71	141—142
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to A Matter of Urgent Public Importance	142
एक एच० एफ० 24 विमान के दुर्घटना ग्रस्त होने का समाचार	Reported Crash of one HF 24 Aircraft	142
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	142
श्री जगजीवन राम	Shri Jagjivan Ram	142
ध्यानाकर्षण के बारे में	Re. Calling Attention	143—144
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	144—145
सभा-पटल की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति	Committee on Absence of Members from the sittings of the House	145
दूसरा प्रतिवेदन	Second Report	145
कार्य मंत्रणा समिति के चौथे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Fourth Report of Business Advisory Committee	145—146
वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1971	Finance (No. 2) Bill 1971	146
खण्ड 7 से 55 और 1 संशोधित रूप में पारित करने के लिये प्रस्ताव	Clauses 7 to 55 and 1 Motion to Pass as amended	146—173
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan	173
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	173—174

अता० प्र० संख्या विषय U.S.Q.Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Fifth Report of Committee on Private Members Bills and Resolutions	174
संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक करने के उपबंध के बारे में संकल्प	Resolution Re. Provision of Joi t Sitting for Passing Constitution An.er dment Bill	174
श्री अमृत नाहाटा	Shri Amrit Nahata	175
श्री दशरथ देव	Shri Dasaratha Deb	175
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan	175—176
श्री आर० वी० बड़े	Shri R. V. Bade	176
श्री सरजू पाण्डे	Shri Sarjoo Pandey	176
श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale	17
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	1 76—177
बन्द औद्योगिक एककों को सरकारी उपक्रमों के अपने अधिकार में लेने के सम्बन्ध में संकल्प	Resolution Re: Taking over of Closed Industrial Units as Public Enterprises	177
श्री गदाधर साहा	Shri Gadadhar Saha	177—179
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga	179
श्री सिद्धारामेश्वर स्वामी	Shri Didrameshwar Swamy	180
श्री कमल मिश्र 'मधुकर'	Shri K. M. Madhukar	180
श्री अमृत नाहाटा	Shri Amrit Nahata	180—181
श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा	Shri Hamendra SinghB anera	181
श्री रामसहाय पाण्डे	Shri R. S. Pandey	1
श्री डी० डी० देसाई	Shri D. D. Desai	181—182
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	182—183

अता० प्र० संख्या विषय U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
श्री बीरेन दत्त	Shri Biren Dutta	183
श्री अमरनाथ विद्यालंकार	Shri A. N. Vidyalankar	183
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan	183—184
श्री डी० एन तिवारी	Shri D. N. Tiwary	184—185
राज्यों में केन्द्र सरकार की नई बस्तियां और राज्यों में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टरों के आवंटन के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-An-Hour Discussion Re. New Central Goverment Colonies in States and Allotment of Govt. Quarters to Central Government Employees in States.	185
श्री वायालार रवि	Shri Vayalar Ravi	186—188
श्री आई० के० गुजरात	Shri I. K. Gujral	188—190

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनुदित संस्करण)
LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 30 जुलाई, 1971/8 श्रावण, 1893 (शक)
Friday, July 30, 1971 Sravana 8, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ब्याज की दरों में अन्तर के सम्बन्ध में भारत के रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिशें

*1472. **श्री पी० गंगा देव :** **श्री समर गुह :**
श्री राम शेखर प्रसाद सिंह

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों की ब्याज दरों में अन्तर के सम्बन्ध में भारत के रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उनमें से कितनी सिफारिशें स्वीकार तथा क्रियान्वित की गई हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ग) रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है ।

विवरण

विभेदी व्याज दरों के सम्बन्ध में समिति की रिपोर्ट सर्वसम्मत नहीं थी। समिति के एक सदस्य ने अपनी असहमति टिप्पणी दी थी। बहुमत की रिपोर्ट की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं:—

(i) अन्तर-क्षेत्रीय विभेदी दरों की कोई भी योजना ऐसे ढंग से तैयार की जाय कि उससे बैंकों की कमाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(ii) योजना का व्याप्ति क्षेत्र केवल उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित रखा जाय जिनमें, सामान्य ज्ञान के अनुसार, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की प्रचुरता हो। इस प्रयोजन के लिये समिति ने जिन क्षेत्रों पर विचार किया है उनमें कृषि लघु उद्योग, छोटे व्यवसाय, परिवहन संचालक और व्यावसायिक व्यक्ति हैं।

(iii) प्रत्येक क्षेत्र में व्याज की विभेदी दरों का लाभ किन-किन ऋणकर्त्ताओं को मिले इसका निर्धारण ऋण गारन्टी योजना के अनुसार किया जाय।

(iv) सिफारिश की गयी है कि विभेदी व्याज दरें $8\frac{1}{8}$ प्रतिशत से 10 प्रतिशत के बीच हों। योजना के ढांचे में जिस सुनिश्चित प्रकार से ब्याज ढांचे को बिठाया जा सकता है उसे ऋण गारन्टी योजना के संचालन से प्राप्त व्यावहारिक अनुभव के आधार पर तैयार करना होगा।

(v) प्रतिभूतियों की किस्म और मार्जिन के मामले में भी रियायतें देने की सिफारिश की गयी है।

समिति के सदस्यों में से एक सदस्य ने बहुमत से असहमति प्रकट की है और यह विचार व्यक्त किये हैं कि योजना के अन्तर्गत 1 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच ब्याज की विभेदी दरें निर्धारित करने पर विचार किया जाय।

माननीय सदस्यों के इस्तेमाल के लिये रिपोर्ट की छपी हुई प्रतियाँ संसद के पुस्तकालय में भिजवा दी गयी हैं।

श्री पी० गंगा देव : मैं यह जानना चाहता हूं कि समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में निर्णय कब तक किया जाएगा क्योंकि निर्णय को पूरी तरह से या आंशिक रूप से स्थगित करने से इस मामले में हानि होगी।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : निर्णय को स्थगित करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, परन्तु हमें सिफारिशों की जांच करनी है और यह जांच की जा रही है।

श्री पी० गंगादेव : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने समिति की इन सिफारिशों का अनुमोदन कर दिया है या कर देगी और थोड़ा ऋण उधार लेने वालों में जमानत-शुदा और गैर जमानत शुदा अग्रिम लेने वालों की व्याज की दरों में कोई अन्तर नहीं रखा जायेगा।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : सदस्य महोदय उसी प्रश्न को एक दूसरे ढंग से पूछ रहे हैं। वास्तव में उन सिफारिशों के सम्बन्ध में वह हमारे विचार जानना चाहते हैं। वास्तव में बात यह है कि सरकार ने समाज के कमजोर वर्ग के लिए ब्याज की अलग दर की सिफारिश को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है। यह ठीक है कि समिति के सदस्यों ने इसका कड़ा विरोध किया है और इसके बारे में दो मत व्यक्त किये गये हैं, फिर भी उन्होंने समाज के उसी वर्ग के लिए अलग ब्याज दरें निर्धारित करने की आवश्यकता को स्वीकार किया है। परन्तु ऐसा किस सीमा तक किया जाये, किस वर्ग के लिए किया जाये और इसका मंतव्य क्या हो, इन प्रश्नों के बारे में वह एकमत नहीं हैं। मैं समझता हूं कि इस मामले पर विचार करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा है कि अभी सम्पूर्ण सिफारिशों पर समग्र रूप से विचार किया जा रहा है।

Shri Ram Shekhar Prasad Singh : The actual problem of small farmer or industrialist is not that of rate of interest. Their major problem is regarding the procedure adopted by the banks to grant loans. They are very much furstrated over the bank formalities. Therefore, I would like to know from the Finance Minister whether any directive has been issued to the banks to expedite loans to small farmers, Co-operatives and small scale industrialists ?

Mr. Speaker : Your question is about differential rates.

Shri Ram Shekhar Prasad Singh : My present question is also related to that.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : पहली बात तो यह है कि जहां ऋण की आवश्यकता है, वहां ऋण उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। दूसरी बात यह है कि जो लोग इसका उचित उपयोग कर सकते हैं उन्हें यह उपयुक्त ब्याज पर दिया जाये। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रथम बात का सम्बन्ध दूसरी से है। ऋण के उद्देश्यों और मोटे रूप से समाज के उन वर्गों के बारे में जिन्हें यह ऋण दिया जाना चाहिये, बैंकों को निर्देश जारी किये जा चुके हैं और मैं समझता हूं कि इस बात उल्लेख का यहां कई बार किया जा चुका है और यह भी बताया जा चुका है कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है।

श्री समर गुह : प्रश्न पूछने से पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। ब्याज की दरों में अन्तर से सम्बन्धित समिति ने एक महत्वपूर्ण मामले पर विचार किया है जिसका सम्बन्ध अविकसित लोगों से है। एक सदस्य डा० अशोक मित्रा ने बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाया है और केवल प्रश्न के रूप में उस पर चर्चा नहीं की जा सकती। इसीलिए मेरा निवेदन है कि इस विषय पर अल्पकालिक चर्चा या आधे घंटे की चर्चा की जानी चाहिये, अन्यथा न्याय नहीं हो पायेगा।

अध्यक्ष महोदय : पूरक प्रश्न तो पूछिये, अन्य सुझावों पर मैं विचार करूंगा।

श्री समर गुह : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है और इस पर केवल एक प्रश्न पूछने से न्याय नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : उसका अपना नियम होता है। खैर, आप अपना पूरक प्रश्न तो पूछिये।

श्री समरगुह : आप कृपया इसे स्वीकार कर लीजिये। डा० अशोक मित्रा संयोगवश

जिनका सम्बन्ध बंगला देश से है, क्योंकि वह ढाका विश्वविद्यालय में पढ़े हैं क्या उन्होंने अपने विमति टिप्पण में समिति द्वारा ब्याज की दरों में अन्तर रखने के आधार को चुनौती दी है और यदि हां, तो सरकार द्वारा डा० अशोक मित्रा के विमति टिप्पण पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हमें सम्पूर्ण प्रतिवेदन पर समग्र रूप से विचार करना है, क्योंकि उसमें दो दृष्टिकोण व्यक्त किये गये हैं। एक दृष्टिकोण बहुमत का है और दूसरा डा० मित्रा द्वारा व्यक्त साधारण ढंग का। डा० मित्रा के दृष्टिकोण पर भी हम विचार करेंगे, परन्तु इसलिए नहीं कि उनका सम्बन्ध बंगला देश से है, संयोगवश सदस्य महोदय के लिए यह भावनाओं का प्रश्न हो सकता है, परन्तु हम भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं करते और न ही इस आधार पर निर्णय करते हैं कि किसी व्यक्ति का सम्बन्ध किस क्षेत्र मे है। हम तो समस्या के सभी पहलुओं को दृष्टिगत रखकर निर्णय करते हैं और इस दृष्टि से उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है और कोई भी अन्तिम निर्णय करने से पूर्व उस पर उचित विचार किया जायेगा...... ...(**व्यवधान**)

श्री जगन्नाथ राव : समिति ने $8\frac{1}{2}$ और 10 प्रतिशत के मध्य की ब्याज की दर की सिफारिश की है। क्या सरकार अपना निर्णय समिति की सिफारिशों की सीमा में रहकर ही लेगी या वह समाज के दुर्बल वर्ग के लिए छोटे ऋण उपलब्ध करवाने के लिए समिति की इन सिफारिशों से बाहर भी जायेगी, ताकि लोगों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराये जा सके।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं समझता हूं कि सरकार ने कुछ प्रश्न उठाए थे और उनसे सम्बन्धित निर्देश-पद समिति को दिये थे। अतः सरकार को उनकी सिफारिशों पर ही विचार करना पड़ेगा और फिर यदि सरकार इस मामले में कोई अन्य परिवर्तन करना भी चाहे तो सरकार को ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकता।

Assistance to States for Enforcing Prohibition

*1473. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state ;

(a) The names of the States which have sought assistance from the Central Government for enforcing prohibition in their respective states; and

(b) Whether Government propose to give financial assistance to all the States to enforce prohibition throughout the country ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) मद्य-निषेध के नये उपायों को लागू करने के कारण हुई हानि को 50% अदा करने के लिए भारत सरकार द्वारा पहले से की गई पेशकश के उत्तर में मुआवजे के रूप में, तीन राज्यों में, जिनमें हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल हैं, सहायता मांगी थी।

असम मध्य प्रदेश सरकारों ने मद्यनिषेध को लागू करने के कारण हुई हानि के लिये शत प्रतिशत सहायता माँगी थी।

(ख) सरकार मद्यनिषेध के नये उपायों को लागू करने में हुई हानि के लिये 50 मुआवजे के रूप में वित्तीय सहायता देने की पहले ही पेशकश कर चुकी है। वही पेशकश वर्षीय तृतीय

पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी और अगले 5 वर्षों के लिये 1968 में इसको दोहराया गया था। मद्यनिषेध के समय उपाय भोगोलिक क्षेत्र पर, जो एक जिले से कम न हो, लागू होने चाहिए।

Shri Bibhuti Mishra : Mr Spesaker, it is presided in the constitution and Gandhi ji also wanted this to be done. 95 precent of the freedom fighters have been to jails for picketing. After 22 years, the outcome of the steps taken by the Government their for enforcing prohibition is that Haryana, Punjab and Uttar Pradesh are ready to enforce prohibition with 50 percent compensation, and Assam, Madhya Pradesh and Tamil Nadu have asked for cent percent compensation but no reference has been made about other states. I would like to know from the Government whether any policy is being formulated as by the Government on all India basis as introduction of prohibition is likely to affect all states? The Government should come forward with a categorical answer. Tamil Nadu has withdrown prohibition.

विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मद्यनिषेध को लागू करना हमारे निर्देशक सिद्धान्तों में से एक है। जहां तक कानून का सम्बन्ध है, मद्यनिषेध राज्यों की विषय-सूचि में आता है। अत: इसे लागू करने का प्रमुख कार्य राज्य सरकारी का ही है। राज्य सरकारें मुआवजे के लिए केन्द्र पर दबाव नहीं डाल सकतीं। परन्तु इस निर्देशक सिद्धान्त को क्रियान्वित करवाना केन्द्र सरकार का कर्त्तव्य है। इसलिए केन्द्र सरकार ने सैद्धान्तिक दृष्टि से यह नीति अपना ली है कि मद्य निषेध लागू करने का आधा मुआवजा केन्द्र द्वारा दिया जायेगा। अब यह राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि वह इस नीति का लाभ उठाना चाहती है या नहीं। तीन राज्य इस नई नीति का लाभ उठाना चाहते थे। अगर अन्य राज्य इस नीति का लाभ नहीं उठाना चाहते, तो उन्हें यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि वे केवल केन्द्र की सहायता से ही मद्य निषेध लागू कर सकती हैं। निर्देशक सिद्धान्तों को लागू करने का जितना दायित्व केन्द्र सरकार का है उतना ही राज्य सरकारों का भी है और सम्भवत: राज्य सरकारों का दायित्व तो कुछ अधिक ही होगा।

Shri Bibhuti Mishra : The Government has inforced 24th and 25th constitutional Amendment Bills. In the House Photos of the father of the nation have been put up in every court of the country. Is the central Government introducing constitutional amendment in the House in order to take over the responsibility of enforcing prohibition from the State Government perview so that prohibition could be enforced throughhut the country ? Why the Government is not considering any constitutional amendment for this objective when the constitutional amendments are being brought forward in case of other important issues ?

श्री एच० आर० गोखले : इस पर भी विचार किया गया था लेकिन तामिलनाडु को छोड़कर अधिकांश राज्यों ने मद्य-निषेध के विषय को संघ-सूची में लिये जाने का विरोध किया है।

श्री कावर : कुछ राज्यों में लागू किये गये नशाबन्दी कानून के अनुभव को और कुछ राज्यों के इसे लागू करने सम्बन्धी संकोच को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार निर्देशक सिद्धान्त सहित नशबन्दी के मामले पर नये सिरे से विचार करने के लिये तैयार है ताकि सारे देश के लिये एक तर्कसंगत नशाबन्दी नीति अपनायी जा सके ?

श्री एच० आर० गोखले : माननीय सदस्य ने एक टेढ़ा प्रश्न पूछा है। क्या वह इसे समाप्त करना चाहते हैं या कुछ और ?

श्री कादर : तर्कसंगत नीति का अर्थ फलदायक नीति है, भ्रष्टाचार फैलाने वाली नीति नहीं। मुख्य बात यही है। क्या सरकार सारे मामले पर राष्ट्रीय स्तर पर नये सिरे से विचार करने के लिये तैयार है ?

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा : श्री विभूति मिश्र के प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा कि नशाबन्दी लागू नहीं की जा सकती। गांधी जी ने कहा था कि यदि वह एक दिन के लिये भी सत्तारूढ़ हो तो पहला काम वह नशाबन्दी लागू करने की दिशा में करेंगे। रूस जैसे प्रगतिशील देश ने भी यह अनुभव किया है कि अत्याधिक मद्यपान द्वारा प्रशासन में कार्यकुशलता का अभाव रहता है। अतः क्या केन्द्रीय सरकार नशाबन्दी के विषय को अपने हाथ में लेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पहले भी एक माननीय सदस्य ने पूछा था, जिसका उत्तर दिया जा चुका था।

श्री एस० एम० बनर्जी : इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये।

श्री प्रकणिसिंह स्पेंलकी : गुजरात सरकार ने काफी समय पूर्व राज्य भर में शत प्रतिशत नशबन्दी लागू की है क्या उन राज्य को कोई आर्थिक सहायता दी जायेगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : इस योजना के लागू होने से बहुत पहले से गुजरात में नशबन्दी लागू थी। 50 प्रतिशत अनुदान उन राज्यों को दिया जाता है जो इसे नये क्षेत्रों में लागू करते हैं।

Shri B. P. Maurya : The experiment of prohibition resulted in the loss of revenue and each house turned into distillary. Have some State Government demanded the end of prohibition in view of these factors ?

Mr. Speaker : The main question pertains to the assistance for State Governments for introducing prohibition whereas the Hon. member is expressing a contrary view.

देश में नदी परिवहन योजनाएं

* 1475. **श्री नवल किशोर सिंह :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **नौवहन और परिवहन** : मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में 10 नदी-परिवहन योजनाओं को क्रियान्वित करने का है,

(ख) यदि हां, तो कौन सी योजनाएं स्वीकृत की गई हैं,

(ग) उन योजनाओं पर कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है, और

(घ) क्या उक्त योजनाएं चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में पूरी हो जाऐगी ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (घ) : अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) से (ग) : 100 प्र० श० केन्द्रीय ऋण सहायता में से सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के रूप में किया जाने वाला अन्तर्देशीय जल परिवहन विकास के लिये भारत सरकार ने अब तक 327·11 लाख रुपये की लागत की 10 योजनाओं को संस्वीकृत किया है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) चौथी योजना काल में योजनाओं को कार्यान्वित कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। कार्यों का न किया गया भाग पांचवी योजना काल में ले जाया जायेगा।

विवरण

क्र० सं०	योजनाओं के नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)
1.	गंगा में प्रयोगात्मक एवं उत्थानात्मक नदी सेवाओं को चलाना (बिहार और उत्तर प्रदेश)।	5·75
2.	भागीरथी-हुगली पद्धति में तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण और अन्य अन्वेषण (पश्चिमी बंगाल)	1·10
3.	मंदावा में जेटी की व्यवस्था (महाराष्ट्र)	20·69
4.	घोलपुर से कटक तक महानदी में नौचालन में सुधार (उड़ीसा)	50·18
5.	तुंगभद्रा लेफ्ट बैंक कैनाल में अन्तर्देशीय नौचालन का विकास (मैसूर)	9·16
6.	कम्बरजुआ कनाल का सुधार (गोआ)	100·00
7.	सुवानसीरी नदी में वाणिज्यिक सेवाएं (असम)	5·00
8.	गोदावरी और कृष्णा डेल्टा कनाल में नौगम्य सुविधाओं की व्यवस्था (आन्ध्र प्रदेश)	10·73
0	फर्टीलाइजर और केमिकल श्रावनकोर (चरण 2) और टिरानियम प्रोजेक्ट के औद्योगिक स्थलों को मिलाने वाले	

	चूम्पकाग्ग और चित्रपूजा नदी को चौड़ा व गहरा करना (केरल) ।	112·50
10.	दक्षिणी बकिंघम कनाल का निकर्षण (तमिलनाडू)	12·00
	कुल	327·11

श्री नवल किशोर सिंह : अब तक कितनी योजनाएँ निष्पादित की गयी हैं और चौथी पंचवर्षीय योजना के गत तीन वर्षों के दौरान कितना व्यय हुआ है ?

श्री ओम मेहता : जैसे कि विवरण में कहा गया है, चौथी योजना के अधीन अभी हाल में 10 योजनाएँ स्वीकृत हुई हैं जिनका कार्य विभिन्न चरणों में है ।

श्री नवल किशोर सिंह : आप का कहना है कि व्यय 3·27 करोड़ रुपये है, परन्तु अब तक हुआ व्यय नहीं बताया गया है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय को राज्यों से बहुत सी योजनाएं प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो अब तक उसने कितने मामलों में तकनीकी सलाह प्रदान की है तथा दूसरे क्या सरकार का विचार कुछ जल-मार्गों को राष्ट्रीय जल-मार्ग घोषित करने का है ? क्या सरकार उत्तर की गंगा नदी पर इस दृष्टि से विचार करेगी ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : जहाँ तक जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने का प्रश्न है, यह कई बातों पर निर्भर करता है । महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या इन जल-मार्गों पर साल भर के लिए पर्याप्त यातायात संभव हो सकेगा ? नदी के जल के निम्न स्तर की अवधि ही वास्तविक निर्धारक तत्व है । स्वभावतया, जबकि कुछ जल-मार्गों को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित करने के प्रस्ताव के साथ सरकार की पूरी सहानुभूति है तथापि सरकार ने ऐसा करना संभव नहीं पाया है । दूसरे, परिवहन के अन्य साधनों से प्रतियोगिता के कारण भी ऐसा करने में कठिनाई है । तीसरे, कुछ नदियों का लगभग सारा जल ही सिंचाई योजनाओं के काम आ जाता है और परिवहन योग्य जल बहुत कम बचता है । यदि मैं कारण ही गिनने लगूं तो 1965 में भारत-पाक संघर्ष और अब बंगला देश में पाकिस्तानी सेना की कार्रवाईयों के परिणामस्वरूप ब्रह्मपुत्र को गोहाटी-कलकत्ता मार्ग में अन्तर्बाधा के कारण ऐसा करना हमारे लिए संभव नहीं हो सका है । जहां तक राज्य सरकारों को तकनीकी विषयों पर सलाह देने का सम्बन्ध है वहां तक सम्भव हो यह सलाह प्रदान की जाती है ।

Shri Chandrika Prasad : Inland water Transport system is a job-oriented scheme, especially for backward areas. It is useful for those areas where other means of Communi cation are lacking. Bhagwati Committee stated that apart from the ten schemes approved by the Central Government, scheme relating to Ghagra for Patna to Faizabad link should be considered. But the State Goverment do not have resources as well as

technical man power. Will the Central Government make arrangements to complete those schemes for rivers which were considered by the Bhagwati Committee ?

Shri Raj Bahadur : I can not give only assurance but I may submit that wherever Governments- attention is drawn towards this and the Govermment is asked to act. It tries to take action. As you are aware. there is a Scheme for Experimental Cum.Promotional river Surveys for river Ganga in Bihar and Uttar Pradesh. But I may again stress tha many roads have developed in this area and the number of Railway lines has also increasedt. There fore it is not easy or proftable to Carry goods in bulk or therwise through waterways.

Shri Bibhuti Mishra : It is Cheaper to carry through river, **(Interruptions).**

डा० रानेन सेन : इस विवरण में "योजनाओं के नाम" शीर्षक के अन्तर्गत "भागरिथी हुगली योजना का तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण तथा अन्य अन्वेषण" का वर्णन है। क्या मंत्री महोदय यह बता सकते है कि क्या यह सर्वेक्षण पश्चिम बंगाल में प्रारम्भ हो चुका है और यदि हा तो यह सर्वेक्षण वस्तुतः किस प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है ? अन्त में, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस सर्वेक्षण का फरक्का बांध परियोजना से कोई सम्बन्ध है ?

श्री ओम मेहता : यह सर्वेक्षण शीघ्र ही प्रारम्भ किया जायेगा और इसे करने वाला प्राधिकरण है पश्चिम बंगाल सरकार का अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा लैसर बीमे उपकरण का आविष्कार

* 1476. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में हाल ही में लेसर बीमे उपकरण का आविष्कार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर ने रुढिगत सर्वेक्षण और समतल-उपकरणों का स्थान लेने के लिये लैसर बीमे यूनिट का विकास किया है।

(ख) सरकार इस विकास का स्वागत करती है क्योंकि इससे कठिन परिस्थितियों में सर्वेक्षण तथा समतल संक्रियाओं में सुविधा होती है।

श्री एस० एम० बनर्जी : महोदय, चूंकि यह आविष्कार वैज्ञानिक विकास की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है इसलिए क्या सरकार का विचार सम्बद्ध प्रोफेसर को इस कार्य के लिए पारितोषिक प्रदान करने का है।

श्री डी० पी० यादव : निश्चय ही सम्बद्ध प्रोफेसरों को प्रेरणा के तौर पर इसके लिए पारितोषिक प्रदान किया जाएगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को इस उपकरण के पुनः विकास के लिए कुछ विशेष वित्तीय सहायता दी जाएगी ?

श्री डी० पी० यादव : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पास समुचित धन को व्यवस्था है और यदि उपकरण के विकास के लिए और धन की आवश्यकता पड़ी तो निश्चय ही सरकार इस पर विचार करेगी ।

श्री बृजराज सिंह-कोटा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लेसर बीम का विभिन्न रूपों में प्रयोग किया जा सकता है, क्या सरकार का विचार इसका प्रयोग रक्षा प्रयोजनों के लिए करने का है ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक विशिष्ट प्रश्न है

श्री डी० पी० यादव : फिल हाल इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते । यह प्रश्न रक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित है ।

पंजाब सरकार के कर्मचारियों को अन्तरिम राहत देना

* 1478. **श्री प्रबोध चन्द्र †**
श्री तेजा सिंह स्वतंत्र

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब सरकार के कर्मचारियों से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि कई राज्यों में दी गई अन्तरिम राहत की तरह उन्हें भी अन्तरिम राहत दी जाए ; और

(ख) यदि हां, तो वे मांगे क्या हैं और पंजाब सरकार के कर्मचारियों की मागें पूरी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां ।

(ख) यह मांग राज्य के कर्मचारियों को मार्च 1970 से केन्द्रीय सरकार की दरों पर अन्तरिम राहत मंजूर करने के बारे में थी । राज्य सरकार द्वारा भेजी गयी सूचना के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामान्य वेतन-मानों में 1 फरवरी 1968 से संशोधन किया गया था तथा वेतनमानों की असंगतियों को हाल ही में दूर कर दिया गया है । राज्य सरकार ने 1 जुलाई 1971 से अपने कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते में वृद्धि के रूप में राहत दी है जो 499 रू० प्रतिमास तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को 6 रू० से लेकर 11 रू० प्रतिमास तक और 554 रू० प्रतिमास तक वेतन पाने वालों के लिये सीमांतक समायोजन की इसमें व्यवस्था है ।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या मन्त्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि यह रियायत केवल 20 प्रतिशत सरकारी कर्मचारियों पर ही लागू होती है ? बाकी 80 प्रतिशत कर्मचारियों का

का क्या होगा ? क्या सरकार का विचार इन कर्मचारियों को भी किसी प्रकार की राहत देने का है ?

श्री के० आर गणेश : यह रियायत निम्न ग्रेड के कर्मचारियों को दी गई थी। जहाँ तक अन्तरिम राहत की मांग का सम्बन्ध है। मामला पंजाब सरकार के सुपुर्द कर दिया गया है।

श्री प्रबोध चन्द्र : पंजाब राज्य आजकल राष्ट्रपति शासन के अधीन है अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को उन कर्मचारियों की मांगों पर, जिन्हें किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी गई, सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए निदेश दिए हैं ?

श्री के० आर० गणेश : उनकी मांगों पर विचार करना पहले पंजाब सरकार का काम है और राज्य सरकार यह देखेगी कि वह मांगें स्वीकार भी की जा सकती हैं अथवा नहीं। तत्पश्चात् केन्द्र सरकार उन पर विचार करेगी।

श्री प्रबोध चन्द्र : जैसा कि मैंने पहले भी कहा, पंजाब राज्य में आजकल राष्ट्रपति शासन लागू है। क्या मंत्री महोदय इस बात को स्पष्ट करेंगे कि क्या केन्द्र सरकार को पंजाब सरकार के कर्मचारियों द्वारा अन्तरिम राहत के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था और यदि हां तो क्या केन्द्र सरकार ने उस पर कोई सुझाव दिया है अथवा मात्र इसे पंजाब सरकार को प्रेषित कर दिया है ?

श्री के० आर गणेश: : जी हां, हमे इस सम्बन्ध में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था और हमने इसे पंजाब सरकार को भेज दिया है।

Shri Darbar Singh : Will the hon. Minister be pleased to state whether the Punjab Government employees are not satisfied with the passing on of this representation to the Punjab Government and whether he will intervene in the matter at any stage ?

श्री के० आर० गणेश: : जैसा कि मैंने पहले भी कहा, पहली अवस्था में इस पर विचार करना राज्य सरकार का काम है।

Shri Tej Singh Swatantra : It was said that the Punjab Government do not have sufficient funds for the payment of interim relief. We as well as the state Government had agreed that if the load revenue is reimposed the State Government will be able to raise Rs. 35 crores. If the Government still unable to say that the interim relief can be given ?

श्री के० आर० गणेश : हमें पंजाब सरकार से अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : There is presidents rule in Punjab and the adminstration of the state is being run by the centre.

Mr Speaker : But the administration is run through Punjab Governm ent only.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Do you mean to say that the Central Government is unable to raise the allowances of Punjab Government employees even if they so desire ?

Mr Speaker : you have given a good advice,

सामान्य बीमें का राष्ट्रीयकरण

* 1480. **श्री एस० सी० सामन्त** क्ता **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम ने सामान्य बीमा का कार्य किस सीमा तक अपने हाथ में लिया है;

(ख) क्या गैर सरकारी बीमा कम्पनियों ने इसका विरोध किया है;

(ग) सरकार ने इस बारे में यदि कोई आश्वासन दिए हैं तो वे क्या हैं जिससे गैर-सरकारी बीमा कम्पनियां भी अपना काम जारी रख सकें; और

(घ) सामान्य बीमा के शेष कार्य का राष्ट्रीयकरण करने में क्या कठिनाइयां हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) 1 अप्रैल 1964 से जीवन बीमा निगम विविध बीमा कारोबार कर रहा है और 1 जनवरी 1966 से यह आवश्यक कर दिया गया है कि विविध बीमा का सभी कारोबार, जो सरकार के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण में है, केवल जीवन बीमा निगम को ही दिया जाय । 1 अप्रैल 1971 से जीवन बीमा निगम ने ऐसे किसी भी अन्य विविध-बीमा कारोबार को स्वीकार करना बन्द कर दिया है जो सरकार के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण से भिन्न हो ।

(ख) टैरिफ कमेटी ने और इण्डियन इंश्योरेंस कम्पनीज एसोसियेशन ने भी 1966 में इस आशय का प्रतिवेदन दिया था कि सरकार के अप्रत्यक्ष नियंत्रण शब्दों की व्याख्या इतने व्यापक अर्थ में नहीं की जाय कि बीमा कराने वाला जहां ठीक समझे वहां बीमा कराने की अपनी स्वतन्त्रता खो दे ।

(ग) भूतपूर्व गैर-सरकारी बीमा कम्पनियों को इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन नहीं दिया गया है ।

(घ) विविध बीमा कारोबार करने वाले सभी बीमाकर्त्ताओं के उपक्रमों का प्रबन्ध 13 मई 1971 से सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है । उनके उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण एक विधेयक द्वारा किया जायगा, जो इस प्रयोजन के लिये संसद में पेश किया जायगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं यह जानना चाहता हूं कि सामान्य बीमे के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी विधेयक इस सदन में कब प्रस्तुत किया जा रहा है और क्या सामान्य बीमा (आपात उपबन्ध) विधेयक, 1971 के बारे में शीघ्र कार्यवाही की जायेगी, जिससे कि सरकार सामान्य बीमे का कार्य अपने हाथ में ले सके ?

श्रीमति सुशीला रोहतगी : आशा है कि सामान्य बीमे के राष्ट्रीयकरण और स्वामित्व के अधिग्रहण के लिये विधेयक संसद के अगले सत्र में पेश किया जायेगा । जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया, सरकार सामान्य बीमा (आपात उपबन्ध) विधेयक को लाने के लिये शीघ्र कार्य-वाही करेगी ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अन्तरिम अभिरक्षकों को इन उपक्रमों का अधिग्रहण करने के लिए नियुक्त किया जायेगा ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : उन्हें नियुक्त किया जा चुका है ।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सामान्य बीमे के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् 'कलकत्ता क्लेम्स ब्यूरो आर्गेनाइजेशन'' नामक एक विशिष्ट संस्था ने पिछले महीने मन्त्रालय से सम्पर्क किया था और यह अनुरोध किया था कि उनके संगठन को सामान्य बीमा कम्पनियों की सूची में शामिल करके उसका अधिग्रहण कर लिया जाय, क्योंकि इसका कार्य सामान्य बीमे से सम्बन्धित था ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : माननीय सदस्य का कथन सही है । वे हमसे मिले थे । हम इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं···

अध्यक्ष महोदय : यह एक सामान्य प्रश्न है । श्री बनर्जी ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि सामान्य बीमा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने उनसे आज सुबह भेंट की थी और उन्हें यह बताया कि वर्तमान अभिरक्षकों द्वारा कुछ अन्याय किया गया है और यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि जब तक सदन के समक्ष विधेयक प्रस्तुत न हो, तब तक कोई भी ऐसी कार्यवाही न की जाय ।

अध्यक्ष महोदय : आप स्वयं ही जानकारी दे रहे हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी: मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इसको पूरक प्रश्न के रूप में पूछने की अनुमति नहीं दी जा सकती ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है ?

अध्यक्ष महोदय : जिन पूरक प्रश्नों द्वारा सुझाव दिये जाते हैं जानकारी दी जाती है और राय मांगी जाती है उन्हें पूछने की अनुमति नहीं दी जाती ।

श्री एस० एम० बनर्जी : अगर आप चाहें , तो मैं प्रश्न को बदल देता हूं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि सामान्य बीमा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें यह कहा गया है कि वर्त्तमान अभिरक्षकों ने उनके साथ कुछ अन्याय किया है । श्री चव्हाण ने आश्वासन दिया था कि ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की जायगी । कुछ वास्तविक शिकायतें हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन शिकायतों को दूर किया जायेगा और क्या अभिरक्षकों से यह कहा जायगा कि वर्तमान व्यवस्थों में कोई हेर फेर न करें ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : आज सुबह कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है । परन्तु मैं उन्हें यह बताना चाहूंगी कि अगर ऐसी कोई बात है, तो इसकी जांच की जायगी और अभिरक्षकों से यह कहा जायगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी भी प्रकार का अन्याय न किया जाय ।

कूच बिहार में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा स्थल सीमा शुल्क विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के रिक्त स्थान

*1481. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कूच बिहार जिले में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा शुल्क स्थल सीमा शुल्क विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में काफी संख्या में रिक्त स्थान हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे रिक्त स्थानों की संख्या कितनी है और सरकार का विचार उचित भर्ती द्वारा कब उनकी पूर्ति करने का है; और

(ग) क्या ऐसी भर्ती के समय स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जायेगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). कूच बिहार जिले के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा भूमीसीमाशुल्क कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 102 है। चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में 13 रिक्त स्थान हैं जिनमें दो दफ्तरी ग्रेड के तथा 11 सिपाही ग्रेड में हैं। दफ्तरियों के रिक्त स्थान सिपाहियों की पदोन्नति करके भरे जाते हैं। सिपाही ग्रेड के रिक्त स्थान, इन पदों की भर्ती पर पाबंदी होने के कारण, अभी नहीं भरे जा सकते।

श्री बी० के० दास चौधरी : यह एक सीधा साधा प्रश्न है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उस कार्यालय में 13 रिक्त स्थान हैं और माननीय मन्त्री के अनुसार इन रिक्त स्थानों पर नियुक्तियां सिपाहियों में से की जानी हैं मैं यह जानना चाहता हूं कि इन रिक्त पदों को क्यों नहीं भरा गया ? दूसरी बात मन्त्री महोदय ने यह भी कहा कि पदों पर भर्ती के लिए रोक लगी हुई है। बेरोजगारी की गम्भीर समस्या और अधिकाधिक रोजगारी देने की सरकार की इच्छा को ध्यान में रखते हुए, मैं मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वह विशेष रूप से 13 रिक्त स्थानों पर नियुक्तियां करने के लिए इस प्रतिबन्ध में ढील देने पर विचार करे।

श्री के० आर गणेश : माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार किया जायगा।

श्री बी० के० दास चौधरी : खड़े हुए—

अध्यक्ष महोदय : मेरी समझ में नहीं आता कि पूरक प्रश्न कैसे बन जाता है। मगर आप फिर भी पूछ लेते हैं।

केरल में तटवर्ती सड़क का राष्ट्रीय राजपथ में बदला जाना

* 1486. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है कि तटवर्ती सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित कर दिया जाये, और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

संसदीय विभाग कार्य, तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) और (घ) : जी, हां । केरल सरकार ने वेस्ट कोस्ट रोड़ को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करने के लिये अनुरोध किया है । इस प्रार्थना पर ध्यान दिया जा रहा है ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मन्त्री महोदय का कहना है कि अनुरोध पर विचार किया जा रहा है । मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस पर सहानुभूति से विचार किया जा रहा है अथवा...... **व्यवधान**

श्री ओम मेहता : ये सभी योजनाये योजना आयोग को प्रेसित की गई थीं और वे इससे सहमत हो गये थे ; परन्तु वित्त मन्त्रालय ने यह आवश्यक समझा कि इसे कुछ समय के लिए स्थागित रखा जाय । राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में इसके वर्गीकरण के बारे में पुनर्विचार करने के लिए हमने फिर से इसे वित्त मन्त्रालय को प्रेषित किया है और आशा है कि इस बारे में शीध्र ही विचार मालूम हो जायेगा ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : इस पर चूंकि सहानुभूति से विचार किया जा रहा है मैं यह जानना चाहता हूं कि इस योजना के क्रियान्वयन में कितना व्यय होने का अनुमान है और इस सड़क द्वारा कौन-कौन से महत्वपूर्ण नगर आपस में सम्बद्ध हो जायेंगे ?

श्री ओम मेहता : इस सड़क के विकास पर 22·39 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है ।

दूसरे प्रश्न के लिये मुझे नोटिस दिया जाना चाहिए । और वह यह जानकारी चाहते कि यह सड़क किन-किन राज्यों में से गुजरेगी तो वह जानकारी मैं दे सकता हूं । यह महाराष्ट्र, केरल, गोआ और मैसूर राज्यों से गुजरेगी । परन्तु शहरों के नाम जानने के लिये नोटिस दिया जाना चाहिए । यह लगभग सभी तटवर्ती नगरों नोटिस को जोड़ेगी ।

दरभंगा से फारबिसगंज तक राष्ट्रीय राजपथ का विस्तार

* 1488. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में अमीन गांव से फारबिसगंज तक राष्ट्रीय राजपथ के निर्माण की केवल स्वीकृति ही नही दी गई है वरन बिहार में दरभंगा तक इसका निर्माण भी पूरा हो गया है;

(ख) क्या दरभंगा जिले में दरभंगा झांझरपुर और नरीटया होते हुए दरभंगा से फारबिसंगज तक इसका विस्तार करने में विलम्ब हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इसका निर्माण पूरा करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

विवरण

अनुमानतः माननीय सदस्य बरेली–अमीनगांव पाश्वतर्ती सड़क के बिहार भाग का उल्लेख कर रहे हैं । सलेमगढ़ (उत्तर प्रदेश बिहार सीमा पर) तथा गलगलिया (बिहार पश्चिमी बंगाल सीमा पर) के बीच बिहार में इस पार्श्ववर्ती सड़क की स्वीकृत रेखांकन है । बिहार में इस रेखांकन का सर्वेमगढ़-पूर्णिया भाग पहले ही राष्ट्रीय राजमार्ग है जिस पर सलेमगढ़ तथा मुजफ्फरपुर के बीज कार्य पूरा होने वाला है । किन्तु डुमारीयाघाट के पास गंडक नदी पर पुल बनाने का निर्माण कार्य प्रगति पर है । मुजफ्फरपुर तथा पूर्णिया के बीच कार्य आंशिक रूप से कुछ अन्य कार्यक्रमों तथा आंशिक रूप से पार्श्ववर्ती सड़क कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले ही पूरा किया जा चुका है । इसी प्रकार पूर्णियां तथा गलगलिया के बीच पार्श्ववर्ती सड़क के शेष रेखांकन पर भी जोकि एक राज्य राजमार्ग है, कार्य सम्पन्न होने वाला है । इसके अलावा, पार्श्ववर्ती सड़क प्रयोजना में इसके साथ साथ मुजफ्फरपुर को दरभंगा से तथा अडरिया को फारविसगंज के साथ मिलाने वाली दो योजक सड़कों के निर्माण कार्य की भी व्यवस्था है । इस योजना सड़कों पर हो रहा कार्य पूरा होने वाला है । पर्श्ववर्ती सड़क के लिए अधिक उत्तरी मार्ग की व्यवस्था के लिये मरीचा । डगमरा द्वारा दरभंगा को फारविसगंज के साथ मिलाने का भी प्रस्ताव था । मरीचा/ठगमरा द्वारा फारविसगंज दरभंगा योजना सड़क पर कार्य चालू न किया जा सकता, क्योंकि कोसी के ऊपर पुल निर्माण स्थान निर्धारित करने पर इसका आधार था और बाद में वित्तीय कठिनाइयों के कारण भी इसे शुरू न किया जा सका । तथापि जनवरी 1971 में नौवहन तथा परिवहन, वित्त तथा रक्षा मंत्रालयों और योजना आयोग के प्रतिनिधियों की एक समिति का, दरभंगा-फारविसगंज योजक सड़क तथा कोसी पर एक बड़े पुल के निर्माण के सम्बन्ध में धन की व्यवस्था करने के लिए तौर तरीकों पर विचारार्थ गठन किया गया । समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

श्री जगन्नाथ मिश्र : विवरण में बताया गया है कि नौवहन तथा परिवहन, वित्त और रक्षा मंत्रालयों तथा योजना आयोग के प्रतिनिधियों की एक समिति बनायी गयी थी और इसके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि समिति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में कितना समय लगेगा ?

श्री ओम मेहता : प्रतिवेदन बहुत शीघ्र प्राप्त हो जायेगा ।

श्री जगन्नाथ मिश्र : क्योंकि यह प्रतिरक्षा-प्रधान योजना है और सामरिक महत्व की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है तो क्या सरकार इसे सामरिक महत्व की सड़कों के प्रथम अनुबन्ध में सम्मिलित करने का प्रयास करेगी जिससे टूटे हुऐ सम्पर्क जोड़े जा सकें और इस योजना के पीछे जो उद्देश्य है उसे पूरा किया जा सके ?

संसदीय कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : यह योजना निश्चय ही अर्थव्यवस्था-प्रधान है । दूसरी बातें गौण हैं । कुछ भी हो, यह सड़क बरेली तथा अमीन

गांव के मध्य-सम्पर्क स्थापित करने के लिये बहुत आवश्यक है। यह 1100 मील लम्बी सड़क है।

सड़क के निर्माणार्थ बिल व्यवस्था के सम्बन्ध में समिति की प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात हम टूटे हुये सम्पर्कों को जोड़ने का भरसक प्रयत्न करेंगे।

जम्बो जेट विमानों की एहतियाती तौर पर जांच कराने की व्यवस्था

* 1490. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि टोकियो से उड़ान आरम्भ करने का प्रयास करते समय एक 747 जम्बो जेट विमान क्षतिग्रस्त हो गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने एयर इण्डिया के जम्बो जेट विमानों की सूक्ष्म रूप से एहतियाती तौर पर जांच कराने की व्यवस्था की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) बोइंग कम्पनी ने एयर-इण्डिया को टोकियो में 20 जून, 1971 को हुई 747 विमान की एक घटना की सूचना दी है, जिसमें आरोहण (टेक आफ) के दौरान विमान धावनपथ से हट गया था और विमान के अवतरण-गियर तथा टायर क्षतिग्रस्त हुये थे। चांज करने के पश्चात् कम्पनी ने आरोहण के दौरान स्टीयरिंग प्रणाली के लिए परिष्कृत परिचालन प्रक्रिया की सिफारिश की है, और स्टियरिंग प्रणाली में थी कुछ सुधार कार्य प्रस्तावित किया है। इसे एयर-इण्डिया के 747 विमानों में लागू किया जायेगा।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का विचार ऐसे और विमान लेने का है, मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे, कि क्या इन विमानों की पूर्ण तथा स्वतन्त्र जांच करायी जायेगी।

डा० कर्णसिंह : जब नये विमान आते हैं तब अक्सर निर्माता विमानों के संचालन को श्रेष्ठ बनाने के लिये समय समय पर बहुत से संशोधनों तथा परिवर्तनों की सिफारिश करते हैं। क्योंकि इन बातों की जानकारी निर्माताओं को ही होती है अतः इसके लिये कहीं अन्यत्र जाने से कोई विशेष लाभ नहीं है। परन्तु सम्बन्धित कम्पनियों से ब्यौरे प्राप्त होने पर हम इन मामलों पर विशेष ध्यान देंगे।

Shri B. P. Maurya : The jumbo-jet was pressed in to the service long ago. Have we not been able since then, to trace out the defect which caused Crak-up of jumbo-jet Airliner in Tokyo as the Hon. Minister has said that the company has suggested certain changes after investigation ?

Dr. Karan Singh : Jumbo-jet, since its incaption, has undertaken thousands of flights, but such crack-up is new to our Airlines. Wherever such an accident occurs, the maunfacturers send information in that regard, so that all may take note of that and whatevers changes are required to be done may be effected.

श्री जी॰ विश्वनाथन : क्या पिछले कुछ महीनों के अनुभव से जेम्बोजेट में कोई अन्य यांत्रिक त्रुटि हमारे ध्यान में आई है; यदि हां, तो किस प्रकार से सुधार किया जा रहा है ?

डा॰ कर्ण सिंह : यांत्रिक त्रुटियों का प्रश्न नहीं है। विमान के अन्दर कुछ परिवर्तन करने होंगे, उदाहरणार्थ, तैयार की जाने वाली खुराक के लिये 'गैली स्थान' की मात्रा और रैस्टोरैन्ट व्यवस्था के लिये स्थान की व्यवस्था आदि-आदि। कोई यांत्रिक त्रुटि हमारे ध्यान में नहीं आयी।

एकाधिकार व्यापार गृहों की श्रंखला के आधार पर होटल व्यापार में प्रवेश

*1493. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार व्यापार गृहों द्वारा शृंखला के आधार पर होटल व्यापार में प्रवेश करने के बारे में सरकार की क्या नीति है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने आलोक-उद्योग एकाधिकार व्यापार समूह को जयपुर, आगरा मद्रास, बम्बई और नई दिल्ली होटलों को एक शृंखला बनाने की अनुमति दे दी है;

(ग) क्या उनका मंत्रालय आलोक उद्योग को कोई ऋण देने की पेशकश कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो कितने ऋण की पेशकश की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (डा॰ सरोजिनी महिषी) : **(क)** देश में होटल आवास स्थान की कमी को देखते हुए पर्यटन विभाग होटल उद्योग में पूँजी निवेश का स्वागत करता है किन्तु यह सरकार द्वारा निर्धारित समस्त नीति के अनुसार होना चाहिए।

(ख) आलोक उद्योग सर्वेसेज लिमिटेड ने आगरा, मद्रास, बंगलौर तथा दिल्ली में होटल स्थापित करने की अपनी योजनाओं पर विचार विमर्श किया है। तथापि प्रस्ताव केवल आगरा और मद्रास में बनाए जाने वाले दो होटलों के निर्माण के विषय में ही प्राप्त हुए हैं और उन पर विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठते। मंत्रालय बिना मांगे अपने आप ऋण प्रस्तुत नहीं करता है तथा होटल विकास ऋण निधि से ऋण देने के प्रश्न पर केवल नियमित प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर ही विचार किया जाता है।

Shri Satpal Kapur : Is the Hon. Minister satisfied with the Public Sector Hotels because of which Private Sector is being brought into the picture ?

डा॰ सरोजिनी महिषी : ऐसा नहीं है। सरकारी क्षेत्र में ठीक प्रकार कार्य चल रहा है। भारतीय पर्यटन विकास निगम भी ठीक ढंग से कार्य कर रहा है और कुछ होटल निर्माणाधीन हैं। वे गुलमर्ग तथा औरंगाबाद में हैं। बंगलौर का होटल पूरा हो चुका है और कोवालाम होटल

निर्माणाधीन है । इसके अतिरिक्त हमें गैर-सरकारी क्षेत्र में पूंजी विवेश की आवश्यकता है और इसे प्रोत्साहन दिया जा रहा है ।

Shri Satpal Kapur : I want to know that besides this firm which is a big monopoly house and which other firms had applied, why this firm was selected and what criterion was adopted in this connection ?

Dr. Sarojini Mahishi : Selection has not been made so far. This matter is under consideration.

सफदरजंग हवाई अड्डे को वर्तमान स्थान से हटाकर
अन्यत्र ले जाने का प्रस्ताव

*1494. **श्री बृजराज सिंह कोटा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सफदरजंग हवाई अड्डे को वर्तमान स्थान से हटाकर अन्यत्र ले जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसको कब तक स्थानांतरित किए जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : 1-5-71 से डी० सी०-3 और उससे बड़े विमानों द्वारा किए जाने वाले यात्री परिचालन सफदरजंग हवाई अड्डे से पालम हवाई अड्डे को स्थानांतरित कर दिये गये हैं । शेष परिचालनों के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

श्री बृजराज सिंह कोटा : क्या विचार किया जा रहा है ? मंत्री महोदय ने बताया कि शेष परिचालनों के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि अन्य परिचालन कौन से हैं ? क्या वे सफदरजंग हवाई अड्डे से सभी उड़ानों को बन्द करना चाहते हैं ।

डा० कर्ण सिंह : जी नहीं । सफदरजंग से कई उड़ानें होनी हैं जिनमें फ्लाइंग क्लबों तथा राज्य सरकारों और निजी कम्पनियों के छोटे विमान तथा खेतों में दवाइयां छिड़कने वाले विमान सम्मिलित हैं । एक मत तो यह है कि इन सभी कार्यों को स्थानान्तरित कर दिया जाये । हम उन्हें पालम स्थानान्तरित नहीं करना चाहते, क्योंकि पालम का अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकास किया जा रहा है । अतएव हम इन छोटे विमानों को वहां पर अधिक मंडराने देना नहीं चाहते । अतः यदि हमें उन्हें स्थानान्तरित करना है तो किसी अन्य स्थान पर करना पड़ेगा । यह एक बड़ी समस्या है । पिछले कुछ समय से मामले पर विचार किया जा रहा है, परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं जब तक हमें उसके बदले उचित स्थान नहीं मिल जाता । हम सफदरजंग से भरी जाने वाली उड़ानों को बन्द करना नहीं चाहते ।

श्री बृजराज सिंह कोटा : वे सभी परिचालनों को सफदरजंग से क्यों हटाना चाहते हैं ? क्या वे समझते हैं कि इससे आस-पास के निवासियों के लिए भारी खतरा है ।

डा० कर्ण सिंह : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, सफदरजंग क्षेत्र का विकास होता जा रहा है और कुछ लोगों का मत है कि वहां से बड़े विमानों का परिचालन सुरक्षित नहीं है। बड़े विमानों के मामले में हमने उक्त तर्क को स्वीकार कर लिया है। परन्तु जहां तक छोटे विमानों का प्रश्न है, हम नहीं समझते कि यह कोई बड़ी बाधा उपस्थित करते हैं। फिर भी, दिल्ली के विकास और विस्तार को देखते हुए हमें इस पर निरन्तर ध्यान देना होगा।

नेफा और सीमावर्ती क्षेत्रों को मिलाने वाले राजपथों में सुधार करने हेतु की गई कार्यवाही

*1495. **श्री सी० सी० गोहेन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'नेफा' को आसाम के सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ मिलाने वाले राजपथों का सुधार करने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है, और

(ख) वहां के राष्ट्रीय राजपथों का सुधार करने के लिए वर्ष 1971-72 में कितनी धन राशि नियत की गई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) नेफा में कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है तथा उनके लिए किसी प्रकार की धनराशि आवंटित करने का प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

नेफा को असम के सीमावर्ती क्षेत्रों से मिलाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा सुधार किये गये किये जा रहे सड़कों की सूची।

(1) नेफा में चार द्वार-मूलकपोंग को असम में तेजपुर से।

(2) नेफा में किमिन को असम में देजू से।

(3) नेफा में लेखाबली को असम में अखाजन से ।

(4) नेफा में फासीघाट को असम में जोनाई से।

(5) नेफा में सीतापानी आलूवाड़ी घाट-तेजू को असम में रूपाई से	... 70 कि० मी० सुधार कार्य प्रगति पर
(6) मरघेरिता से खोंसा	... 112 कि० मी० तारकोल और रोड़ी बिछाने का कार्य प्रगति पर
(7) तिरप गेट से नामपोंग	... 54 कि० मी० तारकोल बिछा दिया गया।
(8) तिरप गेट से मियावो	... 54 कि० मी० रोड़ी और रंगाई की जा रही है।

(9) जोयपुर से खोंसा	...	59 कि० मी० रोड़ी और तारकोल बिछाने का कार्य प्रगति पर ।
(10) विमलपुर से लौंगडिंग	...	63 कि० मी० मिट्टी का काम प्रगति पर ।
(11) सैया से तेजू	...	60 कि० मि० पूरा हो चुका-अनुरक्षण महा-निदेशक सीमा सड़क वाले करेंगे ।
(12) लासीघाट जोनाई सड़क	...	37 कि० मि० तारकोल का काम प्रगति पर इस वर्ष पूरे हो जाने की संभावना ।
(13) ओयन ओरयामघाट सड़क	...	9 कि० मी० तारकोल का कार्य प्रगति पर कुछ ही वर्षों में पूरे हो जाने की संभावना ।
(14) ओरिंग चपखोवा सड़क	...	27 कि० मी० तारकोल का कार्य प्रगति पर कुछ ही वर्षों में पूरे हो जाने की संभावना ।

श्री सी० सी० गोहेन : नेफा सीमावर्ती क्षेत्र है और चीन के आक्रमण के समय हमारे सैनिकों को सड़कों के अभाव में शस्त्रास्त्र ले जाने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा था, क्या इन बातों पर ध्यान देते हुए, सरकार का विचार (1) हयोलांग से वालांग, (2) चिंगाकांग से टूटिंग और (3) टूलिसा से मेकहोतियां तक की सड़क बनाने का है ?

श्री ओम मेहता : हम जानते हैं कि इस क्षेत्र में सड़कों का बहुत महत्व है । चौथी पंचवर्षीय योजना में सड़कों के निर्माण के लिये 555·55 लाख रुपये मंजूर किये गये थे । पांच सड़कें निर्मित हुई है । यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उनका विवरण दे सकता हूं । अन्य जिन सड़कों का उन्होंने वर्णन किया है उन पर भी कार्य चल रहा है ।

श्री सी० सी० गोहेन : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार नेफा में पार्श्विक सड़क का निर्माण करना चाहती है ?

श्री ओम मेहता : पार्शिवक सड़क अमीन गांव तक जाती है ।

पाकिस्तान को चोरी छिपे ले जायी गई दिवान-ए-गालिब की पांडुलिपि

* 1496. **श्री एस० ए० शमीम** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या 5 अप्रैल, 1969 को भोपाल में स्वयं शायर गालिब द्वारा हस्तलिखित दीवान-ए-गालिब की एक दुलर्भ पांडुलिपि पाई गई थी;

(ख) क्या उसका सितम्बर, 1969 में भारत में प्रकाशन हुआ था तथा अद्भुत

छपाई और डिजाइन के लिए भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा उसको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था;

(ग) क्या इस पांडुलिपि को पाकिस्तान में चोरी छिपे ले जाया गया तथा उसको वहां प्रकाशित किया गया; और

(घ) क्या इस पांडुलिपि की पाकिस्तान में प्रकाशित बहुत सी प्रतियां भारत में चोरी छिपे लाई गई थीं तथा बहुत ऊंचे मूल्यों पर बेची गई ?

शिक्षा और समाज मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) अखिल भारतीय गालिब शताब्दी समिति से मिली रिपोर्ट के अनुसार दीवान-ए-गालिब की एक दुलर्भ पांडुलिपि 5 अप्रैल, *1969* को भोपाल में पाई गई थी।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) : कुछ समय पूर्व हमें एक रिपोर्ट मिली थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि सम्बन्धित पांडुलिपि को पाकिस्तान चोरी छिपे ले जाया गया और वहां प्रकाशित कराया गया था। उस रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तान में प्रकाशित किए गए संस्करण का मूल्य 30 रुपए प्रति पुस्तक था तथा उसे चोरी छिपे भारत लाकर 60 रुपए प्रति पुस्तक की दर से बेचा गया।

श्री एस० ए० शमीम : मैंने पूछा था कि क्या उसकी तस्करी की गयी थी। उत्तर में बताया गया है कि उन्हें मिली रिपोर्ट के अनुसार ऐसा किया गया था। पाकिस्तान में उस अवसर पर खुशी मनायी गयी थी। समाचारपत्रों के अनुसार एक पांडुलिपि यहां पर पाई गई थी। मैं मंत्री महोदय से जानना चहाता हूँ कि क्या वह बता सकते हैं कि भारत में पाई गई यह पांडुलिपि, जिसका अत्यधिक ऐतहासिक महत्व था क्योंकि ऐसी पांडुलिपियां भारत में बहुत कम पाई गई हैं, पाकिस्तान कैसे पहुंच गई तथा वहां पर इसका प्रकाशन भी कर दिया गया और उनकी यहां तस्करी करके बिक्री की जाती है। यह कैसे संभव हुआ और इस सम्बन्ध में क्या जांच की जा रही है ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : स्थिति कुछ पेचीदा हो जाती है क्योंकि जांच कार्य पाकिस्तान में होता है। परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि सरकार जांच करवाना नहीं चहाती। वास्तव में, केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा जाँच कराने की सम्भावना जानने के लिये यत्न किया गया था, परन्तु उसमें कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हैं और यह अनुभव किया गया कि अधिनियम में इसकी व्यवस्था नहीं है। इसलिये केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा जांच किया जाना सम्भव नहीं हो सका। अब मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि पुलिस से यथासम्भव देश में जांच कार्य करने के लिये कहा जायेगा।

श्री एस० ए० शमीम : वह पांडुलिपि किस व्यक्ति के पास थी, किसने उसकी खोज की, यह बातें भली प्रकार विदित हैं। देश के समाचारपत्रों में भी इस सम्बन्ध में बहुत विवाद रहा है। एक का नाम नासीर अहमद फारूकी तथा दूसरे का नाम ताफीक अहमद है। तीन चार अन्य व्यक्ति हैं जिन्होंने कि इसे दुकानदार से खरीदा, ऐसा समझा जाता है। मैं मंत्री

महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि वह इस बारे में जांच करायें कि क्या पांडुलिपि भारत में है अथवा पाकिस्तान में। यह कैसे हो सकता है कि उन्हें पता न हो कि किन व्यक्तियों ने इसे खोजा और इस समय यह किसके पास है ?

श्री एच० आर० गोखले : मैंने यह नहीं कहा कि मुझे भारत में जाँच आरम्भ कराने में कोई कठिनाई है। मैंने कहा था कि जाँच का कुछ कार्य उस क्षेत्र से सबन्धित है जो पाकिस्तान में है. क्योंकि आयात-कर्त्ता पाकिस्तान में हैं। जहाँ तक उल्लिखित नामों का सम्बन्ध है, हमारे पास भी ऐसी रिपोर्टें आई हैं अथवा आरोप मिले हैं कि वही व्यक्ति सम्बन्धित है। परन्तु अन्ततोगत्वा उचित जांच दोष सिद्ध होने पर निर्भर करेगी।

श्री एस० ए० शमीम : पांडुलिपि कहाँ पर है ?

श्री एच० आर० गोखले : गालिब शताब्दी समिति द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वह भोपाल में पाई गई थी। इसके अतिरिक्त कोई जानकारी सरकार के पास नहीं है.

कलकत्ता-गोहाटी-अगरतला दैनिक विमान सेवा का शुरू किया जाना

*1498. **श्री दशरथ देव** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संसद सदस्यों से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें कलकत्ता-गोहाटी अगरतला के बीच प्रतिदिन कम से कम एक विमान सेवा चालू करने की मांग की गई है जिसका दिल्ली से कलकत्ता जाने वाले यात्री लाभ उठा सकें; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) इण्डियन एयरलान्स को एक तरफ कलकत्ता और दूसरी तरफ गोहाटी व अगरतला को जोड़ने वाली एक सीधी विमान सेवा की, जो उसी दिन दिल्ली के लिए विमान सेवा के साथ थी सबद्ध हो, आवश्यकता की जानकारी है। इसलिए कारपोरेशन की, अपनी शीतकालीन समयावलि में, 15-10-1971 से एक ऐसी सेवा की व्यवस्था करने की योजना है।

श्री दशरथ देव : क्या उक्त सेवा गोहाटी से अगरतला तथा कलकत्ता से अगरतला तक होगी।

डा० कर्ण सिंह : जी हाँ।

Setting up of a Non-Official Board for Inand Water Transport

*1499. **Shri Chandrika Prasad** : Will the Minister of Shipping and Transport be pleased to state :

(a) Whether the Bhagavati Committee had suggested the setting up of a non-official Board for Inland Water Transport with a view to activate inland water transport; and

(b) If so, the time by which this Board is likely to be set up and the reasons for delay in the setting up of this Board ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी हां ।

(ख) समिति की सिफारिश विचाराधीन है और सभी दृष्टियों से इस प्रस्ताव की जांच करने के बाद यथा सम्भव शीघ्र निर्णय लिया जाएगा ।

Shri Chandrika Prasad : It is a fact that the delay is being caused in setting up of the board just because their officers want it to be an official board ?

Shri Om Mehta : Yes it will be an official board but non official members will also be included in it.

Shri Chandrika Prasad : The hon. Minister has used the expression as early as possible but this is a very vague expression. It is a fact that their officers are in favour of setting up of an official board and because of it delay is being caused in the setting up of an non fficial Board ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur) : No it is not correct. Whenever it becomes necessary to set up a non official board or to nominate non official members, we will consider the matter.

Shri Chandrika Prasad : The hon. Minister is the minister for transport and shipping. He had been holding this portfolio previously and he will continue to be in that position. He must not have forgotten that in 1957 a Gokhale Committe was constituted which submitted its report in 1959, thereafter a board was set up which held only one meeting and no progress has been made during the last 9 years. Its recommendations have not implemented yet. In 1958 Bhagwati Committee was Constituted, which has given its recommendations We have seen the working of official board which shows that it is only a non official board that can do the job. Will the Government fix some date for that ?

Shri Om Mehta : So far as an official or non official board is concerned, a board will be set up soon in which non official members will also be included.

Shri Sarjoo Pandey : Which places have been recommended for inland water transport by the committee constituted under the chairmanship of Shri Bhagwati ? Is Gazi pur one of such places ?

Shri Raj Bahadur : The matter of water transport between Gazipur and Patna is under consideration.

प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के वेतनमानों का पुनरीक्षण

* 1500. **श्री अमरनाथ चावला** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के एक दल ने अधिक वेतन सम्बन्धी अपनी मांगों के लिए शिक्षा मंत्रालय के सम्मुख 48 घंटे का घरना दिया था ।

(ख) क्या प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के वेतन में वृद्धि करने संबन्धी मामला बहुत लम्बी अवधि से अनिर्णीत पड़ा है; और

(ग) प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के वेतनों को पुनरीक्षित करने सम्बन्धी प्रस्ताव की इस समय क्या स्थिति है और इस मामले में कब तक अन्तिम निर्णय लिए जाने की आशा है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) कुछ व्यक्तियों ने शास्त्री भवन के सम्मुख 12 जुलाई, 1971 को 48 घंटे का धारना दिया था ।

(ख) और (ग) : दिल्ली के शिक्षकों सहित प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के वेतन-मानों के और आगे पुनरीक्षण का प्रश्न पहले ही से भारत सरकार के विचाराधीन है और इस मामले में निर्णय यथाशीघ्र लिया जायेगा ।

श्री अमरनाथ चावला : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्ष के वेतनमानों में की गई वृद्धि के कारण तथा अध्यापकों के वेतन में काफी अन्तर हो गया है, यदि हां तो यह अन्तर कितना है ?

विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : इस तर्क में कुछ सार अवश्य हैं कि संशोधनों के कारण प्रधान अध्यापकों की वेतन वृद्धि की प्रतिशतता अध्यापकों की वेतन वृद्धि की प्रतिशतता से अधिक थी, इसलिए सरकार ने अब इस बात को ध्यान में रखा है कि किसी प्रकार के संशोधन पर विचार करने से पूर्व कोई विषमता न उत्पन्न हो जाए । यह सारा मामला वेतन आयोग के विचाराधीन होने के कारण और भी जटिल हो गया है । सरकार मामले पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

श्री अमरनाथ चावला : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के अध्यापकों के वेतनों में तथा इसके पड़ौसी राज्यों के अध्यापकों के वेतनों में जो अन्तर है उसे समाप्त किया जाएगा ?

श्री एच० आर गोखले : जब वेतन-मान निधारित किए जाएगें तो निश्चय ही वेतन ढांचे को युक्ति संगत बनाने का प्रयास किया जाएगा ।

Shri R. S. Pandey : The position of the school teachers is really deplorable. The first amongst them are the primary teachers. Is the Government contemplating any such plan which would remove disparities in pay scales of teachers in different states and would enure their betterment.

श्री एच० आर गोखले : यह मुख्यता राज्य सरकारों का मामला है और जब केन्द्र सरकार इस पर विचार कर लेगी तो वेतन मागों को युक्ति सँगत बनाने का प्रयत्न किया जायगा ।

Shri Atal Bihari Vajpayee: The hon. Minister has just stated that this is a state subject but Delhi is a centrally administerd area. I want to know as to what is the pay scale of primary teachers and what is their demand for increase in tneir salaries.

श्री एच० आर गोखले : मेरे विचार में माननीय सदस्य ने प्रश्न को पहले ठीक नहीं समझा था। प्रश्न यह था कि क्या अन्य राज्यों तथा दिल्ली में विद्यमान वेतन मानों को परस्पर संबधित करने का प्रयास किया जाएगा । इसका उत्तर यह दिया गया था कि ऐसा करना सरल नहीं है, क्योंकि मूलत : इस विषय का संबंध राज्य सरकारों से है, किन्तु जहां तक दिल्ली का सम्बन्धहै, सरकार प्राइमरी अध्यापकों के वेतन मानों में संशोधन करने के प्रश्न पर अनुकूल दृष्टि से विचार करने में माननीय सदस्य से कम सहानुभूति पूर्ण नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, पहले की भांति और अधिक विषमता खड़ी न हो जाए बहुत सी बातों पर विचार करना है। सरकार का विचार है कि वेतन ढांचे पर जिसे मई 1970 में निर्धारित किया गया था, पुनर्विचार की आवश्यकता है। अत: सरकार गंभीरता तथा तत्परता से इस बारे में प्रयत्न-शील है कि पूरे मामले पर फिर से विचार हो सके तथा इस बारे में कुछ किया जा सके।

Shri Shashi Bhushan : The pay scales that were fixed last time have widened the gap between the pay scales of principals and those of teachers. I only want to know as to how much time will be taken to remove this disparity becausc teachers have been waiting since very long ?

श्री एच० आर० गोखले : किसी प्रकार की समय सीमा का निर्धारण करना मेरे लिए कठिन है, क्योंकि इस प्रश्न के साथ वित्तीय पहलू पर भी विचार करना होगा और फिर यह ऐसा कोई विलम्ब का मामला भी नहीं है। क्योंकि पिछली बार वेतन ढांचा 1970 में निधारित किया गया था। बाद में राज्यों के अध्यापक संघर्ष करते रहे । वे कम से कम 150 रूपये चाहते थे । विभाग उस पर भी सहानुभूति पूर्वक विचार कर रहा है। पूरे प्रश्न पर फिर से विचार किया जाएगा। मैं सदन को आश्वासन दिलाता हूं कि यह कार्य जितनी जल्दी हो सकेगा किया जाएगा

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUETTIONS

बंगला देश में उपद्रवों के कारण पर्यटकों की संख्या में प्रत्याशित कमी

* 1471. **श्री निहार लास्कर :** **श्री डी० पी० जदेजा :**

श्री जी० वेंकट स्वामी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश के उपद्रवों का भारत में इस वर्ष आने वाले पर्यटकों की संख्या पर विपरीत प्रभाव पड़ा;

(ख) क्या हाल ही में रोग में श्रायोजित एक बैठक में उन्होंने श्रपने मन्त्रालय के तथा एयर इण्डिया के श्रधिकारियों के साथ इस सम्बन्ध में बातचीत की थी; श्रौर

(ग) यदि हां, तो श्रधिक संख्या में पर्यटक श्राकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही ी जा रही है ?

पर्यटन श्रौर नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) यद्यपि इस वर्ष श्रब तक श्राने वाले पर्यटकों की संख्या में पिछले वर्ष की इसी श्रवधि की संख्या के मुकाबले में वृद्धि हुई है, यह सम्भव है कि श्रौर श्रधिक पर्यटक श्राते यदि कुछ विदेशी समाचार-पत्रों द्वारा भारत में हैजे की महामारी की सम्भावना के विषय में छापी गई श्राधार हीन रिपोर्ट प्रकाशित न होतीं ।

(ख) हाल ही में रोम में हुए सम्मेलन में पर्यटक यातायात से सम्बन्धित कई विषयों पर विचार विमर्श किया गया जिन में श्रमिक प्रेस रिपोर्टों का प्रतिनिवारण भी सम्मलित है ।

(ग) प्रचार तथा श्रभिवृद्धि विषयक श्रभियान को जारी रखा जा रहा है तथा सही सही स्थिति का प्रसार किया जा रहा है ।

विदेशों को धन भेजे जाने पर रोक

*1474 **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** :
श्री नुग्घहल्ली शिवप्पा :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों को धन भेजे जाने पर रोक लगाने के लिए समुचित कानूनी श्रथवा श्रन्य कार्यवाई करने के प्रश्न पर श्रब तक विचार कर लिया है; श्रौर

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) श्रौर (ख) , सम्भवतः माननीय सदस्यों का तात्पर्य विदेशों को भेजी जाने वाली उन धनराशियों से है जो विदेशी निवेशों श्रौर /या सह-योगों से उत्पन्न होती है । इस सम्बन्ध में धनराशि भेजने की स्थिति यह है कि उन विदेशी निवेशों के लाभों श्रौर लाभांशों को छोड़कर, जो स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले ही किये जा चुके थे तथा कुछ हद तक, स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद स्थापित शाखाश्रों के लाभों को छोड़कर, जिनके सम्बन्ध में सरकार की पूर्वानुमति की श्रावश्यकता नहीं होती. विदेशों को वे ही रकमें भेजी जा सकती हैं जिनका सम्बन्ध ऐसी श्रदायगियों से हो जो सरकार द्वारा विशिष्ट रूप से श्रनुमोदित निवेशों से उत्पन्न हुई हों । श्रार्थिक विकास के उद्देश्यों के श्रनुरूप, नयी देनदारियों से बचने की सम्भावनाश्रों पर बराबर नजर रखी जाती है श्रौर श्रब स्वीकृतियां पहले की श्रपेक्षा श्रधिक चयनात्मक श्राधार पर दी जाती है ।

मद्रास में अन्तर्देशीय जल परिवहन के लिए बकिंघम नहर का उपयोग

* 1477. **श्री जी० भुवाराहन** : क्या **नौवहन परिवहन और** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में अन्तर्देशीय जल परिवहन के लिये बकिंघम नहर का उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि नियत की गई है।

(ग) क्या परिवहन के लिये कोई सीमा निर्धारित है, अर्थात् किस स्थान से किस स्थान तक, और क्या निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया गया है; और

(घ) उक्त निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) तामिल नाडू में बकिंघम नहर को माल ढोने के लिए देशी जलयानों द्वारा प्रयुक्त किया जा रहा है। इस नहर का निकर्षण कर 2 फुट और गहरा करने का प्रस्ताव है जिससे यह और बड़े देशी जलयानों के चलने योग्य हो जाय।

(ख) केन्द्रीय प्रायोजित कोटि के अन्तर्गत चौथी पंचवर्षीय योजना (1969–74) में 20 लाख रु० की अस्थायी व्यवस्था की गयी है। इस राशि में से 12 लाख रुपये की राशि दक्षिण बकिंघम नहर के लिए हाल ही में मंजूर की गयी है। तमिल नाडू में पड़ने वाली उत्तरी बकिंगघम नहर के निकर्षण का प्रस्ताव विचाराधीन है क्योंकि इस पर दक्षिणी नहर के आँध्र प्रदेश वाले भाग में किये जाने वाले सुधार के साथ विचार किया जाना है।

(ग) पहले ही मंजूर की गयी इस योजना के अन्तर्गत इसके कुअम नदी को काटने वाले स्थान से मारकानम पश्च जल तक का भाग आता है। इस योजना के राज्य सरकार द्वारा निष्पादन के लिए शीघ्र ही शुरू किये जाने की संभावना है।

(घ) जो निर्माण कार्य पहले ही मंजूर किये जा चुके हैं उनके चौथी पंचवर्षीय योजनावधि में पूरा किये जाने की संभावना है।

केन्द्रीय मंत्रियों के वेतनों और भत्तों पर कर लगाना

* 1479. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में कुछ संसद सदस्यों ने प्रधान मंत्री से अनुरोध किया था कि केन्द्रीय मंत्रियों के वेतनों, भत्तों तथा परिलब्धियों पर कर लगाया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). हाल में ही एक संसद सदस्य ने प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि

मंत्रियों के भत्तों तथा वेतनेतर लाभों पर, विद्यमान कानून में निर्धारित तरीके से भिन्न तरीके से कर लगाया जाय। मंत्रियों के वेतन, भत्ते तथा वेतनेत्तर लाभ (अर्थात् जल और बिजली की मुफ्त सप्लाई सहित फर्नीचर समेत आवास) मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1952 तथा उसके अधीन बने नियमों द्वारा विनियमित होते हैं और आयकर अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अधीन इन पर पहले से ही कर लगता है। उस अधिनियम में मंत्रीयों के सम्बन्ध में इस प्रयोजन के लिए, कोई विशेश उपबन्ध नहीं किया गया है। दूसरे शब्दों में, मंत्रियों के वेतनों, भत्तों तथा वेतनेत्तर लाभों पर पहले से ही उसी प्रकार आयकर लगाया जाता है जिस प्रकार कि अन्य वेतन भोगी कर-दाताओं के सम्बन्ध में लगाया जाता है।

सामान्य बीमा कम्पनियों में कर्मचारियों की छंटनी

* 1482. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य बीमा कम्पनियों को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिए जाने के बाद उनमें कर्मचारियों की कोई छंटनी की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता है।

यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया के यूनिटों के विशेष मूल्य

* 1483. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया के यूनिटों के लिए किसी विशेष मूल्य की घोषणा की गयी थी, और

(ख) यदि हां, तो वह मूल्य क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने जुलाई 1971 में यूनिटों की बिक्री के लिए 10·60 रुपए प्रति यूनिट की विशेष रियायती दर की घोषणा की है।

पिछड़े क्षेत्रों में ललित कला तथा संगीत संस्थाओं की स्थापना

* 1484. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पिछड़े क्षेत्रों में ललित कला तथा संगीत संस्थाओं की स्थापना सम्बन्धी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या पटना में ललित कला तथा संगीत का एक कालिज स्थापित करने के लिए बिहार सरकार ने वित्तीय सहायता का कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ग) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Loan Advanced by Life Insurance Corporation to Jammu and Kashmir Government for Hotal Projects

*1485. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) Whether the Life Insurance Corporation has decided to give a loan of Rs. 1·8 crores to the State Government of Jammu and Kashmir for the construction of hotels in Pahalgam and Srinagar; and

(b) Whether the Life Insurance Corporation has also agreed to provide funds for housing, sewage and drinking water schemes to these two projects?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b) . No application for a loan for construction of hotels in Pahalgam and Srinagar or for providing funds for housing, sewage and drinking water to these two projects has been received by the L. I. C. so far.

Report of Examination Reforms Committee

*1487 **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) Whether the Examination Reforms Committee has submitted itsrep ort; and

(b) If so, the recommendations made therein; and

(c) The action taken by Government thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the department of Culture(Shri D. P. Yadav) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) A statement is laid on the Table of the House.

"Statement"

The main recommendations of the Committee on Examinations appointed by the central Advisory Board of Education are given below :

Conduct of Examinations :

(a) Paper-setters should be appointed at least six months prior to the commencement of a public Examination and they should be given at least eight weeks to draft questions. The papers should be finalised at a meeting, of the paper-setters.

(b) Where the number of candidates in public Examination is very large, there should be decentralisation with separate examinations for each group of 10,000 school students or 1,000 college students.

(c) A public Examination should be conducted in the institution in which the students study. The majority of the invigilators and superintendents should be drawn from the institutions concerned.

(d) Admission to the centre of a public Examination should be through one main entrance, Only bonafide candidates with identity cards should be admitted in the examination centre after thorough checking.

(e) Model answers should always be prepared and supplied by the paper-setters.

(f) Copies of the question-papers set should be made available to the teachers in the schools and colleges on the day of the examination but after it is over, so that the teacheres could comment on the paper to the authorities quickly.

(g) The method of spot valuation at a central place to which all the examiners are called, should be adopted,

(h) The result should be declared Subject-wise and furnished in the form of grades. The 'raw' marks given by the examiners should never be made available.

(I) Subject-wise passing should be introduced and the Public Examination certificate should be given on the candidates passing in the minimum number of subjects.

(j) The certificate issued by an examining authority should have two columns, viz., one giving the result of Public Examination and the other giving the result of the internal assessment by the teachers.

(k) For the awarding of prizes and scholarships to a candidate who stands first in an examination or in a subject, a separate test should be conducted and admission to the same limited to those who secure the highest grade in the Public Examination.

(l) There should not be too many Public Examinations, There should be one at the end of the upper primary/middle school stage, another at the end of the secondary stage and the third at the first degree stage. All others should be internal assessments only.

Use of Examination Results :

(a) Recruitment to the services should be made on the basis of tests examinations conducted by the public Service Commissions and the maximum age for appointment for clerical posts be reduced to 19 years.

(b) Admission to colleges including professional colleges should be on the basis of an entrance test conducted specifically for assessing the aptitude of a student for a particular course. Eligibility to appear at these tests should alone be determined by the results of the public Examination.

The Committee has also recommended that, in order to give effect to these recommendations. it will be necessary to pass certain legislation amending the laws relating to Examination Boards and Universities, to earmark funds separately for guidance and studies and research on examinations and to Provide special encouragement to novel ideas in the organization and conduct of public examinations.

The report of the Committee was submitted very recently on 9th July 1971 and is now under consideration.

मैसर्स सिन्थेटिक्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड बम्बई

* 1489 **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फायरस्टोन टायर एंड रबड़ कम्पनी के पास मैसर्स सिन्थेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, बम्बई के सबसे अधिक शेयर है;

(ख) क्या मैसर्स सिन्थेटिक एंड केमिकल्स लिमिटेड, बम्बई को फायरस्टोन टायर एंड रबड़ कम्पनी के माध्यम से काशी विदेशी ऋण मिला है और यदि हां तो यह राशि कितनी है;

(ग) क्या मैसर्स सिन्थेटिक्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड का विस्तार किए जाने की अनुमति नहीं दी गई है और यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या कम्पनी पर नियन्त्रण के लिए फायरस्टोन तथा उसके भारतीय सहयोगी, किलाचन्द के बीच संघर्ष चल रहा है जिससे शेयरधारियों के हितों को खतरा पैदा हो गया है ।

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) हां, श्री मान् । सिन्थेटिक्स एण्ड केमिकल्स लि० की कुल 5 74,57,780 रु० की हिस्सा पूँजी में से फायरस्टोन टायर एण्ड रबड़ कम्पनी पर, कुल के लगभग 25 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हुये, 1,43,65,000 रु० के मूल्य के हिस्से हैं।

(ख) विदेशों से प्राप्त ऋण, लगभग 342 मिलियन डालर्स की राशि के है ।

(ग) सिन्थेटिक्स एण्ड कैमीकल्स लि० के अत्याधिक विस्तार करने का आवेदन-पत्र सरकार के परीक्षान्तर्गत है ।

(घ) फायरस्टोन तथा किलाचन्द्र समूहों में कुछ संघर्ष के संकेत मिले थे, परन्तु निदेशकों के निर्वाचन की बावत 29-6-71 को हुई, कम्पनी की गत वार्षिक साधारण बैठक के अवसर पर कुछ समझौता हो गया था । तथापि, वर्तमान में हिस्सेधारियों के हितों के खतरे में होने के कोई संकेत नहीं है ।

बिहार में अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास की योजना

* 1491. **श्री भोला मांझी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या बिहार सरकार ने चौथी योजना में राज्य में अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए कोई योजना प्रस्तुत की थी और यदि हां तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) योजना की अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में राज्य को किस प्रकार तथा कितनी सहायता दी जायेगी ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग) बिहार सरकार ने गंगा नदी में वाणिज्यिक जल सेवाएं चलाने के लिए दो योजनाएं अर्थात् (1) पटना और बक्सर बरास्ता दिघवाड़ा, चपरा और बलिया के बीच और (2) भागलपुर और कारागोला बरास्ता कोलभोंग के बीच, प्रस्तुत की थी । सेवाएं पटना में अन्तर्देशीय जल परिवहन निदेशालय की स्थापना तथा वर्तमान जलयान का प्रयोग करके चलाने का प्रस्ताव था तथा प्रत्येक

योजना पर लगभग 4·00 लाख रुपये वार्षिक का अतिरिक्त व्यय आने का अनुमान हैं भगवति समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए इन दोनों योजनाओं पर विचार करने के पश्चात् भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार की राज्य सरकारों के परामर्श से सर्व प्रथम कार्य के मौसम में परीक्षणात्मक एवं उत्थानात्मक आधार पर पटना और गाजीपुर के बीच गंगा पर यह सेवा 5·75 लाख रुपये की लागत से चलाने का निर्णय किया है। यह खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। यह भी इस शर्त के आधीन होगा कि प्रस्तावित सेवा के लिये घाटों के पहुंच मार्गों का निर्माण किया जाये जिसे सम्बन्धित राज्य सरकारें अपनी लागत पर करें और उत्तर प्रदेश में घाटों की गन्तव्य सुविधाओं की व्यवस्था पर तथा बिहार में नदी के घाट की सफाई कार्य पर खर्चे सर्वधित सरकारें करें। भागलपुर और कारागोला के बीच दूसरे क्षेत्र में सेवा विस्तार करने के प्रश्न पर केवल तभी विचार किया जा सकता है जब कि पटना और गाजीपुर के बीच परीक्षणात्मक सेवा जिसके परिचालन का अभी निर्णय किया गया है, के परिणाम पर विचार किया जाये।

बाल कल्याण कार्य को बढ़ावा देना

* *1492.* **श्री एस० ए० मुरूगनन्तम :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आयोजित समाज कल्याण के प्रभारी राज्य मन्त्रियों के सम्मेलन में बाल-कल्याण सेवाओं को बढ़ावा देने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया था,

(ख) यदि हाँ, तो क्या केन्द्र ने बाल-कल्याण कार्य को बढ़ावा देने के लिये कोई योजना बनाई है,

(ग) क्या बाल कल्याण सम्बन्धी योजनाओं के बारे में राज्यों को निर्देश दिए गए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या निर्देश दिए गए हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना बनाते समय केन्द्र ने बाल कल्याण को बढ़ावा देने की योजनाओं को शामिल कर लिया था।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नए हवाई अड्डों का विकास

* 1497. **श्री० के० मालन्ना:** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बत कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'एयरपोर्ट डी पेरिस' के दो अधिकारियों ने बम्बई, मद्रास और दिल्ली में नये हवाई अड्डों के विकास पर विचार करने हेतु जुलाई, 1971 के दूसरे सप्ताह में भारत का दौरा किया था ; और

(ख) क्या उन्होने सरकार को कोई सिफारिशें दी हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). 'एयरपोर्ट डी पेरिस' के दो अधिकारियों ने इन तीन विमान क्षेत्रों के बारे में उनके द्वारा तैयार किये गये यातायात पूर्वानुमानों पर विचार-विमर्श करने के लिये 2 से 9 जुलाई, 1971 तक भारत का दौरा किया । परामर्श-कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है ।

जामनगर में राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा स्थानीय चैकों का क्लीयरेंस

6381. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्य **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जामनगर शहर में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा स्थानीय चैकों का शनिवार को क्लीयरेंस नहीं किया जाता यद्यपि बैंकों में उस दिन कार्य किया जाता है ;

(ख) क्या नवानगर व्यापार मण्डल की ओर से इस सम्बन्ध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं । जामनगर में शनिवार को चैकों का क्लीयरेंस 11-00 बजे पूर्वाह्न में किया जाता है ।

(ख) और (ग) : यद्यपि इस सम्बन्ध में कोई विशेष अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है लेकिन नवनागर वाणिज्य मण्ड़ल द्वारा बैंकिंग आयोग को लिखे गये ज्ञापन में इस बात की ओर इशारा किया गया था, जिसकी एक प्रति सरकार को पृष्ठांकित की गयी थी ।

नई दिल्ली में आय-कर कार्यालय के निकट पुल का उपयोग

6382. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 जुलाई 1971 के हिन्दुस्तान टाइम्स (ईवनिंग न्यूज) में यूज आफ ब्रिज नियर आई० टी० ओ०" के शीर्षक के अन्तर्गत सम्पादक के नाम प्रकाशित इस आशय के पत्र की ओर दिलाया गया है कि यमुना पर नौका पुल को तोड़ने के कारण गम्भीर कठिनाइयां उतपन्न हो गई हैं और जिसमें यह भी सुझाव दिया गया है कि सचिवालय से कृष्णा नगर तथा कृष्णा नगर से सचिवालय के लिये विशेष बसों का मार्ग यमुना पुल की बजाय आय-कर कार्यालय के निकटवर्ती पुल से होना चाहिये; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) स्थानीय प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि रेल व सड़क पुल के निकट यमुना के ऊपर के नौका-पुल को वर्षा ऋतु से पूर्व तोड़ना सामान्य वार्षिक कार्य है । आय कर कार्यालय के निकट बाँध के ऊपर का पुल भारी परिवहन गाड़ियों को छोड़कर सब प्रकार के यातायात के लिये खुला है क्योंकि गीता कालोनी से बाँध के ऊपर के पुल के पूर्वी पहुचमार्ग तक की सड़क हाल में बंद है क्योंकि इस सड़क को सशक्त करने का निर्माण कार्य हो रहा है । इस निर्माण कार्य को अक्टूबर 1971 तक पूरा किये जाने की सम्भावना है । निर्माण कार्य के पूरा होने के बाद बसों को चलने की अनुज्ञा दी जाएगी ।

कोरभर और मोहनबाड़ी हवाई अड्डों पर यात्रियों की जांच के लिये प्रबन्ध

6383. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरभर और मोहनवाड़ी हवाई अड्डों पर यात्रियों की जांच करने के लिये कोई उपयुक्त प्रबन्ध नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इन हवाई अड्डों पर यात्रियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी नहीं, परन्तु सुधार किये जा रहे हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पुरातत्वीय सर्वेक्षण को तेज करना

6384. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पुरातत्वीय सर्वेक्षण को तेज करने को कोई कार्यक्रम है, और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) जी हां । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को दो प्रभागों अर्थात (1) अनुसंधान और खोज तथा (2) परिरक्षण और संरक्षण में पुर्नगठित करने का प्रस्ताव है । प्रथम प्रभाग खोज, खुदाई, अनुसंधान और प्रकाशन सम्बन्धी कार्य करेगा और दूसरा प्रभाग संरक्षण कार्य सहित रासायनिक और अन्य उपचार सम्बन्धी कार्य करेगा ।

Loans to Farmers of U. P. from State Bank

6385. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) Whether any complaints have been received from the farmers of Etah District in Uttar Pradesh that their applications for loans from the State Bank of India for purchasing Tractors had been cancelled or withheld; and

(b) If so, the action taken by Government on those complaints ?

The Minister of Finanee (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

अंगोला के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की पेशकश

6386. **श्री इराज्मुद सैकेरा :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, अंगोला के कितने विद्यार्थियों को भारत में छात्रवृत्ति देने की पेशकश की गई, और

(ख) क्या चालू वर्ष में अंगोला के छात्रों को और छात्रवृत्तियाँ देने का सरकार का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क)	1968–69	कुछ नहीं ।
	1969–70	कुछ नहीं ।
	1970–71	2

(ख) सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष के दौरान अंगोला के विद्यार्थियों को 3 छात्रवृत्ति दी गई हैं । इसके अलावा विदेश मंत्रालय द्वारा परिचालित भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत 1971 के दौरान अंगोला के विद्यार्थियों को 39 छात्रवृत्तियां प्रदान करने का निर्णय किया गया है ।

चोरी छिपे लाये गये सोने की खोज

6387. **श्री सी० चित्ति बाबू :**
श्री विक्रम चन्द महाजन :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चोरी छिपे लाये गये 56 किलोग्राम सोने के लिये सीमाशुल्क अधिकारियों ने देश भर में खोज जारी कर दी है; और

(ख) क्या तस्कर व्यापारियों को पकड़ लिया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) . 16 अगस्त 1970 को नई दिल्ली के एक होटल में ठहरे हुए दो फ्रांसीसी राष्ट्रिकों से लगभग 56 किलोग्राम वजन की विदेशी मार्के की 480 सोने की छड़ें बरामद रईं। इस मामले में प्राप्त की गई सूचना दृष्टिगत रखते हुये बम्बई में भी जांच की गई। सोने की छड़ जब्त कर ली गईं और दोनों तस्करों पर सत्तर-सत्तर हजार रुपये का दण्ड लगाया गया और उन्हें छः महीने के कठोर कारावास का भी दण्ड दिया गया।

Capital Invested in Pharmaceutical Industries

6388. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Company Affairs** be pleased to state :

(a) Whether mostly foreign capital is invested in Pharmaceutical Industries in the country such as Parke Davis (India) Ltd. Ciba (India) Limited, Pfizer (India) Ltd., Merck Sharp and Dhome (India) Ltd.; and

(b) The inital paid-up capital and the present paid-up capital of each of them; and

(c) The details of profit and loss of each company during the last two years ?

The Minister of Company Affairs (Shri Ragunatha Reddy) : (a) to (c) . According to the latest information available, not less than 60 per cent of the paid-up capital of the four companies mentioned in the question viz.,

1. Parke Davis (India) Ltd, 2. Ciba of India Ltd.

3. Pfizer Ltd. 4. Merck Sharp and Dhome of India Ltd. Is held by foreign holding companies in each case.

Details about the foreign holdings in these companies, the initial and present paid-up capital and the profitability of these companies, are given in the statement annexed. **[Placed in library. See No. L. T. 772/71]**

पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटकों के लिए आधुनिक किस्म के होटलों के निर्माण का प्रस्ताव

6389. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा-उत्तर पूर्व राज्यों में पर्यटकों के लिये आधुनिक किस्म का होटल बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र में पर्यटक होटल बनाने का है अथवा क्या देश के इस भाग में पर्यटकों के लिये होटल बनाने के लिए गैर सरकारी पार्टियों को आवश्यक अनुदान अथवा ऋण दिया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान गोहाटी में एक पर्यटक बंगले और काजीरंगा में एक विश्राम-गृह के निर्माण का प्रस्ताव है। गैर-सरकारी क्षेत्र में दो होटल प्रायोजनाओं में मंजूरी प्रदान कर दी गई है जिनमें से एक होटल जोरहाट और दूसरा गोहाटी में होगा। गैर-सरकारी पार्टियों पर्यटन विभाग की होटल विकास ऋण योजना के अन्तर्गत ऋण की मंजूरी के लिये आवेदन-पत्र दे सकती हैं और उनके आवेदनों पर गुण दोष के आधार पर विचार किया जायेगा।

पंजाब के भूतपूर्व मंत्रियों की विदेश यात्रायें

6390. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के कोन-कौन से भूतपूर्व मंत्री पिछले दो वर्षो में विदेश यात्राओं पर गये;

(ख) उन्हें कितनी विदेशी मुद्रा दी गयी; और

(ग) उक्त अवधि में उन्होंने पालम हवाई अड्डे पर कितना सीमा-शुल्क अदा किया ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ग). पिछले दो वर्षों अर्थात् 1969 और 1970 में सर्वश्री गुरनाम सिंह और प्रकाश सिंह बादल ने, जो क्रमशः पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मंत्री थे, और श्री सुरजीत सिंह ने जो पंजाब के भूतपूर्व शिक्षा मंत्री थे, विदेश यात्रा की थी। सर्वश्री गुरनाम सिंह बादल को, विदेशों में स्थित हमारे सम्बद्ध दूतावासों द्वारा दिये गये दैनिक भत्ते के अलावा, व्यक्तिगत प्रासंगिक व्यय के लिए क्रमशः 362 रुपये और 551 रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा की मंजूरी दी गयी थीं। आकस्मिक खर्चों और आतिथ्य व्यय को पूरा करने के लिए उन्हें राज्य खाते के अन्तर्गत भी विदेशी मुद्रा की मंजूरी दी गयी थी श्री सुरजीत सिंह को उनकी विदेश यात्रा की अवधि के लिए 12 पौंड 10 शिलिंग प्रतिदिन के हिसाब से विदेशी मुद्रा की मंजूरी दी गयी थी। इसके अलावा, आकष्मिक खर्चों की पूर्ति करने के लिए सरकारी खाते के अन्तर्गत भी विदेशी मुद्रा दी गयी थी।

सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा रखे गये अभिलेखों को, इन भूतपूर्व मंत्रियों के लौटने की सम्भाव्य तारीख के सन्दर्भ में, देखने से पता चलता है कि श्री प्रकाश सिंह बादल द्वारा सीमा-शुल्क के रूप में 500 रुपये की अदायगी की गयी थी। सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा सामान्यतः; आयात की गयी वस्तुओं का, उन मामलों में कोई अभिलेख नही रखा जाता, जिनमें व्यक्तिगत असबाब, अनुमति प्राप्त छूट सीमा के अन्तर्गत आ जाता हो।

पूर्वी बंगाल में तूफान पीड़ितों के लिये दान में निजि राशि को पाकिस्तान भेजना

6391. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के दौरान शेख अब्दुल्ला सहित कुछ लोगों ने पूर्वी बंगाल के तूफान पीड़ितों की राहत के लिए भारतीय मुद्रा में अंशदान दिया था।

(ख) क्या यह धनराशि पाकिस्तान उच्चायुक्त को अथवा पाकिस्तान सरकार के किसी अन्य सरकारी प्रतिनिधि को दी गई थी;

(ग) इस प्रकार भुगतान करने सम्बन्धी नियम तथा विनियम क्या है और किन विनियमों के अन्तर्गत भारतीय मुद्रा में ऐसी राशि को विदेशों को भेजा जा सकता है; और

(घ) क्या इस प्रकार भेजी गई राशि में 'वदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लघन होता है; और यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (घ). जी हां। कतिपय पार्टियों ने ऐसे कुछ अंशदान दिये हैं और रिजर्व बैंक ने कुछ सीमित रकमों के बाहर भेजे जाने की अनुमति भी दी थी। एक ऐसा मामला भी है, जिसमें 50,000 रुपये के मूल्य का एक बैंक ड्रांफ्ट पाकिस्तान के उच्चायुक्त को दिया गया था और सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि शेख अब्दुल्ला का इस मामले से सम्बन्ध है। मामले की जांच की जा रही है।

राजनैतिक दलों की जायदादों और अन्य परिसम्पत्तियों पर आय-कर तथा सम्पत्ति-कर लगाना

6392. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के क्या नाम हैं जिनकी अपनी जायदादें, परि-सम्पत्तियां और आय है, तथा पिछले तीन वर्षों के लिए प्रत्येक के सम्बन्ध में क्या ब्योरे हैं;

(ख) क्या राजनैतिक दलों की जायदादों और परिसम्पत्तियों पर सम्पत्ति कर तथा आय-कर लगाया जाता है; और यदि हां, तो इन दलों के सम्बन्ध में पिछले तीन वर्षो के कर-निर्धारण का ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो किन नियमों के अधीन छूट दी गई है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन दलों से कितना आय-कर तथा सम्पत्ति-कर वसूल किया गया और कितनी धनराशि बकाया है ?

राजस्व तथा व्यय मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग). सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। यह एकत्रित की जा रही है। और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राजनैतिक दलों को मिलने वाले दान पर कर

6393. **श्री वीरेन्द्र अग्रवाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि बहुत से व्यक्ति और राजनैतिक नेता धन इकट्ठा करते हैं और उनके द्वारा इस प्रकार एकत्र धन बाद में राजनैतिक दलों को दान में दिया जाता है।

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में कांग्रेस दल को इस प्रकार प्राप्त धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार एकत्र किये गये और दान दिये गये धन पर उपहार-कर और

सम्पत्ति-कर लगाया जाता है; और यदि हां, तो इस प्रकार दान में धन देने वाले व्यक्तियों को क्या उपरोक्त करों के सम्बन्ध में कर-निर्धारण किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो किस कानून के अन्तर्गत कर से छूट दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) धन इकट्ठा करने वाले व्यक्तियों द्वारा आय की विवरणियां पेश नहीं की जाती। इस प्रकार एकत्रित धन पर इन व्यक्तियों की आय के रूप में कर नहीं लगाया जाता। विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा एकत्रित दान के सम्बन्ध में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ग) कानूनी स्थिति यह है कि दान-कर अधिनियम 1958 की धारा 2 (xii) में दी गई परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले सम्पत्ति के किसी भी अन्तरण पर दान-कर लगता है। इसी प्रकार धन-कर अधिनियम 1957 की धारा 2 (एम) में दी गई परिभाषा के अनुसार शुद्ध धन में हुई किसी भी वृद्धि पर चाहे वह किसी अंशदान की प्राप्ति से हुई हो अथवा अन्यथा, धन-कर लगता है।

(घ) यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

पंजाब, पश्चिमी बंगाल, मैसूर और गुजरात राज्यों के कर्मचारियों को मकान किराया, चिकित्सा और बच्चों की शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें

6394. **श्री तेजा सिंह स्वतन्त्र** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब, पश्चिम बंगाल, मैसूर और गुजरात राज्यों में राज्यों में राज्य सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया, चिकित्सा और बच्चों की शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं किस दर से दी जाती हैं तथा उनकी शर्तें क्या हैं; और

(ख) क्या पंजाब राज्य में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं के अनुरूप ये सुविधायें दिये जाने के लिये कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सम्बन्धी राज्य सरकारों से सूचना प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जायगा।

(ख) जी, नहीं। प्रत्येक राज्य को स्थानीय भत्तों के सम्बन्ध में अपने ही प्रतिमान निर्धारित करने होते हैं जो उसकी आवश्यकताओं के अनुसार हों और प्रस्तावित स्वरूप के परिवर्तनों को सम्बधित राज्य सरकारों पर ही छोड़ना समीचीन होगा।

अमृतसर में पंजाब रोडवेज में कुप्रबन्ध

6395. **श्री मान सिंह भौरा : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमृतसर में पंजाब रोडवेज में अवैध श्रम प्रक्रियाओं और कुप्रबन्ध के बारे में

कुछ संसद सदस्यों अथवा भूतपूर्व विधान सभा सदस्यों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, और

(ख) यदि हां, तो उस अभ्यावेदन में उल्लिखित कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना पंजाब सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

धनबलान गांव, पटियाला में हरिजनों का आर्थिक तथा सामाजिक बहिष्कार

6396. **श्री मान सिंह भौंरा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में जिला पटियाला में धनबलान गांव में हाल में हरिजनों का सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से बहिष्कार कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने भूस्वामियों के खेतों में चार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से काम करने से इन्कार कर दिया था, और

(ख) यदि हां, तो इन संतप्त लोगों की सहायता के लिए प्राधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ख) अपेक्षित जानकारी पंजाब सरकार से एकत्रित की जा रही है और यथा समय उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

केरल के लिये मंजूर किये गये आदिवासी खण्ड

6397. **श्रीमति भार्गवी तनकप्पन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य के लिए कितने आदिवासी खण्डों की मंजूरी दी गई है तथा उनकी मंजूरी देने के लिए क्या कसौटी अपनाई गई है और चालू वर्ष में उन पर अनुमानतः कितनी धन राशि खर्च की जायेगी, और

(ख) केरल के विचलन जिले में कितने आदिवासी खण्डों की मंजूरी दी गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) मंजूर किए गये आदिम जाति विकास खण्डों की कुल संख्या

मंजूरी के लिये अपनाई गई कसौटी

प्रत्येक खण्ड में ये बातें होनी चाहिये :

(1) 25,000 की कुल आबादी ।

(2) कम से कम $66\frac{2}{3}\%$ आदिम जातीय जनसंख्या ।

(3) 150—200 वर्गमील क्षेत्रफल ।

(4) एक सामान्य प्रशासनिक एकक के रूप में काम करने की व्यवहार्यता ।

1971–72 के लिये अनुमानित खर्च

एक लाख रुपये ।

(ख) कोई नहीं । राज्य में केवल एक आदिम जातीय विकास खण्ड है और वह है पालाघाट जिले में अट्टापडी ।

केरल में खेल-कूद का विकास

6398. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में खेल-कूद के विकास के लिए कोई योजना बनाई है,

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया है, और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है ।

(ख) और (ग) योजनायें प्राप्त होने और उनकी जांच करने के बाद निर्णय लिये जायेंगे ।

केरल के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिये मैट्रिक से आगे छात्रवृत्ति

6399. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मैट्रिकोत्तर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में केन्द्र सरकार ने केरल राज्य को कितनी राशि का अनुदान दिया है, और

(ख) मैट्रिकोत्तर छात्रों को भिन्न-भिन्न कक्षाओं के लिए प्रति विद्यार्थी कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) :

	(रुपए लाख की राशियों में)
(क) अनुसूचित जातियां	18·20
अनुसूचित आदिम जातियां	2·80

यह राज्य सरकार के वचनबद्ध भाग से ऊपर है ।

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को 27 रुपये से 112·50 रुपये प्रतिमास का भरणपोषण भत्ता (जो अध्ययन के पाठ्यक्रम पर तथा इस बात पर निर्भर करता है कि क्या छात्र छात्रावास में रहता है अथवा दिवस छात्र है) और सभी न लौटाई जाने वाली अनिवार्य फीसें तथा अनुमोदित अध्ययन दोरों और थिसिस टाइपिंग/मुद्रण खर्च दिये जाते हैं (अनुबंध देखिए)। **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 773/71.]**

भारत के रिजर्व बैंक द्वारा केरल राज्य को मकानों के निर्माण के लिये दी गई धनराशि

6400. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने केरल राज्य को गरीबों के लिए मकान बनाने तथा कृषि कार्यों के लिए ऋण योजना के अन्तगर्त ऋण देने के लिए गत दो वर्षों में कितनी धनराशि दी है;

(ख) केरल सरकार ने वास्तव में कितनी धनराशि की मांग की थी, और

(ग) केरल राज्य को उपयुक्त प्रयोजनों के लिये पर्याप्त ऋण न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) रिजर्व बैंक मकान बनाने के लिये या कृषि ऋण देने के लिये, राज्य सरकारों को सीधे ऋण और अग्रिम नहीं देता । तथापि, अल्पावधिक अर्थोपाय अग्रिमों के अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को सहकारी ऋण समितियों का पूंजीगत आधार मजबूत करने के लिए उन समितियों की शेयर पूंजी में अभिदान करने के लिए ऋण देता है । इस प्रयोजन के लिये दिये जाने वाले अग्रिमों की राशि का निर्धारण कुछ निश्चित मानदण्डों के आधार पर किया जाता है, जैसे खण्ड स्तरों पर शाखायें खोलना, समितियों के बकाया ऋणों की अतिदेय राशियों का 30 प्रतिशत से अधिक न होना और समितियों के ऋण दान कार्यक्रमों का यथार्थवादी होना आदि । पिछले दो वर्षों में केरल सरकार द्वारा प्रार्थित और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत ऋणों की रकम इस प्रकार है :—

	1969–70	1970–71
(i) प्रार्थित रकम	40,91,900 रुपये	87,04,500 रुपये
(ii) स्वीकृत रकम	35,37,500 रुपये	57,64,500 रुपये

(ग) पूरी प्रार्थित राशि मंजूर नहीं की जा सकी क्योंकि कुछ निर्धारित मानदण्ड पूरे नहीं किये गये थे ।

रामपुर के नवाब द्वारा करों की बकाया राशि का भुगतान

6401. **श्री जुल्फिकार अली खां** : क्या वित्त मंत्री 16 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न

संख्या 5016 और 5018 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आय कर अधिनियम, सम्पत्ति कर अधिनियम, व्यय कर अधिनियम, उपहार कर अधिनियम और संपदा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत, रामपुर के नवाब (मुर्तजा अली खां) द्वारा प्रस्तुत किये गये आय विवरणों, जिनके बारे में विभाग ने कर-निर्धारण नहीं किया है, के आधार पर कुल मांग क्या होगी;

(ख) क्या रामपुर के नवाब (मुर्तजा अली खां) ने अपने अनुमान के आधार पर कोई भुगतान किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) रामपुर के नवाब, श्री मुर्तजा अली खां द्वारा प्रस्तुत की गयी विवरणियों के आधार पर मांग नीचे दिए अनुसार होगी :—

आय-कर	40, 119/ रु०
धन-कर	कुछ नहीं
व्यय-कर	कुछ नहीं
दान-कर	कुछ नहीं
सम्पदा शुल्क (अपने पिता की सम्पदा में उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में विवरणी दाखिल की)	कुछ नहीं

(ख) जी, नहीं।

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 140 क के अधीन स्व-निर्धारण पर कर की अदायगी न करने से लिए दाण्डिक कार्यवाही शुरू की गई है।

बेगम रामपुर द्वारा करों का भुगतान

6402. **श्री जुल्फिकार अली खां** : क्या वित्त मंत्री 16 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5017 और 5019 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर अधिनियम, सम्पत्ति कर अधिनियम, व्यय कर अधिनियम, उपहार कर अधिनियम और सम्पदा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत बेगम रामपुर (आफ्ताब जामनी) द्वारा प्रस्तुत किये गये आय विवरण, जिनके बारे में विभाग ने कर-निर्धारण नहीं किया है के आधार पर कुल मांग कितनी होगी ;

(ख) क्या बेगम रामपुर (आफ्ताब जामनी) ने अपने अनुमान के आधार पर कोई भुगतान किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) रामपुर की बेगम, आफताब जामनी द्वारा प्रस्तुत की गयी विवरणियों के आधार पर मांगे नीचे दिये अनुसार होंगी:—

आय-कर	कुछ नहीं
धन-कर	कुछ नहीं
व्यय-कर	कुछ नहीं
दान-कर	कुछ नहीं
सम्पदा-शुल्क	प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुये ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

नवाब रामपुर की मूल्यवान वस्तुएं

6403. **श्री जुल्फिकार अली खां** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामपुर के नवाब (मुर्तजा अली खां) के नई दिल्ली स्थित निवास स्थान पर जब्त की गई जेवरात की 66 मदें रामपुर के नवाब की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इनका उल्लेख अपने सम्पत्ति कर विवरण में किया है;

(ग) यदि ये जेवरात रामपुर के नवाब के नहीं हैं, तो उनके वास्तविक स्वामी का नाम क्या है तथा क्या उसने इनका उल्लेख अपने सम्पत्ति कर विवरण में किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) रामपुर के नवाब मुर्तजा अली खां के नई दिल्ली निवास स्थान पर जवाहरात की कोई भी मद सरकार द्वारा जब्त नहीं की गई है । किन्तु, बेगम आफताब ज़ामनी के निवास स्थान 2, सरदार पटेल मार्ग, नई दिल्ली से जवाहरातों की 66 मदों का पता चला और इन्हें रामपुर की बेगम और सम्बन्धित आयकर अधिकारी दोनों के संयुक्त नाम में भारत के राज्य बैंक नई दिल्ली में जमा कर दिया गया । ऐसा दावा किया गया है कि जवाहरात की 66 मदों में कुछ मदें रामपुर के नवाब की थीं और अन्य मदें बेगम आफताब जामनी की ।

(ख) जी, नहीं । रामपुर के नवाब और बेगम दोनों ने दावा किया है कि जवाहरात के मदें, जो व्यक्तिगत उपयोग के लिए हैं, आयकर आयुक्त बनाम श्रीमती अरुणाधाती बालकृष्ण के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को देखते हुए धन-कर अधिनियम 1957 की धारा 5 (1) (viii) के उपबन्धों के अधीन कर से मुक्त है ।

(ग) और (घ) जवाहरात की ये मदें शुरू-शुरू में रामपुर के स्वर्गीय नवाब सैयद रजा अली खां की थीं। स्वर्गीय नवाब ने जवाहरात की इन मदों का मूल्य अपनी धन-कर विवरणी में नहीं दिखाया था। आयकर विभाग ने स्वर्गीय नवाब के वर्ष 1961-62 के धन-कर निर्धारण में इन जवाहरातों का मूल्य शामिल कर लिया है।

बेगम रामपुर की मूल्यवान वस्तुएं

6404. **श्री जुल्फिकार अली खां** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेगम रामपुर (आफताब जामनी) ने अपने सम्पत्ति कर विवरणों में उन जेवरातों का उल्लेख किया है जिन्हें बम्बई में जब्त किया गया था ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) रामपुर की बेगम आफताब जामनी के जवाहरात की कोई भी मद सरकार द्वारा जब्त नहीं की गई है। किन्तु, बम्बई में 1969 के मध्य में 8,56,048 रुपये मूल्य के जवाहरात की जिन चार मदों के बारे में पता चला था तथा जिनके बारे में बेगम ने स्वीकार किया था कि वे उनकी हैं, उनको उनकी धन-कर विवरणियों में नहीं दिखाया गया है। जवाहरात की ये मद, रामपुर की बेगम तथा सम्बन्धित आयकर अधिकारी के संयुक्त नामों से बम्बई के एक बैंक में जमा हैं।

(ख) कानून के अन्तर्गत, बेगम के जिस एकमात्र पूर्ववर्ती वर्ष के धन-कर-निर्धारण पर, कार्यवाही फिर से चालू की जा सकती थी, उस पर, धन कर अधिनियम 1957 की धारा 17 के अन्तर्गत फिर से कार्यवाही की गयी।

आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथों पर खर्च की गई राशि

6405. **श्री पी० गंगा रेड्डी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में आन्ध्र प्रदेश के राष्ट्रीय राजपथों पर कितनी धन राशि खर्च की गई,

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से चौथी योजना में सड़क विकास के लिये अधिक निधि देने का अनुरोध किया है, और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :

वर्ष	किया गया व्यय (रू० लाखों में)
1968-69	69·36

1969-70	74·38
1970-71	239·12

(ख) और (ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार से समस्त चौथी योजना के लिए अधिक धनराशि के लिए कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है। अपितु 1970-71 तथा 1971-72 में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिये धन की वृद्धि के लिए राज्य सरकार ने अनुरोध किया है। 1970-71 में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा मांगी गयी 5·00 लाख रु० की अतिरिक्त राशि भी उनको आवंटित कर दी गयी थी फिर हाल ही में, भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को जिनमें आन्ध्र प्रदेश सरकार भी शामिल है, सूचित किया है कि समस्त चौथी योजना के अन्तर्गत राज्यों में स्वीकृत कार्यों में किसी भी स्तर पर धन की कमी के कारण बाधा नहीं होगी तथा केवल परिसीमन योजनाओं के निष्पादन के लिए राज्यों की क्षमता होगी।

ऋण में राहत के रूप में विदेशों से प्राप्त सहायता

6406. **श्री सोमचन्द सौलंकी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने भारत सरकार से ऋण में राहत के लिए ऋण के रूप में वित्तीय सहायता देने के सम्बन्ध में बातचीत की है; और

(ख) इस ऋण का भुगतान किस्तों में बिना ब्याज के किया जायेगा या ब्याज सहित ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) . एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

1970—71 में ऋणों के रूप में दी गयी ऋण-राहत सहायता की शर्तों का विवरण

1970—71 में ऋण के रूप में ऋण राहत-सहायता देने वाले देशों के नाम	शर्तें		
	ऋण-परिशोधन अवधि-रियायती अवधि सहित (वर्ष)	रियायती अवधि (वर्ष)	ब्याज प्रतिशत
1 आस्ट्रिया	25	7	3
2 बेल्जियम	30	10	2
3 फ्रांस	12	3	3·5
4 पश्चिम जर्मनी	30	8	2·5
5 इटली	12	3	4
6 ब्रिटेन	27	5	शून्य

सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित सड़क

6407. **श्री रोबिन ककोटी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा सड़क संगठन ने गत तीन वर्षों में आसाम, नेफा, मेघालय, नागालेंड, मनीपुर और त्रिपुरा में राज्यवार और संघराज्य क्षेत्र वार कौन-कौन सी सड़कें बनाई तथा कितनी मील बनाई;

(ख) कुल लागत और प्रति मील औसत लागत क्या है;

(ग) इन सड़कों के रख-रखाव के लिये प्रति मील औसत लागत कितनी है;

(घ) आसाम, मेघालय, नागालेंड, नेफा राज्यों में और त्रिपुरा और मनीपुर संघ राज्य-क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजपथों का कुल मील योग कितना है ?

(ङ) क्या चौथी योजना में इन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में सरकार का कोई महत्वपूर्ण अन्तर्राज्यीय सड़क बनाने का कोई प्रस्ताव है, और

(च) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) आसाम जिसमें मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा तथा मणिपुर भी शामिल हैं में राष्ट्रीय राज मार्गों की कुल लम्बाई 2360 किलो मीटर है । नेफा में कोई राष्ट्रीय राज मार्ग नहीं है ।

(ङ) और (च) अब तक अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत चौथी योजना में शत प्रतिशत ऋण सहायता के लिए आसाम में सिलचर से जीरी घाट (29 मील वाली सड़क के सुधार से सम्बन्धित निर्माण कार्य) 26 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर और जीरीघाट पर जीरी नदी के ऊपर के पुल का निर्माण 30 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर मन्जूर किये गये हैं । यह सड़क संघ शासित क्षेत्र मणिपुर को आसाम से जोड़ती है । संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों पर ध्यान दिया जा रहा है ।

जोगीघोपा-पांडु निमाती घाट के बीच स्टीमर सेवा

6408. **श्री रोबिन ककोटी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (1) क्या जोगीगोपा और पांडू (2) पाँडू और निर्माती घाट के बीच के द्वीप अन्त-र्देशीय जल परिवहन निगम द्वारा स्टीमर सेवा आरम्भ कराने के सम्बन्ध में सरकार की कोई योजना है;

(ख) क्या यह सच है कि निगम ने कुछ पुराने स्टीमर बेचे थे; और

(ग) यदि हां, तो कितने स्टीमर बेचे गये, इस बिक्री से कितना धन प्राप्त हुआ ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम की जोगीगोपा और पांडू अथवा पांडू और निमतीघाट के बीच नदी सेवाएं चलाने की कोई नयी योजना नहीं है ।

(ख) जी हां ।

(ग) 98 पोत कुल 9001373 रुपये की लागत पर बेचे गये ।

डिप्लोमाधारियों और इन्जीनियरों द्वारा स्टेट बैंक आफ इण्डिया नई दिल्ली से मांगी गयी सहायता

6409. **श्री मानसिंह भौंरा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली हरियाणा और पंजाब में लघु उद्योग स्थापित करने के लिए विभिन्न विषयों के कितने डिप्लोमाधारियों और इन्जीनियरों ने गत एक वर्ष में स्टेट बैंक आफ इण्डिया, नई दिल्ली से सहायता मांगी थी,

(ख) कितने प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये गये तथा कितना ऋण दिया गया; और

(ग) शेष प्रार्थना-पत्रों को नामंजूर किये जाने के क्या कारण हैं तथा उनकी संख्या क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) . अब तक 251 इन्जीनियरों ने, जिनमें डिप्लोमाधारी भी शामिल हैं, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में लघु उद्योग स्थापित करने के सम्बन्ध में स्टेट बैंक आफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुरोध किया है । उन्होंने 199 आवेदन पत्र दिये थे । बैंक ने इनमें से 86 आवेदन पत्र स्वीकार किये हैं और 1·30 करोड़ रु० का ऋण वितरित किया है । शेष आवेदन पत्रों में से 31 आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिए गये थे और 25 आवेदनपत्र आवेदकों द्वारा वापस के लिये गए थे । बाकी आवेदनपत्र अब भी बैंक के पास विचाराधीन हैं ।

(ग) बैंक ने विभिन्न कारणों से आवेदन पत्र अस्वीकार किये थे जैसे कि प्रायोजना का समय न होना, योजना को कार्यान्वित करने में उद्यमकर्त्ताओं की अक्षमता, प्रायोजना विशेष की स्थापना के लिए गुन्जाइश न होना आदि । बैंक लघु उद्योग सेवा संस्थान और अन्य तकनीकी अधिकारियों से परामर्श करके सभी प्रस्तावों की जांच करता है । प्रत्येक प्रस्ताव पर उसके गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है ।

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को गेहूँ खरीदने के लिये ऋण दिया जाना

6411. **श्री बूटा सिंह** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार अपने कर्मचारियों को गेहूं खरीदने के लिये ऋण देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं ।

अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को मैसूर में दिए गए ऋण

6412. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में विभिन्न कठिनाइयों के कारण अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को जिन्होंने कल्याण विभाग और अनुसूचित जाति सोसाइटियों (सहकारी) द्वारा मंजूर किये गये ऋण का इस्तेमाल किया है, कोई लाभ नहीं हुआ है, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इन ऋणों को अनुदान मानने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख) जानकारी मैसूर सरकार से एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

दमन गंगापुर के सम्बन्ध में ठेकेदार तथा सरकार के बीच विवाद

6413. **श्री इरास्मोद संकेरा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दमन गंगा नदी पर मेती दमन और नानी दमन को मिलाने वाले पुल के एक खम्बे के सम्बन्ध में ठेकेदार तथा सरकार के बीच विवाद किस तिथि को उत्पन्न हुआ;

(ख) ठेकेदार ने कब से कब तक पुल निर्माण का कार्य स्थगित रखा;

(ग) यह ठेका कब दिया गया था, और

(घ) यह पुल कब तक पूरा किया जाना है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) 14 अगस्त 1968 ।

(ख) अगस्त 1968 से मार्च, 1969 तक ।

(ग) और (घ) ठेका 28 जुलाई, 1965 को दिया गया था और उस ठेके के मुताबिक कार्य की 27 जुलाई, 1967 को पूरे होने की संभावना थी । परन्तु 30 जून 1969 तक समय बढ़ाया जाने के कारण और समय में और वृद्धि जो राज्य सरकार के विचाराधीन है, कार्य के 30 दिसम्बर 1972 तक पूरा हो जाने की संभावना है, जो स्पात प्लेटों की उपलब्धि पर निर्भर करता है ।

Seminar of Principals of Higher Secondary Schools held in Delhi

6414. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) Whether a 6-day Seminar of the Principals of Higher Secondary Schools was held in Delhi during Last June; and

(b) If so, the main recommendations made by the Seminar ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) Yes, Sir. The Seminar was attended by 31 Principals of Higher Secondary Schools following the All-India syllabus of the Central Board of Secondary Education and the Principal, State Institute of Education, Delhi. The Selection of participants was made by the Central Board of Secondary Education in their individual capacity.

(b) A statement containting the main recommendations made by the Seminar is attached.

"Statement"

1. The Principals participating in the Seminar should initiate steps for preparation of institutional plans incorporating the concepts and techniques of modern management. In doing so, they may seek guidance from the inspecting staff, subject specialists, Extension Services Departments and the State Institutes of Education.

2. The Central Board of Secondary Education should conduct a systematic follow-up of this Seminar and organise a workshop of principals at the end of one year.

3. The Asian Institute of Educational Planning and Administration may organize a Seminar on Modern Management and Institutional Planning for Directors and Senior staff of the State Institutes of Education.

4. The State Institutes of Education may develop a Wing in Educational Planning and administration

5. In-service training courses for educational administratiors may be instituted at the Asain Institute of Educational Planning and Administration for Principals at the State Institutes of Education.

6. Elements of educational planning and management should be intergrated into the B. Ed. Cource. An optional paper in Educational Planning and Management may be i ntroduced at the M. Ed. level.

7. The inspecting and supervisory staff should render all possible assistance and help in the formulation and implementation of institutional plans. They should take special note of these at the time of inspection and supervision.

8. Transfer of teachers and headmasters should be minimised so that their involvement and participation in the institutional planning process may be available over a number of years.

9. The Asian Institute of Educational Planning and Administration may consider Associating itself with selected schools in the formulat on of institutional plans including the adoption of PERT (Programme Evaluation Review Techniqoe) and PPBS (Planning Pro-

gramming Budgeting System). This will help in developing a few models for circulation amongst other institutions for their guidance.

10. The Asian Inst tute of Educational Planning and Administration should disseminate information regarding successful projects and experiments in institutional planning and the application of modern management techniques to educational administration.

11 The Asian Institute should prepare and make available annotated bibliography of selected books on planning a d modern management suited to the needs and requirements of school and colleges.

बेंकों के राष्ट्रीयकरण के एवज में दी गई धनराशि का राष्ट्रीयकृत बैंकों में फिर से लगाया जाना

6415. **श्री बालकृष्ण बैंकन्ना नायक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के एवज में क्षतिपूर्ति के रूप में दिये गये कुल 84·5 करोड़ रुपयों में से प्राप्तकर्ताओं ने कितना भाग पुनः उन्हीं बैंकों में लगाया;

(ख) क्या राष्ट्रीयकरण के पश्चात् बड़े खातेदारों और उपरोक्त क्षतिपूर्ति के प्राप्तकर्ताओं ने अराष्ट्रीयकृत बैंकों अथवा विदेशी बैंकों में पूंजी जमा करवानी प्रारम्भ कर दी है; और

(ग) यदि राष्ट्रीयकृत बैंकों में पुनः लगाई गई धनराशि की प्रतिशतता, जिसका उल्लेख ऊपर भाग (क) में है, कम है, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) राष्ट्रीयकरण के मुआवजे का अधिकांश भाग (87·40 करोड़ रुपए में से 79·33 करोड़ रुपए) बन्ध-पत्रों के रूप में अदा किया गया था, जिसका वाणिज्यिक बैंकों में निवेश करने का प्रश्न ही नहीं उठता। शेष में से 1·87 करोड़ रुपये अभी भी अदा किए जाने हैं। पता चला है कि नकद दिए गए 6·20 करोड़ रुपयों (ब्याज सहित) से भूतपूर्व बैंकिंग कम्पनियों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाते खोल रखे हैं और उनमें कुल मिलाकर 3·21 करोड़ रुपये शेष बताए जाते हैं।

(ख) **और** (ग) मुआवजा प्राप्त करने वाली 14 भूतपूर्व बैंकिंग कम्पनियां हैं, न कि उनके शेयरधारक यह निर्णय करना उन कम्पनियों का काम है कि उस मुआवजे का अपने शेयरधारकों के सर्वाधिक हित में किस प्रकार उपयोग किया जाय।

पंजाब में ट्रेक्टरों पर लगाए जाने वाले शुल्कों के सम्बन्ध में अभ्यावेदन

6416. **श्री पी० गंगा देव :**

श्री निहार लास्कर :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित तथा भारत निर्मित दोनों ही प्रकार के ट्रेक्टरों पर प्रस्तावित नये शुल्कों के कारण पंजाब में कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित सभी लोगों में रोष व्याप्त है।

(ख) यदि हां, तो क्या पंजाब सरकार ने केन्द्र से इन शुल्कों को वापस लेने के लिए कहा है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गरणेश) : (क) तथा (ख) सीमा शुल्क तथा उत्पादनशुल्क के लगाए जाने के विरोध में अनेक सम्बन्धित व्यक्तियों/पार्टियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। पंजाब सरकार ने भी इस मामले में भारत सरकार को लिखा है।

(ग) चूंकि ट्रैक्टर उन काश्तकारों द्वारा खरीदे जाते हैं जो साधन जुटाने सम्बन्धी प्रयास में योगदान दे सकते हैं, इसलिए सरकार का विचार है कि लगाये गये सीमाशुल्क अथवा उत्पादन शुल्क को वापस लेने में कोई औचित्य नहीं होगा।

Evasion of Income Tax By Motor-Car, Scooter and Cycle Financiers

6417. Shri Bibhuti Mishra : will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) Whether the financiers financing the purchase of motor cars, scooters and cycles charge exhorbitant rates of interest.

(b) If so, whether the income-tax assessing authorities are unable to collect the correct figures of their income;

(c) Whether they maintain two types of registers; and

(d) If so, the steps contemplated by Government to ensure proper verification of their accounts for collection of income tax ?

The Miniser of State in the Mnistry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) No special study in respect of the interest charged by financiers for the purchase of motor-cars etc. has been made. However, it is a fact that these financiers charge higher rate of interest than is charged by the Banks.

(b) No, Sir.

(c) No specific cases have come to our notice.

(d) The cases of financiers where it is suspected that the books do not reflect the real state of affairs are examined in detail by the Income Tax authorities as all other cases of suspected tax evasion.

तमिलनाडु मे निर्धन बच्चों के लिए निःशुल्क पौष्टिक आहार कार्यक्रम

6418. **श्री सी० चित्ती बाबू** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने निर्धन बच्चों के लिए निःशुल्क पौष्टिक आहार कार्यक्रम का राज्य में विस्तार करने हेतु केन्द्रीय सरकार से अधिक धन राशि देने के लिए अनुरोध किया है; और

ां, तो उक्त प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाई की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) तथा (ख). शहरी क्षेत्रों में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एक लाख से बढ़ा 1,30,000 बच्चों को लाने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव तामिल नाडु सरकार से प्राप्त हुआ था, जिसे स्वीकार कर लिया गया था और भारत सरकार की स्वीकृति 21 जून 1971 को राज्य सरकार को भेज दी गई थी। इससे आवश्यक रूप से अधिक धन की व्यवस्था चाहिए।

औद्योगिक पुननिर्माण कार्यक्रम निगम का कार्यकरण

6419 **श्री रामवतार शास्त्री :**

श्री सुबोध हसदा :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम के बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ख) उक्त निगम ने कौन-कौन सी परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ किया है,

(ग) क्या निगम को पश्चिम बंगाल के औद्योगिक एककों से सहायता हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं, और

(घ) यदि हां, तो कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और कितने आवेदन पत्रों का निपटान हो चुका है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम के प्रथम निदेशक बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्ति हैं :—

(1) श्री बी० बी० घोष (अध्यक्ष) पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के भूतपूर्व मुख्य सलाहकार।

(2) श्री वी० वी० चारी (उपाध्यक्ष) डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बेंक।

(3) श्री एच० टी० पारेख, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम के उपाध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक।

(4) श्री सी० डी० खन्ना, अध्यक्ष, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम।

(5) श्री आर० बी० शाह, अभिरक्षक, यूनाइटेड, कमशियल बेंक।

(6) श्री बी० के० दत्त, अभिरक्षक, यूनाइटेड बेंक आफ इण्डिया।

(7) श्री अभिजित सेन, निदेशक, सेन-रेले लिमिटेड।

(8) श्री एस० एन० हांडा, निदेशक, न्यू स्वदेशी मिल्स आफ अहमदाबाद लिमिटेड।

(9) श्री सी० टी० दास, प्रबन्ध निदेशक, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम।

(ख) से (घ) 24 जुलाई 1971 तक भारतीय औद्योगिक पुननिर्माण निगम को, पुन

निर्माण-सहायता के लिए 119 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 111 प्रस्ताव पश्चिम बंगाल से आये थे और एक-एक प्रस्ताव, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और आंध्र प्रदेश से तथा दो प्रस्ताव तमिलनाडु से थे । निगम ने अब तक पश्चिम बंगाल के बन्द/बीमार एककों को पुनरुज्जीवित करने के सम्बन्ध में 6 प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है, जिनका ब्यौरा सलंग्न विवरण में दिया गया है । निगम ने चार और मामलों का अध्ययन पूरा कर लिया है । 11 प्रस्तावों को या तो अस्वीकृत कर दिया गया है अथवा उन्हें अन्य बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के पास भेज दिया गया है क्योंकि वे निगम के उद्देश्यों के अन्तर्गत नहीं आते । इसके अलावा 18 प्रस्तावों का अध्ययन प्रारम्भ कर दिया गया है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 774/71**] ।

कम्पनियों को अपनी पूंजी बढ़ाने के लिये अनुमति

6420. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने नौ कम्पनियों को अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए अनुमति दी है,

(ख) यदि हाँ, तो कुल कितनी पूंजी बढ़ाने की अनुमति दी गई है,

(ग) इनमें से कुछ कम्पनियों के लाभांश शेयर जारी किये हैं, और

(घ) यदि हां, तो बाकी की कम्पनियां मंजूरी दी गई पूंजी का उपयोग किस प्रकार करती हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) माननीय सदस्यों का संकेत सम्भवत: 24 जून 1971 को जारी की गयी प्रेस विज्ञप्ति में उल्लिखित नौ कम्पनियों को मई, 1971 में पूंजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के अधीन दी गयी स्वीकृतियों की ओर है। इन कम्पनियों द्वारा पूँजी जुटाने के लिए दी गयी अनुमति का ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	स्वीकृति की रकम (लाख रुपयों में)	नकद/बोनस निर्गम
1.	जे० के० साटोह एग्रिकल्चर मशीन्स लिमिटेड	65·00	नकद
2.	दीपक नाइट्राइट लिमिटेड	40·00	—तदेव
3.	गोलकपुर टी कम्पनी लिमिटेड	3·00	—बोनस
4.	स्टंडिया कैमिकल्स लिमिटेड	7·50	—तदेव

5.	सतलुज काटन मिल्स सप्लाई ऐजेंसी लिमिटेड	3·75	—तदेव
6.	इण्डियन स्टेण्डर्ड मेटल कम्पनी लिमिटेड	15·00	—तदेव
7.	अरुण मिल्स लिमिटेड	25·00	—तदेव
8.	बांम्बे एलाय स्टील इण्डस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड	3·50	—तदेव
9.	मोरारजी गोकुलदास स्पिनिंग ऐण्ड वीविंग कम्पनी लिमिटेड	74·75	—तदेव
	जोड़	237·50	लाख रुपये

(ग) उपर्युक्त विवरण से यह पता चलता है कि जिन 9 कम्पनियों को स्वीकृतियां दी गयी थीं, उनमे 7 कम्पनियों को दी गयी स्वीकृतियां बोनस शेयर जारी करने के लिए थीं ।

(घ) जिन दो अन्य कम्पनियों को नकद निर्गमों के लिए स्वीकृतियाँ दी गयी हैं वे स्वीकृत रकम को उनके द्वारा चलाये जाने वाले नये उपक्रमों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करेंगी ।

जंगली जनजाति के छात्रों के लिये छात्रवृत्तियां

6421. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जंगली जन जातियों के छात्रों को 'प्रति छात्र' दी जा रही छात्रवृत्ति की राशि तथा उनकी संख्या कम हो गई है,

(ख) क्या यह सच है कि सेवाओं में जंगली जन जातियों के लोगों के लिए रक्षित अधिकतर पद अन्य समुदायों के व्यक्तियों को लेकर भरे गये हैं, और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जंगली जन जातियों को संरक्षण देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख) उपलब्ध आंकड़े कुल मिलाकर अनुसूचित आदिम जातियों के सम्बन्ध में हैं और जंगली जनजातियों के लिये कोई अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

अनुसूचित आदिमजातियों की दी गई छात्रवृत्तियों की कुल संख्या प्रतिवर्ष धीरे धीरे बढ़ती जाती है ।

(ग) दूसरे आदिमजातियों के लोगों की तरह जंगली जनजाति के लोग भी सरकार के उपायों का पूरा पूरा लाभ उठाते हैं ।

पंजीकृत कम्पनियों का बंद किया जाना

6422 **श्री जी० वेंकटस्वामी** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी पंजीकृत कम्पनियों ने विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अप्रैल, 1971 में अपने कार्य का समापन किया :

(ख) इन कम्पनियों के नाम क्या हैं, और

(ग) उनके बन्द होने के क्या कारण थे ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : **(क) और (ख)**. विभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार, अप्रैल 1971 के मध्य, विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में, हिस्सों द्वारा सीमित छियालीस कम्पनियों ने, कार्य करना बंद कर दिया था । इन कम्पनियों के नाम संलग्न विवरण-पत्र में दिये गये हैं । **[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 775/71]**

(ग) इन 46 कम्पनियों में से, 25 कम्पनियों का परिसमापन हो गया, एवं शेष 21 कम्पनियों का नाम, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 (5) के अन्तर्गत रजिस्टर से उच्छिन्न कर दिया गया था । इन कम्पनियों के बंद होने के कारण शीघ्रत: उपलब्ध नहीं है ।

सार्वजनिक वित्त संस्थानों से ऋण लेने वाले औद्योगिक एककों के प्रबन्ध में सरकार का हस्तक्षेप

6423. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन औद्योगिक एककों, जिन्होंने सार्वजनिक वित्त संस्थाओं से भारी ऋण लिया है अथवा लेंगे, के प्रबन्ध में हस्तक्षेप करने की नीति बनाई है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर **उन** औद्योगिक एककों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : **(क) और (ख)**. सरकार ने निर्णय किया है कि अखिल भारतीय दीर्घावधि वित्तीय संस्थाओं को गैर-सरकारी क्षेत्रों के औद्योगिक प्रतिष्ठानों, जिन्हें संस्थाओं से काफी मात्रा में वित्तीय सहायता मिलती है, की प्रबन्ध व्यवस्था में नीति स्तरों पर अर्थपूर्ण ढंग से भाग लेना चाहिए । वित्तीय संस्थाओं द्वारा इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए उन्हें दिये गये ब्यौरेवार निदेशन की एक प्रति 2 जुलाई, 1971 के लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3765 के उत्तर में दी गयी है ।

ऋण लेने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों की प्रतिक्रिया के बारे में इतनी जल्दी कुछ कहना सम्भव नहीं है ।

Setting up of Lighthouses in The Gulf of Cambay, Andaman and Kutch

6424. Shri Hukam Chand Kachwai : will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) Whether provision has been made in the Fourth Five Year Plan for setting up Some lighthouses in the Gulf of Cambay, Andaman and Kutch; ard

(d) If so, the number of lighthouses being set up and the expenditure likely to be incurred thereon ?

The Minister of parliamentary Affairos and Shipping and Trnasport (Shri Raj Bahaur) : (a) Yes, Sir.

(b) The details of the lighthouses/lights proposed to be set up and their estimated costs are given below.

	No. of lights	Estimetcd cost Rs.
Gulf of Cambay	6 Nos. (3 lighthouses and 3 lighted beacons)	71·18 lakhs
Andaman Islands	13 Nos. (2 lighthouses, 9 lighted beacons and 2 Radio beacons)	90·37 lakhs
Gulf of Kutch	6 Nos. (1 lighthouse and 5 lighted beacons)	124·36 lakhs

ग्वालियर में भूमि के नीचे पाया गया शाही खजाना

6425. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में ग्वालियर में भूमि के नीचे दबे शाही खजाने का पता लगाया गया है,

(ख) क्या इस खुदाई में ग्वालियर के महाराजाओं की धन सम्पति की विद्यमानता का पता लगा है, और

(ग) यदि हां, तो खुदाई में कितनी धनराशि का पता लगा है और इस धनराशि का निपटान किस प्रकार किया जायेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) गढा खजाना राज्य सरकार का विषय है। अपेक्षित सूचना ग्वालियर के कलक्टर और मध्यप्रदेश पुरातत्व संग्रहालय के राज्य निदेशक से एकत्र की जा रही है और यथा समय सभापटल पर रख दी जायेगी।

भारत को निर्यात किये गये अखबारी कागज के बारे में मैसर्स एक्सपोर्ट सेल्स कम्पनी, आफ कनाडा द्वारा झूटी घोषणा के कारण विदेशी मुद्रा की हानि

6426. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स सेल्स कम्पनी आफ बैनकोनवेर, कनाडा ने गत पाँच वर्षों के दौरान उसके द्वारा भारत को निर्यात किये गये अखबारी कागज के अभिप्रेत के उपयोग के बारे में, झूठी घोषणा करके इंडियन शिपिंग लाइन्स से भाड़े की दरों में 25 प्रतिशत छूट प्राप्त की थी;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप देश को विदेश मुद्रा की भारी हानि हुई;

(ग) यदि हां, तो भारत के उन निर्यात-कर्त्ताओं और एजेन्टों के नाम क्या हैं, जो इन सौदों में अन्तर्ग्रस्त थे; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) यह कहना सही नहीं है कि मैसर्स ऐक्सपोर्ट सेल्स कम्पनी आफ बेनकोनबेर या अन्य माल भेजने वाले पोत वाणिकों ने गत पाँच वर्षों के दौरान झूठी घोषणा करके भारतीय शिपिंग लाइन्स से भाड़े की दरों में 25 प्रतिशत छूट प्राप्त की थी । एक ही उदाहरण जो ध्यान में आया वह एक भारतीय पोत द्वारा लगभग 889 टन का हाल का लागत बीमा भाड़ा पोत लदान है जिसने विक्रेताओं द्वारा किये गये इस घोषणा के आधार पर छूट दी गई थी कि अखबारी कागज का अभिप्रेत सरकारी उपयोग था, परन्तु मुझे विश्वास है कि निम्न दर भी बातचीत से प्राप्त की जा सकती थी ।

(ख) उत्तर नकारात्मक है ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते क्योंकि ठेका लागत बीमा भाड़े के आधार पर था और आवश्यक कार्यवाही शिपिंग कम्पनियों को करनी है यदि उनका विचार है कि विक्रेताओं के विरुद्ध उनका दावा वास्तविक रूप से लिये गये भाड़े से अधिक भाड़े के लिए है ।

कोका-कोला निर्यात निगम द्वारा लाभांश का विदेश प्रेषण

6427. **श्री आर० बी० बड़े** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोका-कोला निर्यात निगम द्वारा अपने लाभांश को विदेश में भेजे जाने पर रोक लगाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : सरकार की नीति के अनुसार भारतीय करों की अदायगी कर दिये जाने के बाद लाभ और लाभांश की रकमों को विदेशों में भेजने की खुली छूट है ऐसी स्थिति में मैसर्स कोका-कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन द्वारा लाभ की रकमों के विदेश भेजने पर किसी प्रकार की रोक लगाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । कारपोरेशन द्वारा निर्यात के सम्बन्ध में 'सेवा प्रभाग' शीर्षक के अन्तर्गत विदेशों को रकम भेजे जाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

Report of Vohra Committee Regarding their Visit to Uttar Pradesh.

6430 . **Shri Chandrika Prasad** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) Whether the Vohra Committe, appointeed by the Central Government, visited

Uttar Pradesh recently for carrying out a survey there and if so, the names of the Districts surveyed by the said Committee; and

(b) The main recommendation made by the said Committee ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b) On the request of the Government of Uttar Pradesh, a Central team of officers led by Shri S. Vohra, Adviser, Planning Commission, visited the State from the 3rd to 5th July, 1971 for an assessment of the requirement of funds for relief measures necessitated on account of unseasonal rains in April and May, 1971. According to the programme drawn up by the State Govt., the team made an extensive tour of the districts of Barabanki, Faizabad, Basti and Gorakhpur. In the light of the information collected during its visit and the discussions held by it with the representatives of State Government, the team has recommended a ceiling of expenditure of Rs. 6·35 crores on various types of relief measures during the current financial year, for purposes of Central assistance, In addition, the team has also recommended short term loans of Rs, 15 crores to be given by the Union Departtment of Agriculture for the purchase of agricultural inputs like seed and fertilisers.

जम्मू में पर्यटक होटल के निर्माण में हुई प्रगति

6431. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :** क्या पर्यटक और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार जम्मू में पर्यटक होटल का निर्माण करा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम, जो कि सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है, जम्मू में 50 कमरों के एक होटल का निर्माण कर रहा है।

(ख) निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा फर्स्ट फ्लोर स्लैब लेबल तक पहुंच गया है। होटल के 1972 तक तैयार हो जाने की सम्भावना है।

जम्मू और पुन्छ के बीच विमान सेवा

6432. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जम्मू और काश्मीर राज्य में जम्मू और पुंछ के मध्य विमान सेवा आरम्भ करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) जी, नहीं।

जम्मू और काश्मीर राज्य में पर्यटकों के लिए आकर्षण वाले स्थानों का विकास करने का प्रस्ताव

6433. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर राज्य के राजौरी, पुंछ, ऊधमपुर, और डोडा जिलों में पर्यटकों के लिये आकर्षण वाले स्थानों का विकास करने के सरकार के कोई प्रस्ताव हैं, और

(ख) यदि हां, तो उन प्रस्तावों की रूप रेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) . केन्द्रीय सरकार का लगभग 2·50 लाख रुपये की लागत से जिला डोडा में पटनी टाप में एक युवक होस्टल के निर्माण का प्रस्ताव है ।

राज्य सरकार ने निम्नलिखित योजनाएं पूरी कर ली हैं / हाथ में ले रखी हैं :—

(1) पटनी टाप में 6 से 10 कुटीरों तथा 4 दुकानों का एक समुदाय निर्माण किया जा रहा है ।

(2) कटरा में 100 शैयाओं वाला एक पर्यटक होस्टल पूरा हो चुका है तथा पर्यटक बंगले में 16 अतिरिक्त शैय्याएं निर्माणाधीन हैं ।

(3) हाल ही में शुद्धमहादेव में एक सराय का निर्माण किया गया है ।

(4) बानिहाल पर्यटक बंगले में 16 अतिरिक्त शैय्याओं का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है ।

(5) मनसर में तीन बेड रूम वाला एक पर्यटक बंगला निर्माणाधीन है ।

(6) पटनी टाप, कुंद तथा बटोट के लिए एक नई पानी सप्लाई योजना का कार्य हाथ में ले लिया गया है ।

राज्य सरकार का ऊधमपुर जिले में कटरा, कुद, मनसर तथा शुद्धमहादेव और डोडा जिले में पटनी टाप, सनसर, बटोट तथा बानिहाल के भावी विकास का प्रस्ताव है जोकि इस प्रयोजन के लिए तैयार किए गये मास्टर प्लानों के अनुसार होगा । शुद्धमहादेव, कुद, पटनी टाप और सनसर के सर्वेक्षण कार्य को भारतीय सर्वेक्षण विभाग को सौंपा गया है लेकिन कटरा और मनसर के लिए मास्टर प्लानों को तैयार करने का कार्य राज्य नगर योजना संगठन (स्टेट टाउन प्लैनिंग आर्गनाइजेशन) ने अपने हाथ में लिया है ।

आन्ध्र प्रदेश में स्कूल-परीक्षाओं को समाप्त करना

6434. **श्री निहार लास्कर :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने स्कूल-परीक्षाओं को समाप्त करने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) आन्ध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, VII वीं और X वीं कक्षाओं को छोड़कर अन्य कक्षाओं में, केवल वार्षिक परीक्षा के परिणामों के आधार पर छात्रों के रोकने की परिपाटी को समाप्त कर दिया गया है।

(ख) चूंकि शिक्षा एक राज्य विषय है, अतः आंध्र प्रदेश की सरकार अपनी इच्छानुसार परीक्षा पद्धति में ऐसे परिवर्तन करने में समर्थ है जिन्हें वह उपयुक्त और आवश्यक समझती है।

राज्यों को केन्द्रीय राजस्व का आवंटन

6435. **श्री निहार लास्कर** :
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों की ओर से एकत्र किया समूचा राजस्व, उन्हें दे दिया है जैसा कि वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई थी ताकि जब जून, 1971 के अन्त में बैंक का अर्द्धवर्षीय कार्य बन्द हो, तब रिजर्व बैंक का हिसाब चुकाया जा सके, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में हाल में राज्य सरकारों को भेजे गये पत्र का पाठ क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) 'वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केन्द्रीय राजस्वों में से राज्यों का हिस्सा उन्हें नियमित रूप से मासिक किस्तों में अदा किया जाता है चाहे उनकी वित्तीय स्थिति कैसी भी हो। इस सम्बन्ध में, जो अदायगियां उन्हें जुलाई 1971 में की जानी थीं,वे उन्हें जून में ही कर दी गयी थी। ये अदायगियां इसलिए की गयी थी कि जिन राज्यों ने रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट ले लिया था वे औवरड्राफ्ट सम्बन्धी अपने दायित्व को कम कर सकें। इसके बावजूद भी जिन राज्य के नाम ओवर ड्राफ्ट की रकम बकाया रह गयी थी उन राज्यों को चालू वित्तीय वर्ष में वसूली योग्य अर्थोपाय अग्रिम देकर उनकी ओवर ड्राफ्ट की रकम पूरी की गयी थी।

थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि

6436. **श्री निहार लास्कर** : **श्री पी० के० देव** :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 जून, 1971 को समाप्त हुए पखवाड़े में थोक मूल्य सूचकांक के अनुसार मूल्यों में 1·5 प्रतिशत वृद्धि हुई है जो इतनी अल्प अवधि में बहुत अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो मूल्यों में इतनी तेजी से हो रही वृद्धि को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 12 जून, 1971 को समाप्त होने वाले सप्ताह का थोक मूल्यों का सामान्य सूचक अंक (1961–62 = 100) 29 मई 1971 को समाप्त हुए सप्ताह के सूचक अंक की तुलना में 1·1 प्रतिशत अधिक था।

(ख) मुद्रा तथा राजस्व विषयक नियन्त्रण की नीति को जारी रखने के अलावा, मूल्यों में होने वाली अनुचित वृद्धि को रोकने के लिए सरकार का आवश्यकतानुसार, वास्तविक तथा प्रशासनिक नियन्त्रण लागू करने का विचार है।

महालेखापाल कार्यालय, राँची के कर्मचारियो की गिरफ्तारी

6437. **श्री दिनेश जोरदर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1971 में राँची (बिहार) स्थित महालेखापाल कार्यालय के बहुत से कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो उनके विरुद्ध क्या आरोप लगाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) बिहार के महालेखाकार के रांची स्थित कार्यालय के दो कर्मचारियों को जून, 1971 में गिरफ्तार किया गया था। एक कर्मचारी के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 148/452 और विस्फोटक अधिनियम की धारा 5 के अधीन आरोपित अपराधों और दूसरे के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 399/120 बी/402 के अधीन आरोपित अपराधों के सम्बन्ध में जांच-पड़ताल जारी है।

(ग) और (घ). इन मामलों में यदि आगे कोई कार्यवाही की जानी होगी तो वह पुलिस की जांच पड़ताल के निष्कर्ष पर निर्भर करेगी।

बिहार में आयकर की वसूली

6438. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970–71 में सरकार द्वारा बिहार राज्य में कितना आयकर वसूल किया गया; और

(ख) बकाया राशि को वसूल न किये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) वित्तीय वर्ष 1970–71 में आयकर आयुक्त, बिहार, के कार्यक्षेत्र में आयकर और निगम-कर की कुल शुद्ध वसूल रकम 10·75 करोड़ रुपये (अनन्तिम) थी।

(ख) 31–3–1971 को आयकर आयुक्त, बिहार, के कार्यक्षेत्र में वसूली के लिए बकाया पड़ी शुद्ध रकम 9·48 करोड़ रुपये थी। इसमें निम्नलिखित किस्म के मामले शामिल हैं जिनमें वसूली अपरिहार्य रूप से स्थगित रही :—

(i) ऐसे व्यक्तियों की ओर पड़ी मागें, जो भारत छोड़ गये हैं और/अथवा जिनका पता नहीं चल रहा है।

(ii) ऐसे व्यक्तियों की ओर पड़ी मांगें जिनकी इस समय परिसम्पत्तियाँ कुछ भी नहीं हैं/ अपर्याप्त हैं।

(iii) ऐसी कम्पनियों की ओर पड़ी मांगें जिनका परिसमापन हो गया है।

(iv) ऐसी मांगें जिनकी वसूली इस कारण से रुक गई है कि, संरक्षणात्मक उपाय के रूप में, एक ही आय पर एक से अधिक निर्धारितियों की आय के रूप में कर लगाया गया है।

(v) ऐसी मांगें जिनकी वसूली इस कारण रुकी पड़ी है कि निर्धारिती का दोहरे आयकर राहत के दावे का सत्यापन किया जाना है।

शेष माँग की वसूली के लिए सामान्य कार्यवाही की जा रही है और इसके लिए कानून सम्मत उपाय किये जा रहे हैं।

जीवन बीमा निगम में चैयरमैन द्वारा वक्तव्य

6439. **श्री डीं० पी० जदेजा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान जीवन बीमा निगम के चेयरमैन द्वारा बम्बई में दिये गये वक्तव्य के बारे में 4 जुलाई, 1971 के 'स्टेट्समैन' में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वेतनभोगी लोगों के सेवानिवृत्त होने पर प्राप्त होने वाले लाभों को कर मुक्त करने सम्बन्धी उनके सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) वेतन-भोगी कर्मचारियों के सेवा-निवृत्ति लाभों पर—जैसे मृत्यु एवं सेवा-निवृत्ति उपदान और पेंशन का विनिमय मूल्य-कुछ सीमाओं के अधीन, पहले ही कर से छूट मिली हुई है। इसके अतिरिक्त किसी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि से कर्मचारी की देय संचित शेष रकम के सम्बन्ध में भी (जिसमें नियोजक द्वारा किये गये अंशदान और नियोजक तथा कर्मचारी दोनों द्वारा किये गये अंशदानों पर ब्याज की रकम शामिल है) कर से छूट मिलती है। सरकार के विचार में, वेतन-भोगी कर्मचारियों के सेवा-निवृत्ति लाभों के सम्बन्ध में कर से राहत देने की कानून में जो व्यवस्था पहले से ही की गई है उसे और अधिक उदार बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

गैर-आदिवासियों के साथ आदिवासी लडकियों का जबरन विवाह किया जाना

6440. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 जुलाई, 1971 के 'स्टेट्समैन' में छपे 'मास शाटगन वैडिंग्स' सम्बन्धी समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) क्या बस्तर जिले में आदिवासी महापंचायत द्वारा गैर-आदिवासियों को आदिवासी लड़कियों से विवाह करने पर बाध्य किया गया, और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकारी की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी मध्य प्रदेश सरकार से एकत्रित की जा रही है और यथा समय उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

चितूर जिला (आन्ध्र प्रदेश) में भू-स्वामियों द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कृषि मजदूरों का सामाजिक दृष्टि से बहिष्कार

6441. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या शिक्षा और ससाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान चित्तर जिला (आंध्र प्रदेश) के कालाहस्ती तालुक के थुमग्लागुन्ता गांव में भू-स्वामियों द्वारा किये गये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कृषि-मजदूरों के सामाजिक बहिष्कार तथा उनको नदी में नहाने से रोकने और उन्हें परेशान आदि करने की ओर दिलाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के मजदूरों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है जिससे कि भू-स्व स्वामी उनको परेशान न कर सकें ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) आंध्र प्रदेश सरकार ने बताया है कि यह भूठ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Implementation of Schemes Relating to Research training and Administration in Social Welfare

6442. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Education and social Welfare** be pleased to state.

(a) The amount earmarked for the implementation of the schemes relating to Research, Training and Administration in Social welfare during the Fou rth Five Year Plan; and.

(b) The names of the Schemes formulated for these subjects for the current year and the amount earmarked therefor ?

The Deputy Minister for Education and social welfare (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) The amount earmarked is Rs. 89·50 lakhs.

(b) The schemes formulated for the subjects proposed for the current year and the amount earmarked for each are as follows:

	Rs. in lakhs
(i) Assistance to schools of Social Work for research in Social Welfare.	1·00
(ii) Setting up Regional Research Centres.	1·00
(iii) Expenses on work of Standing Advisory Committee on Social Welfare.	0·30
(iv) Establishment of statistical cum-Research Unit.	0·24
(v) Social Work Training (Grants to non-University School of Social Work).	1·00
(vi) Grants to Associations of Social works.	0·30
(vii) Grant to Indian council for child welfare for Bal Sevika Training.	6·00
(viii) Grant to Central Institute of Research and Training in Public Cooperation.	3·00
(ix) Expense on organising National Seminars on Social Welfare.	0·12
(x) Publications.	1·00
(xi) Setting up a Prototype Centre for designing and production of educational equipment and toys for Balwadis.	0·50

National Award to Employees of Handicapped Persons

6443. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government give a national award to the employees of efficient handicapped employees and other handicapped employees and other handicapped persons and if so, whether the award is given annually; and

(b) The names of persons who were given this award last year and the date on which it was given ?

The Deputy Minister for Education and Social Welfare (Shri K. S. Ramaswamy): (a) The President of India makes three annually three awards to outstanding employers of the handicapped and three to most efficient physically handicapped employees.

(b) The first awards were made on the 15th March, 1970 to the following :

Employees.

1. Smt. Pratibha Arya, (BLIND)

c/o Rashtriya Virjanand Andh Kanya Vidyalaya,
New Rajinder Nagar, New Delhi.

2. Shri Ashok Kumar Agarwal, (DEAF)
c/o Mechanics Division,
National Physical Laboratory,
Hillside Road, New Delhi.

3. Shri Narsimbhai Chhaganlal Patel, (Orthopaedically Handicapped)
c/o Shri M. L. Pandya,
Section Officer,
Education & Labour Deptt,
Sachivalaya, Ahmedabad.

Employees.

1. Messrs. Vazir Sultan Tobacco Company Limited, Hyderabad. (BLIND)

2. Messrs. Hindustan Klockner Switchgear Limited, Bombay-66, (DEAF)

3. Messrs. Makim Traders,
New Cotton Mill No. 1 Compound,
Outside Raipur Gate,
Kankaria Road, Ahmedabad, (Orthopaedically Handicapped)

Enforcement of Prohibition in States

6444. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Education and Social** Welfare be pleased to state :

(a) The number and names of the States which have so far accepted the principle of "local option" for prohibition;

(b) The numer and names of the State Governments which have banned advertisements encouraging the Sale of intoxicants; and

(c) The number of State Governments, which are at present taking advantage of the Central Scheme for payment of 50 percent compensation by the Centtre for the loss of revenue to the State Governments by enforcing prohibition ?

The Deputy Minister for Education and Social Welfare (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) According to the information available five States including Assam, Haryana, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh and two Union Territories including Dadar and Nagar Haveli and Delhi have accepted the principle of "local option". Gujarat and Maharashtra having Prohibition the application of the principle is not necessary. It is understood Tamil Nadu Government has recently decided to suspend prohibition, w.e.f. 30th August, 1971.

(b) Twelve States including Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Kerala, Maharashtra, Mysore, Orissa, Punjab. Rajasthan, Tamil Nadu and two Union Territories including Chandigarh and Delhi have banned advertisements encouraging the sale of intoxicants.

(c) Three States including Haryana, Himachal Pradesh and Uttar Pradesh.

पश्चिम बंगाल में किसानों को ऋण देने की सुविधाओं के विस्तार के लिए नई शाखायें खोलना

6445. **श्री गदाधर साहा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे किसानों को ऋण सुविधाएं देने और पश्चिम बंगाल के जिलों के बहुत अधिक क्षेत्र को उसके अन्तर्गत लेने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखायें खोली जा रहीं हैं।

(ख) यदि हां, तो क्या सहकारी ऋण समितियों में सम्मिलित किये जाने के लिए छोटे किसानों को अनुमति दी जाती है और उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है जिससे कि बीरभूम जिले में सहकारी समिति के माध्यम से वे बैंकों से ऋण सुविधा का लाभ उठा सकें; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के विद्यार्थियों को छात्रावासों के निर्माण के लिए पश्चिम बंगाल में उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को अनुदान

6446. **श्री गदाधर साहा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण निधि से पश्चिम बंगाल में उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को कोई अनुदान दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो अनुदान पाने वाले स्कूलों के नाम क्या हैं; और

(ग) उनको कितनी राशि दी गई ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ग). तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों के लिए राज्य आयोजना योजना के अधीन छात्रावासों के निर्माण के लिए पश्चिमी बंगाल की सरकार ने 6 87 लाख रुपए की धनराशि खर्च की थी। यह रुपया 45 छात्रावासों पर खर्च किया गया था। यह खर्च केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा 75:25 के अनुपात में बांटा गया था। अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है।

कार्यान्वित प्राधिकारी राज्य सरकार होने के कारण अनुदान पाने वाले स्कूलों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

विश्वविद्यालयों में संस्कृति के स्नातकोत्तर विभाग

6447. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सभी विश्वविद्यालयों में संस्कृत के स्नातकोत्तर विभाग हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो जिन विश्वविद्यालयों में ऐसे विभाग नहीं हैं उनकी संख्या तथा नाम क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

उन विश्वविद्यालयों की संख्या तथा नाम जहां संस्कृत में स्नातकोत्तर अध्यापन विभाग नहीं हैं (1970–71)

1–सांविधिक विश्वविद्यालय

1. आगरा विश्वविद्यालय
2. आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय
3. असम कृषि विश्वविद्यालय
4. अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय
5. बरहामपुर विश्वविद्यालय
6. भागलपुर विश्वविद्यालय
7. भोपाल विश्वविद्यालय
8. कालीकट विश्वविद्यालय
9. डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय
10. गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय
11. गुरु नानक विश्वविद्यालय
12. हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय
13. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय

14. इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय
15. इन्दौर विश्वविद्यालय
16. जबलपुर विश्वविद्यालय
17. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
18. जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय
19. जीवाजी विश्वविद्यालय
20. कानपुर विश्वविद्यालय
21. कल्याणी विश्वविद्यालय
22. कश्मीर विश्वविद्यालय
23. केरल विश्वविद्यालय
24. मदुरै विश्वविद्यालय
25. महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ
26. मराठवाडा विश्वविद्यालय
27. मेरठ विश्वविद्यालय
28. उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय
29. उड़ीसा कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
30. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय
31. पंजाबराव कृषि विद्यापीठ
32. राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय
33. राँची विश्वविद्यालय
34. रवि शंकर विश्वविद्यालय
35. रुड़की विश्वविद्यालय
36. सम्बलपुर विश्वविद्यालय
37. सौराष्ट्र विश्वविद्यालय
38. एस० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय
39. दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय

40. तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय

41. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय

42. उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय समझे जाने वाले संस्थान :

1. गुजरात विद्यापीठ

2. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान

3. भारतीय विज्ञान संस्थान

4. भारतीय खनन स्कूल

5. जामिया मिलिया इस्लामिया

6. टाटा समाज विज्ञान संस्थान

टिप्पणी:—के० एस० डी० संस्कृत विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

Setting Up of a Moderation Board

6448. **Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) Whether Government are formulating any scheme to set up a Moderation Board to enable it to assess the marks obtained in different subjects by the Degree holder of the States and Centrally administered institutions and to register them with the said Board for transfer from one University to another; and

(b) If so, the main features of the scheme and when the Board is likely to be set up ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) No, sir.

(b) Does not arise.

सामान्य बीमा के लिए नये मार्गदर्शी सिद्धान्त

6449. **श्री नवल किशोर सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य बीमा के लिये नये मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किये जा रहे हैं; और

(ख) क्या मार्गदर्शी सिद्धान्तों में फसल तथा पशु बीमा भी शामिल होगा।

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां। पूंजी निवेश के

सम्बन्ध में मार्ग-दर्शक सिद्धान्त तैयार करने का प्रस्ताव है ।

(ख) जी, नहीं ।

परीक्षाओं में अनुचित ढंग अपनाया जाना

6450. **श्री नवल किशोर सिंह**
श्री नुग्धल्ली शिवप्पा :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में परीक्षा बोर्डों तथा विश्वविद्यालयों द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में सभी स्तरों पर परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित ढंग के अपनाये जाने की शिकायतें मिली हैं ।

(ख) यदि हां, तो क्या परीक्षा प्रणाली में कोई परिवर्तन करने का विचार है : और

(ग) यदि हाँ, तो क्या-क्या मुख्य परिवर्तन करने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) देश के विभिन्न भागों में आयोजित की गई परीक्षाओं में परीक्षार्थियों द्वारा गलत तरीके अपनाने की कुछ रिपोर्टें आई हैं ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 2 और 3 मई 1970 को हुई अपनी 35 वीं बैठक में निम्नलिखित संकल्प पारित किया था :—

"बोर्ड, अध्यक्ष से प्रार्थना करता है कि परीक्षा विषयक एक समिति बनाई जाए, जो वर्तमान परिस्थितियों की जाँच करेगी और अनुचित तरीकों के प्रतिकार के सम्बन्ध में और निरीक्षकों तथा परीक्षा से सम्बन्ध अन्य व्यक्तिओं की सुरक्षा के हेतु सिफारिशें करेगी"

उपरोक्त संकल्प, के अनुसार ऐसी समिति नियुक्त की गई थी और उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है । समिति की सिफारिशें केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की आगामी बैठक के समक्ष रखी जाएगी और बोर्ड की सिफारिशें राज्य सरकारों देश के शिक्षा बोर्डों और विश्वविद्यालयों को सूचित की जायेगी ताकि उन्हें प्रत्येक राज्य की स्थिति के अनुसार पूर्णतः उपयुक्त ढंग से अंगीकार किया जा सके अथवा अनुकूलित रूप में अपनाया जा सके ।

ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं का खोला जाना

6451. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की और अधिक शाखायें खोले जाने की सम्भावना है : और

(ख) यदि हां, तो कितनी और शाखाए खोली जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) बैंकों की नयी शाखाए, नेता बैंकों (लीड बैंक) द्वारा किये जाने वाले जिलों के

सर्वेक्षणों के आधार पर खोली जाती है । राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 1971 के अन्त या 1972 के आरम्भ में बैंक-रहित केन्द्रों में लगभग 700 नये कार्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है । आगे के कार्यक्रम हर साल तैयार किये जायेंगे ।

कानपुर में आयकर की बकाया राशि

64·2. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या 1 जून 1971 को कानपुर में आयकर की 3 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बकाया थी;

(ख) यदि हां, तो उन मिल-मालिकों के नाम क्या हैं जिन्होंने आयकर नहीं दिया है; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां । 1 जून, 1971 को खास कानपुर में आयकर की 3 करोड़ रुपये से अधिक की रकम बकाया थी ।

(ख) और (ग) : सम्भवत: माननीय सदस्य का संकेत कपड़ा मिलों की तरफ है जिनका स्वामित्व लिमिटेड कम्पनियों के हाथ में है । अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है । कानपुर में कपड़ा मिलों की मालिक जिन लिमिटेड कम्पनियों पर 1 जून 1971 को आयकर की काफी रकम बकाया थी, उनके बारे में, और उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कोर के प्रशिक्षकों की पदोन्नति

6453 **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य कोर में सभी प्रशिक्षकों की पदोन्नति रोक दी गई है :

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है :

(ग) क्या कर्मचारी संगठनों द्वारा इस सम्बन्ध में अनेक अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (घ) कुंजरु समिति की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की सहमति से यह निर्णय किया गया कि समेकित शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम जिसे राष्ट्रीय स्वस्थ्यता कोर कार्य-क्रम कहा जाता है, समान रूप से स्कूलों में अपनाया जाए और यह कि केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय अनुशासन न योजना अनुदेशकों को राष्ट्रीय स्वस्थता कोर कार्य-क्रम प्रारम्भ करने के लिए

राज्यों में स्थानान्तरित किया जाए। अतः अगस्त 1967 में यह निर्णय किया गया कि महानिदेशक के पद को छोड़कर, पदोन्नति या अन्य किसी प्रकार से संगठन में कोई भी रिक्त पद न भरा जाए।

चूंकि विभिन्न कारणों से इन अनुदेशकों को शीघ्रता से स्थानान्तरित न किया जा सका था इसलिए फरवरी और अप्रैल 1968 में यह निर्णय किया गया कि यथासम्भव शीघ्रता से राष्ट्रीय स्वस्थता कोर संगठन में प्रतियुक्त व्यक्तिओं को अपने अपने मूल कार्यालयों में वापस भेज दिया जाए और परिणाम स्वरूप रिक्त हुए पदों को संगठन में पहले से ही कार्य कर रहे उपयुक्त व्यक्तियों से भरा जाए और यह कि संगठन के दक्षतापूर्वक संचालन के हेतु पर्यवेक्षी पद बनाये जायें और उस पर पदोन्नतियां की जाए। इन निर्णयों को लागू करते समय केवल कुछ पद को ही अनिवार्य समझा गया और उन्हें भरा गया। इस सम्बन्ध में स्टाफ और कर्मचारी संघ से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए।

सरकार ने एक एक-सदस्यीय समिति नियुक्त की है जो अन्य बातों के साथ साथ इन शिकायतों की जांच पड़ताल करेगी और इस बात का पता लगाएगी कि फरवरी तथा अप्रैल 1968 में लिए गए निर्णय के अनुसार आगे और पदोन्नतियाँ करने के लिए गुंजाइश है या नहीं। समिति के निष्कर्ष प्राप्त हो गए हैं और उन पर विचार किया जा रहा है।

सामान्य बीमे के लिए एक निगम की स्थापना करने सम्बन्धी मांग

6454. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के नेताओं ने सामान्य बीमें के लिये एक निगम की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार इस मामले पर विचार कर रही है।

Construction of National Highways and Bridges in Nimar District (Madhya Pradesh)

6455. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) Whether any schemes for construction of National Highways and bridges in Nimar District in Madhya Pradesh, are under the consideration of Government;

(b) If so, what are the schemes proposed to be Implemented during the current year; and

(c) The progress already made in Implementing those schemes ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) No, Sir; there is no proposal for construction of any new National Highway in Nimar District. However, National Highway No. 3 passes through West Nimar District (now called Khargaon). Schemes estimated to cost Rs. 202·00 lakhs for improvement of this

National Highway and replacement of submersible bridges by high level bridges and reconsttruction/widening of bridges on the same have been provided for in the 4th Five Year Plan.

(b) During the year 1971–72, the following schemes are to be implemented :—

(i) Strengthening/widening/improvement including reconstruction/widening of weak and narrow culverts of the existing sub standard sections of the road (21 miles)

(ii) Replacement of submersible major bridges across the river Narmada at Khalghat (at Mile 55) and across the river Borad at Mile 60/3 by high level bridges;

(iii) Widening/reconstruction of 7 minor bridges:

(c) The progress of various works listed in (b) above is as follows :—

(i) The survey, investigation and preparation of project estimates for (b) (i) is in progress;

(ii) Tenders for the high level bridges across Narmada river have been received and are under consideration. Survey, investigations and preparation of project estimate for Borad bridge are under progress.

(iii) Widening/reconstruction of 6 minor bridges are in various stages of progress Survey and investigations and preparation of project estimate for the remaining one minor bridge are in progress.

विश्वविद्यालयों के चलाये जाने के बारे में गजेन्द्रगडकर समिति की सिफारिशें

6456. **श्री मुहम्मद शरीफ :**　　**श्री सुबोध हंसदा :**
श्री हरी किशोर सिंह :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विश्वविद्यालयों के चलाये जाने के बारे में गजेन्द्रगडकर समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं और उन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति विभाग मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी हां ।

(ख) विश्वविद्यालय प्रशासन के विभिन्न पहलुओं, जैसे कि विश्वविद्यालय का आकार, विश्वविद्यालय स्वशासन, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की भूमिका, अधिनियमों का प्रकरण, कानून अध्यादेश एवं विनियम, कुलाध्यक्ष की शक्तियों, विश्वविद्यालयों के प्राधिकारियों और अन्य

निकायों का संगठन और कार्य, शिक्षण विभागों का संगठन छात्रों का भाग लेना कुलपतियों और अन्य अधिकारियों की नियुक्तियों, आदि पर समिति ने सिफारिशें दी हैं । रिपोर्ट की प्रतिलिपियां संसदीय पुस्तकालय को भेजी हुई हैं ।

समिति द्वारा की गई सिफारिशों की जांच की जा रही है ।

जापान द्वारा पूंजीनिवेश में वृद्धि

6457. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी वर्ष में जापान द्वारा भारत में पूंजी-निवेश में वृद्धि की जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : जापान सरकार के नेताओं द्वारा हाल ही में दिये गये वक्तव्यों से यह संकेत मिलता है कि विदेशों में पूंजी लगाए जाने के सम्बन्ध में जापान सरकार के विनियमों को उदार बनाने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है । यह प्रतीत होता है कि मित्सुविशि मिशन, जिसने 19 अप्रैल से पहली मई 1971 तक भारत का दौरा किया था, भारत में पूंजी लगाये जाने के अवसरों से विशेष रूप से प्रभावित हुआ है । इन बातों को देखते हुये, भारत में जापान द्वारा लगाई जाने वाली गैर सरकारी पूंजी में, आने वाले वर्षों में वृद्धि होने की आशा की जा सकती है किन्तु इस समय यह अनुमान लगाना कठिन है कि यह वृद्धि कितनी होगी ।

पंजाब और दिल्ली में आयकर अधिकारियों द्वारा छापे

6458. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिकारियों द्वारा 29 जून 1971 को पंजाब के अनेक कस्बों और दिल्ली में छापे मारे गये थे और कर अपवंचन के मामले में उन्होंने एक राज्य सरकार की लाटरी के एक सोल एजेन्ट के अभिशंसी दस्तावेजों, लेखा पुस्तकों को जब्त तथा लाकरों को सील किया था; और

(ख) क्या मामले की जांच की गई है और यदि हां, तो दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) . जी, हां । जांच-पड़ताल चल रही है । जांच-पड़ताल पूरी होने पर, यदि निर्धारिती दोषी पाया गया तो आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

रणजीत और लोदी होटलों को हुई हानि

6459. **श्री डी० के० पन्डा** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित रणजीत और लोदी होटलों को वर्ष 1969-70 में हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन होटलों को लाभ पर चलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : **(क) और** (ख) वर्ष 1969-70 के दौरान रणजीत और लोधी होटलों को क्रमश: 1·78 लाख रुपये और 1·53 लाख रुपये की हानि हुई। हानि मुख्यत: वेतन बोर्ड की सिफारिशों के क्रियान्वयन स्वरूप वेतन और मजदूरी व्यय में वृद्धि होने के कारण हुई। इस सम्बन्ध में लोधी होटल का व्यय 1967-68 में 3·47 लाख रुपये से बढ़कर 1969-70 में 7·98 लाख रुपया हो गया। इसी प्रकार इस सम्बन्ध में रणजीत होटल का व्यय 3·79 लाख रुपये से बढ़कर 9·20 लाख रुपया हो गया।

(ग) 1970-71 के दौरान दोनों होटलों को मिलाकर कुछ थोड़ा सा लाभ हुआ है। यह निर्णय किया गया है कि 1 अक्तूबर, 1971 से दोनों होटलों में कमरों की शुल्क-दर में वृद्धि कर दी जाएगी और अच्छी लागत एवं अधिक बिक्री के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्रों और कमरों के नवीकरण वातानुकूल की योजना को हाथ में लिया गया है।

स्नातक पूर्व तथा स्नातक स्तर पर शिक्षक-छात्र अनुपात

6460. **श्री डी० के० पन्डा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्नातक पूर्व स्तर पर (एक) कला के विषयों, (दो) विज्ञान के विषयों तथा (तीन) शारीरिक शिक्षा (खेल-कूद तथा भौतिक संस्कृति) सम्बन्धी विषयों में शिक्षकों तथा छात्रों का निर्धारित अनुपात क्या है; और

(ख) उपर्युक्त (एक), (दो) और (तीन) के संदर्भ में स्नातक स्तरीय अनुपात क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) डिग्री और पूर्व-डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए अध्यापक विद्यार्थी अनुपात मुख्यतया विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित किया जाता है। एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में यह अनुपात अलग-अलग है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी कालेजों और विश्वविद्यालयों में भिन्न-भिन्न पाठ्यक्रमों के लिए कोई अध्यापक-विद्यार्थी अनुपात निर्धारित नहीं किया है। फिर भी, जैसा कि नीचे दिया गया है, अनुरक्षण अनुदान नियत करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेजों के मामले में आयोग ने विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए कुछ व्यापक अध्यापक विद्यार्थी अनुपात निर्धारित किये हैं :—

पूर्व चिकित्सा तथा बी० ए० (पास)	1:20
बी० एस-सी० (सामान्य)	1:15
बी० एस-सी० (गृह विज्ञान)	1:15
बी० ए० (आनर्स)	1:12
बी० एड०	1:10

पर्यटन के महानिदेशक तथा उपमहानिदेशक के पदों पर नियुक्तियां

6461. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन के उपमहानिदेशक तथा महानिदेशक के पद हाल ही में रिक्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन पदों के लिए किस ढंग से नियुक्तियां की गयीं;

(ग) क्या इन पदों पर स्थायी ढग से अथवा अस्थायी ढंग से नियुक्तियां की गई हैं यदि स्थाई ढंग से नियुक्तियां की गई हैं तो नियुक्त किये गये पदधारियों का कार्यकाल कितना है; औ

(घ) इन पदों पर नियुक्ति के लिए चुने गए पदधारियों का पर्यटन विकास तथा संवर्धन के क्षेत्र में अनुभव क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ) महानिदेशक (पर्यटन) का पद 12 मई 1971 से रिक्त हुआ है तथा इसको भरने का प्रश्न विचाराधीन है। पर्यटन विभाग के उपमहानिदेशकों के तीन पदों में से एक को 31 मार्च 1971 के अपराह्न से समाप्त कर दिया था, तथा महाप्रबन्धक (पर्यटक, सुविधायें व मानक) के वर्तमान पद का पहली अप्रैल 1971 से नाम बदलकर उसे उपमहानिदेशक की संज्ञा दे दी गई थी। समाप्त किये गये उपमहानिदेशक के पद पर नियुक्त पदाधिकारी को इस पुनर्नामित पद पर कायम रखा गया।

राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण

6462. **श्री तेजा सिंह स्वतन्त्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल, मैसूर, पंजाब तथा गुजरात में राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतनमानों का इससे पूर्व किन-किन तारीखों को पुनरीक्षण किया गया था;

(ख) उपरोक्त राज्यों में सब से बाद में पुनरीक्षित किये गये वेतन मान क्या हैं ; और

(ग) क्या उपरोक्त राज्यों में वेतन आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह लागू कर दिया गया है और यदि नहीं, तो प्रत्येक मामले में इसकी अवहेलना करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) : सम्बन्धित राज्य सरकारों के द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार चार राज्यों में वेतनमानों में किये गये नवीनतम संशोधन को निम्नलिखित तारीखों से लागू किया गया है :

(1) पश्चिम बंगाल	1—4—1970
(2) मैसूर	1—1—1970
(3) पंजाब	1—2—1968
(4) गुजरात	1—6—1967

(ख) मैसूर तथा गुजरात राज्य सरकारों से संबंधित सूचना संलग्न विवरण-पत्रों में दी

गई है। पश्चिम बंगाल तथा पंजाब से सम्बन्धित सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही उसे सभा-पटल पर रख दिया जायगा। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 771/71**]

(ग) विभिन्न राज्यों की स्थिति नीचे दिये अनुसार है :

पश्चिम बंगाल : राज्य सरकार के वित्तीय साधनों की सीमाओं को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने निम्नलिखित पदों को उपयुक्त संशोधनों के साथ स्वीकार करने का निर्णय किया :—

(1) वेतन-मान में उचित वृद्धि ।

(2) अर्हताओं, कार्यों (ड्यूटीज) तथा जिम्मेदारियों और ओहदे के अनुसार वेतन का निर्धारण ।

(3) वेतनमानों के सम्बन्ध में अनियमितताओं एवं असमानताओं का यथासंभव दूर करना ।

(4) वेतनमानों की संख्या को 81 से घटा कर 34 करना ।

(5) महंगाई भत्ते को वेतन के साथ मिलाना ।

(6) पेंशन सम्बन्धी संशोधित लाभ ।

(7) चिकित्सा सम्बन्धी लाभों के मामले में भेदभाव को दूर करना ।

(8) बढ़ा हुआ मकान किराया भत्ता तथा शिक्षा भत्ता ।

कुछ सिफारिशें अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है ये सिफारिशें निम्नलिखित मामलों के बारे में हैं। कुछ सेवाओं तथा ग्रेडों अथवा पदों का एकीकरण, कार्यों (ड्यूटीज) तथा उत्तरदायित्वों को देखते हुये कुछ पदों का दर्जा बढ़ाना, पदों के कुछ वर्गों के बारे में भरती सम्बधी कार्य विधियां, कुछ मामलों में लोक सेवा आयोग के कार्यों में अभिवृद्धि करना, छुटटी के नियमों का उदारीकरण तथा छुटटी के दौरान यात्रा व्यय में रियासत, समयोपरि भत्ता, पर्वतीय-स्थानमामलोंकुछभत्ता, में प्रतिपूर्ति और जोखिम भत्ता, यात्रा तथा दैनिक भत्ते, वर्दियां आदि ।

मैसूर : सरकार ने इन सिफारिशों को मामूली परिवर्तनों के साथ स्वीकार कर लिया है। वेतन आयोग ने सब से कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारी के लिये 60 रु० के मूल वेतन की सिफारिश की थी । सरकार ने यह निर्णय किया था कि सरकारी कर्मचारियों के इन वर्गों को मूल वेतन के रूप में 65 रु० दिये जाने चाहिये । वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किये गये वेतनमानों में कुछ अन्य संशोधन भी किये गये हैं। सरकार ने यह निर्णय भी किया है कि संशोधित वेतनमान में वेतन का निर्धारण, वर्तमान वेतनमान में सेवावधि को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिये ।

पंजाब : वेतनमानों से सम्बन्धित पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार द्वारा सामान्यत: मंजूर कर ली गयीं, और उनमें परिवर्तन केवल वहीं किये गये जहां सम्भाव्य असंगतियों को दूर करने के लिये, सरकार द्वारा उच्चस्तरीय विचार के बाद आवश्यक अथवा वांछनीय समझा गया।

गुजरात : राज्य सरकार ने इन सिफारिशों को न केवल पूर्णत: लागू ही किया था, अपितु वह निम्नलिखित सीमा तक सिफारिशों से भी आगे बढ़ गयी।

(क) सिफारिश किये गये पचास वेतनमानों के बजाय, राज्य सरकार ने कुछ वेतनमानों को हटा कर चालीस वेतनमान मंजूर किये।

(ख) महंगाई भत्ते में स्वत: संशोधन मंजूर नहीं किया गया, परन्तु महंगाई भत्ते की दरों में अन्तिम संशोधन, आयोग की सिफारिशों से आगे बढ़ जाता है।

(ग) वेतन निर्धारण सूत्र को उदार बना दिया गया है।

जिला विद्यालय बोर्ड, कूच बिहार में रिक्त स्थानों का भरा जाना

6463. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला विद्यालय बोर्ड, कूच-बिहार के अधीन ऐसे बहुत से रिक्त स्थान हैं जिन्हें भरा नहीं जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कितने रिक्त स्थान हैं और उन्हें कितनी जल्दी भरा जायेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख). हाल ही में अनुमोदित स्कूलों के लिए स्वीकृत पदों में 196 स्थान रिक्त हैं। नए शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में अप्रैल, 1971 में लगाया गया राज्यवार प्रतिबन्ध अभी हाल में ही उठाया गया है। कूच बिहार के विद्यालय-बोर्ड द्वारा रिक्त स्थानों को भरने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

कूच बिहार में तैरने का तालाब

6464. **श्री डी० के० दास चौधरी** : क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व पश्चिम बंगाल सरकार ने कूच-बिहार में एक तैरने के तालाब के लिए धन की मंजूरी की घोषणा की थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस योजना पर कार्य शीघ्र आरम्भ करने का है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) भारत सरकार के पास कोई सूचना नहीं है। राज्य सरकार से ब्यौरे मांगे गये हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सामान्य बीमा कम्पनियों के अभिरक्षकों की वित्त मन्त्री के साथ बैठक

6465. **श्री राजदेव सिंह :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में सामान्य बीमा कम्पनियों के अभिरक्षकों की उनके साथ बैठक हुई थी; और

(क) यदि हाँ, तो क्या कोई मार्ग दर्शक सिद्धान्त बनाये गये थे और अभिरक्षकों को उनके अनुरूप कार्य करने की सूचना दे दी गई थी ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) . (क) और (ख) . वित्त मंत्री के साथ विविध बीमा कम्पनियों के अभिरक्षकों की एक बैठक दिल्ली में 6 जुलाई 1971 को हुई थी। इस बैठक में अभिरक्षकों से जोर देकर कहा गया कि देश द्वारा अब विविध बीमा की सफलता का निर्णय इन बातों से किया जायगा बीमा सेवाओं का भौगोलिक विस्तार, नये आर्थिक कार्यों को व्यापक तथा सघन सुरक्षा और बीमा कराने वालों को दक्षतापूर्ण एवं व्यक्तिपरक सेवा उपलब्ध करना तथा कारोबार की लाभदायकता में सतत सुधार। बैठक में निश्चित मार्गदर्शक सिद्धान्त जैसा कुछ नहीं बनाया गया, परन्तु विविध बीमा कम्पनियों के अभिरक्षकों के लिए आम हित के मामलों पर विचार-विमर्श किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय व्यक्त किये गये :—

1. कर्मचारियों में इस प्रकार की भावना उत्पन्न नहीं होने देनी चाहिये कि कारोबार सरकार द्वारा अपने हाथ में लिये जाने के कारण कर्मचारियों की न्यायोचित माँगों को टाला जा रहा है। अभिरक्षकों को अपना अलग से अध्ययन करना चाहिये और उन सामान्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों के आधार पर लिखा पढ़ी करनी चाहिये जिन्हें, वर्तमान स्थिति का स्पष्ट चित्र उपलब्ध होने के बाद ही सरकार बताने की स्थिति में होगी। इसके लिये सूचना इकट्ठी की जा रही है।

2. फर्जी कर्मचारियों की समस्या का सामना करने के लिए कसौटी यह होनी चाहिये कि सम्बन्धित व्यक्ति, कारोबार की मात्रा, की जाने वाली सेवा आदि की दृष्टि से कम्पनी में कोई योगदान कर रहा है अथवा नहीं।

3. फर्जी निरीक्षकों को पहले हटाया जाना चाहिये और तब तक नये निरीक्षक नियुक्त करने का प्रश्न नहीं उठना चाहिये।

4. प्राप्तकर्ता के लेखे में जमा किये जाने वाले चैकों के माध्यम से ही एजेंटों को कमीशन देने की परिपाटी सामान्य नीति के रूप में चालू करने के लिये उपाय किये जाने चाहिये।

5. अभिरक्षकों को उन दावों की समीक्षा करनी चाहिये जो 31–12–70 तक अनिर्णीत पड़े थे और अनिर्णीत दावों के निपटान की प्रगति के सम्बन्ध में मासिक रिपोर्ट भेजनी चाहिये।

6. जहां तक निवेश का सम्बन्ध है तात्कालिक नीति केवल अल्पावधि प्रतिभूतियों और नियत कालिक जमा में ही निवेश करने की होनी चाहिये, जिससे मूल्यह्रास का खतरा नहीं हो। निवेश के प्रश्न पर सामान्य मार्गदर्शक सिद्धान्त तभी दिये जायेंगे जब सरकार इस मामले पर और अधिक विचार कर लेगी।

7. कम्पनी के अघोषित-मूल्य वाले शेयरों (अन कोटेड़ शेयर) के लगाये गये मूल्य की जांच अभिरक्षकों को स्वयं करनी चाहिए और अपना यह समाधान करना चाहिये कि ऐसे शेयरों का सही सही मूल्य लगाया गया है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों से छोटे दस्तकारों को ऋण

6466. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे दस्तकारों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण नहीं मिल रहे हैं, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं।

(ख) क्या बैंककारी आयोग के कहने पर इस सम्बन्ध में हाल ही में कोई सर्वेक्षण कराया गया है, और यदि हाँ, तो उसके क्या निष्कर्ण निकले हैं, और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है कि इन बैंकों से कोटे दस्तकारों को आसान किस्तों पर पर्याप्त धन राशि उपलब्ध हो सकेगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) (ख) और (ग) . जब से राष्ट्रीयकरण हुआ है, तब से राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अब तक उपेक्षित रहे क्षेत्रों जैसे लघु उद्योग, आत्म नियोजित और पेशेवर लोगों, छोटे कृषकों आदि के सम्बन्ध में ऋण देने की उदार नीति अपनायी है। छोटे दस्तकार लघु उद्योग वर्ग और आत्मनियोजन की योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। बैंक सभी आवेदन-पत्रों पर उनके गुणावगुणो के आधार पर विचार करते हैं बशर्ते कि योजनायें संचालन की दृष्टि से सक्षम हों। बैंकिंग आयोग की प्रेरणा से बहुत से सर्वेक्षण किये गए हैं परन्तु अधिकांश सर्वेक्षणों से प्राप्त किये गये नमूने बहुत थोड़े हैं। अलग-अलग सर्वेक्षणों के निष्कर्षों को सामान्य रूप नहीं दिया जा सकता।। बैंकिंग आयोग इस समय अखिल भारतीय आधार पर निष्कर्षों का अध्ययन कर रहा है। आशा है, बैंकिंग आयोग की रिपोर्ट दिसम्बर 1971 के अन्त तक प्राप्त हो जायगी।

स्मार्ट्स चिट फण्ड द्वारा आयकर का अपवंचन

6467. **श्री रामसहाय पांड़े** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्मार्ट्स चिट फंड कम्पनी ने आय-कर का अपवंचन किया है और यदि हाँ, तो क्या इसकी जांच कर ली गई है;

(ख) इस फर्म के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है और क्या उनके विरूद्ध कोई फौजदारी मुक़दमा न्याय निर्णयाधीन है; और

(ग) इस फर्म ने गत तीन वर्षों में आय-कर की कितनी राशि चुकाई और इस पर इस समय कितनी राशि बकाया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) जी, हां। स्मार्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड के खिलाफ जो चिट फंड का व्यवसाय करती है, कर–अपवंचन के आरोप थे। कर-निर्धारण वर्ष 1966-67 तक की जांच पड़ताल की जा चुकी है तथा विवरणी में दिखाई गई आय में काफी बड़ी वृद्धि की गई है। आयकर अधिकारी को कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि इस कम्पनी के विरुद्ध कोई अपराधिक मामला अनिर्णीत पड़ा है।

(ग) काफी बड़ी वृद्धियों के बावजूद भी, केवल 1996, रूपये कर के रुप में देय पाये गये, क्योंकि इसके पहले की आगे लायी गई हानियाँ थीं। जारी की गयी ऐसी कोई मांग नहीं है, जो कर-निर्धारिती द्वारा अदायगी नहीं किये जाने के कारण पड़ी हो।

वर्ष 1971 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं का खोला जाना

6468. **श्री रामसहाय पांडे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने वर्ष 1971 में जनता को बैंक संबन्धी सुविधाएं प्रदान करने के लिये 2000 शाखाएं खोलने की किसी योजना को अन्तिम रूप दे दिया है

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में कितनी शाखायें खोली जायेंगी: और

(ग) क्या ये बेंक नई योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को उदारता पूर्वक ऋण देगें ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ग) जिन स्थानों पर बैंक नहीं हैं उन स्थानों पर वाणिज्यि बैंकों की नयी शाखाएं, बैंकों द्बारा किये गये जिलों के सर्वेक्षणों के आधार पर खोली जाती हैं। लगभग 150 जिलों के सर्वेक्षण पूरे हो चुके हैं। 1971 के पहले चार महीनों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्बारा 437 नयी शाखाएं खोली गयी हैं। अब तक तैयार किये गये कार्यक्रमों के अनुसार 1971 के दौरान या 1972 के शुरु में बैंक-रहित स्थानों पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्बारा 1000 से कुछ अधिक नये कार्यालय खोले जाने का विचार है इन में से अधिकांश शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में खोली जायेंगी। इस से कृषकों को अधिक मात्रा में बैंक ऋण मिलने में सुविधा होंगी।

राजस्थान में राष्ट्रीयकृत तथा गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्यकरण

6469 **श्री बृजराज सिंह-कोटा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि तथा अन्य उपेक्षित क्षेत्रों की वित्तीय सहायता के लिए राजस्थान में कार्य कर रहे राष्ट्रीयकृत तथा गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी-कितनी है, और

(ख) राजस्थान में गत एक वर्ष के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कृषकों को कितनी राशि के ऋण दिये हैं ?

वित मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :(क) 31 मई 1971 को राजस्थान में सरकारी क्षेत्र के 11 बैंकों और 6 अन्य वाणिज्यक बैंकों के क्रमश: 448 और 77 कार्यालय थे ।

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा राजस्थान में कृषकों को दिये गये प्रत्यक्ष वित्त के तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिये गये हैं :

(लाख रुपयों में)

मार्च 1970 के अन्त में	मार्च 1971 के अन्त में	मार्च 1970 के अन्त आंकड़ों की तुलना में के मार्च 1971 के अन्त में हुई वृद्धि
(बकाया शेष)	(बकाया शेष)	
167·35	420 11	252·76

Branches of Nationalised Banks In Patna

6470. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Finance be pleased to state.

(a) The total population of Patna district and the number of Divisions there of ;

(b) The locations of branches of the nationalised banks functioning in Patna District; and

(c) The average population covered by each branch office ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) The estimated population of Patna district in 1971 is about 37 lakhs and the district has four sub-divisions viz., (i) Patna sadar, including Patna city (ii) Dinapur, (iii) Barh and (iv) Bihar-Sharif.

(b) A Statement is attached. [Placed in library. See No. .L T. 777/71]

(c) On an average about 74,000 people are at present served by the branches of Commercial banks in Patna district.

Class IV Employees Working In Patna Branch of The Reserve Bank

6471. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) The total number of class Iv employees working in Patna Branch of the Reserve Bank;

(b) The number of employees who have been provided accommodation facility;

(c) The arrangements proposed to be made by Government for those employees who have not been provided accommodation facility so far and by what time;

(d) Whether the Reserve Bank workers Union has submitted a memorandum to the authorities in this regard; and

(e) If so, the reaction of Government thereto?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) : The sanctioned strength of class Iv staff at Patna branch of Reserve Bank of India is 226.

(b) & (c) : Reserve bank has made provision for 10 flats far class Iv staff (Maintenance Staff) at Patna. Despite their best efforts through the Improvement trust, state Government and advertisement in the press, Reserve Bank has not been able to secure any land at Patna for the construction of qnarters for the class Iv staff.

Efforts to secure suitable land are being continued by the Reserve Bank. Steps to construct additional quarters will be taken by the Reserve Bank, as soon as suitable piece of land is secured.

(d) According to the Reserve Bank no memorandum from the workers Union in regard to class Iv Staff quarters is on record in the Central office of the Reserve Bank.

(e) Does not arise.

Admission For S. C. and S. T. Students in Colleges in Delhi

6472. Shri Ramavatar Shastri :

Shri R. Balakrisan Pillai:

Will the Minister of Education and Social welfare be pleased to state :

(a) whether some students belonging to scheduled castes and scheduled tribes have been refused admission in colleges in Delhi this year;

(b) If so, their numbers; and

(c) The action being taken to ensure their admission into colleges?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) According to the University of Delhi all Scheduled Caste/Scheduled Tribe students who sought admission and who fulfilled the minimum requirements with the relaxation of 5% marks have been admitted.

(b) and (c) Do not arise.

कोयम्बटूर में जाली डालरों का पकड़ा जाना

6473. **श्री एम० एम० जोजेफ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में अमरीकी डालरों के जाली नोटों को पकड़ने के सम्बन्ध में कोयम्बटूर में कोई गिरफ्तारियां की गई थीं; और

(ख) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के॰ आर॰ गणेश) : (क) और (ख). तमिलनाडु की राज्य सरकार से सूचना इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

चीनी उद्योगों के लिए ऋण सम्बन्धी सुविधाएं

6474. **श्री एम॰एम॰ लक्ष्मीनारायण :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश के सभी चीनी कारखानों को कुछ ऋण सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान की हैं; और

(ख) यदि हां, तो कितने कारखानों ने इस सुविधा का लाभ उठाया और कितने कारखानों ने लाभ नहीं उठाया तथा इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सरकार ने चीनी के कारखानों को स्वयं कोई ऋण सुविधायें नहीं दी हैं। देश में चीनी के कारखाने वित्तीय संस्थाओं और बैंकों से ऋण सम्बन्धी सुविधायें प्राप्त कर रहे हैं।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

Implementation of the Recommendation Made by Backward classes Commission

6475. **Shri Ram Chandra Vikal :** Will the Minister of Education and Social Welfare be pleased to state:

(a) The main recommendations of the Backward Classes Commission under the Chairmanship of Kala Kalelkar which have since been implemented;

(b) The main recommendations which are still to be implemented; and

(c) The recommendations of the said Commission which are not possible to be implemented ?

The Deputy Minister for Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) to (c). The action taken on the recommendations of the Backward Classes Commission was explained in a memorandum laid on the table of the Lok Sabha on the 3rd September, 1956. Attention is also invited to the reply given to Lok Sabha Unstarred Question No. 5138 dated 16-7-1971. The main recommendations of this Commission which was not accepted by the Government related to the criteria for determining backwardness the Commission had suggested in its majority recommendation that caste should be the criteria for determining the "Other Backward Classes". The Government of India considered the matter in detail and in 1961 decided that they would not draw up any list of Backward Classes Other than Scheduled Castes and Scheduled Tribes and left the question of determining the "Other Backward Classes" to the discretion of the respective State Government. The State Governments were simultaneously advised thaf in this matter they may go by economic tests rather than caste.

झांसी इलाहाबाद में गंगा नदी पर पुल का पूरा होना

6476. **श्री बी० एन० पी० सिंह** : क्या नौवहन **और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : **कि**

(क) झांसी, इलाहाबाद में गंगा नदी पर पुल को पूरा करने की आरम्भ में क्या तिथि निर्धारित की गई थी ;

(ख) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) अब पुल कब पूरा किया जायेगा ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) मार्च, 1972 ।

(ख) और (ग) कुछ बुनियादों में गहराई तक मटियार स्तर और एक अतिरिक्त दर के निर्माण से कार्य में वृद्धि होने के कारण बुनियादों की डिजाइनों में संशोधन करने की आवश्यकता के कारण ठेकेदार की प्रगति धीमी रही। इन कारणों को ध्यान में रखते हुए इस पुल के जून 1975 तक तैयार होने की संम्भावना है ।

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा अनुवाद एजेंसियों को दिया गया अनुवाद कार्य

6477. **श्री बी० एन० पी० सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि ;

(क) वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा गत तीन वर्षों में अनुवाद एजेंसियों को कुल कितनी पुस्तकें अनुवाद करने के लिये दी गई;

(ख) इन एजेंसियों को कुल कितनी राशि दी गई;

(ग) पुस्तकों के मालिकों द्वारा दिये गये समय के समाप्त हो जाने के बाबजूद भी कितनी पुस्तकें अनुवाद और प्रकाशन के लिये बाकी हैं; और

(घ) ऐसी पुस्तकों के मालिकों को स्वामित्व की कितनी राशि चुकाई गई जिसका अनुवाद और प्रकाशन पूरा नहीं किया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : **(क) से (घ)** वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने वर्तमान अनुवाद अभिकरणों को अनुवाद करने के लिये पिछले तीन वर्षों के दौरान 62 पुस्तकें दी थीं । उसी अवधि में अनुवाद और प्रकाशन सहित विभिन्न कार्यों के लिये कुल 16·19 लाख रुपये की रकम दी गई थी । पुस्तकों के मालिकों द्वारा दिये गये समय के समाप्त हो जाने के बाद अनुवाद और प्रकाशन कार्य के लियें कोई पुस्तक बाकी नहीं है । इसलिये, रायल्टी का प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय भाषाओं में मानक पुस्तकों की रचना
और प्रकाशन पर व्यय की गई राशि

6478. **श्री बी० एन० पी० सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सरकार ने भारतीय भाषाओं में मानक पुस्तकों की रचना और प्रकाशन पर कितनी धन राशि खर्च की है; और

(ख) प्रकाशित पुस्तकों में से कितनी पुस्तकें विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा पाठ्य-पुस्तकों के रूप में रखी गई ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृतिक विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य पुस्तकों की रचना के लिये राज्य सरकारों को अभी तक 165·32 लाख रुपये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है। इसके अतिरिक्त 9·70 लाख रूपये इस प्रकार की पुस्तकों की रचना के लिए केन्द्रीय स्तर पर व्यय किए गए हैं। जिसमें प्रमुख पुस्तकों की रचना के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट को दी गई 4 लाख रूपये-की राशि और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित प्रोफेसर के निरीक्षणाधीन मूल पुस्तक लेखकों को शिक्षावृति प्रदान करने के लिए दी गई एक लाख रूपये की धनराशिशामिल है।

(ख) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी, ।

Expenditure on Cabinet Ministers' Visits Abroad

6479. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) The names of Cabinet Ministers who went abroad during the last three months;

(b) The total amount of foreign exchange spent on the said visits; and

(c) The amount of foreign exchange spent in each case ?

The Minister of state in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) to (c). The information for the months of April, May and June, 1971 is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as it is available.

इम्फाल में नियमित थियेटरो के लिए विशेष अनुदान

6480. **श्री एन० टाम्बी सिंह** : क्या **संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार ने भारत सरकार से सिफारिश की है कि वह इम्फाल में नियमित थियेटरों, यथा मनीपुर ड्रैमैटिक यूनियन, रूपमहल और आर्यन थियेटर को मंच, दर्शक-कक्ष और प्रकाश तकनीकी के विकास के लिए पहले दिए गये अनुदानों के अतिरिक्त विशेष अनुदान दे; और

(ख) यदि हां, तो कितनी घनराशि की माँग की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (श्री सिद्धार्थ शंकर राय) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

इम्फाल में और इसके आस-पास चलने वाली सिटी बसों की संख्या में वृद्धि करने की आवश्यकता

6481. **श्री एन० टोम्बी सिंह:** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री ने यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि इम्फाल में और इसके आस–पास चलने वाली सिटी बसों की संख्या में विशेषकर 9 बजे प्रात: से 5 बजे सायं तक दफ्तर और बाजार जाने वाले लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये, वृद्धि करने की तुरन्त आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) इस समय रोजाना कितनी सिटी बसें चलती हैं और एक वर्ष पहले की स्थिति से इस स्थिति की क्या तुलना है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) मणिपुर प्रशासन के अनुसार व्यस्ततम समय जिसके दौरान इम्फाल शहर में और आस पास चलने वाले बसों की संख्या में वृद्धि की आवश्यकता होती है वह 9 बजे प्रात: से 11 बजे प्रात: और 5 बजे सायं से 7 बजे सायं तक होती है ।

(ख) मणिपुर राज्य परिवहन उपक्रम यातायात आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उक्त समय के दौरान अतिरिक्त बसें रखती है ।

(ग) इस समय इम्फाल में और उसके आस पास रोज चलने वाली शहरी बसों की संख्या 13 है जबकि एक वर्ष पहले 11 थी ।

मनीपुर में होटल सुविधाओं के बढ़ाये जाने की आवश्यकता

6482. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मनीपुर में होटल सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता का परीक्षण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो जो अतिरिक्त सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं उनकी मुख्य-मुख्य बात क्या हैं ;

(ग) क्या मनीपुर में पर्यटन विकास योजना के अन्तर्गत किसी होटल को वित्तीय सहायता दे दी गयी है ; और

(घ) यदि हां, तो उन होटलों के क्या नाम हैं तथा उन्हें अब तक कितनी धनराशि दी गयी है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) सरकार मनीपुर में पर्यटक आवास स्थान सुविधाओं की आपर्याप्तता के विषय में जानकार है।

(ख) से (ग) भारत सरकार के समक्ष ऋण के लिए अभी कोई ठोस प्रस्ताव नहीं हैं ।

मनीपुर में होटलों द्वारा वित्तीय सहायता और श्रेणीकरण के लिए आवेदन करना

6483. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि मनीपुर में किस-किस होटल ने अब तक वित्तीय सहायता और श्रेणीकरण के लिए आवेदन किया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) जी, कोई नहीं ।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के इम्फाल शहर स्थित कार्यालय में स्थान की अपर्याप्तता

6484· **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के इम्फाल शहर स्थित कार्यालय के गत कई वर्षों से छोटी इमारत में स्थान की अपर्याप्तता के कारण हुई भीड़भाड़ से इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कार्यलिय कर्मचारियों और यात्रियों को हो रही कठिनाई की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या इस कार्यालय का वर्तमान आवास का सम्बन्ध इण्डियन एयरलाइन्स से है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या इमारत में स्थान बढ़ाने का कोई प्रस्ताव हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) जी, हां । इण्डियन एयरलाइन्स की भवन के विस्तार की योजना है किन्तु आर्थिक कठिनाई के कारण कार्य को अभी तक हाथ में लेना सम्भव नहीं हुआ है । तथापि 25,000 रुपये की अनुमानित लागत से सिटी बुकिंग आफिस में टायलेट तथा अन्य सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है और तीन मास की अवधि में इनका उपयोग के लिये तैयार हो जाने की सम्भावना है ।

विभिन्न राज्यों में बाढ की स्थिति का अध्ययन करने के लिये केन्द्रीय दल

6485· **श्री नुग्घल्ली शिवप्पन** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आगामी तीन महीनों में हाल मे आई बाढ़ से हुई क्षति

तथा राहत कार्यों के लिए आवश्यक सहायता के बारे में अनुमान लगाने के लिए किसी केन्द्रीय दल की नियुक्ति करने का है जो विभिन्न राज्यों का दौरा करेगा ; और

(ख) यदि हां, तो अध्ययन दल के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) . बाढ़ आने के बाद जब जब राज्य सरकारें सहायता के लिए अनुरोध करती हैं तब तब मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लेने और राहत कार्यों के लिए आवश्यक धन-राशि निर्धारित करने के उद्देश्य से सम्बद्ध राज्यों का दौरा करने के लिए केन्द्रीय दलों का गठन किया जाता है । अब तक केवल केरल और बिहार राज्य सरकारों ने ही इस प्रकार के अनुरोध किये हैं । इन राज्यों का दौरा करने वाले केन्द्रीय दलों के सदस्यों के नामों के बारे में अभी अन्तिम रुप से निर्णय नहीं गया है ।

मुद्रा के दशमलवीकरण से पहले चलाये गये 50 तथा 25 पैसे के सिक्कों का न लिया जाना

6486. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या वित मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुद्रा के दशमलवीकरण से पहले चलाये गये 50 तथा 25 पैसे के सिक्के चलन में हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि उड़ीसा के कुछ भागों के बाजारों में इन सिक्कों को नहीं लिया जा रहा है; और

(ग) इस प्रकार के अन्तर को समाप्त करने के लिए क्या सरकार का विचार मामले की जाँच करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) निकल के बने अठन्नी तथा चवन्नी के सिक्के, जिनकी एक तरफ राजा की मूर्ति और दूसरी तरफ शेर की आकृति बनी हुई है और मुद्रा के दशमलवीकरण से पहले जारी किये गये सिक्के जिन पर अशोक स्तम्भ का निशान अंकित है, अब भी वैध मुद्रा है और ये सिक्के चलन में हैं ।

(ख) ऐसे संकेत मिले हैं, जिनसे यह पता चलता है कि यद्यपि ये सिक्के वैध मुद्रा हैं, परन्तु उड़ीसा के कुछ भागों में जनता द्वारा इन्हें स्वीकार नहीं किया जा रहा है ।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक मामले पर विचार कर रहा है और उसने उड़ीसा सरकार के जरिये इस बात पर प्रचार करने के लिए कार्यवाई की है कि ये सिक्के अब भी बराबर वैध मुद्रा है और जनता को इन्हें स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए ।

स्वर्ण रेखा पुल का निर्माण

6487. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को ऐसा सुझाव दिया है कि स्वर्ण

रेखा पुल के निर्माण के लिए वे कुछ धनराशि दें क्योंकि इससे दोनों ही राज्यों को समान लाभ होगा,

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल सरकार से क्या उत्तर प्राप्त हुआ है. और

(ग) इस परियोजना के लिए तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं। उड़ीसा में स्वर्ण रेखा पर प्रस्तावित पुल राज्य सड़क पर पड़ता है। अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम जिसके लिये चौथी योजना में वित्तीय सहायता का प्रतिरूप 100 प्रतिशत ऋण है, के अन्तर्गत पुल के लिए उड़ीसा सरकार ने वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया था। राज्य सरकार ने सहायता के इस प्रतिरूप को भी स्वीकार कर लिया है। भारत सरकार ने राज्य सरकार की प्रार्थना पर विचार किया है तथा इस पुल के निर्माण के लिये 100 प्रतिशत ऋण देना स्वीकार किया है जिसकी लागत का राज्य सरकार ने 74·00 लाख का अनुमान लगाया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रत्यायोजित शक्तियों के अन्तर्गत राज्य सरकार इस परियोजना के लिए विस्तृत नक्शों तथा अनुमानों की मंजूरी देने के लिए स्वयं सक्षम है।

आंध्र प्रदेश में विकलांग और वृद्ध व्यक्तियों को ऋण अनुदान और वृद्धावस्था पेंशन

6488. **श्री एम० सत्यनारायण** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में शारीरिक रूप से विकलांग, कृश और वृद्ध व्यक्तियों के लिए ऋण, अनुदान, छात्रवृतियां, वृद्धावस्था पेंशन तथा अन्य रूप से सहायता की राज्य और केन्द्रीय स्तर पर व्यवस्था करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं, प्रत्येक शीर्षक में कितने व्यक्तियों को लाभ मिला, और व्यक्तियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रतिवर्ष सहायता के रूप में कितनी राशि दी गई ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). केन्द्रीय स्तर पर संचालित योजनाओं का ब्यौरा अनुबन्ध में दिया गया है।

राज्य सरकार के स्तर पर संचालित योजनाओं का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

विवरण

1. **विकलांग व्यक्तियों की छात्रवृत्तियां**

(क) 14-30 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को वार्षिक छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

(ख) वर्ष 1970 में लाभ प्राप्तकर्ताओं की संख्या 114 थी।

(ग) विकलांग व्यक्तियों को छात्रवृत्तियाँ दिए जाने का विनियमन करने वाले नियमों में दी गई विहित दरों के अनुसार छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

2. **बधिर तथा आंशिक रूप से बधिर व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण।**

1. **वयस्क बधिरों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र, हैदराबाद।**

(क) लाभ प्राप्तकर्त्ताओं की संख्या	90
(ख) वर्ष 1971–72 के लिए बजट व्यवस्था।	2,13,000 रुपए

2. **आंशिक रूप से बधिर बच्चों के लिए स्कूल, हैदराबाद।**

(क) लाभ प्राप्तकर्त्ताओं की संख्या	30
(ख) वर्ष 1971–72 के लिए बजट व्यवस्था।	98,000 रुपये

विश्वयुवक केन्द्र को आवंटित किये गये प्लाट का कब्जा लेने के लिए श्री कुरियाकोज द्वारा हस्ताक्षर किया गया विलेख

6489. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री कुरियाकोज, जिन्होंने विश्वयुवक केन्द्र को आवंटित किये गये प्लाट का कब्जा लेने के लिए विश्वयुवक मंडल (डब्ल्यू० ए० वाई०) की ओर से विलेख पर हस्ताक्षर किये थे, बजाज एण्ड कम्पनी के कर्मचारी हैं;

(ख) क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि विश्वयुवक मंडल का वित्तीय पोषण सी० आई० ए० तथा पेंटागन द्वारा किया जाता है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि उक्त केन्द्र सी० आई० ए० का गुप्त संगठन न बन जाय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी, नहीं। सरकार को यह सूचित किया गया है कि जिस समय उन्होंने विश्वयुवक संगठन के महासचिव के रूप में पट्टे नामे पर हस्ताक्षर किये थे, उस समय वह हिन्दुस्तान शुगर मिल्स के कर्मचारी थे।

(ख) जहां तक सरकार को जानकारी है, न ही केन्द्र और न ही विश्वयुवक संगठन ने ऐसी कोई सहायता प्राप्त की है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विश्वयुवक केन्द्र के ट्रस्टी बोर्ड में सरकार का प्रतिनिधि न होना

6490. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व युवक केन्द्र के ट्रस्टी बोर्ड में सरकार का प्रतिनिधि न होने के क्या कारण हैं जबकि सरकार ने उक्त केन्द्र को पर्याप्त वित्तीय सहायता दी थी । और केन्द्र की इमारत के लिए प्लाट भी नाममात्र मूल्य पर दिया गया था; और

(ख) केन्द्र के कार्यक्रमों और गतिविधियों पर सरकार का क्या नियन्त्रण है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख) . विश्वयुवक केन्द्र एक स्वैच्छिक संस्था है और वह अपने ही नियमों तथा विनियमों से बंधी हुई है । इसके न्यासी मंडल में सरकार के प्रतिनिधित्व के लिए कोई व्यवस्था नहीं है । स्वैच्छिक संस्थाओं के मामले में, जो अनुदान संस्वीकृत किए जाते हैं, उनका उचित उपयोग हो और हिसाब किताब ठीक रखा जाय, यह देखने के अलावा, सरकार द्वारा अलग से कोई नियंत्रण नहीं रखा जाता ।

कोयला कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन

6491. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत सी कोयला कम्पनियाँ प्रतिवर्ष तुलना-पत्र और लाभ तथा हानि लेखे प्रस्तुत न करके कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1969, 1970 और 1971 में किन-किन कम्पनियों ने अब तक लेखे प्रस्तुत नहीं किये हैं; और

(ग) दोषी कोयला खान कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेडडी) : (क) से (ग) . सूचना संग्रह की जा रही है व सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

Overseas Scholarships to Scheduled Castes And Scheduled Tribes Students from Madhya Pradesh

6492. **Shri Phoolchand Verma** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) The number of students belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes who were sent abroad on scholarships during the last three years, yearwise, the names of countries to which they were sent and the subjects and duration of their study abroad; and

(b) The number of boys and girls from Madhya Pradesh among them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education & Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) and (b) A statement is attached.

(a) The number of scholars sent abroad for higher studies during the last three years :

Year	Number of students sent abroad Scheduled Castes	Scheduled Tribes	Total
1968-69	6	2	8
1969-70	5	6	11
1970-71	4	1	5
	15	9	24

Names of the Countries to which sent :

United Kingdom	10
United States of America	13
Norway	
	24

Subjects of study for which sent

Civil Engineering	3
Surgery	3
Physics	2
Agriculture	3
Presonnel Management	1
Structural Engineering	2
Medicine	1
Mining & Metallurgy	
Architecture	
Production Technology	1
Child Health Welfare	
Mechanical Engineering	
Electrical Engineering	
	24

Duration of Study is normally from one to three years depending on the course of study/training.

(b) Only one boy was from Madha Pradesh State.

Memorandum form all India Cloth Merchants Association For Continuing Levy of Additional Excise duty on Cloth

6493. **Shri Phool Chand Verma**: Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) Whether the Federation of all India cloth Merchants Association has suggested to Government to continue levy of additional Excise Duty in place of Sales-tax; and

(b) If so, the action taken by Government there on?

The Minister of state in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): (a) Yes, Sir.

(b) In pursuance of the recommendations of the Fifth Finance Commission on the subject of the levy of additional excise duty on sugar, tobacco and textiles in lieu of sales tax, the matter was discussed by the Committee of Chief Ministers of the National Development Council at the meeting held on 28th December, 19 0. The Committee agreed that the scheme of levy of additional excise duty in lieu of sales tax on these commodities should continue subject to such abjustments as might improve the yields from additional excise duties. The Government have accepted these recommendations.

स्टेट बैंक ग्राफ इण्डिया का मुख्य कार्यालय

6494. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विद्यमान स्टेट बैंक ग्राफ इण्डिया के मुख्य कार्यालयों के नाम क्या हैं; ग्रौर

(ख) उन प्रत्येक मुख्य कार्यालयों से कितने शाखा कार्यालय सम्बद्ध हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) ग्रौर (ख). स्टेट बैंक ग्राफ इण्डिया के मुख्य कार्यालय ग्रौर 30 जून, 1971 को प्रत्येक मुख्य कार्यालय के ग्रधीन कार्यालयों की संख्या इस प्रकार थी :

बंगाल परिमण्डल	बम्बई परिमण्डल	मद्रास परिमण्डल	दिल्ली परिमन्डल
कलकत्ता 511	बम्बई 417	मद्रास 314	नयी दिल्ली 366

कानपुर परिमण्डल	ग्रहमदाबाद परिमण्डल	हैदराबाद परिमण्डल
कानपुर 288	ग्रहमदाबाद 140	हैदराबाद 244

जोड़ : 2,280

पटना में स्टेट बैंक ग्राफ इन्डिया के मुख्य कार्यालय की स्थापना

6495. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक ग्राफ इण्डिया के मुख्य कार्यालय स्थापित करने की कसौटी क्या है ?

(ख) क्या बिहार में पटना, मुख्य कार्यालय की स्थापना सम्बन्धी आवश्यक शर्तों को पूरा करता है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार का पटना में मुख्य कार्यालय स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो कब ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) विभिन्न केन्द्रों में स्थानीय मुख्य कार्यालय अनेक तथ्यों पर विचार करने के बाद खोले जाते हैं, जिनमें से अधिक महत्वपूर्ण ये हैं ।

(i) क्षेत्र के लिए कार्य-चालन सम्बन्धी सक्षमता ।

(ii) कार्यक्षेत्र से निकटता ताकि कारोबार के विकास में गति और कार्य में अधिक तेजी आ सके, और

(iii) उस क्षेत्र में शाखाओं और उप कार्यालयों की संख्या : नियन्त्रण तथा कार्य का विकेन्द्रीकरण

(ख) और (ग) पटना में पहले से ही प्रादेशिक प्रबन्धक का एक कार्यालय विद्यमान है और उसका स्तर बढ़ा कर स्थानीय मुख्य कार्यालय के रूप में कर देने का निर्णय भी किया जा चुका है ।

Settng up of Hindi Granth Academy in States

6496. **Shri S, D. Singh** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) The names of the states where Hindi granth Academy has been set up to make available rare books in Hindi;

(b) The expenditure incurred by Government so far in this regard; and

(c) The progress made by such academies ?

The Deputy Minister in Miuistry of Education and Socia! Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P.Yadav) : (a) The Hindi granth academies have been set up in the five Hindi speaking states (Bihar, Haryana, Madhya Pradesh, Rajasthan & Uttar Pradesh) for the production of university-level textbooks in Hindi (and not rare books in Hindi) under this Ministery's scheme of production of University level textbooks in Hindi and other regional languages with a view to facilitating a smooth change-over in the media of instruction in higher education from English to Indian languages. Similar bodies have also been set up in other states for the production of univerity level textbooks in their respective regional languages.

(b) Under this scheme the Central Government has offered financial assistance to the extent of Rs. One crore spread over a period of six years commencing from 1968-69 to each state which have got universities of their own excepting the Governments of Jammu & Kashmir Nagaland and Himachl Pradesh. So far as the Hindi speaking states are concerned grants amounting to Rs. 40 lakhs have been released so far as per details given below:—

Bihar	3·00 lakhs
Haryana	7·00 lakhs
Madhya Pradesh	12·00 lakhs
Rajasthan	9·00 lakhs
Uttar Pradesh	9·00 lakhs

(c) So far as the production of university-level textbooks in Hindi is concerned, to avoid duplication and ensure co-ordination a Conference of Representatives of the Hindie speaking states has been set up. The co-ordination and the Cor Committees of this Conference select titles for translation and topics for original writing on tne advice of the subject experts. So far the Co-ordination Committee has approved 1466 titles for translation and 866 topics for original writing which have been allotted to the Hindi granth academies of the five Hindi-speaking states for getting them translated and/or written by eminent scholars and for arranging their publication. So far 60 books have been published by the five academies.

Completion of Repair Work of Sher Ghati Bridge (Gaya District) On G. T. Road

6497. **Shri S. D. Singh** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) Whether Sher Ghati bridge located on G. T. Road and falling in the District of Gaya had given way six months back;

(b) When the said Bridge was constructed; and

(c) The time by which the repair work of this bridge is likely to be completed ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transprt (Shri Raj Bahadur) (a) Yes, Sir. Two brick-arch spans out of fourteen of the bridge across the river Morhar near sher Ghati in Gaya district gave way in October, 1970.

(b) The bridge was coustructed between the years 1863 and 1865.

(c) The superstructure of this bridge which is over 1000 ft. long is being replaced: and effort is being made to complete the bridge and open it to traffic by 1st August 1971.

एलुमलाई जिला कन्नानोर (केरल) में पर्यटक केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव

6499. **श्री एम के० कृष्णन्** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एलुमलाई जिला कन्नानोर, केरल में पर्यटक केन्द्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). राज्य सरकार की एलुमलाई में एक पर्यटक बंगला निर्माण करने की योजना है। उनका समुद्र तट को सुधारने तथा बंगले से सीढ़ियों द्वारा वहां तक सीधे पहुंचने की व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव है।

केरल में कुट्टानद और त्रिचूर के धान के खेतों में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिये विश्व बैंक से ऋण

6500. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने कुट्टानद और त्रिचूर के धान के खेतों में सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार करने के लिये विश्व बैंक से ऋण दिलाने हेतु केन्द्रीय सरकार से कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता।

नाथेस्वरम् आरकेस्ट्रा को विदेशों में भेजना

6501. **श्री सी० चित्ति बाबू** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाथेश्वरम् आरकेस्ट्रा को विदेशों में भेजने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो आरकेस्ट्रा टीम में सम्मिलित व्यक्तियों के क्या नाम हैं और टीम का किन-किन देशों का दौरा करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (श्री सिद्धार्थ शंकर राय) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Agreements Reached With Norway For Development of Hotel and Tourist Industry

6502. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state the various items in respect of which agreements have been reached with Norway during the last three years for the development of hotel and tourist industry in the country and the extent of profit earned or loss suffered as a result thereof ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : The Department of Tourism has not entered into any agreement with Norway for the development of the hotel and tourist industry in the country.

दिल्ली विश्वविद्यालयों में महिलाओं के लिये छात्रावास स्थानों की कमी

6503. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में महिलाओं के लिये छात्रावास स्थानों की बहुत कमी है;

(ख) यदि हां, लो यह कमी कितनी है; और

(ग) इस समस्या को सुलझाने के लिए सरकार के समक्ष कौन-सी योजनाएं हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : **(क) और (ख)**. दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय में छात्राओं के लिए कन्या छात्रावासों की अत्यन्त कमी है। तथापि विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा कमी की वास्तविक मात्रा का अनुमान नही लगाया गया है।

(ग) विश्वविद्यालय का शीघ्र ही 160 उत्तर-स्नातक छात्राओं के लिए एक छात्रावास बनाने का विचार है।

ब्रह्मपुत्र नदी पर तैरता पर्यटक लाज और गंगा नदी पर तैरता होटल

6504. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गौहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर तैरता पर्यटक लाज बनाने और गंगा नदी पर तैरता होटल स्थापित करने की अनुमति देने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने दोनों सुझावों पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निश्चय किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : **(क) से (ग)**. गोहाटी में ब्रह्मपुत्र पर एक तैरते पर्यटक पर (फूलोटिंग टूरिस्ट लाज) के विषय में आसाम सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो कि पर्यटन विभाग के विचाराधीन है। गंगा पर एक तैरते होटल की स्थापना के विषय में पर्यटन विभाग को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

वित्त मन्त्रालय में ज्योतिष कार्य कर रहे अधिकारी

6505. **श्री राम जी राम** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त मंत्रालय (सचिवालय विशेष) में कितने ऐसे अधिकारी हैं जो ज्योतिष कार्य कर रहे हैं;

(ख) उनमें से कितने अधिकारियों को कार्यालय में गोपनीय कार्य करना होता है; और

(ग) गैर-सरकारी व्यक्तियों को ज्योतिष सम्बन्धी भविष्यवाणियों अथवा परामर्शो के रूप में इन अधिकारियों द्वारा कार्यालय के गुप्त भेद न बताये जायें इसके लिये सरकार द्वारा क्या नियन्त्रण रखा जाता है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० गणेश) : (क). यदि ज्योतिष कार्य करने

से, सदस्य महोदय का तात्पर्य यह है कि अधिकारी लाभपूर्ण रोजगार के रूप में ज्तोतिष कार्य कर रहे हैं तो उत्तर नकारात्मक है। तथापि एक अधिकारी ऐसा है जिसने ज्योतिष की शुगल (हाबी) के तौर पर अपना रखा है।

(ख) और (ग). सरकार को कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है जिससे यह प्रकट होता है कि उक्त अधिकारी शासकीय रहस्य अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों और गुप्त प्रलेख रखने से सम्बन्धित विभागीय अनुदेशों का पालन नहीं कर रहा है।

उड़ानों के दौरान मदिरा के लिये एयर इंण्डिया के अधिकारियों द्वारा भारतीय मुद्रा लेने से इन्कार

6506. **श्री राजेन्द्र प्रसाद** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के दौरान एयर इण्डिया के अधिकारी उड़ानों के दौरान सप्लाई की जाने वाली मदिरा के लिये भारतीय नागरिकों से भारतीय मुद्रा लेने से इन्कार करते हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के विनियमों के अन्तर्गत भारतीय मुद्रा देश से बाहर नहीं ले जायी जा सकती है, अतः अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों पर एयर-इण्डिया के लिए भारतीय मुद्रा को स्वीकार करना सम्भव नहीं है।

Non-Existence of a Bank at Baroda in Sheopur Tehsil Morena (Disrtict Madhya Pradesh)

6508 **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister or Finance be pleased to state :

(a) Whether there is no Bank at sheopur Tehsil under Morena district (Madhya Pradesh) which has a population of about 10,000;

(b) Whether it is a fact that there is a grain market also there by necessitating the setting up of a Bank there;

(c) Whether Government propose to open a branch of any of the nationalised banks there; and

(d) If so, the time by which such a branch is likely to be opened there ?

The Minister of Finance (Shri Y. B. Chavan) :(a) to (d) . New branches of Banks at unbanked centres are opened on the basis of surveys of districts carried out by the Lead Banks. Central Bank of India, which is the Lead Bank for the district Morena in Madhya Pardesh, has been advised to examine the feasibility of opening a bank office at Baroda in Sheopur Tehsil.

Exploration Work by Archaeological Survey of India in Foreign Countries

6509. **Shri S. D. Singh :** Will the Minister of Education and social Welfare be pleased to state :

(a) Whether the Archaeological Survey of India has undertaken exploration work in some foreign countries also

(b) If so, the amount to be spent thereon during the current year; and

(c) The names of the scheme under consideration of Government for research relating the Indian History in foreign countries ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) to (d) Excavations in Nepal Terai and at Nubia in United Arab Republic were undertaken in 1962. Thereafter, no exploration excavation has been undertaken by the Archaeological Survey of India in any foreign country. A scheme has been sanctioned during Fourth Five Year Plan to send an Archaeological team to Afganistan for undertaking excavation at Begram and exploration and subsequent excavations in Farrah region. A provision of Rs. 2.75 lakhs exists for this purpose during 1971-72.

उत्पादन शुल्क की बकाया राशि

6510. **श्री जी० भुवाराहन :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के लिए प्रत्येक राज्य में वसूल करने के लिये कितना उत्पादन शुल्क बकाया है;

(ख) दो वर्षों से अधिक समय से कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ग) बकाया राशि वसूल करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रहीं है तथा सभा पटल पर रख दी जायगी।

सीमा शुल्क की बकाया राशि

6511. **श्री जी० भुवाराहन :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक निदेशाय ने गत दो वर्षों में सीमाशुल्क की कितनी बकाया राशि वसूल कर ली है;

(ख) ऐसे कितने मामले हैं जो दो वर्षों से अधिक से निलम्बित हैं; और

(ग) बकाया धनराशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) दो वर्षों से अधिक समय से प्रत्येक सीमाशुल्क गृह/समाहर्ता कार्यालय के पास वसूली के लिए पड़ी सीमाशुल्क की बकाया रकम तथा ऐसी बकाया के मामलों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र संलग्न है।

(ग) बकाया की वसूली के लिए निम्न उपाय किये जा रहे हैं :—

(i) किसी भी व्यक्ति की सीमाशुल्क विभाग की तरफ बकाया रकम उस व्यक्ति की तरफ बकाया मांग में से समायोजन के लिये काट ली जाती है।

(ii) यदि मालिक शुल्क अदा नहीं कर पाता तो सीमाशुल्क विभाग के नियन्त्रण में पड़े हुए माल को रोककर रखने तथा बेचने की कार्यवाही की जाती है।

(iii) यदि देय रकम ऊपर (i) तथा (ii) में बताई विधि से वसूल नहीं हो पाती तो सम्बन्धित व्यक्ति की तरफ बकाया रकमों को व्यक्त करने वाले प्रमाण-पत्र उस जिले के कलक्टर को भेज दिये जाते हैं जिसमें उस पार्टी की कोई सम्पत्ति हो अथवा वह वहां रहता अथवा व्यापार करता हो और ऐसे प्रमाण-पत्र के प्राप्त होने पर उक्त कलक्टर निर्दिष्ट रकम को, भू-राजस्व की बकाया रकम के रूप में वसूल करने की कार्यवाही शुरू करता हैं।

अपनाये गये इन उपायों के परिणामस्वरूप न्यायालयों की अपेक्षा अन्यथा पड़ी हुई बकाया केवल 7.3 लाख रुपये हैं।

विवरण

30 मई 1971 को दो वर्ष से अधिक समय से वसूली के लिए पड़ी सीमा शुल्क की बकाया रकम तथा ऐसी बकाया के मामलों की संख्या दर्शाने वाला विवरण-पत्र

सीमा शुल्क गृह समाहर्ता-कार्यालय का नाम	न्यायालयों में विचाराधीन मामलों में वसूली के लिए बकाया रकम		अन्यथा वसूली के लिए बकाया रकम		कुल बकाया रकम	
	मामलों की संख्या (1)	रकम (रुपये) (2)	मामलों की संख्या (3)	रकम (रुपए) (4)	मामलों की संख्या (5)	रकम (रुपए) (6)
सीमा शुल्क गृह						
बम्बई	1	1,40,558.75	16	16,075.99	17	1,56,634.74
कलकत्ता	20	1,65,048.00	51	3,13,110.00	71	4,78,158.00
मद्रास	14	82,655.84	10	41,177.59	24	1,23,833.43
कोचीन	10	11,722.85	2	14,521.31	12	26,244.16
गोआ	23	24,42,859.30	1	213.52	24	24,43,072.82
समाहर्ता कार्यालय						
दिल्ली	—	—	96	1,61,558.88	96	1,61,558.88
चण्डीगढ़	—	—	6	81,939 95	6	81,939.95
पश्चिम बंगाल	2	2,92,818.75	3	3,701.27	5	2,96,520.02
मदुरै	—	—	71	1,01,172.89	71	1,01,172.89
अहमदाबाद	1	61,669.75	—	—	1	61,669.75
पटना	—	—	3	125.00	3	125.00
जोड़	71	31,97,333.24	259	7,33,569.40	330	39,30,929.64

Loans and Grants Given To U. A. R.

6512 **Shri HukamChand Kachwai :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the amount of loans and grants given so far by the Government of India to the United Arab Republic for development works;

(b) the total amount of interest in India currrncy paid by the United Arab Republic so far; and

(c) the total amount of loans and interest outstanding against U.A.R. at present ?

The Miniser of Finance (Shri Y. B. Chavan) : (a) No loan has been given so far by the Government of India to the United Arab Republic for her development works. During 1969—70 and 1970—71 Government of India have Spent Rs. 1·70 lakhs and Rs. 4 lakhs respectively for the training of UAR trainees in India.

(b) & (c) Do not arise.

एयर इन्डिया द्वारा कुछ विमान सेवाओं का बन्द किया जाना

6513. **श्री मुहम्मद शरीफ : श्री सी० चित्तिबाबू :**
श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया ने जुलाई, 1971 से प्रेग, ज्यूरिच तथा आम्स्टर्डम के लिए अपनी विमान सेवायें बन्द कर दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) यातायात की उपलब्धता और वाणिज्यिक दृष्टि से इसकी उपजीव्यता का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन करने के पश्चात् एयरइण्डिया ने प्रेग, ज्यूरिच और आम्स्टर्डम से होकर जाने वाली अपनी अनुसूचित सेवाओं का परिचालन 17 जुलाई 1971 से बन्द कर दिया।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

6514. **श्री डी० एस० अफजल पुरकार :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के इस समय राज्यवार सेवारत सदस्यों के क्या नाम हैं;

(ख) वर्ष 1970–71 में बोर्ड की कितनी बैठकें हुई हैं; और

(ग) उन बैठकों में क्या मुख्य निर्णय लिये गये हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) :

(क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (साधारण निकाय) के सदस्यों के नाम :

आन्ध्र प्रदेश	श्रीमति कोन्डा पार्वथी देवी
असम	रानी मंजुला देवी
बिहार	प्रोफेसर (श्रीमति) कलावती त्रिपाठी
गुजरात	कुमारी इन्दुमतीं चिमनलाल सेठ
हरियाणा	श्रीमती शमशेर बहादुर
हिमाचल प्रदेश	श्रीमती सत्यावती डांग, संसद सदस्य
जम्मू और काश्मीर	श्रीमती शकुन्तला रानी लाल सरीन
केरल	रिक्त
मध्य प्रदेश	श्रीमती विमला शर्मा
महाराष्ट्र	श्रीमती कुसुमताई वानखेडे
मैसूर	श्रीमती लीला देवी आर० प्रसाद
नागालैंड	श्रीमती वी० जोपियन्गा
उड़ीसा	श्रीमती सुधान सुमाली रे
पंजाब	श्रीमती हरचरण कौर गिल
राजस्थान	रिक्त
तामिलनाडु	श्रीमती मेरी क्लबवाला जाधव
उत्तर प्रदेश	श्रीमती लीला आर० विश्वास
पश्चिम बंगाल	श्रीमती सुधा राय
पांडिचेरी	श्रीमती लीला इन्द्रसेन
त्रिपुरा	श्रीमती संघमित्रा चटर्जी

(ख) एक, अर्थात् केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की प्रथम वार्षिक साधारण बैठक।

(ग) बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय नीचे दिये गए हैं :—

(1) 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की रिपोर्ट को स्वीकार किया गया।

(2) यह निश्चय किया गया कि 1 अप्रैल 1969 को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के तुलन पत्र में दिखाई गई परिसम्पत्तियों और देनगियों को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (कम्पनी) द्वारा ले लिया जाए।

(3) यह निश्चय किया गया कि 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बोर्ड के लेखों को अंगीकार कर लिया जाए।

(4) लेखा परीक्षकों की अन्तिम रिपोर्ट को अपना लिया गया।

नेफा में किसानों को ऋण देना

6515. **श्री सी० सी० गोहइना** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने राष्ट्रीयकरण के पश्चात् अब तक नेफा के किसानों के लिए ऋण के कितने आवेदनपत्रों को मंजूरी दी है और उनकी राशि कितनी है; और

(ख) कितने आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हैं और उनके निपटान में विलम्ब के क्या कारण है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) नेफा में केवल भारतीय स्टेट बैंक की ही शाखायें हैं और उसने मार्च, 1971 तक किसानों को कोई ऋण मंजूर नहीं किया था।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

टेलीविजन के माध्यम से शिक्षा प्रसार

6516. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में टेलीविजन के माध्यम से शिक्षा प्रसार में सफलता मिली है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक कक्षा के कितने-कितने विद्यार्थी इस योजना से लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) इस योजना पर कुल कितना वार्षिक व्यय हुआ है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मँत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) शिक्षात्मक टेलीविजन कार्यक्रम, दिल्ली में सामान्य स्कूली शिक्षा की सम्पूर्त्ति करने के लिए है। कार्यक्रम बहुत उपयोगी पाये गये हैं।

(ख) दिल्ली में शिक्षात्मक टेलीविजन कार्यक्रम श्रेणी VI से XI तक के छात्रों के लिए हैं। छात्रों की संख्या, जिन्हें इस कार्यक्रम से लाभ हुआ है, इस समय लगभग इस प्रकार हैं—

श्रेणी	छात्रों की संख्या
VI	43,000

VII	43 000
VIII	41,000
IX	13,000
X	13,000
XI	12,000
कुल	1,65,000

(ग) अपेक्षित सूचना, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और दिल्ली प्रशासन से एकत्र की जा रही है तथा उपलब्ध होने पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

तीर्थ यात्रा के महत्वपूर्ण स्थानों पर आधुनिक सुविधायें प्रदान करने सम्बन्धी योजना

6517. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में आगरा, बनारस और ऋषिकेश तथा मैसूर राज्य में हसन जिले में बेलूर और हालेबिद और कोलार जिले में कुलबगाल जैसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों पर तीर्थ-यात्रियों तथा अन्य दूसरे यात्रियों के लिये सभी आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) . सभी तीर्थ स्थानों पर आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था करने की कोई विशिष्ट योजना नहीं है । तथापि साधनों की परिसीमाओं के भीतर योजना अग्रताओं के क्रमानुसार जितने भी पर्यटन महत्व के स्थानों पर सम्भव हो सकता है सुविधाओं की व्यवस्था करने के प्रयास किये जा रहे हैं । दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में केन्द्र से सहायता प्राप्त कार्यक्रम के अन्तर्गत, अन्य बातों के साथ साथ, आगरा, वाराणसी, हस्सन, हरिद्वार में विश्राम गृह तथा रूद्रप्रयाग में एक यात्रिशाला निर्मित किये गये थे और बद्रीनाथ तथा केदारनाथ के मार्ग पर बने विश्राम गृहों में सुधार किये गये थे । चौथी योजना में केन्द्रीय क्षेत्र में वाराणसी में एक स्वागत केन्द्र व मोटल और आगरा में एक स्वागत केन्द्र के निर्माण का तथा हस्सन में विश्रामगृह के विस्तार का प्रस्ताव है ।

बिहार के कुछ जिलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलना

6518. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मन्त्री 2 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3763 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार के दरभंगा, सारन, मुजफ्फरपुर

और सहरसा जिलों में चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक किन-किन स्थानों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोले जाने की संभावना है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : पूछे गये स्थानों के नाम तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। इनको एकत्रित किया जा रहा है और उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख दिया जायगा।

Arrears of Income Tax Against Christian Mica Mines, Bihar

6519. **Shri S. D. Singh** : Will the Minister of **Finace** be pleased to state :

(a) The amount of Income-tax arrears outstanding against the Christian Mica Mines in Bihar;

(b) Whether the said firm has not been paying Income-tax for the last five years; and

(c) If so, the steps taken by Government to realise the tax arrears ?

The Minister of Revenue & Expenditure (Shri K. R. Ganesh) : (a) There is no assessee with the name of Christian Mica Mines. However, it has been ascertained that there is an assessee with the name of M/s Christian Mica Incustries, assessed in the charge of Commissioner of Income-tax (Central) Calcutta. The Income-tax arrears outstanding against M/s Christian Mica Industries are Rs. 7. 19 lakhs.

(b) No Sir, this is not correct. Out of the total demand, Rs. 5· 69 lakhs has been stayed till the disposal of relevant appeals and the remaining Rs. 1·5 lakhs is being paid in monthly instalments of Rs. 14,000/-from May, 1971.

(c) Does not arise.

Declaration of Kota-Shivpuri Road as a National Highway

6520. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) Whether Government propose to declare Kota-Shivpuri road as a National Highway; and

(b) If not, the reasons therefor ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) . There is no such proposal at present.

(b) Lower inter-se priority of this road vis-a-vis other similar proposals in relation to the criteria laid down for the declaration of new roads as National Highways coupled with paucity of resources.

Price Charged from Scheduled Castes for the Land Allotted in Rural Areas

6521. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state:

(a) Whether no price is charged from the Scheduled Castes for the land allotted to them in rural areas for constructing houses;

(b) Whether they are really too poor to pay the price; and

(c) The amount of grant to be paid to them by Government for the purpose, per family ?

The Deputy Minister for Education and Social Welfare (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) to (c) . Under the Centrally Sponsored programme for the welfare of Backward Classes, there is no scheme for the allotment of House-sites to Scheduled Castes in rural areas. However, under the state Sector, specific provision has been made for House-sites for Scheduled Castes in the States of Himachal Pradesh, Kerala, Mysore, Madhya Pradesh, Orissa, Tamil Nadu, Delhi and Goa, Daman and Diu. A subsidy of Rs. 200/- to Rs. 500/-per family is given from the Backward Classes Sector to Scheduled Caste people for purchase of House-sites. The amount of subsidy varies from State to State depending upon local conditions.

The Scheduled Caste people living in rural areas are generally poor. Hence no price is charged from them for the allotment of House-sites in rural areas for construction of Houses Government land is given free of cost to these people. Where Government land is not available, the State Government acquire the land and then distribute for this purpose.

Under the Village Housing Projects scheme of the Department of Works and Housing, provision has been made far allotment of free-house sites to landless agricultural workers including Scheduled Castes. So for 1646 House-sites have actually been provided under this programme. This scheme is in operation in the States of Andhra Pradesh, Bihar, Kerala, Mysore, Gujarat and West Bengal.

बिहार में पार्श्विक सड़क का निर्माण

6522. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की प्रतिरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने लिए बिहार में पूर्णिया-सहरसा-दरभंगा, मुजफ्फरपुर और चम्पारन जिलों से होती हुई एक पार्श्विक सड़क का निर्माण किया जा रहा है,

(ख) क्या उसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) . पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और चम्पारन जिलों से होकर गुजरने वाली पार्श्व सड़क इस क्षेत्र की विभिन्न आवश्यकताओं जिनमें असैनिक और सैनिक आवश्यकताएं भी शामिल हैं, की पूर्ति के लिए बनायी जा रही हैं। यह सड़क सरसा जिला होकर नहीं गुजरती है। इस सड़क का अधिकांश भाग पहले ही तैयार हो गया है। इस सड़क के शेष भाग को पूरा करने के लिए कुछ शेष मदों को भी मार्च 1972 के अंत तक पूरा किया जाएगा सिवाय डुमरिया घाट के पास के गंडक

नदी के पुल और उसके निकट के पहुंच मार्गों के जिन के दिसम्बर 1972 तक तैयार किये जाने की संभावना है ।

नेफा के स्कूलों में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाना

6523. **चौ० चन्देल गोहेन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफा क्षेत्र के एजेंसी काउन्सिलर्स ने भारत सरकार से यह सिफारिश की है कि हिन्दी भाषा को अनिवार्य विषय बनाये जाने और आसामी भाषा को लोअर प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के अतिरिक्त नेफा के स्कूलों में चौथी श्रेणी के बाद शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) नेफा प्रशासन ने सूचित किया कि एजेंसी काउन्सिल ने 10 और 11 अगस्त, 1970 को हुई अपनी बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें कीं : –

(क) प्राइमरी स्तर में शिक्षा के माध्यम के रूप में असमिया चालू रहनी चाहिए;

(ख) मिडिल स्तर और आगे शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होनी चाहिए;

(ग) अनिवार्य विषय के रूप में हिन्दी को सब स्तरों पर पढ़ाया जाना चाहिए;

(घ) विषय के रूप में अंग्रेजी की शिक्षा यथाशीघ्र आरम्भ की जानी चाहिए । जिस विशिष्ट स्तर से, यह किया जाय, उसका निर्णय विशेषज्ञों के परामर्श से किया जाना चाहिए ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

मोहनबाड़ी से पासीघाट, तेजू और दोपोरिजो तक विमान सेवा का आरम्भ किया जाना

6525. **श्री सी० सी० गोहाइन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार मोहनबाड़ी से पासीघाट, तेजू और दोपोरिजो तक विमान सेवा आरम्भ करने का है, और यदि हां, तो कब ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

दिल्ली में साम्प्रदायिक कालेज

6526. **श्रीमती मुकल बनर्जी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में कितने साम्प्रदायिक कालेज हैं और उनके नाम क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार जो कालेज विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित हैं अथवा उसकी विशेष सुविधाओं के लिए स्वीकार कर लिए गए हैं, वे या तो सम्बद्ध या अंगीभूत कालेज हैं तथा साम्प्रदायिक कालेजों का कोई वर्ग नहीं हैं। धर्म, जाति अथवा सम्प्रदाय पर विचार किए बिना दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों में दाखिला सभी के लिए खुला है।

Amount Allocated to Rajasthan for Upliftment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

6527. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of Education and Social Welfare be pleased to state :

(a) The amount allocated to Rajasthan State during the last three years for the uplift of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

(b) The amount Spent out of the said allocation, and

(c) The reasons for non-utilisation of the full amount allccated for this purpose ?

The Deputy Minister for Education and Social Welfare (Shri K.S. Ramaswamy) : (a) The amounts allocated to Rajasthan State for the upliftment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes during the last three years i. e. 1968-69, 1969-70 and 1970-71 are Rs.66·20 lakh, Rs. 54·25 lakh and Rs. 84·50 lakh respectively.

(b) The amounts spent during the three years 1968-69, 1969—70 and 1970--71 are Rs. 76·39 lakh, Rs. 99·74 lakh and Rs. 94·75 lakh* respectively (*Anticipated expenditure).

(c) Does not arise.

कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं की जांच करने के लिए एक समिति की नियुक्ति

6528. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं की सब पहलुओं से जाँच करने, जिसमें विश्वविद्यालय को नया रूप दिया जाना भी शामिल है, के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) उपर्युक्त समिति अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की विकासात्मक समस्याओं की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है। प्रस्तावित समिति का गठन तथा इसके विचारार्थ विषय आयोग के विचाराधीन हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मैसर्ज सेन रेले कम्पनी लिमिटेड, आसनसोल को दिये गये ऋणों का कथित दुरुपयोग

6529 **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार अथवा केन्द्रीय सार्वजनिक वित्त संस्थानों ने देश में आसनसोल के निकट साइकिल निर्माता मैसर्ज सेन रेले कम्पनी लिमिटेड का गत तीन वर्षों में कितना ऋण दिया है ।

(ख) क्या सरकार को इस कम्पनी द्वारा इन ऋणों का दुरुपयोग करने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करवाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) (क) से (घ). : सूचना संग्रह की जा रही है व यह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

Appointment of Hindi Officers in the Ministery of Finance

6530. Shri Narendra Singh Bist : (a) Will the Minister of **Finance** be pleased to state ;

(a) Whether any orders have been received from the Ministry of Home Affairs to the effect that there should be one Hindi Officer in each Department,

(b) The names of the Departments in the Ministry of Finance, where no Hindi Officer has been posted; and

(c) Whether Government are considering over a proposal to appoint Hindi Officers in such Departments and if so, the time by which Hindi Officers are likely to be appointed there ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) The instructions issued by the Ministry of Home Affairs only refer to the desirability of having one or more posts of Hindi Officers having regard to the size and organisational set up of the different Ministries.

(b) No separate posts of Hindi Officers exist in the Departments of Expenditure and Banking. They utilize the Hindi Officers working in the other Departments of the Ministry of Finance,

(c) There is no proposal at present for the appointment of Separate Hindi Officers in the Departments mentioned above, as the existing arrangements are considered satisfactory.

वित्त मंत्रालय द्वारा हिन्दी भाषा-भाषी राज्यों को भेजे गए पत्र

6531. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त मंत्रालय (सचिवालय) ने विभागवार 1 जनवरी, 1971 से 30 जून, 1971 तक हिन्दी भाषा भाषी राज्यों को कुल कितने पत्र भेजे और उनमें से कितने पत्र केवल अंग्रेजी

में भेजे गये, उनके हिन्दी में न भेजे जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या प्रत्येक विभाग में हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद करने की व्यवस्था है और यदि नहीं, तो इसको प्रोत्साहन देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। उसे एकत्रित किया जा रहा है तथा सभा पटल रख दिया जायेगा।

(ख) वित्त मंत्रालय (सचिवालय) के प्रत्येक विभाग में अलग से अथवा अन्य विभागों के साथ सामूहिक रूप से, हिन्दी-अंग्रेजी अनुवाद की व्यवस्था विद्यमान है।

Literature Published for General Public by the Ministry of Finance

6532. **Shri Narendra Singh Bist** : Will the Minister of Finance be pleased to State :

(b) The titles of literature published for information of the general public by his Ministry (Secretariat) during the last six months;

(b) The titles of the said literature which have not been published in Hindi along with and the reasons therefor, and

(c) The steps being taken by his Ministry to make adequate arrangement for publication of such literature in Hindi also ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) (a) :

1. Annual Report on the working of Industrial and Commercial Undertakings of the Cenral Government 1969-70.

2. A Hand-Book of Information on Public Enterprises,

3. Economic Survey 1970-71.

4. Pocket Book of Economic Information 1970.

5. External Assistance 1968-69 and 1969-70

6. Quarterly Statistics on the working of Capital Issues Control.

7- Explanatory Notes on the provisions of the Taxation Laws (Amendment) Act, 1970.

8. Guidance notes on Income Tax and Wealth Tax giving the changes made in the Annual Finance Acts.

(b) The following titles were not published in Hindi simultaneously for the reasons given ;

1. A Hand-Book of Information on Public Enterprises Hindi version was not considered necessary as the book is used for reference purposes in a limited circle and is not widely used by the general public.

2. Pocket Book of Economic or Information 1970—It is mainly intended for distribution abroad and the demand for Hindi version is very small.

3. Explanatory Notes on the provisions of the Taxation Laws (Amendment) Act, 1970—In view of the time taken in Hindi translation, the English version was published first. The Hindi Version is expected to be published shortly.

4. Guidance notes on Income Tax and Wealth Tax giving the changes made in the Annual Finance Acts -The title had to be published urgently as these notes are meant to help assessees in filing their returns of income—tax, the last date for which in many cases was 30th June.

(c) The Hindi translation arrangements are continuously under review and appropriate measures are taken from time to time to remove deficiencies. Efforts are eccordingly being made to bring out such literature, wherever necessary, in Hindi also simultaneously in future.

Posting of a Hindi Translator With Officers of the Rank of Joint Secretary and Above.

6533. **Shri Narendra Singh Bist :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) Whether his Ministry had received some orders from the Ministry of Home Affairs for the posting of a Hindi Translator with every Officer of the rank of Joint Secretary and above,

(b) The total number of officers of the rank of Joint Secretary and above in the Ministry of Finance (Secretariat) and the number of Hindi translators posted with them, and

(c) The time by which Hindi translators will be posted with the remaining officers ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) The instructions of the Ministry or Home Affairs are that provision of translation facilities within each Joint Secretary's charge could be considered and that, till these arrangements can be made, wherever necessary, translation may be got done by the existing Hindi knowing Staff.

(b) There are 55 officers of the rank of Joint Secretary and above. Separate Hindi Translators have not been attached to these officers individually,

(c) In view of (a) above, this does not arise. The adequacy of existing translation arrangements is, however, constantly under review.

Seizure of Pakistani Currency Near Panipat

6534. **Shri Narendra Singh Bist ;** Will the Minister of Finance be plased to State ;

(a) Whether the Panipat Police had recovered Pakistani currency to the tune of Rs. 6·8 lakhs from a motor car on the G.T. Road near Panipat on the 24th June, 1971;

(b) If so, the particulars thereof and the number of persons arrested in this connection so far and whether their interrogations have led to the detection of any gang engaged in smuggling and anti-national activities, and

(c) The action taken by Government against those persons and the stringent steps taken to check such anti-national activities ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) to (c) The information is being collected from the State Government of Haryana and will be laid on the Table of the House as soon as received.

Gold Coins Found in The Jeevapur Village of Rajgarh District Madhya Pradesh

6535. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri R. V. Bade :

Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) Whether a large number of gold coins and other articles of archaeological importance have been discovered while digging the foundation of a house in Jeevapur village: of Rajgarh District of Madhya Pradesh :

(b) Whether Government have got examined the said coins and other remains found there; and

(c) If so the period to which they belong ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of culture (Shri D. P. Yadav) : (a) to (c) The information is being collected from the state Governmeut and will be laid on the table of the House.

Ships Manufactured in India

6536. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state the number and names of new ships manufactured in India which have been put on sail during 1970-71 ?

The Ministry of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur) : The following ships have been manufactured in India and put on sail during 1970-71 :

1. VC 166 M. V. Vishva Dharma
2. VC 167 M. V. Vishva Vikram
3. AVCAT Tanker M. T. Poshak'
4. AVCAT Tanker M. T, 'PuraK,
5. I. N. S, Atul.

बड़े पत्तनों सम्बन्धी आयोग की सिफारिशें

6537. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** 28 अगस्त 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4510 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने बड़े पत्तनों सम्बन्धी आयोग की किन सिफारिशों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का निर्णय किया है; और

(ख) स्वीकार की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) प्रश्न गत सिफारिशों की सरकार द्वारा ब्योरे वार जाँच की जा रही है और अन्तिम निर्णय लेने में कुछ समय लगेगा।

अमरीका से सहायता प्राप्त करने सम्बन्धी करार

6538. **श्री एम० एम० जोजफ** : **श्री समर गुह** :
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अमरीका से कुछ अतिरिक्त गैर-परियोजना सहायता लेने के लिए कोई करार किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त करार की शर्तें क्या हैं; और

(ग) इस सहायता का उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 13 मार्च 1971 को संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के साथ 15·5 करोड़ डालर के एक प्रायोजना-भिन्न ऋण-करार पर हस्ताक्षर किये गये। इस राशि को बढ़ाकर 17 करोड़ डालर करने वाले एक संशोधनकारी करार पर 22 अप्रैल, 1971 को हस्ताक्षर किये गये। 9 जुलाई, 1971 को 2 करोड़ डालर की अतिरिक्त रकम के लिये एक अन्य संशोधनकारी करार पर हस्ताक्षर किये गये जिससे ऋण की मूल राशि बढ़कर 19 करोड़ डालर हो गयी।

(ख) और (ग) : यह ऋण, दस वर्ष की रियायती अवधि सहित 40 वर्षों में चुकाया जाना है और इस पर पहले दस बर्षों में 2 प्रतिशत वार्षिक की दर से और उसके बाद 3 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगेगा। इस ऋण का प्रयोजन, संयुक्त राज्य अमेरिका से और कम आय वाले कुछ अन्य पात्र देशों से उर्वरक, औद्योगिक कच्चे माल अनुरक्षण सम्बन्धी फालतू कल-पुर्जे आदि जैसी विभिन्न वस्तुओं के आयात की वित्त व्यवस्था करना है।

कर ढांचे का परीक्षण

6539. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में ही में दीवानचन्द इन्स्टीटयूट आफ नेशनल अफेयर्स द्वारा 1971-72 के केन्द्रीय बजट पर आयोजित विचार गोष्ठी में यह मांग की गयी थी कि कर ढांचे तथा सार्वजनिक व्यय से उसके सम्बन्ध की पूरी जाच कराने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हाँ।

(ख) देश के कर सम्बन्धी ढाँचे की बराबर समीक्षा की जाती रहती है। किन्तु सरकार

फिलहाल विचार गोष्ठी में भाग लेने वालों द्वारा सुझाए गये कराधान और व्यय आयोग की नियुक्ति करने की आवश्यकता महसूस नहीं करती।

मैसूर राज्य में छोटे किसानों को सहायता

6540. **श्री के० मालन्ना :**

श्री के० लकप्पा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर के छोटे किसानों के लिए बैंकिंग सुविधाओं की व्यवस्था की गई है; और

(ख) क्या मैसूर राज्य में छोटे किसानों को कृषि के विकास के लिए सहायता देने हेतु कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जो छोटे किसान कृषि के विकास के लिए तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य और आर्थिक दृष्टि से सक्षम योजनाओं के साथ देश में स्थित सरकारी क्षेत्र के बैंकों को जिनमें मैसूर राज्य में स्थित बैंक भी शामिल हैं, ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें उन बैंकों द्वारा ऋण दिये जाते हैं बसर्ते कि ऋणों की वसूली और उनके उचित उपयोग के सम्बन्ध में पर्याप्त पर्यवेक्षण की सुनिश्चित व्यवस्था करने में कोई वास्तविक कठिनाई न हो।

(ख) जी, हां, छोटे किसानों को उनकी कृषि योजनाओं के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में भी सहायता देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी वाणिज्यिक बैंकों को जो मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये हैं उनके अन्तर्गत मैसूर राज्य के छोटे किसानों का भी स्वतः ध्यान रखा जाता है।

मैसूर में छोटे किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा धन दिया जाना

6541. **श्री के० मालन्ना :**

श्री के० लकप्पा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा (एक) मैसूर राज्य और (दो) मैसूर राज्य के तुमकुर जिले के किसानों को बैंकों के राष्ट्रीयकरण से लेकर अब तक कितना और किन शर्तों पर धन दिया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैसूर राज्य में 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को दिए गए प्रत्यक्ष वित्त के तुलनात्मक आंकड़े इस प्रकार हैं :—

(रकम लाख रुपयों में)

जून 1969 के अन्त तक		**मार्च 1971 के अन्त तक**	
खातों की संख्या	बकाया रकम	खातों की संख्या	बकाया रकम
32302	491·52	71023	1376·45

तुमकुर जिले के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी

जायगी। किसानों को दिये जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में शर्तें मुख्यत: ऋण के प्रयोजन और वित्त पोषित की जाने वाली योजना के स्वरूप पर निर्भर करती हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक सामान्यतया छोटी रकमों के फसल ऋणों के सम्बन्ध में भूमि के बंधक के लिए आग्रह नहीं करते। इन बैंकों के द्वारा कृषि सम्बन्धी ऋणों पर लिये जाने वाले ब्याज की दरें सामान्यतया 9 प्रतिशत से 10·5 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक अलग अलग होती हैं। कुछ विशेष प्रकार के कृषि सम्बन्धी ऋणों के सम्बन्ध में मोटी-मोटी शर्तें अनुबन्ध में दी गयी हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 778/71].

मैसर्ज एस्कोर्ट्स लिमिटेड, बँगलौर के नाम आय-कर की बकाया राशि

6542. **श्री के० मालन्ना**

श्री के० लकप्पा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स एस्कोर्ट्स लिमिटेड, बंगलौर के नाम आय-कर की कितनी राशि बकाया है;

(ख) यह राशि कब से बकाया चली आ रही है; और

(ग) इस राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) "मैसर्स एस्कोर्ट्स लिमिटेड, बंगलौर नाम के जैसी कोई कम्पनी नहीहै। किन्तु मैसर्स एस्कोर्टस लिमिटेड, दिल्ली" नाम की एक कम्पनी अवश्य है, जिसका कर-निर्धारण आयकर-आयुक्त (सेन्ट्रल), दिल्ली के कार्यक्षेत्र में किया जाता है। उक्त कम्पनी की तरफ बकाया की रकम 20,99,277 रुपये हैं।

(ख) 1 फरवरी 1971।

(ग) उपर्युक्त मांग अतिरिक्त अग्रिम-कर से सम्बन्धित है, जो कर-निर्धारण वर्ष 1971–72 के लिये देय समझी गयी है। किन्तु निर्धारिती ने बाद में आय की एक विवरणी दाखिल कर दी है, जिसके अनुसार उसके द्वारा पहले ही अदा किया गया अग्रिम-कर विवरणी में दिखाई गई आय के आधार पर देय नियमित कर से अधिक है। एतदनुसार, ऊपर उल्लिखित अग्रिम-कर की मांग का समायोजन, उक्त वर्ष के कर-निर्धारण के पूरा होने पर किया जाना है।

मैसूर में आय-कर का अपवंचन

6543. **श्री के० लकप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में आय-कर के अपवंचन के अनेक मामले पाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों अथवा फर्मों / कम्पनियों के नाम क्या है जो आय-कर अपवंचन के दोषी हैं और कितने मामलों में आयकर की राशि एक लाख रुपये से अधिक बकाया पड़ी है;

(ग) यह राशि कब से वसूल करने के लिए बकाया पड़ी है; और

(घ) इस राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां। मैसूर राज्य में कर-अपवंचन के कुछ मामले पाए गए हैं।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और जिन व्यक्तियों ने कर-निर्धारण वर्ष 1970-71 के लिए एक लाख रुपये से अधिक की आय छिपाई है और जिन पर 31-3-71 को एक लाख रुपये से अधिक का कर बकाया था, उनको एक सूची सभा की मेज पर रखी जायगी।

(ग) और (घ) सूचना एकत्रित की जा रही और है सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तुमकुर जिला मैसूर राज्य में ऊपरी पुलों की कमी

6544. **श्री के० लकप्पा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य के तुमकुर जिले में ऊपरी पुलों की कमी के कारण बड़ी कठिनाई उठानी पड़ रही है;

(ख) क्या मैसूर सरकार ने राज्य में तुमकर जिले में नये ऊपरी पुलों का निर्माण करने हेतु किसी योजना को अन्तिम रूप दिया है;

(ग) उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां नये पुलों का निर्माण किया जायेगा, और

(घ) इस परियोजना के लिये कितना धन नियत किया गया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे यथा समय सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा यातायात कर्मचारियों की भर्ती

6545. **श्री के० लकप्पा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स का विचार अपने कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते का भुगतान न करने के विचार से समस्त मुख्य हवाई अड्डो पर और अधिक यातायात कर्मचारी भर्ती करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। कर्मचारियों को केवल विशिष्ट कारणों, जैसे विलम्ब सेवाओं में बाधा तथा अतिरिक्त जरूरी

उड़ानों के परिचालन, अथवा अनुपस्थिति के लिए समयोपरि बिठाया जाता है। अतः अतिरिक्त यातायात अमले की भर्ती को कारपोरेशन ने आवश्यक नहीं समझा है।

रूबी जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड द्वारा बन्द की गई एजेंसियां

6546. **श्री के० लकप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूबी जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीयकरण के बाद अब तक कितनी एजेंसियां बन्द की गई हैं तथा इन एजेंसियों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या इन बन्द एजेंसियों में से कुछ डिवीजनल मैनेजर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और मैनेजर जैसे उसके उच्च अधिकारियों की थीं; और

(ग) ये एजेंसियां कितने समय से चल रही हैं और गत तीन वर्षों में इन एजेंसियों के धारकों को प्रति वर्ष कुल कितना धन किये जाने के दिया गया और इनके बन्द किये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) साधारण बीमा (आपात उपबन्ध) अध्यादेश, 1971 के जारी किये जाने के बाद रूबी जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेत ने कोई एजेन्सी बन्द नहीं की है।

(ख) तथा (ग) : ये प्रश्न नहीं उठते।

एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत फर्मों पर मुकदमें चलाया जाना

6548. **श्री के० मालन्ना :**

श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अन्तर्गत 200 फर्मों पर मुकदमा चलाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं ;

(ग) जिन फर्मों के विरुद्ध मुकदमें चलाये गये हैं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कितनी कम्पनियां पंजीकृत की गई हैं ?

कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) नहीं श्रीमान्।

(ख) तथा (ग) उत्पन्न नहीं होते।

(घ) 15 जुलाई, 1971 तक एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम 1969 की धारा 26 के अन्तर्गत 752 उपक्रमों का पंजीकरण हुआ था।

औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम का कार्यकरण

6549. **श्री समर गुह** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में स्थापित किये गये औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम ने पश्चिम बंगाल में कार्य करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल में वसूली और औद्योगिक विकास के लिए निगम ने कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) आरम्भ में, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम लिमिटेड, कलकत्ता और पूर्वी प्रदेश की तात्कालिक औद्योगिक समस्याओं को, विशेषत: बीमार तथा बन्द औद्योगिक प्रतिष्ठानों को दुरुस्त और पुन: चालू करने से सम्बन्धित समस्याओं को हल करेगा । निगम का मुख्य कार्य सम्भवत: जोखिम तथा ऋण पूंजी की व्यवस्था करना होगा ताकि एकक शीघ्र सुचारू रूप से चलने लगे ।

अभी तक निगम ने बन्द बीमार औद्योगिक एककों को पुनरुजीवित करने के लिए 6 प्रस्तावों को स्वीकृति दी है, ये सब एकक पश्चिम बंगाल में स्थित हैं ।

पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा लेखा परिक्षकों को भुगतान

6550. **श्री रतनलाल ब्राह्मण** : क्या **कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 501 बड़ी और मध्यम दर्जे की पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा लेखा-परीक्षा के भुगतानों के सम्बन्ध में "इकानोमिक्स टाईम्स" द्वारा हाल ही में किए गये सर्वेक्षण की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या लेखा परीक्षकों को कुल भुगतान का 30 प्रतिशत उन्हें किए जाने वाले अवैध भुगतान का छुपाने के लिए कम्पनियों द्वारा की गई अन्य सेवाओं के शुल्क के रूप में किया गया है ।

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसकी जांच कराने का है; और

(ड) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) सर्वेक्षण अधिकारी के निष्कर्ष दिनांक 21–6–71 के "इकानोमिक टाइम्स" में है ।

(ग) (घ) तथा (ङ) सरकार इस विषय की जांच कर रही है ।

देश में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के डिजाइन तैयार करने के लिए ठेका देना

6551. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के डिजाइन तैयार करने के लिए एक फ्रांसीसी फर्म 'एयरपोर्ट दि पेरिस' को ठेका दिया गया है,

(ख) यदि हां, तो ठेके की तारीख क्या है और इसमें कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी,

(ग) क्या बाद में एक अन्य अमरीकी फर्म 'मैसर्स रूलर एण्ड साडो'' को भी इसी प्रयोजन के लिए नियुक्त किया गया है,

(घ) यदि हां, तो दो डिजाइन तैयार करने वाले नियुक्त करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या यह सच है कि अमरीकी फर्म को हवाई अड्डों के डिजाइन तैयार करने का अनुभव नहीं है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ). दोनों विदेशी परामर्श दाताओं को भिन्न-भिन्न प्रयोजनों के लिए नियुक्त किया गया है। जबकि फ्रेंच फर्म दिल्ली, बम्बई और मद्रास हवाई अड्डों के टर्मिनल कांप्लेक्सों के लिये मास्टर प्लान और पैसेंजर टर्मिनलों के लिए प्रोग्राम ड्राइंग तैयार करेंगे, डा० बक मिस्टर फुलर पैसेंजर टर्मिनलों के लिये शिल्पी योजनाएं तथा कार्य प्रदर्शी चित्र तैयार करेंगे।

(ख) फ्रेंच फर्म के साथ करार पर 24–2–71 को हस्ताक्षर किये गये थे। परामर्श शुल्क 4,76,190 फ्रेंच फ्रैंक होंगे।

(ङ) डा० फुल्लर वास्तु विज्ञानी मामलों में बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न एक विख्यात वास्तु विशेषज्ञ है।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया के लिपिकों द्वारा रेजगारी काउन्टरों पर रुपया कमाना

6552. **श्री जी० वेंकटस्वामी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 जुलाई, 1971 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' नई दिल्ली में 'मिन्टिंग मनी एट कायन काउटर्ज' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित एक लेख की ओर दिलाया गया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, नई दिल्ली, के रेजगारी काउंटरों पर काम करने वाले लिपिक रेजगारी संकट के कारण धन कमा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की जाँच की गई है,

(ग) काऊंटरों पर धन कमाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, और

(घ) विभिन्न काऊंटरों से लोगों को रेजगारी का वितरण करने की प्रणाली में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) . सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर आकर्शित किया गया है किन्तु जाँच करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह आरोप निराधार है ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में छोटे सिक्कों के 6 काऊंटर जनता के लिए और एक काऊंटर सरकारी विभागों, सरकारी उपक्रमों और बड़े-बड़े प्रतिष्ठानों/फर्मों आदि के लिए हैं। जनता के काऊंटरों पर आजकल प्रति-व्यक्ति लगभग 20 रुपये के मूल्य के छोटे सिक्के दिये जाते हैं।

2. विभागीय काऊंटर पर बैंक प्रति सप्ताह जितने मूल्य के छोटे सिक्के जारी करता है, उसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

दिल्ली परिवहन	प्रति सप्ताह सोमवार को 10,000 रुपये
डाक और तार	प्रति सप्ताह सोमवार को 3,500 रुपये
बैंक	बैंकों के स्थान/लेनदेन के आधार पर प्रति बैंक मंगलवार को 150 रुपये से 300 रुपये तक
सुपर बाजार	प्रति सप्ताह बुधवार को अथवा अन्य किसी भी दिन 7,000 रुपये
उत्तर रेलवे	प्रति सप्ताह परस्पर सम्मत निर्धारित दिनों को औसत 4,000 रुपये ।
सरकारी विभाग	प्रायः हर महीने के प्रथम और अन्तिम सप्ताह में सिक्कों के उपलब्ध स्टाक के अनुसार।

3. बैंक के कोषाध्यक्ष, सहायक मुद्रा अधिकारी और मुद्रा अधिकारी प्रायः छोटे सिक्कों के काऊंटरों का निरीक्षण करते रहते हैं ताकि सिक्कों के समुचित वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके और इस सम्बन्ध में यदि कोई शिकायत हो, तो उस पर भी विचार किया जा सके ।

केरल में हरिजनों तथा अनुसूचित जनजातियों के गांवों में पीने के पानी की सुविधाओं का अभाव

6553. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्यों में हरिजनों तथा अनुसूचित जातियों के ऐसे कितने गांव हैं जिनमें पीने के पानी की सुविधायें प्रदान नहीं की गई हैं;

(ख) क्या इन गांवों के निवासियों को पीने का पानी लाने के लिये दूर-दूर के स्थानों तक जाना पड़ता है; और

(ग) उक्त गांवों में सरकार पीने के पानी की व्यवस्था कब तक कर सकेगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : **(क) से (ग)** . यह जानकारी राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

किसानों द्वारा लिया गया संस्थागत ऋण

6554. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री 2 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3764 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि, कार्यों के लिए राज्यवार क्रमश: 10 और 15 हजार से अधिक संस्थागत ऋण लेने वाले किसानों की संख्या के सम्बन्ध में इस बीच जानकारी मिल गई है,

(ख) यदि हां, इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) क्या कृषि-कार्यों के लिए एक परिवार को मिलने वाले संस्थागत ऋण पर अधिकतम सीमा लगाने का कोई प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी नहीं । अभी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों की नीति उत्पादन-प्रधान कृषि सम्बन्धी विकास कार्यों के लिए ऋण देने की है । ऋण की कुल मात्रा का निर्णय उत्पादन सम्बन्धी आवश्यकता और ऋण लेने वाले किसान की ऋण लौटाने क्षमता के आधार पर किया जाता है । इस बात का अभी कोई प्रमाण नहीं है जिससे प्रकट हो कि किसी एक परिवार को कृषि-प्रयोजनों के लिए अनुपातिक रूप से बड़ी मात्रा में संस्थागत वित्त मिला हो ।

सेन्ट्रल रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, लिमिटेड

6555. **श्री रोबिन ककोटी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड बहुत अधिक घाटे की संस्था हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम को गत पांच वित्तीय वर्षों में घाटा हुआ घाटे के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

वर्ष	धनराशि (रु० लाखों में)
1966—67	16·32
1967—68	16·69
1968—69	24·80
1969—70	21·36
1970—71	17·30

यह अन्तिम आँकड़े हैं क्योंकि वर्ष के लेखे की अभी तक लेखा परीक्षा नहीं हुई है।

(ख) निगम द्वारा उनको हुए घाटे के दिये गये कारण निम्नलिखित हैं :

(1) अधिक प्रतियोगिता वाले बाजार में भाड़ा दरों में तदनुरूप वृद्धि बिना (1965–66 से आगे)

(2) मुख्यत: अपर्याप्त वर्कशाप सुविधाओं के कारण गाड़ियों की बेकारी की उच्च प्रतिशतता (1966–67 से आगे)

(3) फेरी घाटों तथा चुंगी चौकियों पर रुकावटें (1966–67 से आगे)

(4) नियमित परमिट प्राप्त करने में कठिनाइयां (1966–67 से आगे)

(5) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भार पर लगाया गया प्रतिबन्ध (1966–67 तथा 1968–69)

(6) दिसम्बर, 1966 के मध्य से लेकर नये बुनगायेगाओं से गोहाटी तक बाहरी एजेंसी यातायात की कमी।

(7) ईंधन तथा फालतू पुर्जों की लागत में वृद्धि (एक नियमित घटना)

(8) आसाम में मोटर गाड़ी कर में वृद्धि (1966)

(9) टायरों की लागत में वृद्धि (1965–66 और 1968–69)

(10) 1968 में कलाई कुंडा में चालकों तथा खलासियों की 47 द्विसीय हड़ताल तथा 1969 में पूर्वी क्षेत्र में परिचालन कर्मचारियों की 39 द्विवसीय हडताल।

(11) पंसकुरा तथा हल्दिया और नरगुंडी तथा पारादीप के बीच सड़क की बहुत बुरी दशा (1967–68 और 1968–69)

(12) पारादीप में तुला-सेतुओं पर खाली तथा लदे हुए ट्रकों को बिना कारण रोकना (1968–69 तथा 1969–70)

(13) नरगुंडी में लगभग दो महीनों तक पर्याप्त श्रम पूर्ति करने में कम्पनी के श्रम ठेकेदार की असफलता। (1968)

(14) टायरों का समय पूर्व नाकारा हो जाना यह केवल बुरी सड़कों के कारण नहीं बल्कि पारादीप पर बिल्कुल बुरे परिचलान अवस्थाओं के कारण यहाँ माल जमा करने का स्थान सीमित है, अयस्क लगभग 30 फुट की ऊंचाई तक जमा करना पड़ता था (1967–68 से 1969 के मध्य तक)

(15) अक्तूबर, 1968 से नियमित वेतनमागों के लागू होने के कारण ड्राइवरों तथा खलासियों की वेतनों में वृद्धि और जुलाई 1969 से उनके वेतनमानों में वृद्धि का संशोधन और साथ में चिकित्सालय और अन्यों सुविधाओं की व्यवस्था।

(16) देश में सामान्य कमी के कारण टायर ट्यूबों तथा फ्लैप प्राप्त करने में कठिनाई (1968–69 से)

(17) जुलाई, 1969 से यांत्रिक कर्मचारियों के लिए नियमित वेतनमान चालू करना।

(18) अन्धा धुंध तथा लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण बहुत सी दुर्घटनाएं (1967–68 से आगे)

(19) घाटों के बावजूद बोनस का भुगतान (1966–67 से आगे)

(20) बाढ़, बन्ध तथा अन्य अव्यवस्थाओं जिनमें कलकत्ता पत्तन में हड़ताल भी शामिल है के फलस्वरूप काफी समय के लिए यातायात का स्थगित होना (1966-67 से)

(21) कर्मचारियों के कुछ वर्गों में अनुशासन की हीनता विशेषकर 1967-68 से जो पायी है।

भारत सरकार ने केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम के प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता में की जाने के लिए एक समिति नियुक्त की थी। कम्पनी के परिचालन को सुप्रवाही बनाने हेतु समिति ने कई सुझाव दिये हैं तथा यहां तक सम्भव है इन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

गैर सरकारी-संग्रहालयों तथा संग्रहकर्त्ताओं द्वारा प्रकाशित बुलेटिन में उल्लिखित भारत से चोरी की गई कलाकृतियों की सूची

6556. **डा० कर्ण सिंह :**
श्री पी० के० देव :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से चुराई गई कलाकृतियों में से कुछ अमरीका पहुंच चुकी हैं।

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी कलाकृतियाँ वहां पहुंची हैं और अमरीका के गैर सरकारी संग्रहालयों और संग्रहकर्त्ताओं द्वारा प्रकाशित अपने बुलेटिनों में उनमें से कितनी कलाकृतियों की सूचनागत तीन वर्षों में दी गई है, और

(ग) इन प्राचीन कलाकृतियों को पुनः प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) जी हां।

(ख) इस प्रकार की कलाकृतियों को सही संख्या तथा अमरीका के निजी संग्रहालयों और संग्रहकर्त्ताओं द्वारा प्रकाशित बुलेटिनों में कितनी कलाकृतियों को उनकी सूची में दिया गया है, इस सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों से चुराई गई कलाकृतियों के अमरीका पहुंचने के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आये हैं।

(ग) वाशिंगटन स्थित भारतीय राजदूतावास से कहा गया है कि वह इन मामलों पर अमरीका के राज्य विभाग से बातचीत करे।

चोरी गई नटराज की प्रतिमा का न्यूयार्क में बिक्री के लिये रखा जाना

6557. **डा० कर्णी सिंह** : क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्ष पहले तन्जौर जिले में शिवपुरम के एक मन्दिर से नटराज की चार फुट की एक कांसे की प्रतिमा चुराई गई थी;

(ख) क्या वही प्रतिमा आजकल न्यूयार्क के बाजार में दस लाख डालर में बिक्री के लिए रखी गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस चोरी गई कलाकृति को वापिस मंगाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) जुलाई, 1970 में यू० के० में स्थित भारतीय उच्च आयोग से प्राप्त हुई रिपोर्ट से पता चला है कि शिवपुरम मन्दिर की नटराज की कांस्य प्रतिमा न्यूयार्क में दस लाख डालर में बिकाऊ है। उसको पुनः प्राप्त करने के प्रश्न को वाशिंगटन स्थित अपने राजदूतावास के जरिए उठाया गया है।

देश में निरक्षरता

6558. **डा० कर्णी सिंह** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निरक्षर व्यक्तियों की कुल संख्या में प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है,

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1968, 1969 और 1970 के अन्त तक देश में कुल कितने निरक्षर व्यक्ति थे, और

(ग) सरकार ने देश में से निरक्षरता दूर करने हेतु क्या कार्यक्रम बनाया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) साक्षरता की प्रतिशतता के बारे में आंकड़े केवल दस वर्षीय जन-गणना के अवसर पर ही एकत्र किये जाते हैं और पिछली बार 1961 में एकत्र किये गये थे। 1961 तथा 1971 वर्ष के वास्तविक आंकड़े निम्नलिखित हैं :

वर्ष	साक्षरता की प्रतिशतता	अशिक्षित व्यक्तियों की संख्या
1961 (जन गणना)	24·03%	33·31 करोड़
1971 (जन गणना) (अस्थायी जोड़)	29·35%	38·64 करोड़

(ग) जन साक्षरता की शीघ्र प्राप्ति के लिए जितनी जल्दी हो सके, सभी बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देना, और इसके साथ साथ ही प्रौढ़ों में साक्षरता अभियान चलाया जाना आवश्यक है। ये दोनों ही जिम्मेदारियां विभिन्न राज्य सरकारों की हैं। वित्तीय व्यवस्था के अनुकूल राज्य सरकारें प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए सहायता उपलब्ध करा रही हैं और प्रस्ताव है कि चौथी योजना में प्राथमिक स्तर पर 131 लाख अतिरिक्त बच्चों को दाखिल किया जाए और 6–11 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की प्रतिशतता को 1968–69 के 77·3 को 1973–74 में 87 तक बढ़ाया जाए।

2. चूंकि निरक्षरता उन्मूलन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, भारत सरकार अनुसंधान, प्रायोगिक-परियोजनाओं, निपटान गृह कार्यों के जरिए इस क्षेत्र में कार्यवाई को तेज कर सकती है। प्रौढ़ साक्षरता के चुने हुए कार्यक्रमों की उन्नति के लिए शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय की चौथी पंचवर्षीय योजना में 3·47 करोड़ रुपये की योजनागत व्यवस्था से जो केन्द्रीय अथवा केन्द्रीय प्रायोजित प्रमुख कार्यक्रम शामिल किए गए हैं। वे संक्षिप्त रूप से निम्नलिखित हैं :—

(1) कृषक शिक्षा और कार्यपूरक साक्षरता परियोजना :

(2) प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे स्वेच्छिक संगठनों को सहायता देने की योजना :

(3) नव साक्षरों के लिए साहित्य का उत्पादन :

योजना (1) के अन्तर्गत चौथी योजना में अधिक किस्मों के उत्पादन वाले 100 जिलों में

दस लाख अशिक्षित किसानों को शामिल करने का विचार है। योजना (2) के अन्तर्गत साक्षरता एवं व्यस्क शिक्षा में मार्गदर्श परियोजनाएं शुरू करने वाले स्वेच्छिक संगठनों को अनुदान दिए जाते हैं। योजना (3) के अन्तर्गत नव साक्षरों के लिए समस्या उन्मुख साहित्य तैयार किया जाता है।

साक्षरता प्रसार के लिए मार्गदर्शक परियोजनाएं

3. उपरोक्त पैरा 2 में दी गई योजनाओं का साक्षरता पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। निरक्षरता के क्रमिक उन्मूलन की अत्यन्त आवश्यकता को महसूस करते हुए भारत सरकार एक बहुत बड़ा कार्यक्रम शुरू करने का विचार कर रही है; जिसका उद्देश्य प्रायोजिक आधार पर चौथी योजना को शेष अवधि में देश के चुने हुए 33 जिलों में लगभग एक करोड़ व्यस्क निरक्षकों को साक्षर बनाना है। इसका तात्पर्य यह है कि जिलों के उन शिक्षित व्यक्तियों के सक्रिय सहयोग से साक्षरता कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा जो कि अवैतनिक रूप से कार्य करेंगे। चौथी योजना में कार्यक्रम की सफलता के प्रकाश में पांचवीं योजना में बहुत बड़ा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। चौथी योजना में शुरू की जाने वाली प्रस्तावित मार्गदर्शक परियोजना योजना इस समय सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है।

राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों को अनुग्रहपूर्वक अदायगी

6559. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या वित्त मंत्री 9 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4403 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1600 रुपये से अधिक मासिक वेतन पाने वालें राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों को अनुग्रह-पूर्वक अदायगी के रूप में बोनस का भुगतान बोनस भुगतान अधिनियम और कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत किया जाता है :

(ख) क्या सरकारी उपक्रमों के ब्यूरो ने इस मामले पर विधि मंत्रालय और कम्पनी कार्य विभाग के मत प्राप्त किये हैं; और

(ग) क्या सरकारी उपक्रमों के उच्चतर स्तर के अधिकारियों को अनुग्रहपूर्वक अदायग करने की अनुमति देने सम्बन्धी सरकारी परिपत्र सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) बोनस संदाय अधिनियम के उपबन्ध, 1600 रुपये से अधिक मासिक वेतन पाने वाले अधिकारियों पर लागू नहीं होते। कम्पनी अधिनियम में बोनस की अदायगी की व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार के अधिकारियों को, सरकार के विशिष्ट आदेशों के अनुसार ही अनुग्रहपूर्वक अदायगी की जाती है। इस प्रकार की अदायगी केवल उपलब्ध अधिकोष में नियोजक के हिस्से में से तभी की जाती है जबकि वास्तव में इस प्रकार के अधिशेष उपलब्ध हो।

(ख) जी, नहीं, क्योंकि यह आवश्यक नहीं था। किन्तु, चूंकि इस मामले का सम्बन्ध श्रम और रोजगार विभाग, गृह मंत्रालय के सम्बन्ध विभागों से था इसलिए, इस विषय में इन मत्रालयों से परामर्श किया गया था।

(ग) यह परिपत्र मार्गदर्शक सिद्धान्त के स्वरूप का एक विभागीय अनुदेश है।

वेतन प्राप्त कर्मचारियों को मिलने वाला कम से कम और अधिक से अधिक प्राप्त होने वाली मासिक आय

6560. **श्री डी० के० पन्डा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी उपक्रमों. केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारी उपक्रमों, में वेतन प्राप्त कर्मचारियों की 1 जनवरी, 1971 को कम से कम और अधिक से अधिक मासिक आय क्या थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : सूचना जितनी उपलब्ध हैं, उतनी नीचे दी गयी है :

1. **सरकारी उपक्रम** :

अद्यतन सूचना, जैसी कि वह 1-1-1971 को थी, तत्काल उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि विभिन्न उपक्रमों में वेतन मंहगाई भत्ते तथा जहां कहीं अन्तरिम राहत अलग से मंजूर की गयी है वहां अन्तरिम राहत को हिसाब में लेकर कर्मचारियों के निम्नतम वर्ग का न्यूनतम वेतन, प्रतिमास 156 रुपये के लगभग है ।

विभिन्न उपक्रमों में मूर्धन्य प्रबन्ध-पदों के लिये देय अधिकतम वेतन प्रतिमास 4000 रुपये है ।

2. **केन्द्रीय सरकार**

निम्नतम वर्ग का वेतन : 156 रुपये (जिसमें वेतन, मंहगाई भत्ता तथा अन्तरिम राहत शामिल है) ।

भारत सरकार के अधीन उच्चतम वर्ग (अर्थात् भारत सरकार के सचिव) का वेतन इस पद पर भारतीय प्रशासन सेवा अथवा अन्य केन्द्रीय सेवा के अधिकारी तैनात होने की दशा में नियत 3500 रुपये और भारतीय सेवा के अधिकारी तैनात होने की दशा में 4000 रुपये है ।

3. **राज्य सरकारें** :

यद्यपि, अद्यतन सूचना, जैसी कि वह 1-1-1971 को थी, तत्काल उपलब्ध नहीं है तथापि इस मंत्रालय के पास उपलब्ध ब्यौरों से यह पता चलता है कि विभिन्न सरकारों में कर्मचारियों के निम्नतम वर्ग का वेतन 121 रु० से लेकर 156 रु० तक के बीच में है । इसमें केवल वेतन तथा मंहगाई भत्ता हिसाब में लिया गया है ।

राज्य सरकार के अधीन उच्चतम वर्ग अर्थात् मुख्य सचिव का वेतन 3500 रु० प्रतिमास है (और उस दशा में 4000 रु० प्रतिमास है जब उक्त पद पर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी तैनात हों) । केरल, नागालेंण्ड तथा हिमाचल प्रदेश में यह वेतन 3000 रुपये है परन्तु केरल में मुख्य सचिव के पद पर यदि भारतीय सिविल सेवा का अधिकारी तैनात हो तो उसका वेतन 3500 रु० प्रतिमास होगा ।

4. **गैर सरकारी उपक्रम**

विश्वसनीय और अद्यतन सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

Tek Chand Committee Repor t on Prohibition

6561. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of [**Education and Social Welfare** be pleased to state;

(a) Whether Government have accepted any recommendations made by the Tek Chand Committee on prohibition; and

(b) If so, which of the recommedations have been accepted ?

The Deputy Minister For Education aud Social Welfare (Shri K. S. Ramaswamy) (a) & (b) Tek Chand Committee Report dealt with the overall subject of Prohibition. There: were 264 recommendations, A statement presenting the action taken on some of the major recommendations is placed on the Table. **[Placed in library. See No. L. T. 779/71]**

पश्चिम बंगाल और बंगला देश की सीमा पर तस्कर व्यापार

6562. **श्री वी० के० दास चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल में पुलिस की चौकियों वाले क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल और बंगला देश की सीमा के बीच के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर व्यापार हा रहा है; और

(ख) क्या सरकार भारत और बंगला देश के बीच विशेषकर पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में डिनहारा सन-डिवीजन के सीमा क्षेत्र में तस्कर व्यापार करने वाले जाने पहचाने लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर रही है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) पश्चिम बंगाल तथा बंगला-देश की सीमा के बीच बडे पैमाने पर तस्करी की कोई रिपोर्ट सरकार के नोटिस में नहीं आई है।

(ख) सीमा पर सीमा सुरक्षा दल और सीमा शुल्क अधिकारी सतर्क हैं तथा सीमा पर जिसमें कूच बिहार का दिनहाता उप-प्रभाग भी शामिल है, चौकसी बरती जा रही है।

पंजाब में अध्यापको का स्थानान्तरण

6563. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पंजाब सरकार के कर्मचारियों और राजनीतिक दलों से इस आशय के बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए है कि हाल ही के लोक सभा चुनावों में अकाली उम्मीदवारों का समर्थन न करने के दण्डस्वरूप लगभग बीस हजार अध्यापकों को उनके निवास स्थानों से स्थातान्तरित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां तो इस अन्याय का निराकरण करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी कर्मचारियों को पर्वतारोहण के लिए प्रोत्साहित करना

6564. **श्री एम० एम० हाशिम** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्वतारोहण की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए सरकार का विचार अपने कर्मचारियों को पथ-भ्रमण और पर्वतारोहण के लिए प्रोत्साहित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या कर्मचारियों को इसके लिए विशेष छुट्टी तथा आर्थिक सहायत जैसी कुछ रियायतें दी जायेंगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस रामास्वामी) : (क) और (ख) : जी हां। अब पर्वतारोहण संथाओं में सुविधाएं उपलब्ध हैं और सरकारी कर्मचारियों सहित सभी के लिए प्रशिक्षण हेतु खुले हैं। अनुमोदित पर्वतारोहण अभियानों में भाग लेने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को कलेंडर वर्ष में 30 दिन तक की विशेष आकस्मिक छुट्टी प्रदान की जा सकती है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के हेतु छात्रवृत्तियां भी उपलब्ध हैं। संघटित पथ-भ्रमण दलों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

पर्वतारोहण सम्बन्धी साहित्य का उपलब्ध न होना

6565. **श्री एम० एम० हाशिम** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पथ-भ्रमण और पर्वतारोहण के लिये देश के विभिन्न भागों में जाने के इच्छुक नवयुवकों को इस विषय पर साहित्य न मिलने के कारण कठिनाई होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या हिमालय में पथ-भ्रमण के मार्गों के सम्बन्ध में सूचना देने वाले मानचित्र और अन्य सामग्री प्रकाशित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि ऐसी कोई पुस्तिका प्रकाशित हुई है तो उसका नाम क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : **(क) से (घ)** पैदल चलने वालों और पर्वतारोहियों से ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली कि सम्बन्धित साहित्य के अभाव में उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव हो रहा हो। मार्ग आदियों की सूचना पर्वतारोहण संस्थानों में मिल जाती है और अनुरोध करने पर उपलब्ध कराई जाती है।

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित साहित्य उपलब्ध हैं :—

(1) ऐबोड ऑफ स्नोज।

(2) ल्योर ऑफ एवरेस्ट।

(3) नन्दु जयाल एण्ड इण्डियन माउन्टेनियरिंग।

(4) नाइन एटांप एवरेष्ट।

(5) नीलकंठ ।

(6) हिमालयाज-ए पिक्टोरियल बुक ।

(7) ट्रेकर्स गाईडज (कुल्लू मनाली वैली पिंडारी ग्लेशियर)

(8) तथा यूथ होस्टेलज एसोसिएशन ऑफ इण्डिया द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका ।

(9) 'हिमवन्त' (हिमालय संघ द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका) ।

मनाली संस्थान शीघ्र ही एक चित्रमय पुस्तिका प्रकाशित करने का विचार कर रहा है ।

तीरुचेडर के सुब्रह्मयरवा मी मन्दिर को आर्थिक सहायता देना

6566. **श्री एम० एम० हाशिम** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने तीरुचेडर के सुब्रह्मण्यरवामी मन्दिर को समुद्री कटाव से बचाने के लिये केन्द्र से आर्थिक सहायता की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) . नीरुचेडर में सुब्रह्मण्यरवामी मन्दिर केन्द्रीय सुरक्षित स्मारक नहीं है । यह तमिलनाडु सरकार के हिन्दू धर्म तथा धर्माध-निधि विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन है । राज्य सरकार ने मन्दिर की पूर्वी-ओर के तट पर एक सुरक्षात्मक बांध के निर्माण के लिये 6,07,500 रु० तक की वित्तीय सहायता के लिये पिछले जून, 1970 में शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय से सम्पर्क स्थापित किया था । भारत सरकार द्वारा उनकी प्रार्थना पर विचार किया गया था, परन्तु किसी प्रकार की वित्तीय सहायता देना सम्भव नहीं पाया गया । राज्य सरकार को सलाह दी गई थी कि वे मन्दिर प्राधिकारियों की सहायता से स्वयं समस्या का समाधान करें ।

हाउसिंग करपोरेशन आफ इण्डिया (प्रा०) लिमिटेड हिमायत नगर (आंध्र प्रदेश) के प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाना

6567. **श्री मल्लिकार्जुन** : क्या कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैंदराबाद की कम्पनी विधि विभाग ने आन्ध्र प्रदेश में हिमायत नगर स्थित हाउसिंह कारपोरेशन आफ इण्डिया (प्रा०) लि० के प्रबन्ध निदेशक पर मुकदमा चलाया है ।

(ख) यदि हां, तो उस पर मुकदमा चलाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में न्यायालय ने क्या निर्णय दिया है ?

कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) हां, श्रीमान मैं० हाउसिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया (प्रा०) लि०, इसके प्रबंध निदेशक तथा एक अन्य निदेशकों पर, कम्पनी अधि-

नियम, 1956 की धारा 159/162 तथा 220 के अन्तर्गत, मुकदमा चलाया गया था। कथित अधिनियम की धारा 614 क (2) के अन्तर्गत दो अधिकारियों पर भी मुकदमा चलाया गया था।

(ख) यह मुकदमें, कम्पनी द्वारा, 1967 के वर्ष के तुलन-पत्र तथा 1967 व 1969 के वर्षों की वार्षिक विवरणियों के प्रस्तुत न करने एवं न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के अन्दर, 1967 के वर्ष के तुलन-पत्र एवं वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के न्यायालय आदेश के पालन न कर सकने की चूकों के लिए चलाये गये थे।

(ग) कम्पनी इसके प्रबन्ध निदेशक तथा निदेशकों पर निम्न प्रकार से जुर्माने की सजा हुई थी :—

1. कम्पनी	120 रु०
2. प्रबन्ध निदेशक	170 रु०
3. निदेशक	170 रु०
न्यायालय द्वारा किया गया कुल जुर्माना	460 रु०

नई दिल्ली में एशियन फ्री स्टाइल कुश्ती चैम्पियनशिप का आयोजन करने के लिए वित्तीय सहायता

6568. **श्री मल्लिकार्जुन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कुश्ती महासंघ (रैसलिंग फैडरेशन आफ इण्डिया) ने नई दिल्ली में इस वर्ष दिसम्बर में एशियन फ्री स्टाइल कुश्ती चैम्पियनशिप आयोजित करने के लिये भारत सरकार से वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां तो भारतीय कुश्ती महासंघ ने कितनी राशि मांगी है और सरकार ने कितनी राशि की मंजूरी दी है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हां।

(ख) इस फैडरेशन ने एक लाख रुपये के अनुदान के लिए अनुरोध किया है। इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

देश में हवाई पट्टियां

6569. **श्री मल्लिकार्जुन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आपात स्थिति में उपयोग में लाने के लिये अनेक हवाई पट्टियां बनाने की सरकार की नीति है;

(ख) देश में हवाई पट्टियां कितनी हैं;

(ग) क्या इनमें से अनेक हवाई पट्टियों की दशा उपेक्षापूर्ण है;

(घ) आवश्यकता पड़ने पर इन हवाई पट्टियों को उपयोग के योग्य बनाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ङ) उपर्युक्त योजना को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ङ) . नागर विमानन विभाग द्वारा नागर विमानन प्रयोजनों के लिए देश में 85 विमान क्षेत्रों का संधारण किया जा रहा है। अनुसूचित और/अथवा अनुसूचित विमान सेवाओं के लिए प्रयुक्त विमान क्षेत्रों को शत प्रतिशत सेवा योग्य स्थिति में बनाये रखा जाता है। अन्य विमान क्षैत्रों पर संधारण कार्य उसी सीमा तक किया जाता है जहां तक कि धन उपलब्ध होता है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के लिये अध्यापक आवास योजना

6570. **श्री मल्लिकार्जुन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ का एक प्रतिनिधिमँडल हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष से मिला था और उनसे अनुरोध किया था कि अध्यापक आवास योजना के उस खण्ड पर पुन: विचार किया जाये जिसके अन्तर्गत 10 वर्ष से कम पुराने सभी कालेजों को उक्त योजना में सम्मिलित नहीं किया जा सकता;

(ख) क्या उपर्युक्त सँघ ने दिल्ली विश्वविद्यालय और नेहरू विश्वविद्यालय के मकान किराया सम्बन्धी नियमों में विषमता दूर करने की मांग की है; और

(ग) इस मांग के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) : जी हां।

(ग) यद्यपि दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के मकान किराये भत्ते की दर में कोई असमानता नहीं है, तथापि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह विश्वविद्यालय हाल ही में आरम्भ हुआ है तथा इसने अभी तक अपने प्राध्यापकों के लि मएकान नहीं बनवाए हैं। इस विश्वविद्यालय को दो वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित सीमा के अन्दर अन्दर प्राध्यापकों, उपाचार्यों आचार्यों के लिए मकान किराये पर लेने की अनुमति दे दी है।

पश्चिम बंगाल में पर्यटन केन्द्रों का विकास करने का प्रस्ताव

6571. **डा० रानेन सेन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या चौथी योजना में पश्चिम बंगाल में पर्यटन केन्द्रों का विकास करने का कोई

प्रस्ताव है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा उक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित करने में कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : चौथी योजना की अवधि में केन्द्रीय क्षेत्र में दार्जीलिंग, जलधारा दापारा जीव शरण स्थल, कलकत्ता तथा सुन्दरवन में पर्यटक सुविधाओं का विकास करने का प्रस्ताव है । इस प्रयोजन के लिये 22 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गयी है ।

इसके अतिरिक्त राज्य की चौथी योजना में पर्यटन स्कीमों के लिए 66·92 लाख रुपये की व्यवस्था है, जिनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है । [**ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 780/71.**]

राजनीतिक, साँस्कृतिक और सामाजिक संगठनों पर आय कर और धन कर का निर्धारण

6572. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में कांग्रेस दल पर आयकर और धन कर लगाया गया था और यदि नहीं तो इसके क्या कारण थे;

(ख) उन राजनीतिक दलों और सांस्कृतिक, या सामाजिक संगठनों के नाम क्या हैं जिन पर गत तीन वर्षों के दौरान आयकर और धनकर लगाया गया अथवा अब लगाया जा रहा है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) इन राजनीतिक दलों और सांस्कृतिक या सामाजिक संगठनों के नाम क्या हैं जिन पर उक्त अवधि में आयकर और धनकर नहीं लगाया गया और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) पूरी सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है । यह इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

(ख) और (ग) : निर्वाचन आयोग द्वारा जिन राजनीतिक दलों को मान्यता दी गई है उनके बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी । (तथापि देश में अन्य राजनीतिक दलों, साँस्कृतिक अथवा सामाजिक संगठनों की कुल संख्या तो मालूम भी नहीं है और न ही किन्हीं पक्के श्रोतों से इसका ठीक-ठीक पता ही लग सकता है । यदि किसी संस्थाओं विशेष के बारे में जानकारी अपेक्षित हो तो वह इकट्ठी की जा सकती है और उपलब्ध कराई जा सकती है ।)

पश्चिम बंगाल में जलाये गये/नष्ट किये गये स्कूल एवं कालेज

6573. **डा० सरदीश राय** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969–70 और 1971 में अब तक पश्चिम बंगाल में जलाये वा नष्ट किये गये स्कूलों और कालेजों की कुल संख्या कितनी है ।

(ख) इन घटनाओं के कारण कितनी वित्तीय हानि होने का अनुमान है :

(ग) क्या स्कूलों और कालेजों को हुई क्षति को पूरा करने के लिये सरकार ने कोई वित्तीय सहायता दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) 222 शैक्षिक संस्थाएं, जिनमें 28 प्राथमिक स्कूल, 156 माध्यमिक स्कूल, 34 कालेज, 2 पोलीटेकनिक, 1 अवसर तकनीकी स्कूल, और 1 अवसर बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान शामिल हैं वर्ष 1969–70 और 1971 में अब तक जलाई या नष्ट की गई है।

(ख) इन घटनाओं के कारण हुई अनुमानित वित्तीय हानि 57·40 लाख रुपए है ।

(ग) इस क्षति को पूरा करने के लिए इन संस्थाओं को अभी तक कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है ।

(घ) किस तरह की और कितनी सीमा तक क्षति हुई है इसका पता लगाने के लिए अलग अलग मामलों की जांच की जा रही है तथा सम्बन्धित संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने के प्रश्न पर पश्चिम बंगाल सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों का प्री–मेडिकल और आनर्स की कक्षाओं में दाखिला

6574. **श्री टी० डी० कांबले** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों के उन सभी विद्यार्थियों को दिल्ली के कालेजों में प्री–मेडिकल और आनर्स की कक्षाओं में दाखिला देने का कोई प्रस्ताव है जिन्होंने 45 प्रतिशत और इसके अधिक अंक प्राप्त किये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या दिल्ली के अनुसूचित जाति संगठनों से इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) ऐसे सभी अनुसूचित जाति / आदिवासी समुदाय के विद्यार्थियों को जिन्होंने 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं; दिल्ली के कालेजों में प्री–मेडिकल और बी० एस–सी०, (आनर्स) पाठ्यक्रमों में दाखिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि बी० ए०, (आनर्स) पाठ्यक्रमों में दाखिले के मामले में न्यूनतम शर्त पहले ही से 45 प्रतिशत की है ।

(ख) प्री–मेडिकल और बी० एस-सी० (आनर्स) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता की न्यूनतम शर्त 45 प्रतिशत अंक से भी कहीं अधिक है। अनुसूचित जाति / आदिवासी उम्मीदवारों की पात्रता की न्यूनतम शर्त में 5 प्रतिशत अंकों की रियायत दी जाती है और यदि वे इस रियायती 5 प्रतिशत अंकों को मिलाकर न्यूनतम शर्त को पूरा कर लेते हैं तो उन्हें इस श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित कोटे के अन्तर्गत, सम्बन्धित विज्ञान पाठ्यक्रमों में दाखिल कर लिया जाता है।

(ग) प्री–मेडिकल, बी० एस० सी० (आनर्स) तथा एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए पात्रता की न्यूनतम शर्तों को और निम्नतर करने तथा आरक्षित कोटे को बढ़ाने के सम्बन्ध में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(घ) अभ्यावेदन की प्रति उपयुक्त कार्रवाई के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय को भेज दी गई है।

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर विश्व बैंक के दल का प्रतिवेदन

6575. **श्री समर गुह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति के सम्बन्ध में विश्व बैंक के अध्ययन दल के प्रतिवेदन के आशय का अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) विश्व बैंक या किसी अन्य द्वारा कही गई किसी बात के संदर्भ के बिना भी हम स्वत: विभिन्न देशों पर इस बात के लिए जोर दे रहे हैं कि जब तक पूर्वी बंगाल में सामान्य स्थिति कायम करने के लिये गम्भीर प्रयत्न नहीं किये जाते जिनमें सेना का हटाया जाना, लोकतन्त्रात्मक शासन की स्थापना करना शामिल है, तब तक आर्थिक सहायता का प्रभावपूर्ण उपयोग किये जाने की कोई गुंजाइश नहीं है और इस प्रकार की सहायता से केवल वर्तमान दमनकारी सैनिक शासन के ही हाथ मजबूत होंगे।

लाल किले में दिखाये जाने वाले प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम की लिपि

6576. **श्री समर गुह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाल किला, दिल्ली में दिखाये जाने वाले प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम की लिपि का हाल ही में पुनरीक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पुरीक्षित संस्करण कब से दिखाया जाना आरम्भ किया जायेगा;

(ग) क्या लिपि के सम्बन्ध में इस सभा में उठाई गई बात और उसके द्वारा दिये गये आश्वासन को संशोधित संस्करण में सम्मिलित किया गया है; और

(घ) नये संस्करण की मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) ध्वनि तथा प्रकाश प्रदर्शन का संशोधित पाठ तैयार किया जा रहा है तथा सितम्बर 1971 में इसके प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है।

(ग) जी, हां।

(घ) संशोधित पाठ में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के भाषण के अंश, आजाद हिन्द फौज का प्रयाण गीत "कदम कदम बढ़ाए जा", बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय का "वन्दे मातरम", डा० इकबाल का "सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तान हमारा", बहादुर शाह पर मुकद्दमा आदि सम्मिलित हैं। संगीत तथा प्रकाश प्रभावों में सुधार किया गया है। नाना फड़नवीस के नाम का उल्लेख करने वाली गलती को ठीक कर दिया गया है।

अलीपुर टकसाल के कर्मचारियों से प्राप्त अभ्यावेदन

6577. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कलकत्ता की टकसाल के कर्मचारियों से "समयोपरि भत्ते" से सम्बन्धित भारत सरकार के 1 जून, 1970 के आदेश के लागू न किए जाने के परिणामस्वरूप कर्मचारियों को हुए कम भुगतान के सम्बन्ध में बहुत से अभ्यावेदन मिले थे; और

(ख) यदि हां, तो उनके मामले में उक्त आदेशों को पूर्णतया लागू न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय सरकार के 1 जून, 1961 के आदेशों से हैं। इनमें यह परिकल्पना नहीं की गई थी कि ये आदेश टकसालों पर स्वत: लागू हो जायेंगे, क्योंकि समयोपरि भत्ते के सम्बन्ध में टकसालों की अपनी-अपनी योजना भी थी। टकसालों में ये आदेश धीरे-धीरे अलग-अलग समय पर लागू किये गये और पहली जनवरी 1969 से ये पूर्ण रूप से लागू हैं।

केरल सरकार द्वारा कालीकट रीजनल इंजीनियरिंग कालेज को अपने हाथ में लिया जाना

6578. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने केरल सरकार को कालीकट रीजनल इंजीनियरिंग कालेज का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने को कहा है;

(ख) यदि हां तो क्या केरल सरकार ने आर्थिक कठिनाइयों के कारण कालेज का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने में असमर्थता प्रकट की है; और

(ग) यदि हां। तो इसके प्रति केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से **(ग)** केन्द्रीय सरकार ने यह सुझाव नहीं दिया था कि राज्य सरकार को

कालीकट रीजनल इंजीनियरिंग कालेज का प्रबन्ध अपने हाथ में लेना चाहिये। इसने केवल यह सुझाव दिया था कि क्योंकि कालेज के आवर्ती खर्च के लिए केन्द्रीय सहायता की स्वीकृत पांच वर्ष की अवधि समाप्त हो गई थी इसलिए कालेज के अनुरक्षण पर पूर्ण खर्चा राज्य सरकार वहन करे। राज्य सरकार द्वारा बतलाई गई वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने चालू योजना अवधि के अन्त तक सहायता देना स्वीकार किया है।

बम्बई टकसाल लेखा कार्यालय के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता

6579. **श्री समर मुखर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई टकसाल लेखा कार्यालय के कर्मचारियों को 9 घंटे प्रतिदिन और 48 घंटे प्रति सप्ताह काम करने के बाद, मकान किराया भत्ता सहित उनके पारिश्रमिक की दुगनी दर से समयोपरि भत्ता दिया जाता है जबकि अलिपुर टकसाल लेखा कार्यालय के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता उनके पारिश्रमिक की दुगनी दर से समयोपरि भत्ता दिया जाता है जबकि अलिपुर टकसाल लेखा कार्यालय के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता उनके पारिश्रमिक की दर पर ही दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो अलीपुर टकसाल के कर्मचारियों के साथ यह भेदभाव किये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) बम्बई टकसाल लेखा कार्यालय के कर्मचारी 48 घंटे प्रति सप्ताह काम करने पर अपनी उपलब्धियों के दुगने की दर से समयोपरि भत्ता पाने के हकदार हो गये हैं। इसका कारण बम्बई दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम में की गई व्यवस्था है। इस अधिनियम के अनुसार कारखाना अधिनियम 1948 के उपबन्ध किसी कारखाने में कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं चाहे वे कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत आते हो या नहीं। पश्चिम बंगाल के, जिसमें अलीपुर टकसाल स्थित है, ऐसे कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। परन्तु सरकार इस समय मामले पर विचार कर रही है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्यकरण

6580. **श्री वीरेन्द्र अग्रवाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद पहले साल बाढ़ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये ऋण में 27 करोड़ रुपये प्रति मास की औसत वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में यह वृद्धि पहले 9 महीनों में केवल 15 करोड़ रुपये के लगभग थी;

(ख) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने वर्ष 1970 में 3·70 करोड़ रुपये का कुल लाभ हस्तान्तरित

किया जबकि 19 जुलाई से 31 दिसम्बर 1969 तक की अवधि में यह राशि 2·08 करोड़ रुपये थी; और

(ग) यदि हां, तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संचालन लागत में कमी करने और बकिंग कर्मचारियों की कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हाँ। लेकिन ये रकमें प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये अग्रिमों की (वसूलियों को घटाकर) बकाया रकमों की द्योतक हैं।

(ख) वर्ष 1970 के लिए चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सरकार को हस्तान्तरणीय लाभ कुल मिलाकर 4·17 करोड़ रुपया है जबकि 19 जुलाई ,1969 से 31 दिसम्बर 1969 तक क अवधि के लिये लाभ की रकम 2·33 करोड़ रुपया थी। लेकिन इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि वर्ष 1970 में चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों का कुल मिलाकर शुद्ध लाभ 6·90 करोड़ रुपया था जबकि इसकी तुलना में 1969 में 5·98 करोड़ रुपया था।

(ग) इस प्रश्न की बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के परामर्श से लगातार समीक्षार की जाती रहती है। बैंकों के संचालन सम्बन्धी लागत के सवाल पर बैंकिग आयोग भी विचाए करेगा और इस पर आगे आवश्यक कार्यवाही आयोग की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हु की जायगी ।

इन्दौर के सूती कपड़ा मिलों से उत्पादन शुल्क और आयकर की वसूली के बारे में दिनांक 18-6-71 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2531 के उत्तर में शुद्धि

Correction of Answer to USQ No 2531 Dated 18. 6.71 Re. Realisation of Excise Duty and Income-Tax From Textile Mills in Indore

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : माननीय सदस्य श्री फूल चन्द वर्मा द्वारा 18 जून 1971 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 2531 के भाग (घ) के उत्तर में मैंने यह कहा था कि मध्य प्रदेश के इन्दौर जिले में सूती मिलों पर उत्पादन शुल्क की बकाया रकम दिसम्बर 1970 तक 2,62·096 रुपये थी।

2. प्रत्येक कारखाने से सम्बन्धित बकाया रकम के ब्योरे का विश्लेषण करने पर यह पता चला है कि बकाया की कुल रकम केवल 1,35,557 रुपये है ।

3. इसलिए उक्त प्रश्न के भाग (घ) का सही उत्तर इस प्रकार होना चाहिये :

(घ) इन मिलों पर उत्पादन शुल्क की बकाया रकम दिसम्बर 1970 तक 1,35,557 रुपये है। इन मिलों पर आयकर की बकाया रकम के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

दिल्ली फ्लाइंग क्लब द्वारा उड़ान प्रशिक्षण शुल्क में वृद्धि के बारे में दिनांक 11.6.71 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2002 के उत्तर में शुद्धि

Correction of Answer to U. S. Q. No. 2002 Dated 11.6.71 Re. Increase in Flying Training Fees by Delhi Flying Club

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डा० सरोजिनी महिषी) : महोदय, 11-6-1971 को दिल्ली फ्लाइंग क्लब द्वारा उड़ान प्रशिक्षण शुल्क में वृद्धि के विषय में श्री परिपूर्णानिन्द पैनुली के लिखित प्रश्न सं० 2002 के भाग (ग) के उत्तर में पर्यटन और नागर विमानन मंत्री ने कहा था कि ऐसे प्रशिक्षणार्थियों को जिन्होंने अपना निजी विमान चालक लाइसेन्स प्राप्त कर लिया था और जो 31 मार्च 1970 को 150 घण्टों की उड़ान पूरी कर चुके थे, उन्हें सामान्य शर्तों को पूरा करने की अवस्था में 250 घण्टों की अधिकतम उड़ान की लिए उपदान प्राप्त उड़ान की सुविधा से लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। परन्तु सही 31 मार्च 1970 नहीं अपितु 31 मार्च 1971 है। यह एक टाइपोग्राफी की भूल है जिसके लिए अत्यन्त खेद है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

एक एच० एफ 24 विमान के दुर्घटना ग्रस्त होने का समाचार

श्री ज्योतिमय बसु (डायमंड हार्बर) : श्रीमन् मैं रक्षा मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे मेरा निवेदन है कि वह इस पर एक वक्तव्य दे :

"27 जुलाई, 1971 को बंगलौर के निकट एक एच. एफ 24 विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार।"

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं खेद के साथ सदन को सूचित करता हूं कि भारतीय वायु सेना का एक एच० एफ० 24 मार्क-1 वायुयान, जिसे हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में 200 घन्टे के निरीक्षण के लिए भेजा गया था, बंगलौर से करीब 25 किलोमीटर दूर एक स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वायुयान की परीक्षण उड़ान विंग कमाण्डर जे० के० मौहलाह कर रहे थे, जो कि वायुसेना के परीक्षण विमान चालक थे और हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में प्रतिनियुक्ति पर थे। वायुयान 2-45 (दोपहर) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के हवाई अड्डे से उड़ान भरी और परीक्षण चालक से सम्पर्क 3 बजकर 4 मिनट (दोपहर) पर टूट गया था। विमान का मलवा लगभग 6 बजे शाम को मिल गया था, दुर्घटना में विमान चालक की मृत्यु हो गई। दुर्घटना के कारण मालूम नहीं हैं। जांच अदालत की नियुक्ति का आदेश दे दिया गया है।

दुर्घटना के सम्बन्ध में सदन द्वारा प्रकट की गई चिन्ता से मैं पूर्णतया सहमत हूं। जांच अदालत जिसे कि दुर्घटना के कारणों की जांच करने का आदेश दिया गया है, इस मामले

की पूरी तौर से जांच करेगी। जांच के परिणामस्वरूप जैसी भी कार्यवाही आवश्यक होगी सरकार करेगी।

श्री ज्योतिमय बसु : क्या देश में ऐसे विमान पश्चिम जर्मनी के सहयोग से बन रहे हैं ? मिग विमान आ जाने पर ऐसे विमान क्या काम आयेंगे ? गत दो दुर्घटनाओं की जांच रिपोर्ट क्या है और उनके आधार पर क्या कदम उठाए गये है ? क्या चालक, ईश्वर उसकी आत्मा को शान्ति दे, ऐसे विमान चलाने के लिए पूरी तरह सक्षम और योग्य था।

श्री जगजीवन राम : इस विमान का विकास एक जर्मन फर्म के सहयोग से किया गया है, गत दोनों दुर्घटनाओं की सूचना सभा को पहले ही दी जा चुकी है। मिग विमानों के बारे में और इस विमान के विकास आदि के बारे में इस समय मेरे पास जानकारी नहीं है। इसके अतिरिक्त मेरे पास और ब्योरा नहीं है। चालक के बारे में मेरे विचार में वह योग्य और सक्षम था।

श्री ज्योतिमय बसु : इस प्रकार तैयारी किए बिना सभा में आने का और उसका इतना बहुमूल्य समय नष्ट करने का क्या अर्थ है ?

श्री जगजीवन राम : विमानों की संख्या आदि सभा मे बताना लोकहित में नहीं होगा। सदस्य इस बात को समझेंगे।

Shri K. M. Madhukar : Even the report of 1970 Crash has not come in. We can not be a mere spectator to crashes one after another and then go on instituting enquries. So do you propose to prescribe some time limit for that, Secondly may I know whether something is firsty, about German Collaboration ? Thirdly, what relief measures are proposed for the family of the deceased pilot ?

Shri Jagjivan Ram : The pilot was experienced and he was doing this job since 1964. We are sorry to lose him. The report of the first crash was discussed here. The full report of the second crash could not be hed as the wreckage of the crash could not be recovered. The difference between the present and past two crashes should be clearly understood. The first two planes were prototypes whereas as the present one is the one belonging to our squadrons and it was sent for check up after 200 hours of flying. We have not smelt sabotage but we shall come to know of all such aspects after the enquiry.

Shri K. M. Madhukar : What about providing relief to the family of the Pilot ?

Shri Jagjivan Ram : His family would get Rs. 1·25 lakh, in lump sum.

ध्यानाकर्षण के बारे में
RE: CALLING ATTENTION

Shri Vijaypal Singh (Muzzafarnagar) : Sir, I had submitted a call Attention notice Re : burning down of an entire Harijan village in my Constituency.

Mr. Speaker : I have not received it.

Shri B. P. Maurya (Hapur) : In my village also Harijan girls are being raped.

Mr. Speaker : Such matters should not be raised abruptly.

Shri B. P. Maurya : Why our notices have not reached you ? It should be looked into.

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम की समीक्षा तथा उसका वार्षिक प्रतिवेदन और मैसूर मोटरगाड़ी कराधान अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1969-70 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक और महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां। **[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए एल० टी० संख्या 767/71]**

(2) मैसूर राज्य के सम्बंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 27 मार्च, 1971 की उदघोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित मैसूर मोटरगाड़ी कराधान अधिनियम, 1957 की धारा 16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस ओ० 1138 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो मैसूर राजपत्र, दिनांक 24 जून, 1971 में प्रकाशित हुई थी। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए एल० टी० संख्या 768/71]**

भारतीय पर्यटन विकास निगम की समीक्षा तथा उसका वार्षिक प्रतिवेदन

पर्यटन तथा नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्रीमती सरोजिनी महिषी) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूं :—

(1) भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1969–70 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1969–70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां [**ग्रंथालय में रखे गये। देखिए एल० टी० संख्या 769/71**]

भारतीय संग्रहालय का न्यासी बोर्ड, कलकत्ता का वार्षिक प्रतिवेदन तथा एक विवरण

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (प्रो० डी० पी० यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं —

(1) भारतीय संग्रहालय का न्यासी बोर्ड, कलकत्ता के वर्ष 1967–68 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए एल० टी० संख्या 770/71**]

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**ग्रन्थालय में रखा गया देखिए एल० टी० संख्या 771/71**]

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

COMMITTEE ON ABSENCE ON MEMBERS FROM THE SITTING OF THE HOUSE

दूसरा प्रतिवेदन

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : श्रीमन्, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

कार्य मंत्रणा समिति के चौथे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : FOURTH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के चौथे प्रतिवेदन से जो 29 जुलाई, 1971 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

Shri A. B. Vajpayee (Gwalior) : Sir I want to Know about the extension of the Current Session.

Mr. Speaker : The hon. Minister shall make a statement in this regard.

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Discussion on flood in Bihar should be fixed earlier than 12th which is the last day.

Mr. Speaker : Sorry we are helpless.

श्री समर गुह : सरकार को संयुक्त राष्ट्र सचिव द्वारा विभिन्न सरकारों को भेजे गये पत्र और पाकिस्तान राष्ट्रपति द्वारा कुछ देशों को भारत-पाक मामलों में मध्यस्थता करने के प्रस्ताव सम्बन्धी समाचारों के बारे में एक वक्तव्य देना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने दाव भेदी एक निर्णय दिया था कि कार्य-मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा के दौरान सदस्यगण बकाया कार्य के बारे में ही पूछताछ कर सकते हैं । ऐसे मामले उठाने का यह अवसर नहीं होता है ।

अब प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के चौथे प्रतिवेदन से, जो 29 जुलाई, 1971 को सभा में प्रस्तुत किया गया था सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

वित्त (संख्या 2) विधेयक 1971
FINANCE (No. 2) BILL 1971

खण्ड 7

अध्यक्ष महोदय : अब इस विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ होता है । श्री सांघी अपना भाषण जारी रखेंगे ।

श्री एन० के० सांघी (जालौर) : कल मैं खंड 7 में अपने संशोधनों (संख्या 49—51) पर बोल रहा था । अपने वाहनों पर नौकरी पर जाने वालों को दी गई रियायतों का स्वागत है । परन्तु पैट्रोल के मूल्यों में वृद्धि से देश भर में टैक्सियों और स्कूटरों आदि के किराये बहुत बढ़ जायेंगे । मेरे संशोधन संख्या 50 द्वारा इस वृद्धि के कारण उक्त रियायतें बढ़ा दी गई हैं ।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : यद्यपि मैं जनता की कठिनाई समझता हूं फर भी हमारे संसाधन सीमित हैं, अतः मैं मजबूर हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सांघी के संशोधन संख्या 48, 49 50 तथा 103 सभा द्वारा मतदान के लिए रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए
The Amendment were put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 7 was added to the Bill

खंड 8

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 8 was added to the Bill

खन्ड 9

संशोधन किया गया :

Page 7, for lines 33 to 37, substitute—

"benefit derived by or accruing to it therefrom, so however, that the deduction in respect of the aggregate of such expenditure and allowance in respect of any one person referred to in sub-clause (i) shall. in no case, exceed—

(A) where such expenditure or allowance relates to a period exceeding eleven months comprised in the previous years, the amount of seventy-two thousand rupees;

(B) where such expenditure or allowance relates to a period not exceeding eleven months comprised in the previous years, an amount calculated at the rate of six thousand rupees for each month or part thereof comprised in that period :

Provided that in a case where such person is also an employee of the company for any period comprised in the previous year, expenditure of the nature referred to in clauses (i), (ii), (iii) and (iv) of the second proviso to clause (a) of sub-section (5) of section 40A shall not be taken into account for the purposes of sub-clause (A) or sub-clause (B), as the case may be."

[पृष्ठ 7 33] से लेकर 37 तक की पंक्तियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें—

"अत्यधिक या युक्तियुक्त है किन्तु इस प्रकार के उपखण्ड (1) में निर्दिष्ट किसी एक व्यक्ति की बाबत ऐसे व्यय या भत्ते के योग के सम्बन्ध में कटौती किसी भी दशा में निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी —

(क) जहां ऐसा व्यय या भत्ता उस पूर्व वर्ष में समाविष्ट ग्यारह मास से अधिक कालावधि से सम्बन्धित है वहां, बहत्तर हजार रुपए की रकम;

(ख) जहां ऐसा व्यय या भत्ता उस पूर्व वर्ष में समाविष्ट ग्यारह मास से अनधिक कालावधि से सम्बन्धित है वहां, उस कालावधि में समाविष्ट प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए छह हजार रुपए की दर से परिकलित रकम :

परन्तु उस दशा में जहां ऐसा व्यक्ति उस पूर्व वर्ष में समाविष्ट किसी कालावधि के लिए कम्पनी का कर्मचारी भी है वहां, धारा 40 क की उपधारा (5) के खण्ड (क) के द्वितीय

परन्तुक के खण्ड (i), (ii), (iii). और (iv) में निर्दिष्ट प्रकृति का व्यय, यथास्थिति, उपखण्ड (क) या उपखण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा।"] (संख्या 204) । (**श्री यशवन्तराव चव्हाण**)

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी (जालौर) : श्रीमान् मैं अपना संशोधन संख्या 51 प्रस्तुत करता हुं । निदेशकों के वेतन और भत्तों पर जो सीमा लगाई गई है, उसका मैं स्वागत करता हूं किन्तु यह उपबन्ध 28 मई से लागू किया जाना चाहिए । इसी आशय का यह संशोधन है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस संशोधन का आशय मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन में निहित है । अतः मैं इसे स्वीकार नही करता हूं ।

श्री नरेन्द्रकुमार साँघी : श्रीमान्, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया
The amendment was. by leave. withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :
"कि खण्ड 9, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted.

खण्ड 9, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 9,as amended was added to the Bill.

खण्ड 10

श्री शिवनाथ सिंह (भुंझुनू) : मैं अपने संशोधन संख्या 176, 177, 178 और 179 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : मैं अपना संशोधन संख्या 52 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूं

Page 8, lines 23 and 24, for "Provided that in computing the the aforesaid expenditure or allowance,", substitute—

"Provided that where the assessee is a company, so much of the aggregate of—

(a) the expenditure and allowance referred to in sub-clauses (*i*) and (ii) of this clause; and

(b) the expenditure and allowance referred to in sub-clauses (i) and (ii) of clause (c) of section 40,

in respect of an employee or a former employee, being a director or a person who has a substantial interest in the company or a relative of the director or of such person, as is in excess of the sum of seventy-two thousand rupees, shall in no case be allowed as a deduction :

Provided further that in computing the expenditure referred to in sub-clause (i) or the expenditure or allowance referred to in sub-clause (ii) of this clause or the aggregate referred to in the foregoing proviso.'

[पृष्ठ 8 पंक्ति 23–24 "परन्तु पूर्वोक्त व्यय या मोक की संगणना करने में" **के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें—**

"परन्तु जहां निर्धारिती कम्पनी है वहां किसी कर्मचारी या भूतपूर्व कर्मचारी की बाबत, जो निदेशक या कम्पनी में पर्याप्त हित रखने वाला व्यक्ति या निदेशक या ऐसे व्यक्ति का नातेदार है वहां—

(क) इस खंड के उपखण्ड (i) और (ii) में निर्दिष्ट व्यय और मोक;

(ख) धारा 40 के खंड (ग) के उपखण्ड (i) और (ii) में निर्दिष्ट व्यय और मोक,

के योग का उतना भाग जो बहत्तर हजार रुए की राशि से अधिक है, किसी भी दशा में कटौती के रूप में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि इस खण्ड के उपखंड (i) में निर्दिष्ट व्यय की या उपखण्ड (ii) में निर्दिष्ट व्यय या मोक की या पूर्वगामी परन्तुक में निर्दिष्ट योग की संगणना करने में," । [संख्या 205] ।

Page 10, line 2. omit "the value of"

[पृष्ठ 10, पंक्ति 2, "का मूल्य" **का लोप करे**] (संख्या 206)

Page 10, line 4, omit "the value of"

[पृष्ठ 10, पंक्ति 31, "का मूल्य" का **लोप करें**] (**संख्या** 207)

Page 10, line 7, omit "the value of"

[पृष्ठ 10, पंक्ति 7, "का मूल्य" **का लोप करें** ।] (**संख्या** 208)

Page 10, for line 10, substitute—

"(iv) Payment by the assessee of any sum in respect".

पृष्ठ 11, पंक्ति 10, **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित करें** :—

"(iv) निर्धारिती द्वारा किसी बाध्यता की बाबत किसी राशि का संदाय जो यदि ऐसा संदाय न किया जाता तो कर्मचारी द्वारा संदेय होता; तथा" । (संख्या 209)

Page 10, for line 13, substitute—

["(v) Payment by the assessee of any sum, whether."

पृष्ठ 10, पंक्ति 13 तक **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित करें** :—

"(v) कर्मचारी के जीवन के बीमा के लिये या वार्षिकी की संविदा के लिए, चाहे सीधे ही अथवा किसी ऐसी विधि से जो मान्यता प्राप्त भविष्य निधि या अनुमोदित, अधिवार्षिकी निधि से भिन्न है, निर्धारिती द्वारा किसी राशि का "संदाय" । (संख्या 210)

किसी कम्पनी के मालिक द्वारा जो भत्ते या सुविधाएं अपने कर्मचारियों को दी जाती हैं, उन्हें भी, उनका मूल्य चाहे जितना हो, कर निर्धारण के लिए गिना जायेगा। इस संशोधन का यही उद्देश्य है। अन्य संशोधन उपर्युक्त संशोधन के परिणामस्वरूप किये गये हैं।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : कम्पनियों को 5000 रुपये की राशि की छूट दी गई है किन्तु कर्मचारियों को ग्रेच्युटी (उपदान) भी प्राप्त होगा उपदान की राशि को छूट की अधिकतम सीमा अर्थात 5000 रुपये से अलग रखा जाये। इससे मामला और अधिक सरल हो जायेगा।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक संशोधन संख्या 52 का सम्बन्ध है, मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि इससे तो विधेयक का उद्देश्य ही धराशायी हो जाता है।

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu) : Mr. Speaker, the non-taxable income of an individual is Rs. 5000/- per annum. The income more than it is taxed. But in case of business houses or companies it is Rs. 5000/-per mensum. I want that the amount of Rs. 5000 should be per year instead of per month in case of firms also, so that we can collect more income tax from big business houses or concerns.

Shri Atal Bihari Vajpayeee (Gwalior) : Mr. Speaker, I would like to say a few words about this clause. The Finance Minister has tried to project an image that the ceiling has been fixed for the salaries of employees in private concerns. But it is not so, as the provisions of the Bill read. The employer can pay more than the ceiling fixed for this purpose. however according to its provisions the more amount he pays will not be exempted for concession purposes. The Finance Minister should give second thought to it.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : एक विधेयक के माध्यम से इतना ही किया जा सकता है। ऐसा प्रावधान पहले बिल्कुल नहीं था। इस दिशा में यह पहला कदम है। यदि सफलता मिली तो इस दिशा में और आगे बढ़ेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

Page 8, lines 23, and 24, for "Provlded that in computing the aforesaid expenditure or allowanee,", Substitute—

"Provided that where the assessee is a company, so much of the aggregate of—

(a) the expenditure and allowance referred to in sub-clauses (i) and (ii) of this clause; and

(b) the exdenditure and allowance referred to in sub-clauses [i] and [ii] of clause (c) of section 40,

in respect of an employee or a former employee, being a director or a person who has a substantial interest in the company or a relative of the director or of such person, as is in excess of the sum of seventy-two thousand rupees, shall in no case be allowed as a deduction.

Provided further that in computing the expenditure referred to in sub-clause [i] or the expenditure or allowance referred to in sub-clause [ii] of this clause or the aggregate referred to in the foregoing proviso,".

पृष्ठ 9, पंक्ति 6 "परन्तु पूर्वोक्त व्यय या मोक की संगणना करने में" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें—

"परन्तु जहाँ निर्धारिती कम्पनी है वहां किसी कर्मचारी या भूतपूर्व कर्मचारी की बाबत, जो निदेशक या कम्पनी में पर्याप्त हित रखने वाला व्यक्ति या निदेशक या ऐसे व्यक्ति का नातेदार है वहां

(क) इस खंड के उपखंड (i) और (ii) में निर्दिष्ट व्यय और मोक; और

(ख) धारा 40 के खंड (ग) के उपखंड (i) और (ii) में निर्दिष्ट व्यय और मोक,

के योग का उतना भाग जो बहत्तर हजार रुपए की राशि से अधिक है, किसी भी दशा में कटौती के रूप में अनुज्ञात नहीं किया जायेगा;

परन्तु यह और भी कि इस खंड के उपखण्ड (i) में निर्दिष्ट व्यय की या उपखंड (ii) में निर्दिष्ट व्यय या मोक की या पूर्वगामी परन्तुक में निर्दिष्ट योग की संगणना करने में,"
(संख्या 205)

Page 10, line 2, omit "the value of".

पृष्ठ 10, पंक्ति 2, "का मूल्य" का लोप करें। (संख्या 206)

Page 10, line 4, omit "the value of".

पृष्ठ 10, पंक्ति 4, "का मूल्य" का लोप करें। (संख्या 207)

Page 10, line 7, omit "the value of".

[पृष्ट 10, पंक्ति 7, "का मूल्य" का लोप करें।] (संख्या 208)

Page 10, for line 10, substitute—

"(iv) payment by the assessee of any sum in respect"

[पृष्ठ 10, पंक्ति 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें :—

"(iv) निर्धारिती द्वारा किसी बाध्यता की बाबत किसी राशि का संदाय जो यदि ऐसा संदाय न किया जाता तो कर्मचारी द्वारा संदेय होता; तथा"।]
(संख्या 209)

Page 10, for line 13, substitute—

"(v) payment by the assessee of any sum, whether".

[पृष्ठ 10, पंक्ति 13 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें :—

"(v) कर्मचारी के जीवन के बीमा के लिये या वार्षिकी की संविदा के लिए, चाहे सीधे ही अथवा किसी ऐसी निधि से जो मान्यता प्राप्त भविष्य निधि या अनु-

मोदित, अधिवार्षिकी निधि से भिन्न है, निर्धारिती द्वारा किसी राशि का संदाय" ।] (संख्या 210)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : मैं अपना संशोधन संख्या 52 वापस लेने की सभा से अनुमति मांगता हूं ।

संशोधन संख्या 52 सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।
The amendment was, by leave, withdrawn

श्री एस० एन० सिंह (औरंगाबाद) मैं सभा से अपने संशोधन संख्या 176 से 179 तक वापस लेने की अनुमति माँगता हूं ।

संशोधन संख्या 176 से 179 तक सभा की अनुमति से वापस लिये गये ।
The amendment were, by leave withdrawn

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 10, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

खंड 10, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 10, as amended, was added to the Bill

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 11 से 14 तक विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

खंड 11 से 14 तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।
Clauses 11 to 14 were added to the Bill

खण्ड 15 (धारा 80 ग में संशोधन)

अध्यक्ष महोदय : अब हम खंड 15 लेते हैं ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : मैं अपना संशोधन संख्या 56 प्रस्तुत करता हूं । मेरा यह संशोधन साधारण सा है और इससे राजस्व में बहुत अधिक हानि भी नहीं होगी । मैं मन्त्री महोदय से इसे स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं इस संशोधन को मानने में असमर्थ हूं क्योंकि इससे 7 करोड़ रुपये की हानि होगी।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : मैं सभा से अपना संशोधन संख्या 56 वापस लेने की अनुमति मांगता हूं।

संशोधन संख्या 56 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।
The amendment was, by leave, withdrawn

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि खंड 15 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।
The motion was adopted

खंड 15 बिधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 15 was added to the Bill

खण्ड 16 (धारा 80 भ में संशोधन)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 16 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

खंड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 16 was added to the Bill

खण्ड 17 (धारा 80 भ में संशोधन)

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूं :

Page 11, for line 34 to 37, substitute—

'(a) for the word "Where the gross total income of an assessee includes any income by way of—"the following shall be substituted, namely :—

"Where the gross tatal income of an assessee, being—

(a) an individual, or

(b) a Hindu undivided family, or

(c) an association of persons or a body of individuals consisting only of husband and wife governed by the system of community of property in force in the Union territories of Dadra and Nagar Haveli and Goa, Daman and Diu, includes any income by way of—";'.

[पृष्ठ 11, पंक्ति 34 से लेकर 37 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें: —

'(क) "जहां किसी निर्धारिती की सकल कुल आय में कोई निम्नलिखित आय—"

शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें, अर्थात् :—

"जहां निर्धारिती की, जो—

(क) कोई व्यष्टि है, या

(ख) कोई हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब है, या

(ग) कोई व्यक्तियों का संगम है या दादरा और नगर हवेली और गोवा, दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त सामुदायिक सम्पत्ति की पद्धति से शासित केवल पति पत्नी से मिलकर बनने वाला व्यष्टियों का कोई निकाय है,

सकल कुल आय में कोई निम्नलिखित आय—";' ।] (संख्या 211)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

Page **11**, **for** lines 34, to 37, **substitute**—

'(a) for the words "Where the gross total income of an assessee includes any income by way of —", the following shall substituted, namely :—

"Where the gross total income of an assessee. being—

(a) an individual, or

(b) a Hindu undivided family, or

(c) an association of persons or a body of individuals consisting only of husband and wife governed by the system of community of property in force in the Union territories of Dadra and Nagar Haveli and Goa, Daman and Diu, includes any income by way of—";'.

[पृष्ट 11, पंक्ति 34, से लेकर 37 तक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें :—

'(क) "जहां किसी निर्धारिती की सकल कुल आय में कोई निम्नलिखित आय—"

शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें, अर्थात् :—

"जहां निर्धारिती की, जो—

(क) कोई व्यष्टि है, या

(ख) कोई हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब है, या

(घ) कोई व्यक्तियों का संगम है या दादरा और नगर हवेली और गोवा, दमण और दीव के संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त सामुदायिक सम्पत्ति की पद्धति से शासित केवल पति पत्नी से मिलकर बनने वाला व्यष्टियों का कोई निकाय है,

सकल कुल आय में कोई निम्नलिखित आय—";' ।] (संख्या 211)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 17, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 17, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 17, as amended was added to the Bill

खंड 18 से 23 तक विधेयक में जोड़ दिये गये
Clause 18 to 23 were added to the Bill

खंड 24

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 24 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खंड 24 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 24 was added to the Bill

खन्ड 25

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : मैं अपना संशोधन संख्या 134 प्रस्तुत करता हूं ।

इससे मैं यह सुझाव देता हूं कि दर 45 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत कर दिया जाये : मैं अनुरोध करता हूं कि मन्त्री महोदय इसे स्वीकार कर लें ।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : चूंकि माननीय सदस्य का सुझाव विधेयक के उपबन्धों के विपरीत है, अतः मैं इसे मानने को तैयार नहीं हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 134 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।
The amendment was put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 25 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

खंड 25 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 25 was added to the Bill

खंड 26 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 26 was added to the Bill

खंड 27 (धारा 230 का संशोधन)

श्री शिवनाथ सिंह : मैं अपना संशोधन संख्या 165 प्रस्तुत करता हूं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : वित्तीय निगमों और बैंकों की सुविधा की दृष्टि से विधेयक में यह व्यवस्था की गई है, जिसके लिए माननीय सदस्य ने संशोधन दिया है। यह उपबन्ध आवश्यक है। अतः मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपना संशोधन वापस ले लें।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं अपना संशोधन वापस लेने की सभा से अनुमति मांगता हूं।

संशोधन संख्या 165 सभा की अनुमति से वापस लिया गया
The Amendment was, by leave Withdrawn

अध्यक्ष महोदय : मैं खण्ड 27 और 28 को एक साथ मतदान के लिए रख रहा हूं। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 27 और 28 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खंड 27 और 28 विधेयक में जोड़ दिये गये।
Clauses 27 and 28 were added to the Bill

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खंड 29 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

खंड 29 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 29 was added to the Bill

खंड 30

श्री एच० एम० पटेल : मैं अपने संशोधन संख्या 136 और 137 प्रस्तुत करता हूं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं इन संशोधनों को स्वीकार करने में असमर्थ हूं, क्योंकि उन्हें विशेष रियायतें लम्बे समय तक देते रहना वांछनीय नहीं है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 136 और 137 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुये
The amendment Nos 136 and 137 were put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 30 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खन्ड 30 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 10 was added to the Bill

खन्ड 31

श्री एच० एम० पटेल : मैं अपने संशोधन संख्या 138, 139 और 140 प्रस्तुत करता हूं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस विधेयक में ऐसी व्यवस्था की गई है जिसके अनुसार उद्योगपति अपनी पत्नी और बच्चों के नाम अपनी सम्पत्ति उपहार के रूप में न बदल सकें। ऐसा करने से वे सम्पत्ति कर बचा लेते हैं और केवल उपहार-कर देते हैं जो सम्पत्ति कर से बहुत कम होता है। अतः मैं इन संशोधनों को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री एच० एम० पटेल : मैं संशोधन संख्या 138 और 139 को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति मांगता हूं।

संशोधन संख्या 138 और 139 सभा की अनुमति से वापस लिये गये
The amendment Nos. 138 and 139 were by leave withdrawn.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 140 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 140 was put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : कि खण्ड 31 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

खण्ड 31 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 31 was added to the Bill

खण्ड 32

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूं :

Page 21, after line 14, insert–

(i) in clause (iv), the words "and exclusively used by him for residential purposes" shall be omitted with effect from the 1st day of April 1972;

पृष्ठ 21 पंक्ति 14 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित करें —

(i) खण्ड (iv) में "और जिसका प्रयोग वह अनन्यतः निवास के प्रयोजनों के लिए करता है" शब्दों का 1972 की अप्रैल के प्रथम दिन से लोप कर दिया जाएगा,' । (संख्या 212)

Page 21 line 15 for "(i)", substitute "(ii)".

पृष्ठ 21 पंक्ति 15 "(i)" के स्थान पर "(ii)" प्रतिस्थापित करे ।

Page 21, line 20, for "(ii)", substitute "(iii).

पृष्ठ 23, पंक्ति 25, "(ii) के स्थान पर "(iii)" प्रतिस्थापित करें । (संख्या 214)

Page 22, line 7, for "(iii)" substitute "(iv)".

पृष्ठ 22 पंक्ति 7, "(iii)" के स्थान पर "(iv)" प्रतिस्थापित करें ।

Page 22, line **12**, for "(iv)", substitute "[v]"

पृष्ठ 22, पंक्ति 12 "(iv)" के स्थान पर "v" प्रतिस्थापित करे । (संख्या 216)

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : मैं अपनी संशोधन संख्या 61 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल (मुरादाबाद) : मैं अपना संशोधन संख्या 13 और 14 प्रस्तुत करता हूं ।

डा० कर्ण सिंह (बीकानेर) : मैं अपनी संशोधन संख्या 64 और 65 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे संशोधन में 212 संशोधन मुख्य हैं और 213 से 216 तक परिणामी संशोधन हैं। मध्यवर्गीय लोगों को देखते हुए ही मैंने यह व्यवस्था की है कि चाहे मकान अपने रहने के लिए हो अथवा किराये पर दिया हुआ हो, उस पर छूट मिलनी चाहिए। अतः मैं सभा से अपने संशोधन स्वीकार कर लेने का अनुरोध करता हूं ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : आभूषणों पर पिछली तारीख अर्थात् 1963 से कर लगाना उचित नहीं है । इस पर कर इस वर्ष से ही लगाया जाना चाहिए । अन्यथा इससे लोगों को बहुत अधिक कठिनाई होगी । यही मेरे संशोधन का आशय है । मेरा वित्त मन्त्री से अनुरोध है कि वह इस पर गम्भीर रूप से विचार करें और उसे स्वीकार कर लें ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने इस पर अच्छी प्रकार विचार कर लिया है । मैं इसे

स्वीकार नहीं करूंगा ।

डा० कर्ण सिंह : मेरे संशोधन का आशय यह है चांदी के बर्तन या चांदी के पत्र चढ़े बर्तनों को सम्पति-कर से छूट दी जाये । क्योंकि इससे सरकार को आय कम होगी और करदाता की मुसीबत कई गुना बढ़ जायेगी । चांदी के पत्र वाले बर्तनों को किस प्रकार से तोला जायेगा कि उन पर कितनी चांदी है । अत: अनुरोध करता हूं कि मन्त्री महोदय इस संशोधन को स्वीकार कर लें ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जिस उपबन्ध के बारे में यह संशोधन है' उसका उद्देश्य अमीर लोगों द्वारा चांदी के इस प्रकार के अलाभप्रद उपयोग पर रोक लगाना है । यदि उपरोक्त संशोधन स्वीकार कर लिया जाये तो इस उपबन्ध की उपयोगिता ही समाप्त हो जाती है । वैसे चांदी के पत्र चढ़े बर्तनों की समस्या अवश्य है । इस सम्बन्ध में हम यह प्रयास करेंगे कि किसी के साथ अन्याय न हो । अत: मैं इसे स्वीकार करने में असमर्थ हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

Page 21, after line 14, insert—

(i) in clause (iv), the words "and exclusively used by him for residential purpose" shall be omitted with effect from the Ist day of April, 1972;"

पृष्ठ 21 पंक्ति 14 के पश्चात् निम्नलिखित **अन्त: स्थापित करें**—

(i) खंड (iv) में "और जिसका प्रयोग वह अनन्यत: निवास के प्रयोजनों के लिए करता है" शब्दों का 1972 की अप्रैल के प्रथम दिन से लोप कर दिया जाएगा; (संख्या 212) ।]

Page 21. line 15, for "(i)" substitute "(ii)"

[पृष्ठ 21 पंक्ति 15 "(i)" **के स्थान पर** "(ii)" **प्रतिस्थापित करें**] (संख्या 213)

Page 21, line 20, for "(ii)", substitute "(iii).

[पृष्ठ 21, पंक्ति 20, "(ii)" **के स्थान पर** "(iii)" **प्रतिस्थापित करें** । (संख्या 214)

Page 22, line 7, for "(iii)i' substitute "(iv).

[पृष्ठ 22, पंक्ति 7, "(iii)" **के स्थान पर** "(iv)' **प्रतिस्थापित करें** ।] (संख्या 215)

Page 22, line 12, for "(iv)" substitute "(v)"

[पृष्ठ 22, पंक्ति 12, "(iv)" **के स्थान पर** "(v)" **प्रतिस्थापित करें** ।] (संख्या 216)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : मैं अपने संशोधन संख्या 61 को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

संशोधन संख्या 61 सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

The amendment No. 61 was, by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 13 तथा 14 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendment were put and negatived

डा० कर्ण सिंह : मैं संशोधन संख्या 64 को, वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन संख्या 64 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

The amendment No. 64 was, by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 65 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 65 was put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खंड 32, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खंड 32, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 32, as amended was added to the Bill.

खंड 33 से 35

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खंड 33, 34 और 35 को एक साथ लूंगा।

प्रश्न यह है—

"कि खंड 33 से 35 तक विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 33 से 35 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 33 to 35 were added to the Bill.

खंड 36

डा० रानेन सेन (बारसाट) : मैं अपने संशोधन संख्या 148, 149, 150 और 151 प्रस्तुत करता हूं।

श्री एन० के० सांघी : मैं अपना संशोधन संख्या 62 प्रस्तुत करता हूं।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : खण्ड का मुख्य उद्देश्य यही है कि उन व्यक्तियों पर अधिक कर लगाया जाये जिनके पास अधिक धन है। मेरा संशोधन यह है कि 5 लाख रुपये से अधिक धनराशि पर 1 प्रतिशत की बजाये 2 प्रतिशत कर लगाया जाना चाहिये। इससे 5,000 रुपये के स्थान पर 40,000 रुपये की आय होगी। मेरा दूसरा संशोधन यह है कि अगली कर सीमा में '5,000 तथा 2 प्रतिशत' कर के स्थान पर यदि इसे 10,000 तथा 3 प्रतिशत कर

दिया जाये तो इससे सरकार को 30,000 रुपये की आय होगी। सरकार को उन व्यक्तियों से धनराशि प्राप्त करनी चाहिये जिनके पास वास्तव में धन है।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी (जालौर) : मैंने अपने संशोधन संख्या 62 में सम्पत्ति कर पर दी गई छूट को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1,50,000 रुपये किये जाने का अनुरोध किया है। सम्पत्ति कर के क्षेत्र को बढ़ाये जाने के कारण मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री एस. एम. बनर्जी (कानपुर) : मैं डा० रानेन सेन द्वारा प्रस्तुत संशोधनों के बारे में वित्त मन्त्री को सन्तुष्ट करने का प्रयास करूंगा। जब तक सरकार आय की सीमा निर्धारित करने का सुझाव स्वीकार नहीं करती। हम चाहेंगे कि योजना के लिये धन के अधिक साधन जुटाने के उद्देश्य से अमीर वर्ग पर अधिक कर लगाया जाये। जो व्यक्ति अधिक धन कमाते हैं वे ही व्यक्ति कर अपवचन करते हैं। यदि वह अभी संशोधन स्वीकार नहीं करते हैं तो उन्हें इस बात का आश्वासन दिया जाना चाहिये कि वह इस बारे में अन्य कार्यवाही करेंगे।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्यों ने योजना के लिये धन जुटाने के लिये शीघ्र कदम उठाने का उल्लेख किया है। इस समय 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये पर धनकर 1 प्रतिशत है और 5 लाख रु० से 10 लाख रुपये पर 2 प्रतिशत है और 15 लाख से अधिक पर 8 प्रतिशत हैं। अतः हमने जो कार्यवाही की है उससे स्वतः ही धनकर की सीमा निर्धारित हो गई है। कर सीमा को बढ़ाने के बारे में माननीय सदस्यों को धैर्य से काम लेना चाहिये। अतः मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 148, 149, 150 **और** 151
मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए
The amendments were put and negatived

अध्यक्ष महोदय : श्री सांघी अपना संशोधन संख्या 62 वापिस लेना चाहते हैं। क्या सभा उन्हें संशोधन वापिस लेने की अनुमति देती है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

संशोधन संख्या 62 सभा की अनुमति से वापिस लिया गया
The amendment was, by leave withdrawn

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि खंड 36 विधेयक का अंग बने''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adoped

खंड 36 **विधेयक में जोड़ दिया गया**
Clause 36 was added to the Bill

खंड 37 **विधेयक में जोड़ दिया गया**
Clause 37 was added to the Bill

अध्यक्ष महोदय : खंड 38 के बारे में श्री एम. सुदर्शनम और श्री एच. एम. पटेल द्वारा दिये गये संशोधनों के नोटिस नियमानुकूल नहीं हैं। उनके लिये इतना कम समय का नोटिस गया कि उनका अध्ययन भी नहीं किया जा सके। अब प्रश्न यह है

"कि खंड 38 और 39 विधेयक का अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 38 और 39 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 38 and 39 were added to the Bill

खंड 40-(1944 के अधिनियम I में संशोधन)

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल (मुरादाबाद) : मैं अपने संशोधन संख्या 15, 16, 17, 18, 19, 20, और 21 प्रस्तुत करता हूं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं अपने संशोधन संख्या 182, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 192, और 193 प्रस्तुत करता हूं।

श्री जी० विश्वनाथन : मैं अपना संशोधन संख्या 141 प्रस्तुत करता हूं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : मैं अपने संशोधन संख्या 195, 197, 199, 200 और 201 प्रस्तुत करता हूं।

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : मैं अपने संशोधन संख्या 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, और 42 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नवल किशोर सिंह (मुजफ्फरपुर) : मैं संशोधन संख्या 110, 111, और 112 प्रस्तुत करता हूं।

श्री प्रताप सिंह (शिमला) : मैं खण्ड 40 पर अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल : मोटर सिप्रिट साबुन, सिले सिलाये वस्त्र, बिजली के बल्ब आदि का प्रयोग साधारण जनता द्वारा किया जाता है और इससे इनके मूल्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। एक ओर तो माननीय मंत्री इन वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क बढ़ा रहे हैं और दूसरी ओर वह आशा करते हैं कि इन वस्तुओं का मूल्य स्थिर हो जायेगा। यदि इन सब वस्तुओं के उत्पादन शुल्क में वृद्धि की गई तो यह बात निश्चित है कि इन वस्तुओं के मूल्य बढ़ जायेंगे। अतः साधारण जनता और छोटे उत्पादकों को संरक्षण देने के हित में इन वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क में वृद्धि नहीं की जानी चाहिए। मेरे सब संशोधनों का उद्देश्य इन दोनों वर्गों को संरक्षण देना है। पेट्रोल पर लगे कर का भार अन्त में सरकार को सहन करना पड़ेगा क्योंकि देश में 60 प्रतिशत कारें या तो सरकार या किसी संस्था या अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा चलाई जाती हैं। अतः पेट्रोल पर कर नहीं लगाया जाना चाहिये। प्रेसर कुकर पर कर लगाना उचित नहीं है क्योंकि इससे परिवार में आधुनिक वस्तुओं के प्रयोग को प्रोत्साहन मिलता है। इससे देश की

प्रगति का बोध होता है। अतः इस पर उत्पादन कर नहीं लगाया जाना चाहिये। सब वैज्ञानिक परिवर्तन लाने वाली वस्तुओं को संरक्षण दिया जाना चाहिये।

श्री जी० विश्वनाथन (वांडीवाश) : वित्त मंत्री ने साबुन पर 12½ प्रतिशत यथामूल्य शुल्क लगाया है। सरकार ने गरीब जनता का उत्थान करने का भी वचन दिया है। अतः जनता के उत्थान के लिये यह आवश्यक है कि जनता के प्रतिदिन के प्रयोग आने वाली आवश्यक वस्तुओं पर शुल्क नहीं लगाया जाये। साबुन का प्रयोग अब साधारण जनता और गरीब लोगों द्वारा गावों तक में किया जाता है। सरकार को साबुन पर शुल्क नहीं लगाना चाहिये। आशा है कि सरकार इस बारे में मेरे संशोधन को स्वीकार करेगी और साबुन पर लगाये गये शुल्क को वापिस ले लेगी।

प्रेसर कुकर पर 20 प्रतिशत यथामूल्य शुल्क लगाया गया है। अब हमारे देश में भी लोग रसोई में आधुनिक वस्तुओं का प्रयोग करने लगे हैं। हम धीरे-धीरे आधुनिकरण की ओर अग्रसर हो रहे है। हमें लोगों को प्रेसर कुकर की मदद से स्वच्छ और अच्छा खाना बनाने को प्रोत्साहन देना चाहिये। माननीय मंत्री को प्रेसर कुकर पर लगाये गये शुल्क को वापिस ले लेना चाहिये।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि गुलुकोस और उससे तैयार की जाने वाली अन्य वस्तुओं, जिनका प्रयोग दवाइयों और इंजेक्शन के लिये किया जाता है. कर लगाया गया है। इससे दवाइयों के मूल्य में वृद्धि होगी। पेट्रोल के मूल्य 20 प्रतिशत बढ़ाने से टैक्सी और बस के किराये में वृद्धि होगी। पैट्रोल पर इतने भारी कर लगाने की बात समझ में नहीं आती।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr Deputy speaker in the Chair]

पिछड़े क्षेत्रों में ट्रकों द्वारा डीजल का प्रयोग न कर पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप माल भाड़े में वृद्धि होगी और माल के मूल्य में भी स्वभावतया वृद्धि होगी। साबुन पर शुल्क लगाये जाने का छोटे और माध्यम दर्जे के कारखानों पर भी बोझ पड़ेगा। बेल्टिंग इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ने जो ज्ञापन प्रस्तुत किया है उसमें लिखा है कि यदि यह यथामूल्य शुल्क लगाया गया तो वे समाप्त हो जायेंगे। इस प्रकार के अधिकांश कारखानों ने वित्त मंत्री से अपील की थी कि यदि यह शुल्क लगाया गया तो उन्हें बड़े-बड़े उद्योगों के साथ मुकाबला करना पड़ेगा और छोटे कारखानों का अस्तित्व खतरा पैदा हो जायेगा। अतः मंत्री महोदय को इन छोटे कारखानों की स्थिति पर फिर विचार करना चाहिये।

डा० रानेन सेन (बारासाट) : बेल्टिंग उद्योग के कारखाने अधिकांशतया पश्चिम बंगाल में हैं और फिर यह लघु उद्योग है। उपयुक्त शुल्क लगाये जाने से इन लघु कारखानों को डनलप तथा अन्य बड़ी कम्पनियों के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। अतः मंत्री महोदय को यह कर समाप्त कर देना चाहिये।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : गलूकोस पर यथामूल्य शुल्क में वृद्धि करना उचित नहीं है क्योंकि यह बेबी फूड हैं और इसका प्रयोग वृद्धजनों और रोगियों द्वारा भी किया जाता हैं। इसके साथ ही में मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि मुंह पर लगाये जाने वाले

पाउडर, बेबी पाउडर और टेल्कम पाउडर, खुशबू वाले तेल पर लगाये गये कर को भी समाप्त कर दिया जाये क्योंकि इन वस्तुओं का प्रयोग जन-साधारण द्वारा किया जाता है ।

हमारे देश में हथकरघा उद्योग का विकास किया जा रहा है । येउद्योग निर्यात की सद्भावनाओं का भी पता लगा रहे हैं । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि उन सिले-सिलाये कपड़ों पर कर लगाया जाये जिनका मूल्य 35 रुपये से अधिक है । अधिक साधन जुटाने के लिये चित्रकारी वाली वस्तुओं पर अतिरिक्त कर लगाया जाना चाहिये । अतः मेरा सुझाव यह है कि इन वस्तुओं पर 10 प्रतिशत के बजाय 15 प्रतिशत कर लगा दिया जाये । पंखों पर लगाये गये शुल्क को कम किया जाना चाहिये क्योंकि जनसाधारण द्वारा पंखों का प्रयोग किया जाता है, मुझे आशा है कि वित्त मंत्री इन सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे ।

श्री एच० एम० पटेल (ढंढूका) : इन करों का अधिकतर बोझ मध्य वर्ग पर पड़ता है और इसी वर्ग के लोग अधिक परेशान हैं । प्रेशर कुकर, थरमस आदि पर कर नहीं लगाये जाने चाहिये क्योंकि ये प्रतिदिन काम आने वाली वस्तुएं है । वित्त मंत्री को इस वर्ग पर अधिक बोझ नहीं डालना चाहिये । उनके आश्वासन के बावजूद मूल्यों में वृद्धि हो रही है, अतः मेरे संशोधनों क स्वीकार कर लिया जाना चाहिए । चित्रकारी वाली टाइलों पर उत्पादन शुल्क लगाये जाने से छोटे पैमाने के निर्माताओं को बहुत असुविधा होगी, मध्य वर्ग को होने वाली असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार को मेरे संशोधन स्वीकार कर लेने चाहिये ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी (जालौर) : सिनेमटोग्रफिस प्रोजेक्टर पर उत्पादन शुल्क 20% से धटाकर 10% कर दिया जाना चाहिये । यदि आवश्यक समझा जाये तो आगामी वर्षों में इसकी प्रतिशत को बढ़ाया जा सकता है ।

हमारे देश में अच्छी किस्म के कैमरे नहीं बनाये जाते हैं । परन्तु इस पर भी उत्पादन शुल्क लगाये जाने से उनके उत्पादन में बाधा पड़ेगी । मुझे आशा है कि इस सम्बन्ध में मेरा संशोधन संख्या 111 स्वीकार कर लिया जायेगा ।

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : सिले-सिलाये कपड़ों पर कर लगाने का बोझ जन साधारण पर पड़ेगा । अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करुंगा कि वह इन कर प्रस्तावों को वापिस ले लें । थरमस पर लगाये गये कर को भी समाप्त कर दिया जाना चाहिये । यद्यपि मोटर स्प्रिट पर बहुत कम शुल्क बढ़ाया गया है परन्तु इसके परिणामस्वरूप बसों के किरायों में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि हो गई है, अतः वित्त मन्त्री को मोटर स्पिरिट पर लगाये गये कर को कम कर देना चाहिये ।

Shri Pratap Singh (Simla) : Pressure cooker is not a luxuary item and it is used by Comon people.In view of that I request the honrible Minister to reduce the excise duty On Pressur cooker.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने पहले भी बताया था कि हमारी कर व्यवस्था ऐसी है जिसमें हमें अप्रत्यक्ष करों का आश्रय लेना पड़ता है । नये साधन जुटाने के लिये अनेक वस्तुओं पर कर लगाया जाना आवश्यक हो जाता है, फिर भी मैंने जनसाधारण की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए मैदा, मोटे कपड़े आदि पर प्रस्तावित उत्पादन शुल्क समाप्त कर दिया है ।

जहां तक हथकरघे का सम्बन्ध है हमने उसपर कोई अनुचित बोझ नहीं डाला है, छोटे आकार के पंखों पर कोई कर नहीं लगाया गया है। इसी प्रकार जनसाधारण द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले साबुन के मूल्य में भी कोई वृद्धि नहीं की गई है, पेट्रोल के सम्बन्ध में कोई रियायत नहीं दी जा सकती। मैं प्रैशर कुकर पर लगाये गये शुल्क के बारे में संशोधन स्वीकार नहीं करूंगा परन्तु मैं इस बारे में पुनः विचार करूंगा। बेल्टिंग उद्योग के ज्ञापन पर भी हम विचार कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा खन्ड 40 के सभी संशोधन सभा में मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The Amendments were put and Negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि खण्ड 40 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 40 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 40 was added to the Bill

खण्ड 41

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल (मुरादाबाद) : मैं अपना संशोधन संख्या 22 प्रस्तुत करता हूं।

श्री एच० एम० पटेल : मैं अपना संशोधन संख्या 43 प्रस्तुत करता हूं।

डा० रानेन सेन : मैं संशोधन संख्या 157 प्रस्तुत करता हूं।

मंत्री महोदय का कहना है कि निम्न कोटि के कपड़े पर कर से छूट दी गई है परन्तु मध्य कोटि के कपड़े पर अभ भी 6 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से शुल्क लगाया गया है। अतः इस किस्म के कपड़े पर भी शुल्क समाप्त किया जाना चाहिये। मध्य कोटि का कपड़ा भी गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं।

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल : कर लगाते समय किसी विशेष आय वर्ग द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं को कर-मुक्त कर देना चाहिये। इस आय-वर्ग की सीमा 150 रुपये या 200 रुपये प्रतिमास निश्चित की जा सकती है। सूति कपड़े का प्रयोग सामान्यतः गरीब लोग करते हैं। अतः सरकार को अपनी 'गरीबी हटाओ नीति को ध्यान में रखते हुए इस शुल्क को समाप्त कर देना चाँहिये।

श्री एच० एम० पटेल : मध्य कोटी का और मोटा कपड़ा गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं। आज सब से गरीब मध्य वर्ग है जिसे एक उचित स्टैंडर्ड रखना पड़ता है और इसके लिये काफी धन खर्च करना पड़ता है। अतः इस प्रकार की वस्तुओं पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिये।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मोटे कपड़े पर लगाया गया शुल्क समाप्त कर दिया गया है। मध्यम कोटि के कपड़े पर 4·8 पैसे से लेकर 6 पैसे प्रतिवर्ग मीटर के हिसाब से शुल्क लगाया गया है जिसमें केवल 1·2 पैसे प्रति वर्ग मीटर की वृद्धि की गई है। यह बहुत मामूली वृद्धि है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा तीनों संशोधन सभा के मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि खण्ड 41 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 41 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 41 was added to the Bill

खण्ड 42—44

श्री जी० विश्वनाथन (वान्डीवाश) : पर्यटन विश्व का सब से बड़ा उद्योग हैं। इस उद्योग से भारत को बहुत कम आय होती है। हमारे देश में पर्यटकों की संख्या बहुत कम है। अतः हमें पर्यटकों को देश में आने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिये। इस कार्य में विदेश यात्रा पर लगाया गया कर बाधक सिद्ध होगा। एयर इण्डिया को बहुत सी अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों के साथ मुकाबला करना पड़ता है अतः हमें इस काम में एयर इण्डिया को, जोकि सर्वोत्तम सरकारी उपक्रम है, सहायता करनी चाहिये।

यदि विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी तो विदेशी मुद्रा की अधिक आय होगी। मैं आशा करता हूं कि इस बात पर विचार करते हुए विदेशी यात्रा पर लगे कर को माननीय मंत्री हटा लेंगे।

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल : श्रीमान्, विदेशी यात्रा पर लगाये गये कर से अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के बढ़ने में अवरोध आयेगा। दूसरी बात यह है कि इस कर से सरकार को लाभ के स्थान पर हानि होगी। हमें विमान सेवा को अधिक मंहगा नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा विदेशी मुद्रा की भारी हानि होगी, जिसकी विकासशील अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। अतः इस कर पर विचार पुनः किया जाना चाहिये।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : विदेश यात्रा पर लगाये जाने वाले कर के प्रस्ताव को एयर इंडिया इन्टरनेशनल के चेयरमैन श्री० जे० आर० डी० टाटा ने चुनौती दी है। इस आशय के विज्ञापन भी उन्होंने छपवाये हैं। इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय के विचार जानना चाहता हूं। क्या एक निगम का चेयरमैन मंत्री के कर प्रस्ताव का विरोध कर सकता है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह मैं स्वीकार करता हूं कि विदेशी यात्रा पर प्रस्तावित कर एक नया प्रस्ताव है किन्तु इस कर के मूल में कोई गलती

है, यह मैं नहीं मानता। इससे एयर इंडिया को हानि होगी, जहां तक इस बात का सम्बन्ध है, इस पर विस्तार से विचार किया जायेगा। यदि इससे एयर इंडिया को कोई हानि होगी, तो उसके हितों की रक्षा के लिए अन्य उपाय सोचे जायेंगे। कुछ लोगों को यह भ्रम है कि इससे पर्यटन पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। यह कर उन विदेशी पर्यटकों पर नहीं लगेगा, जो विदेशी मुद्रा में भुगतान करते हैं। यह कर तो उन लोगों पर लगाया गया है जो व्यापार तथा अन्य प्रयजनों के लिए विदेशों की यात्रा कर सकते हैं। अतः माननीय सदस्य को इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खण्ड 42 से 44 तक विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 42 से 44 तक विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 42 to 44 were added to the Bill

खण्ड 45

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : मैं अपना संशोधन संख्या 113 प्रस्तुत करता हूं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मुझे संशोधन संख्या 217 और 218 प्रस्तुत करने हैं। मैं निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

Page 41,—

for lines 21 to 24, substitute—

"(2) In accordance with the rules made under this Chapter, the foreign travel tax Shall be collected by the carrier undertaking the carriage of the passengers, or, where the tickets or other relevant documents for such carriage are not issued by such carrier, by the carrier to whom such tickets or other documents relate, as an addition to the fares payable by such passengers and shall be paid to the Central Government.".

[पृष्ठ 41; 21 से 24 तक की पंक्तियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित करें—

[" (2) इस अध्याय के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार, विदेश यात्रा कर, यात्रियों के वहन का परिवचन करने वाले वाहकों द्वारा या, जहां ऐसे वहन के लिये ऐसे वाहकों द्वारा, उन वाहकों द्वारा जिनके नाम ऐसे टिकट या अन्य सम्बद्ध दस्तावेज होते हैं, ऐसे टिकट अथवा अन्य सम्बन्द्ध दस्तावेज जारी नहीं किये जाते हैं, ऐसे यात्रियों द्वारा सन्देश अतिरिक्त यात्री भाड़े के रूप में संगृहीत किया जायेगा। और केन्द्रीय सरकार कों सन्दत्त किया जायेगा।"] (संख्या 217)

पृष्ठ 41, पंक्ति 15,—

" Twenty percent" [पच्चीस प्रतिशत] शब्दों के स्थान पर "fifteen percents [पन्द्रह प्रतिशत] शब्द रखे जायें। (संख्या 218)

संशोधन संख्या 218 में यह स्पष्ट किया गया है कि दर 20 के बजाय 15 प्रतिशत होगी। खंड 46 (क) में विधेयक केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति प्रदान करना है कि वह किसी श्रेणी के यात्रियों को इस कर से मुक्त कर सकती है : पर्यटकों के लिए यह दर 10 प्रतिशत होगी।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : माननीय मंत्री ने यह कहा है कि पर्यटकों या 'इकनोमी' श्रेणी के यात्रियों के लिये कर की दर प्रतिशत होगी और प्रथम श्रेणी के लिए 15 प्रतिशत होगी। इसी कारण यात्री प्रथम श्रेणी में यात्रा न करके 'इकानोमी' श्रेणी में यात्रा करेंगे। इससे एयर इण्डिया को हानि होगी।

अतः हमारा अनुरोध है कि माननीय वित्त मन्त्री हमारा सुझाव मान लें।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं इसका उत्तर पहले ही दे चुका हूं।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : चूंकि माननीय मंत्री मेरा संशोधन स्वीकर करने को तैयार नहीं हैं अतः मैं उसे वापस लेता हूं।

संशोधन संख्या 113 सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

The Amendment No. 113 was, by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

Page 41,—

for lines 21 to 24, **substitute**—

"(2) In accordance with the rules made under this Chapter, the foreign travel tax shall be collected by the carrier undertaking the carriage of the passengers, or, where the tickets or other relevant documents for such carriage are not issued by such carrier, by the carrier to whom such tikets or other documents relate, as an addition to the fares payable by such passengers and shall be paid to the Central Government."

पृष्ट 41, 21 से 24 तक की पंक्तियां **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थपित करे** —

"(2) इस अध्याय के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार, विदेश यात्रा कर, यात्रियों के वहन का परिवचन करने वाले वाहकों द्वारा या, जहाँ ऐसे वहन के लिये ऐसे वाहकों द्वारा, उन वाहकों द्वारा जिनके नाम ऐसे टिकट या अन्य सम्बद्ध दस्तावेज होते हैं, ऐसे टिकट अथवा अन्य सम्बद्ध दस्तावेज जारी नहीं किये जाते हैं, ऐसे यात्रियों द्वारा सन्देय अतिरिक्त यात्री भाड़े के रूप में संगृहीत किया जायेगा और केन्द्रीय सरकार को सन्दत्त किया जायेगा।"| (संख्या 217)

पृष्ठ 41, पंक्ति 15,—

"twenty per cent" [पच्चीस प्रतिशत] शब्दों के स्थान पर "fifteen per cent" [पन्द्रह प्रतिशत] शब्द रखे जायें। (संख्या 218)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 45, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खंड 45 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 45, as amended was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक 46 से 51 तक विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खंड 46 से 51 तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।
Clauses 46 to 51 were added to the Bill

खंड 52 (1898 के अधिनियम 6 में संशोधन)

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : मैं अपने संशोधन संख्या 202 और 203 प्रस्तुत करता हूं । इस कर प्रस्ताव के अनुसार पार्सल के पहले 400 ग्राम वजन पर एक रुपया है और बाद के 400 ग्राम या कम पर भी एक रुपया है । मेरा अनुरोध है कि पहले 400 ग्राम वजन पर 75 पैसे होने चाहिए और उससे बाद में प्रति 400 ग्राम या उससे कम पर 60 पैसे होने चाहिये ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं यह संशोधन स्वीकार नहीं करूंगा । कारण यह है कि यह कर डाक तथा तार प्रशुल्क जांच समिति 1968 की सिफारिश पर लगाया गया है । चूंकि पार्सल सेवा का उपयोग अधिकाँश में व्यापारियों द्वारा किया जाता है, इसलिए पार्सल सेवा पर यह प्रशुल्क लगाया गया है । यदि माननीय सदस्य का संशोधन माना जाये तो उससे सरकार को 2·36 करोड़ रुपये की हानि होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 202 और 203 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए
The amendment Nos. 202 and 203 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 52 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

खंड 52 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clauses 52 was added to the Bill

खंड 53 से 55 तक विधेयक में जोड़ दिये गये।
Clauses 53 to 55 were added to the Bill

प्रथम अनुसूची

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन बहुत सारे हैं। परन्तु संशोधन संख्या 145 और 146 वैसे ही है जैसे कि संशोधन संख्या 23 और 24 हैं।

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल : मैं अपने संशोधन संख्या 23 और 24 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : मैं अपना संशोधन संख्या 68 प्रस्तुत करता हूं।

श्री रानेन सेन : मैं अपने संशोधन संख्या 158, 159, 160, 161, 162, 163 और 164 प्रस्तुत करता हूं।

श्री एस० एन० सिंह : मैं, अपने संशोधन संख्या 170, 171, 172 प्रस्तुत करता हूं।

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल : यदि वित्त मन्त्री सचमुच निर्धन वर्ग के और निम्न मध्यवर्गीय लोगों की सहायता करना चाहते हैं तो उन्हें आयकर से छूट की सीमा बढ़ाकर 7500 रुपये कर देनी चाहिये, क्योंकि ऐसी सिफारिश बूथालिंगम समिति ने भी की थी। दूसरी बात यह है कि विभिन्न वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क तथा अन्य प्रकार का शुल्क बढ़ाया जा रहा है जिससे मूल्य सूचकांक बढ़ता जा रहा है। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि वित्त मन्त्री महोदय मेरे संशोधन स्वीकार कर लें।

डा० रानेन सेन (बारासाट) : मैं उस सिद्धान्त को दोहराता हूं कि जो व्यक्ति अधिक आय कर देने में समर्थ हैं उनसे अधिक आयकर वसूल किया जाना चाहिये और जो व्यक्ति गरीब हैं उनसे कम आयकर वसूल किया जाना चाहिये। मैंने यह कभी नहीं कहा कि उन पर "कभी भी कर नहीं लगाना चाहिए"

न्यूनतम कर की छूट की सीमा 6000 रुपये तक बढ़ाई जानी चाहिये। 500 रुपये प्रति-मास वेतन वाले के लिये अपना घर का खर्च चलाना ही कठिन है। अतः यह छूट दी जानी आवश्यक है।

1000 रुपये प्रतिमास वेतन पाने वाले व्यक्ति की आय पर 10 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाना चाहिए। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि 10,000 से 20,000 रुपये की वार्षिक आय वाले व्यक्ति की आय में थोड़ी छूट दी जानी चाहिए और 6000 रुपये की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को कर से मुक्त कर दिया जाना चाहिये।

छोटी सहकारी समितियों पर बहुत अधिक कर लगाया गया है। इसके कारण सहकारी समितियों को भारी हानि हो रही है। 10,000 रुपये की आय वाली फर्मों पर कुछ भी कर नहीं

लगाया गया है। मेरे विचार में सिद्धान्त यह होना चाहिये कि जितनी अधिक आय हो उतनी ही अधिक दर पर कर लगाया जाना चाहिये।

श्री जी० विश्वनाथन (वान्डीवाश) : जब मूल्यों में निरन्तर वृद्धि हो रही हो तो कर की छूट सीमा स्थिर नहीं रह सकती मध्यवर्गी लोगों पर कर का भारी भार डाला गया है। वे स्थायी लोकतन्त्र के आधार हैं। यदि कर की छूट सीमा 7500 रुपये बढ़ा दी जाये तो उन्हें परेशानियों से बचाया जा सकता है। इससे वित्त मन्त्रालय को भी लाभ होगा क्योंकि उसे छोटी रकम की वसूली के लिये धन खर्च नहीं करना पड़ेगा।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : कर छूट सीमा को कम से कम 6,000 रुपये तक बढ़ाया जाना चाहिये। आयकर की वसूली एक समय पर न कर भिन्न भिन्न समय पर किया जाना चाहिये।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी (जालौर) : सब समितियों की मुख्य सिफारिशें यह ही थीं कि निम्न कर सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुये कि वस्तुओं के मूल्य बिढ़ रहे हैं और रुपये का मूल्य गिर रहा है क्या यह ठीक नहीं कि यदि कर लगाने की सीमा को 6000 रुपये तक कर दिया जाये तो इससे काफी राहत मिलेगी हम वित्त मन्त्री से इस बारे में कुछ रयायत की आशा करते हैं।

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu) : The income-tax exemption limit should be raised to rupees 6000. this year and it should further be raised to Rs. 75000 next year. It will give great relief to the persons in service.

The co-operative socities will receive a great set back is 15 percent tax is imposed on them. There should be no tax on the income upto Rs. 10,000 of the co-operative society.

Registered societies have been fully exempted from tax upto first 10,000 rupees. The tax on registered socities should be increased and exemption on tax should be given to cooperative societies.

I will request that the exemption limit for the person in service should be Rs. 6000 and there should be no tax on the first 10,000 rupees of the income in cooperative societies.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Exemption limit should be raised to Rs. 7000. It is necessary for realising tax from big businessmen also. Enough labour is wasted on calculating income tax of the people having small income. As a result of it persons having very big income are not paying income tax. The exemption limit should be Rs. 7500 but if the Finance Minister is prepared to do it Rs. 6000. We are prepared to take back our demand of raising the limit to Rs. 7500.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मुझे इस मांग के प्रति सहानुभूति है। लेकिन गत वर्ष ही छूट सीमा को 4000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये किया गया था। इस वर्ष भी हमने इसमें कुछ रियायतें दी हैं।

बड़ी आमदनी वाले वर्ग की आय का अच्छी प्रकार से जाँच करने के लिये हमने अपने प्रशासनिक ढांचे में सुधार किया है। प्रत्येक मामले में जांच करने की बजाये कुछ चुने हुए मामलों में जांच की जा सकती है।

सहकारी समितियों की 20,000 रुपये की प्रथम व्यापारिक आय पर अभी भी छूट दी गई है। हमने सब श्रमिक और मछली पालने सम्बन्धी सहकारी समितियों को आयकर से पूरी छूट दी हुई है।

यदि किसी सहकारी समिति की आय 20,000 रुपये से अधिक नहीं होती तो उसे आयकर से पूरी छूट दी गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं सब संशोधनों को एक साथ सभा में मतदान के लिये रखूं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कृपा करके संशोधन संख्या 23 को अलग से सभा में मतदान के लिये रखें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि पृष्ठ 45, पंक्ति 14 में (Rs. 5000) ("5000 रुपये") के स्थान पर (Rs. 7000) ("75000 रुपये") रखा दिया जाये। (23)

लोक सभा में मत विभाजन हुआ
Lok Sabha divided

पक्ष में : 24 : विपक्ष में 71
Ayes : 24 : Noes 71

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ
The Motion was negatived

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं और सब संशोधन सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय प्रस्ताव सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए
The amendment were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि "प्रथम अनुसूची विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

"प्रथम अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई
The first Schedule was added with to the Bill

दूसरी अनुसूची

श्री शिवनाथ सिंह : मैं अपना संशोधन संख्या 174 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 174 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि "दूसरी अनुसूची विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

दूसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई

The second Schedule was added to the Bill

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

Clause 1. the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूं कि "विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये"

Shri Atal Bihari Vajpayee : The exemption given by the Finance minister is in sufficient. Rupees 7 crores have been provided for the refugees from East Bengal. But this amount is not enough. Not only the prices of these goods have been increased on which taxes have been levied but the prices of these goods have been increased on which taxes have not be imposed. The li,e of general public has become mor troublesome.

It appears that a supplementary budget will be presented soon. No body can be against cooperating with the Government in looking after the refugees from Bangla Desh. But if the common man has to be exhorted to bear more burden. The Government should adopt more effective policy on Bengla Desh. It will take a long time to solve the problem of refugees. The Government should inspire the people to make more sacrifices. Neither the Budget nor the prime minister's policy in regard to Bangla Desh inspire the people to bear more burden.

I am sorry to say that the Prime Minister, while addressing the demonstrators, and that the opposition is showing mean mentality, may I know whether it is means to oppose the policy of the Government.

श्री रामसहाय पांडे (राजनदगांव) : सभा से बाहर से दिये गये वक्तव्य का सभा में उल्लेख नहीं किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वक्तव्य असंसदीय नहीं है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है।

श्री अमृत नाहटा : श्री वाजपेयी ने स्वयं कहा है कि प्रधान मंत्री ने 'Mean' शब्द का प्रयोग किया है। उसका अर्थ 'कमीनापन' नहीं है।

श्री आर० एस० पांडे : यदि यह सच है कि 'Mean' शब्द का प्रयोग किया गया है, तो मुझे श्री वाजपेयी द्वारा उसके प्रयोग पर कोई आपत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को लेते हैं ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 5 वे प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

MOTION RE. FIFTH REPORT OF THE COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS.

श्री मती ज्योत्सन चन्द (कचार) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के पांचवें प्रतिवेदन से जो 28 जुलाई, 1971 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैरसरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्वन्धी समिति के पांचवे प्रतिवेदन से जो 28 जुलाई, 1971 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

सँविधान संशोधन विधेयक पास करने हेतु संयुक्त बैठक की व्यवस्था के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE. PROVISION OF JOINT SITTING FOR PASSING GONSTITUTION AMENDMENT BILL

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शशि भूषण द्वारा 16 जुलाई, 1971 को पेश किये गये निम्न-लिखित संकल्प पर आगे विचार किया जायेगा ।

"इस सभा की राय है कि संविधान में इस प्रकार का संशोधन किया जाये कि उसमें संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को, जब ऐसा विधेयक लोक सभा द्वारा पास किये जाने पर राज्य सभा द्वारा अस्वीकृत किया जाता है, पास करने के लिए संसद की दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक करने के लिये स्पष्ट उपलब्ध हो ।

श्री अमृत नाहाटा (बाडमेर) : राज्य सभा का गठन इस प्रकार का है कि उसे इस सदन के समान शक्तियां कभी भी नहीं मिल सकती । एक स्थायी सदन होने के नाते यह कभी कभी जनता की आकांक्षाओं को प्रकट नहीं करती है ।

[**श्री के० एन तिवारी पीठासीन हुए**
Shri K. N. Tewari in the Chair]

इस सभा का वर्तमान गठन पहले के सदन से बहुत भिन्न है। उसमें आमूल परिवर्तन हो चुका है। परन्तु राज्य सभा में ऐसा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है कभी कभी इसे राज नारायण सभा कहा जाता है।

सभापति महोदय :कृपया ऐसे शब्द प्रयोग न करें।

श्री अमृत नाहाटा : प्राय : ऐसा होता कि कोई विधेयक इस सभा द्वारा पारित हो जाता है और दूसरी सभा द्वारा पारित नहीं होता तो उसके लिये दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था है। धन विधेयकों के सम्बन्ध में इस सदन को ही शक्तियाँ प्राप्त हैं राज्य सभा जो कि राज्य का प्रतिनिधित्व करती हैं, को धन विधेयको के सम्बन्ध में कोई शक्ति प्राप्त नहीं है।

संवैधानिक शक्ति धन विधेयक को पारित करने की शक्ति से महत्वपूर्ण है अतएव संविधान में संशोधन करने के मामले में इस सदन को ही सर्वोपरि शक्ति मिलनी चाहिए। यह ठीक है कि राज्यो से सम्बन्धी अनुच्छेदों में संशोधन करने के मामले में ससद को पूर्ण अधिकार नहीं मिलने चाहिए। राज्य सभा को इस सभा के बराबर संवैधानिक शक्तियां देने में कोई औचित्य नहीं है। साधारण कानूनों के मामले में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था है। मैं समझता हूं कि संविधान के मामलो में वैसी ही व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्री दशरथदेव (त्रिपुरा पूर्व) : मैं समझता हूं कि श्री शशी भूषण द्वारा 16 जुलाई को रखा गया प्रस्ताव व्यावहारिक है तथा कुछ तर्कों पर आधारित है यदि संविधान संशोधन विधेयकों पर संयुक्त बैठक की व्यवस्था संविधान में होती, तो प्रिवी पर्स का विधयक पारित हो गया होता।

हम इस देश में प्रजातन्त्र का विकास कर रहे हैं। प्रजातन्त्र में किन्हीं व्यक्तियों के विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता। मैं उसी जाति से सम्बन्ध रखता हूं जिसमें त्रिपुरा के भूतपूर्व शासक का सम्बन्ध है। वहां के राजाओंने प्रजा को अशिक्षित रखा।

अतएव मैं समझता हूं कि संविधान संशोधन के मामले में संयुक्त बैठक की व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री जी० विश्वनाथन (वाडीवारा) : जब प्रिवी पर्सो का विधेयक राज्य सभा में पारित नहीं हो सका तब सरकार भी संयुक्त बैठक के पक्ष में नहीं थी।

हमारा संविधान पूर्णत: संघीय ढंग का नहीं है। ऐसे शासन में राज्यों को समान शक्तियां मिलनी चाहिए और इस सम्बन्ध में राज्य सभा को महत्वपूर्ण भूमिका निबाहनी होती है।

राज्य सभा के सदस्य विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं के चुने हुए सदस्यों द्वारा चुने हुए सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। अतएव यह नहीं कहा जा सकता कि वे जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं। राष्ट्रपति का चुनाव भी जनता द्वारा नहीं होता परन्तु हम नहीं कह सकते कि वे जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं।

संयुक्त वैठक की व्यवस्था करना राज्य सभा की शक्ति की हीनता है ।

कुछ सदस्यों ने राज्य सभा के बने रहने पर विरोध प्रकट किया है । इस मामले पर प्रसिद्ध वैधानिक विशेषज्ञों ने विचार किया था और वे लोग इसे रखने के पक्ष में थे । बहुमत सदैव ही न्याय संगत मत नहीं होता । अतएव मैं इस संकल्प का समर्थन नहीं कर सकता ।

Shri R. V. Bade (Khargone) : I feel that the hon. Members has not cared to give attention to the important rule of Rajya Sabha. A member of Parliament means member of either house of Parliament. Rajya Sabha can act as a check against a steam roller majority in this house and also against the hasty actions thereof The mover has brought it as a result of the fate of the Privy Purses bill.

The Constitution makers had made the provision of Rajya Sabha after a careful thought. Attempts are now being made to work the lowers of Rajya Sabha. They even want to do away with Rajya Sabha our Constitution is federal as well as unitary and it is very necessary to have a record chamber, Tnere are upper house in U. K. and U. S. A. and they have proved their worth. It is not proper to limit the lowers of Rajya Sabha. So I strongly oppose this resolution.

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : The purpose two this resolution is to provide for a joint sitting of the two house in Constitutonal matters as is being done in the case of legislative matters.

In our country there are capitalists who would make use of any law that may be enacted. The hon. member also belong to that group. There is no question of abolishing Rajya Sabha but even if it is abolished it is not going to make any difference. The laws of the land are intended from the common league and the capitalists are not included,

I want to say that it is necessary to Change the entire Constitution. Our Constitution should be simple.

In the event of difference of opinion, a metting of joint sessino of the two house be called ferm. With these words I support this resolution.

विधि और न्याय मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं समझता हूं कि दोनों पक्षो द्वारा व्यक्त विचारों में पर्याप्त सार है । यह सही है कि यह सदन जनता का अधिक प्रतिनिधित्व करता है । मैं मानता हूं कि प्रस्ताव पर ध्यान पूर्वक विचार किया जाना चाहिये । परन्तु यदि संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक की व्यवस्था की जाती है तो ऐसे संशोधन का राज्य सभा द्वारा भी पारित किया जायेगा । हमें ऐसे संशोधन के लिये न केवल राज्य सभा द्वारा अपितु राज्य विधान सभाओं द्वारा भी विचार किया जायेगा । मैं प्रस्तावक सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार प्रस्ताव के पक्ष में व्यक्त विचारों को ध्यान में रखेगी ।

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister has given an assurance that the Government will give cereful Consideration to this resolution. I have full faith that the hon. Minister will take appropriate steps in this regard.

This Resolution has received support from almost all political parties except one. As a matter of fact the Jana Saugh has not given its support to the motion because it bears allegience to the Constitution which are in fovour of the rich and the princes.

A similar Resolution is being Considered in Rajya Sabha and it is receiving over whelming support there. It enhances the status and dignity of Rajya Sabha.

It has been said that according to the Conventions in England, any wrong decision taken by the Lower House can be redressed by the Upper House but Lok Sabha is House which is directly elected by the people and any decision taken by mejority in this House cannot be wrong.

Mr. Chairman : Mr. Daga, are you withdrawing your amendment?

Shri M. C. Daga (Pali) : I withdraw my amendment.

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया

Amendment was, by leave, withdrawn

संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया

The Resolution, was, by leave, withdrawn

बंद हुये औद्योगिक एककों को सरकारी उद्यमों के रूप में चलाने के लिए नियंत्रण में लेने के बारे में संकल्प

Resolution Re : Taking over of closed Industrial Units as Public Enterprices

श्री गदाधर साहा (बीरभूम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"इस सभा की राय है कि सरकार उन सभी कारखानों और औद्योगिक एककों को, जो देश के विभिन्न भागों में गत पांच वर्षों के दौरान बन्द कर दिये गये हैं, अपने अधिकार में लेने के लिए तुरन्त और प्रभावी कदम उठाये और उन्हें सरकारी उद्यमों के रूप में चलाये।"

[**श्री आर० डी० भंडारे पीठासीन हुये**
Shri R. D. Bhandara in the Chair]

सरकारी वक्तव्यों के अनुसार 50 से अधिक सूती कपड़ा मिलें समूचे देश में बन्द पड़ी हैं जिसके परिणामस्वरूप लाखों श्रमिकों को काम में हानि हो रही है और पश्चिम बगाल में लगभग 20 सूती कपड़ा मिलें बन्द पड़ी हैं जिनके कारण हजारों श्रमिकों को नुकसान हो रहा है। दक्षिण भारत में छोटी सूती कपड़ा मिलें गम्भीर संकट में हैं और इस तरह के उद्योगों का बन्द होना दैनिक घटनायें हो गई हैं।

इन कारखानों के अतिरिक्त उस अवधि में छोटी खानें, पटसन मिलें और चीनी की मिलें भी बन्द की गई थीं। बीरभूम जिले में, जो कि पश्चिम बंगाल का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है, अहमदपुर में एक चीनी मिल बन्द हो गई है। मेरे विचार से कारखानों का बन्द होना सरकार द्वारा गत दो दशकों से अपनाई जा रही नीति का परिणाम है।

सूती कपड़ा उद्योग में सरकार ने स्वचालित करघों को चालू करने का साहस किया है जबकि मजदूरों ने इसका विरोध किया है। जिन बड़े व्यापारिक-गृहों को स्वाचालित करघे

चलाने की अनुमति दी है, उन्हें इससे छोटे एककों की अपेक्षा अधिक लाभ होगा। छोटे उद्योगों के लिए बड़े उद्योगों के सामने खड़े होने और मुकाबला करना कठिन है। कपड़े के जो कारखाने बन्द हैं उनमें से ज्यादातर छोटे और मध्यम श्रेणी के हैं। इन छोटे उद्योगों के लिये सरकार सदैव ऊपरी सहानुभूति दिखाती है।

सूती कपड़ा उद्योग में कच्चे माल की भी कमी है। पी० एल० 480 रूई पर भरोसा करने वाली सरकार की नीति ने देश में रुई के उत्पादन को ठेस पहुंचाई है। भारत, जो कभी रुई का निर्यात करता था, अब 90 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की रुई का आयात कर रहा है और इस प्रकार हमारी काफी विदेशी मुद्रा नष्ट हो रही है। इसके अतिरिक्त हमारे देश में रुई का उत्पादन बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि रुई का व्यापार पूर्णतया सट्टेबाजों के हाथों में है।

छोटे इन्जीनियरी कारखानों के लिये कच्चे माल की कमी है।

यही स्थिति छोटी खानों की है। कुछ छोटी खानें बड़ी खानों के साथ माल के क्रय-विक्रय के मामले में प्रतिस्पर्धा करने में अपनी असमर्थता के कारण बन्द हो गई हैं। इसके अतिरिक्त वे माल-डिब्बों की कम सप्लाई के कारण भी बन्द हुई हैं। रेल मन्त्रालय, और सरकारी नीति इसके लिए जिम्मेदार है।

हाल ही में सरकार के संरक्षण से प्रोत्साहित होकर नियोक्ताओं ने कारखाने बन्द करने का नया तरीका अपनाया है और जब भी श्रमिकों की ओर से मांगपत्र प्राप्त होता है तो श्रमिकों को विवश करने के लिये वे डराने धमकाने वाले ढंग का आश्रय लेते हैं। वे श्रमिकों की संख्या कम कर देते हैं या वे ज्यादती और छंटनी तथा उन्हें अपने अपने कार्यभार में वृद्धि को स्वीकार करने के लिए विवश कर देते हैं।

मजदूर संघ आन्दोलन के लिए यह एक गम्भीर समस्या है। जब तक बन्द हुये कारखानों को सरकार अपने नियन्त्रण में नहीं लेती तब तक कारखानों को बन्द करने की प्रवृत्ति रोकी नहीं जा सकती।

अतः मेरा सुझाव है कि उद्योगों के बन्द किये जाने पर सरकार को रोक लगानी चाहिये। जैसे ही उद्योगों के मालिक कारखानों को बन्द करने के नोटिस दें, सरकार को कारखाने बन्द करने के कारणों की जाँच करनी चाहिये। अन्य मामलों में सरकार को उन्हें कारखाना बन्द करने की अनुमति दिये बिना तत्काल कम्पनी का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लेना चाहिये। सरकार को उन्हें पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल सप्लाई करना चाहिये और राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता देनी चाहिए।

सरकार उन कारखानों को करों में छूट दे सकती है जो वित्तीय संकट में हैं।

बड़े-बड़े उद्योगपतियों को उदारता से आयात लाइसेंस देने की वर्तमान नीति में परिवर्तन करना चाहिए। छोटे एककों के लिए सब प्रकार की सुविधायें उपलब्ध की जानी चाहिए। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना है कि किसी कारखाने को अपने हाथ में लेने के पश्चात् वहां के सभी कर्मचारियों को उन्हीं शर्तों पर वापस सेवा में लिया जाये और उन्हें उतना ही वेतन दिया जाये जितना उन्हें पहले मिलता था।

सभापति महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ;

"इस सभा की राय है कि सरकार उन सभी कारखानों और औद्योगिक एककों को, जो देश के विभिन्न भागों में गत पांच वर्षों के दौरान बन्द कर दिये गये हैं, अपने अधिकार में लेने के लिए तुरन्त और प्रभावी कदम उठाये और उन्हें सरकारी उद्यमों के रूप में चलाये।"

क्या श्री मूलचन्द डागा अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : जी हां, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संकल्प के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

'ऐसी अवस्था में जबकि भारत सरकार द्वारा उन्हें भिन्न-भिन्न राज्य सरकारों के माध्यम से दी गई वित्तीय सहायता के बाद भी उन्हें चलाये जाने के प्रयास असफल हो जायें।'

सभापति महोदय : अब संशोधन सभा के समक्ष रखा हुआ है।

Shri M. C. Daga (Pali) : Inspite of our three Five Year plans, we have not succeeded in providing jobs to all the people in our country. Now-a-days the mill-owners and industrialists close down their units. The Government is being approached to take over the closed down units at inflated value. Instead of taking them over, new mills should be established by the Government to give jobs in the unemployed. Our labour Department and officers have proved dishonest. They have led the Government to take over such mills against lakhs of rupees in which the machines are worn-out

The political parties incite trade unions for strikes which result in loss of production in the country.

Some of the trade union leaders work as the agents of mill-owners and they deliberately cause the mills to be closed down for their selfish Ends.

The labour Departments in the States are not vigilant towards the protection of rights of the workers. In legal cases there is no provision to extend to help labourers.

The hon. members has said in his resolution that the Government should take over all the factories and limits which have been closed down during the last five years. In this regard I suggest that the mill owners, who want to close their units, should give five or six months prior notice of their intention so that the Government can look into the causes of the closure. Why our public sector units go in loss to-day ? The persons who have no experience are entrusted with the task of units in the management. Such persons should be asked to leave their job.

This problem will not be resolved merely by passing this resolution. In the present circumstances there would be no use of passing this resolution because if it is passed and the Government takes over the closed units, they will have to pay heavy compensation to the mill-owners. Moreover Public Sector is already suffering loss to the fine of Rs. 33 crores annually. Unless the whole set-up is changed, it would not be possible for Government to run them successfully.

*श्री सिद्धरामेश्वर स्वामी (कोप्पल) : सभापति महोदय, मैं संकल्प का समर्थन करना नहीं चाहता हूं क्योंकि सरकारी क्षेत्र में पहले ही 90 से अधिक उपक्रम चल रहे हैं, जिनमें सरकार ने 4,000 रुपये की बहुत बड़ी पूंजी निवेश कर रखी है ।

इतना अधिक निवेश करने के उपरान्त भी हमें अब तक एक पाई का भी लाभ नहीं हुआ है बल्कि इनमें काफी मात्रा में घाटा हो रहा है ।

हमारे देश में लगभग 600 सूती कपड़ा मिलें हैं जिनमें से लगभग 100 मिलें या तो बंद हो चुकी हैं या घाटे में चल रहीं हैं ।

जब सरकार अभी तक स्थापित किये गये कारखानों में स्थिरता नहीं ला पायी है तो फिर यह सुझाव देना कि, सरकार को घाटे में चल रही अथवा बंद की जा रही कम्पनियों को अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिए, ठीक नहीं होगा ।

मैं माननीय सदस्य से संकल्प वापस लेने का अनुरोध करता हूं ।

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : Many of the mill-owners of Bihar took loans from the Government and established their units. Now they do not want to refund their loans and with a view to escaping from their liability to refund the loans they are talking of liquidation because they have already earned several times more profit as compared to their investment. Therefore, the Government should consider to take over not only those units which are under liquidation but also those units should be taken over which are running in profit.

Socialism can be ushered in the country only through rapid industrialisation with an eye on bringing parity in the social structure. This has been reiterated by members of the Ruling Party also. All such industries as are silk should be nationalised to ensure more production and increased amenities to labour, unless we bridge the gap between the rich and the poor we can not hope to bring Socialism. Big conerns and industrialists should not be, allowed to claim as much compensation as they desire for taking over side units and buldings, like the Birla house. This hardly Sewes the ends of Socialism.

Shri Amrit Nahata (Barmer) : Sir, I respect and support the sprit of this Resolution. Coming to the Textile industry in India, we should condemn the selfish motives of such industrialists as have directed the profits into other more profitable venturs like the manufacture of synthetic fibres resulting in closure of many cotton textile mills in the country. That is why today 87 mills have closed down and 200 more are facing the threat of closure. Such unscruplous industrialists do not have production, labour welfare and country's interests at their heart—on the other hand their sole aim is profiteering. I would rather say that this mixed economy is an unmixed evil. Public Sector cannot succeed as long as Private Sector is there.

It is not sufficient to control only the Commanding heights of economy but the lucrative heights must also be controlled. All the moncply industries should be under the State. Wherever mills have closed down. either there was embezzlement or profits had

* मूल कन्नड़ में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।
*English translation of the speech delivered in Kannada.

been diverted and Jupitor mill and the one at Ahmedabad may be handed over to labour if Government is not ready to take them over. They are ready to run them.

Our policy in this regard should be employment-oriented. If the state Government conerned and even if the Textile corporation are not able to re start them, let the Central Government step in and restart them.

The aim of workers-participation is not achieved merely by including one labour representative in the Board of Directors. Worker's committees should be set up for shop and departmental level and those should be consulted in all matters. With these words I support the motion.

Shri Hemendra Singh Bavera (Bhilwara): I support this resolution because I want Government to take over all the closed mills so that they might be re- started in an original manner and production may also go up. We can not run with the hares and hunt with the bounds simultaneously.

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : The most glaring feature of post 1947 era is the widening gulf of disparities between the rich and the poor (**Interruptions**) But now armed with fresh and overwhelming mendate such state of affairs shall not be allowed to continue. If Morarji Desai would have been with us today. Because Nationalisation would not have been done.

To day, we have been able to purge our party of all such half baked Socialists and reactionaries. We shall now follow the path of Socialism unhindered and steadfastly. Ours is a very vast country of 56 crore people and any-thing produced in the flow of economy finds ready market in the country but industry which is a synthesis of five M's—Viz, Money, Machine, Manpower, material and Market became subsequent to money which was grabbed by Industrial-tycoons by fair means, and foul. I do not understand why such a situation was allowed to develop ? Why are the Directors of closed mills not put on trial ? If the real profit of a mill were plughed back into it, the mill would never have faced closure. A glance at the character of owners of all those mills which have been closed, would reveal that they are all hoarders and mis-appropriators. Now when they have sucked the entire-life blood of the industry, they want Government to take over the sick units and re-start them with Government money. I beg to submit that in Rajnandgaon there is a mill controller. He has earned huge profits and now he wants to quit. His financial affairs should be thoroughly looked into and he should be brought to look if found guilty. Now that we are armed with fresh mendate, a Commission may be set up to go into the records and financial assests of all the Directors of mills which have been closed down and there after legal action be taken against them. This lost and expliotation must stop. Let all the closed units be taken over, but they should not be handed over back to them. No compensation need be given for any such take over. With these words I honour the sentiments of the Resolution and I would be very happy if it is passed.

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और गम्भीर मामला है। कोई भी उद्योग आरम्भ में ही लाभ नहीं कमाने लगता, सरकार को भी अब तो इसका अनुभव हो चुका है । बन्द इकाइयों, विशेषकर बन्द कपड़ा मिलों के संदर्भ में यह कहा जायेगा कि कच्चा

माल,, मशीनें, इनके पुर्जे आदि अब देश में ही उपलब्ध हैं और किसी भी बन्द मिल को एक वर्ष के भीतर पुनः चालू किया जा सकता है।

अभी कुछ दिन पहले श्री मोहन कुमारमंगलम ने सभा को बताया था कि हिन्दुस्तान स्टील की मशीनें पुरानी और बेकार हो गई हैं तथा उनके रखरखाव की एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। अभी हिन्दुस्तान स्टील से लाभ होना तो शुरू हुआ नहीं और मशीनें पुरानी हो गई हैं। अतः औद्योगिक उन्नति में मशीनों के रखरखाव की समस्या और तकनीकी प्रगति शामिल है।

हमारे देश के अधिकतर उद्योग निजी क्षेत्र में हैं। हम उन्हें समाप्त नहीं कर सकते। यह सच है कुछ लोग जनता को लूट रहे हैं। पर ऐसे लोग भी हैं जो राष्ट्रीय भावना रखते हैं। हम सबको एक लाठी से नहीं हांक सकते। अब हमारे सम्मुख पहला मुख्य कार्य है निजी क्षेत्र में बन्द हुए कारखानों को फिर से चलाना। यदि सरकार उन्हें अपने हाथ में लेती है तो वह करदाताओं पर और भार लादती है क्योंकि सरकार के लिए इस समय खर्च और आय के बीच की खाई को पाटना बड़ा मुश्किल है। अब हमारा कर्त्तव्य यह है कि जिन लोगों ने उन्हें इस स्थिति तक पहुंचाया है उनसे इन्हें लेकर अधिक अच्छे लोगों के हाथ में दें तथा इसके लिए उन्हें पैसा दें अब प्रश्न उठता है कि पैसा आयेगा कहां से।

सरकार के पास तो रुपया है नहीं। ऐसी स्थिति में मेरा सुझाव है कि यदि भारत में ही करघे और मशीनें बनाई जायें तो और अधिक नोट छापने में कोई हानी नहीं है।

प्रबन्ध व्यवस्था की अकुशलता सूती वस्त्र उद्योग में ही नहीं है वरन् वह सभी उद्योगों में है। अतः हमें १इस योग्यता का विकास करने के लिए प्रशिक्षण का विस्तृत कार्यक्रम बनाना चाहिए। हम अपनी प्रबन्ध क्षमता के कारण ही आज 50 वर्ष में भी अधिक उत्तम प्रकार का इस्पात नहीं बना सके हैं। यही स्थिति सूती वस्त्र उद्योग की भी है। कभी हम इसमें अग्रणी थे पर अब चीन संसार सबसे अधिक सूती वस्त्र बनाने वाला देश है जबकि कपास का उद्गम स्थल भारत है।

इसका मुख्य कारण प्रबन्ध क्षमता और तकनीकी ज्ञान की कमी है। हमें इसे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि इसके अभाव में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमें अपने कपड़े का उचित और पूरा-पूरा मूल्य नहीं मिलता।

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : It will be good to nationalise the production of all consumers goods, as there is a great black marketing in them. We should do away with the m xed economy system as all are tired of it. All the profit giving goods are being produced in private sector and other no profit giving goods in public sector. But the question is that Government takes these industries in their hand only when they start running into loss. And even at that stage supreme court comes in between. And as such when they actually comes into the hands of the Government they are having a big burden of loan on them, sometime even more than the actual assets. But Government have to take it them in the interest of the labourers. So in this connection my suggestion is that Government should take them wherever they find any flow in the management.

The record suggestion is that these industries should not be given the liscence of other industries in the event of closing the previous one.

In foreign contries the industrialists spend ten percent of their profit on industrial research. But in India most of the money is spend by Government but all benefit is taken by the Industries and they keep the research secret because, they do not want to give its benefit to others.

The present practice of giving incentive to the outgoing industrialists in West Bengal by purchasing their buildings etc. On higher prices, should be stopped. This sort of encouragement should not be given to the industrialists who are shifting their industries from West Bengal.

These Industrialists, monopolists, and capitalists are agents of America and are interested in war, because in that case they would be able sell their stocked goods at heigher prices. Therefore I request the Government to make such laws so that these antinationalists may not be able to close their mills. Strict control should be put on the closure of the industries.

श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा पश्चिम) : सभी पक्ष के सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। इस वर्ष का बजट पेश करते समय सरकार का यह कहना था कि हमारे इस बजट में रोजगार देने के अवसर बढ़ाने की ओर अत्यधिक ध्यान दिया गया। अब उनके इस कथन की परीक्षा है। एक ओर वे यह बताना चाहते हैं कि हम इस बजट को रोजगार बहुत मानें यदि दूसरी ओर वह वर्तमान उद्योगों और चाय बागानों को कायम रखने में असमर्थ है। सरकार बन्द हुए उद्योगों को पुन: चलाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं कर रही है।

पश्चिम बगाल में बन्द हुई मिलों, और चाय बागानों को पुन: चलाने तथा कर्मचारी को वह लाखों रुपया दिलाने के लिए सरकार ने क्या किया जो कि मिल मालिकों की ओर बकाया था। आज जब पश्चिम बंगाल में लाखों लोग बेकार हैं तो वे रोजगार और अपने बकाया पैसे के लिए आन्दोलन करते हैं तो सरकार वहां पुलिस और फौज भेजती है। हमारी मांग यह है कि बन्द मिलों को पुन: चलाया जाये तथा रोजगार की ओर साधन खोजने का प्रयत्न किया जाये। अत: इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाये।

Shri Amarnath Vidyalankar (Chandigarh) : I support the resolution. The main reason for the present situation is that at present we are having 94% of production in private sector and only 6% in public sector. Inprivate sector they run the industries only for profit. So in socialistic set up it is necessary to accept this resolution. The industry which could not run smoothly in private sector should be taken over by the Government. After taking over that should be run on socialistic lines. With these words port this resolution

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। पर मैं इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में बेरोजगारी दूर करने के लिए कुछ बातें बताना चाहता हूं।

मैं केरल से आता हूं। वहां काजू उद्योग के बहुत से कारखाने बन्द हो रहे हैं। केन्द्रीय सरकार की ओर प्रधान मंत्री ने इस सम्बन्ध में केरल सरकार की सहायता करने का वादा किया

था । उन्होंने केवल लाख 20 लाख रुपये दिये जो केरल सरकार ने स्वीकार नहीं किए । मैं यह नहीं कहता कि इस सम्बन्ध में पूरी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है। पर केन्द्रीय सरकार से यह मांग प्रधान मंत्री की इस सम्बन्ध में आश्वस्त करने पर ही की गई थी । पर केन्द्रीय सरकार ने सहायता का रुख नहीं अपनाया ।

दूसरी मामला नारियल जटा उद्योग का है । इस सम्बन्ध में केन्द्र से 45 लाख रुपये की मांग कीं गई थी तथा योजना आयोग ने 25 या 30 लाख रुपये मंजूर किये गये थे पर अभी तक एक पैसा नहीं दिया गया ।

यहां आज पूंजीपतियों को अच्छे और बुरे पूंजीपतियों में बांटा गया, पर मेरा कहना यह है कि पूंजीपति केवल एक प्रकार के होते हैं । वे केवल अधिक से अधिक लाभ ही उठाना जानते हैं ।

श्री अमृत नाहटा ने अपने भाषण में अहमदाबाद में बन्द हुई कपड़ा मिलों का उल्लेख किया था । मिलों की फेडरेशन में मिले बन्द करने तथा 20,000 मजदूरों को बेरोजगार । करने के पश्चात यह वक्तव्य दिया है कि यदि उनको ऋण सम्बन्धी और अधिक सुविधायें प्रदान न की गई तो और अधिक मिलें बन्द हो जायेंगी । मेरे विचार में इस प्रकार का वक्तव्य केवल भारत में ही दिया जा सकता है ।

ऐसा रवैया केवल अहमदाबाद के मिल मालिकों का ही नहीं अपितु केरल की काजू मिलों के मालिकों उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के मालिकों तथा दिल्ली, बम्बई व कलकत्ता के अन्य बड़े बड़े एकाधिकारवादियों का भी है । आप इसका सामना किस प्रकार करेंगे । यदि मिल मालिक देश को लूटने तथा कर्मचारियों को पीड़ित करने की धमकियां देते रहेंगे तो निश्चय ही सरकार को इस क्षेत्र में पदार्पण करना पड़ेगा । सरकार को मिलों का राष्ट्रीयकरण करना होगा ।

संविधान में संशोधन किए जाने पर विचार किया जा रहा है । मैं चाहता हूं कि सदियों से इनका शोषण करने वाले एकाधिकारवादियों की प्रभुता शीघ्रातिशीघ्र समाप्त की जाए तभी समस्या का हल निकाला जा सकता है ।

यह कहना, कि सरकारी उपक्रमों में हमेशा घाटा होता है, ठीक नहीं है । निश्चय ही कुछ सरकारी उपक्रम घाटे पर चल रहे हैं किन्तु यह कोई तर्क नहीं कि इस कारण सरकारी उपक्रम बन्द कर दिए जाएं । यह उन पुराने लोगों की नीति है जो सरकार को अपने लाभ हेतु इन क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करने देना चाहते ।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार इसे इसी रूप में स्वीकार कर लेगी ।

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगंज) : मै इस संकल्प को एक अलग ही दृष्टिकोण से देखता हूं यदि यह संकल्प पारित हो जाता है और इसका पालन किया जाता है तो इससे अकुशलता, कुप्रबन्ध और अन्य ऐसी बातों को बढ़ावा मिलेगा ।

सभी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की बात वस्तुत एक अच्छा सुझाव है, किन्तु जो उद्योग प्रबन्ध की अकुशलता या पुरानी तथा बेकार मशीनों के कारण बन्द हो गए हैं, यदि सरकार उन्हें अपने अधिकार में लेती है तो इससे मिल मालिकों को ही लाभ होगा क्योंकि उन्हें बेकार और पुरानी मशीनों के लिए सरकार से धन मिल जायेगा। इन उद्योगों पर, जिनका कभी भी कुशलता पूर्वक प्रबन्ध नहीं हो सका, सार्वजनिक धन को व्यर्थ में नहीं गवाना चाहिए।

उत्तर बिहार में कई चीनी मिलें पिछले दो तीन वर्षों से बन्द पड़ी हैं और यदि उन्हें पुनः चालू किया जाय तो वह घाटे पर ही चलेंगी क्योंकि उनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है और ऐसी मिलों को सरकार अगर अपने हाथ में लेगी तो इससे न तो जनता को और न ही कर्मचारियों को कुछ लाभ होगा क्योंकि मिलें शीघ्र ही बन्द हो जाएंगी अतः मिल मालिकों को दिया जाने वाला मुआवजा चाहे बाजार की दर के अनुसार न भी हो तो भी उनके लिए लाभदायक किन्तु राजकोष के लिए हानिकारक सिद्ध होगा

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

राज्यों में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को क्वाटरों का आवंटन

New Central Government Colonies In state

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : मैं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं जिसकी हम स्वतन्त्रता के बाद से उपेक्षा करते चले आ रहे हैं। देश में आवास की समस्या दिन प्रतिदिन जटिल होती जा रही है। शहरों में 2 करोड़ से भी अधिक लोगों के पास रहने को मकान नहीं है किन्तु यहां मैं सरकार का ध्यान केवल केन्द्रीय कर्मचारियों की आवास सम्बन्धी सुविधाओं की ओर विशेष रूप से दिलाना चाहूंगा। काफी अरसे से यह कहा जा रहा है कि इस सम्बन्ध में शीघ्र ही प्रगतिशील कदम उठाए जायेंगे किन्तु हम यह भूल रहे हैं कि देश में एक वर्ग 'केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों' का भी है जिसकी सर्वथा उपेक्षा की गई है। इन लोगों की आवास सम्बन्धी समस्या पर कभी भी गंभीरता से विचार नहीं किया गया। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या 26,087000 है किन्तु इनमें से केवल तीन प्रतिशत कर्मचारियों को ही आवासीय सुविधाएं प्रदान की गई हैं और इसमें भी 1½ प्रतिशत भाग श्रेणी एक और दो के कर्मचारियों का है। मैं केवल श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के कर्मचारियों के विषय में अधिक चिंतित हूं। सरकार ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया है कि हम लोग कहां और कैसी दशाओं मे रहते हैं।

जहां तक दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे मुख्य शहरों का सम्बन्ध है, बम्बई में इन कर्मचारियों की संख्या 1,30,000 कलकत्ता में 1,56,000, दिल्ली में 1,64,000 और मद्रास में 14,000 है। किन्तु इन कर्मचारियों को दी गई आवासीय सुविधाओं की प्रतिशतता इस प्रकार है। बम्बई में 10 प्रतिशत, कलकत्ता में 7·6 प्रतिशत दिल्ली में 41 3 प्रतिशत और मद्रास में तो

*आधे घन्टे की चर्चा।

** Half an hour discussion.

यह 2·1 प्रतिशत ही है । यदि इन लोगों को इनके कार्यालयों के निकट मकान दे दिए जाएं तो इनकी कार्यकुशलता में भी वृद्धि होगी ।

तीसरी योजना में सरकार का आवासीय सुविधाओं पर कुछ धन व्यय करने का विचार था किन्तु वह उसे व्यय नहीं कर सकी और अब चौथी योजना में सरकारी कार्यालयों तथा मकानों दोनों के निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है जोकि बहुत कम है दो शास्त्री भवनों के निर्माण में ही यह सारा रुपया खत्म हो जाएगा । श्रमिकों द्वारा किए जाने वाले आन्दोलनों को हम दबाना चाहते हैं पर वह गरीब कर्मचारी भी क्या कर सकते हैं जिनके पास सिर छुपाने की भी जगह नहीं । 20 लाख से अधिक लोग बेघर हैं । हम कर्मचारियों की कुशलता से संतुष्ट नहीं पर. क्या कभी आपने सोचा है कि हम उन्हें क्या सुविधाएं प्रदान करते हैं ?

सरकार यह कह सकती है कि इसके लिए केन्द्रीय आवास निगम हैं किन्तु उसने क्या किया है । सरकार ने इस उद्देश्य के लिए गतवर्ष लगभग 1200 व्यक्तियों को 3 करोड़ रुपये दिए थे यह रुपये किन लोगों को दिए गए क्या इन थोड़े से व्यक्तियों ने 3 करोड़ रुपया लूट लिया आवास की यह व्यवस्था उचित नहीं ऋण देने के बजाय सरकार को स्वयं मकानों का निर्माण करना चाहिए । अपने कर्मचारियों के लिए मकान बनाने हेतु सरकार को जोरदार कार्यक्रम बनाना चाहिए ।

मैं इससे इन्कार नहीं करता कि कई क्षेत्रों में सरकार के अदभुत कार्य किया है । हरित क्रान्ति इसका ज्वलंत उदाहरण है औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ा है किन्तु मात्र रोटी ही सब समस्याओं का हल नहीं । आवास की समस्या भी कम महत्वपूर्ण नहीं ।

इस रिर्पोट में कहा गया है कि 2,140 करोड़ रुपया आवास के लिए रखा गया है किन्तु यह सारा रुपया केन्द्रीय कर्मचारियों के आवास के लिए तो नहीं है । यह गैर-सरकारी लोगों के लिए भी है । मैं केन्द्रीय आवास निगम की आलोचना नहीं करना चाहता किन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि यह किस प्रकार कार्य कर रहा है तथा किस आधार पर धन का वितरण किया जाएगा इस संदर्भ में मैं भवन निर्माण करने वाले कुछ विभागों की अकुशलता का उल्लेख किए बिना नहीं रह सकता । यह विभाग कभी कभी तो एक भवन के निर्माण में ही 10 लाख अथवा एक करोड़ रुपया लगा देते हैं । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में, जो कि मुख्यत: मकानों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है अक्षमता तथा भ्रष्टाचार का बोलबाला है । उदाहरण के लिए 1965 में सीमा शुल्क अधिकारियों के लिए मकानों के निर्माण करने हेतु कोचीन हवाई अड्डे की भूमि का अर्जन किया गया था किन्तु इन मकानों के निर्माण में क्या प्रगति हुई है ? 1971 में इस योजना पर ही काम चल रहा है । इसमें विलम्ब करने का क्या कारण है ?

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मैं एक अन्य उदाहरण भी दे सकता हूं । कालीकट में हवाई अड्डा बनाने का एक प्रस्ताव था । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने इस कार्य के लिए 50 लाख रुपये की मांग की किन्तु केरल सरकार ने इस पर विवाद किया । ऐसा बड़ बड़े व्यापार गृहों के प्रभाव के कारण हो रहा है ।

शहरी सम्पति का मूल्य दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। यह मकानों की बढ़ती हुई माँग के कारण हैं। हम शहरी सम्पति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए शोर मचाये जा रहे है किन्तु यदि हम केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए मकानों की व्यवस्था करते हैं तो शहरी सम्पति की अप्रत्यक्ष रूप से अधिकतम सीमा निर्धारित हो जाएगी। भूमि के लिए मांग बढ़ रही है और भूमि की कीमत बढ़ रही है, क्योंकि सरकार अपने कर्मचारियों के लिए मकानों की व्यवस्था नहीं कर रही है अतः केन्द्रीय सरकार अपने कर्मचारियों के आवास के लिए एक द्रुत कार्यक्रम बनाए तभी हम भूमि पर दबाब कम कर सकेंगे और भूमि के मूल्य को कम कर सकेंगे।

यदि सरकार कर्मचारियों के लिए मकानों का निर्माण नहीं करती तो वह निराश हो जाएंगें और निराश सरकारी कर्मचारी देश के लिए खतरा बन जाएंगें अतः 25 लाख कर्मचारियों को क्यों निराश होने दिया जाए। मैं यह मानता हूं कि सरकारी कर्मचारियों को कार्य कुशल होना चाहिए किन्तु जब तक हम उनकी समस्याओं को भली भाँति न देखें उनसे कुशलता की क्या अपेक्षा की जा सकती है।

मैं आवास मंत्रालय की आलोचना नहीं करना चाहता किन्तु मेरा मन्त्री महोदय से यह अनुरोध है कि वह आवास से सम्बन्धित विभागों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक आयोग की नियुक्ति करें जैसा कि सरकार प्रायः अन्य विभागों में भ्रष्टाचार को रोकने हेतु करती है।

सरकार को जीवन बीमा निगम ऋण, सामान्य बीमा धनराशि और बैंक ऋण इत्यादि लेने चाहिए ताकि बड़े पैमाने पर सरकार आवास के कार्यक्रम को क्रियान्वित कर सके। आवास मन्त्रालय को चाहिए कि वह सारे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की आवास समस्या को गम्भीरता से ले।

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : प्रश्न यद्यपि सभी केन्द्रीय कर्मचारियों के आवास के विषय में किया गया था किन्तु उत्तर में केवल अधिकारियों को आवंटित किए जाने वाले मकानों तथा क्वार्टरों के बारे में विवरण दिया गया है। श्रेणी 3 तथा 4 के कर्मचारियों के विषय में कुछ नहीं कहा गया अतः मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या इन कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधाएं प्रदान करने हेतु कोई निश्चित समय की व्यापक योजना बनाने का विचार है। कुछ राज्यों में इन कर्मचारियों के आवास के लिए बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं की गई है जैसे कि उड़ीसा। क्या सरकार का विचार योजना आयोग से विचार विमर्श कर प्रादेशिक असंतुलन को सामाप्त करने का है और क्या केन्द्रीय आवास वित्त निगम द्वारा दी जाने वाली 200 करोड़ रुपये की राशि का प्रयोग केवल श्रेणी 3 तथा 4 के कर्मचारियों को आवासीय सुविधा प्रदान करने हेतु किया जाएगा ?

* **श्री सिद्ध रामेश्वर स्वामी** (कोप्पल) : सभापति महोदय, अतारांकित प्रश्न संख्या 3929 के उत्तर में कहा गया है कि केन्द्र सरकार ने दिल्ली, पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र इत्यादि में

कन्नड़ में दिये गये भाषन के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on english translation **delivered in** K annada.

नियुक्त केन्द्रीय सरकारी कर्मचारिचारियों के आवास की समुचित व्यवस्था की है किन्तु मैसूर राज्य में केन्द्रीय सरकार के 'कर्मचारियों के आवास के बारे में कुछ नहीं बताया गया। बंगलौर में भी केन्द्रीय सरकार के कई विभागों में बड़ी संख्या में लोग काम कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्हें अब एक आवासीय सुविधाएं क्यों नहीं प्रदान की गई ?

अतारांकित प्रश्न संख्या 3930 के उत्तर में कहा गया है कि केन्द्र का विचार 4 495 मकान बनाने का है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इनमें से कितने मैसूर राज्य में बनाए जायेगें।

Shri Kamal Mishra Madhukar (Kesaria): Mr. Chairman is it not a fact that the grants provided to Bihar state for Construction of houses are much less as compared to other states ? Is it also not a fact that more than fifty percent of the amount out of the total amount spent on the construction of Quarters has been sputs on the Construction of quartres for big offices and very little amount has been spent on the construction of quarters for class III and IV employees ? High up officers are provided comfortable houses to live in but non-gazetted employees are alloted houses far away from the offices. There are thousand of employees in Delhi who are residing in the garages and servant quarters of MP's flats. There is lot of favouritism and corruption is prevaling in the matter of allottment of accommodation. Has the Government under consideration any plan for advancing long term loans to class III & IV employees for house building purposes on a low rate of interest.

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आई० के० गुजराल) : इसमें कोई संदेह नहीं कि आवास की समस्या देश की उन महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक है जिनका आज देश सामना कर रहा है। केवल एक दो शहरों में ही नहीं अपितु हर गाँव, हर कस्वे और हर शहर में मकानों की कमी से भारी चिन्ता पैदा हो रही है और यदि वर्तमान स्थिति ऐसी ही बनी रही तो देश के लिए एक बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। देश में शहरी और देहाती इलाकों को मिलाकर लगभग 9 अथवा 10 करोड़ मकानों की कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए यदि हम कोई कार्यक्रम आरम्भ करें तो बहुत धन लगेगा। शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में 3000 रूपये और 500 रूपये प्रति मकान के हिसाब से लगभग 30,000 करोड़ रूपये खर्च आयेगें अत: मुख्य प्रश्न यह नहीं कि सरकार क्या करना चाहती है अपितु यह है कि वह भवन निर्माण कार्य पर कितनी राशि खर्च करने के काबिल है। जहां तक सरकारी आवासों का समबन्ध है देश में इनकी स्थिति अधिक बुरी नहीं। देश के हर भाग में, विशेषतया शहरों में मकानों की बड़ी आवश्यकता है और केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए इसकी आवश्यकता और भी अधिक है।

दिल्ली में लगभग 41·3 प्रतिशत, कलकत्ता में 7·56 प्रतिशत, बम्बई में 10·64 प्रतिशत, नागपुर में 34 प्रतिशत, तमिलनाडु में 2·1 प्रतिशत लोगों को मकान दिए जा चुके हैं। समस्या यह है कि हमारे पास प्रत्येक शहर में 'जनरल पूल' आवास नहीं हैं। इस मन्त्रालय ने उस प्रकार की कुछ आवास व्यवस्था की है। कुछ अन्य मन्त्रालय उदाहरण के लिए रेलवे मन्त्रालय तथा डाक तार विभाग आदि भी मकान बनवा रहे हैं फिर भी स्थिति संतोषजनक नहीं है। प्राप्त

आंकड़ों के अनुसार रेलवे ने 38 प्रतिशत और डाक व तार विभाग ने 3·4 प्रतिशत लोगों को आवासीय सुविधाएं प्रदान की हैं जो काफी अपर्याप्त हैं। अतः इसीलिए हमने योजना आयोग से कहा है कि वह 20 वर्षों के दौरान मकानों की कमी को शत प्रतिशत दूर करने का प्रयास करें। यदि हमें लक्ष्य प्राप्त करना है तो सामान्य पूल के अन्तर्गत आठ नगरों में ही लगभग 310 करोड़ रूपये की आवश्यकता होगी किन्तु हमने इसके लिये 24 करोड़ रुपये ही निर्धारित किए हैं। इसकी थोड़ी राशि से हम केवल कुछ ही मकान बना पायेंगे जिससे केवल 8 प्रतिशत लोगों को संतुष्ट किया जा सकेगा दुसरे शब्दों में इस राशि द्वारा केवल 13006 मकानों का ही निर्माण किया जा सकेगा। समस्या की व्यापकता को देखते हुए यह कुछ भी नहीं है।

निर्माण कार्य को श्रेणीवार शुरू किया जा रहा है। माननीय सदस्य श्री वयालार रवि का कहना ठीक ही है कि अभी तक अधिकारियों के लिए बनाए जाने वाले मकानों की प्रतिशतता निम्न श्रेणी के कर्मचारियों की प्रतिशतता से कहीं अधिक है। अभी तक ऊंचे वर्ग के लोगों के लिए अधिक मकान बनाए गए हैं इसलिए अब टाइप 1, 2 और 3 के मकानों की ओर ध्यान दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए बम्बई में बनाए जाने वाले 1706 मकानों में से 1294 टाइप 2 और 3 के होंगें तथा दिल्ली में बनाए जाने वाले 8311 मकानों में से 5920 टाइप 1,2 और 3 के बनाए जांएगे।

हम, विशेषकर दिल्ली में होस्टलों के निर्माण की ओर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि अधिक होस्टलों का निर्माण करने से अधिक लोगों को बसाया जा सकेगा और विशेषकर काम करने वाली लड़कियों को इससे बड़ालाभ होगा हमारा उद्देश्य यह है कि नगर के मध्यवर्ती क्षेत्रों में होस्टल बनाने पर अधिक धन व्यय किया जाए, ताकि लोग कम जगह में भी रहना पसद करें। जहां तक आवास और नगरीय विकास निगम बनाने का प्रश्न है, इसे सामान्य लोगों के लिए मकान बनाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था और इसलिए 200 करोड़ रुपये की आवर्ती निधि का प्रस्ताव किया गया था जिसमें से अभी तक 19 करोड़ रुपये ही एकत्र किए गए हैं। प्रत्येक राज्य में यह निधि आवास बोर्डों तथा ऐसी ही अन्य समितियों को दे दी जानी चाहिए जिससे सामान्य लोगों के लिए मकान बनाए जा सकें।

माननीय सदस्य ने कोचीन के सीमा शुल्क विभाग के कर्मचारियों के लिए बनाए जाने वाले मकानों के बारे में भी कुछ कहा है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यकरण के विषय में उनके विचार जो भी कुछ हों किन्तु यह निश्चित है कि सीमा शुल्क विभाग द्वारा अपने विभाग के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर बनाए जा रहे हैं अतः यह सामान्य पूल का एक अंग नहीं।

आज विश्व के प्रत्येक प्रगतिशील देश में चाहे वे किसी भी विचारधारा को मानते हो अधिक से अधिक सरकारी निर्माण कार्य किया जा रहा है। पिछले वर्ष फ्रांस जैसे देश में नये निर्माण कार्य का 90 प्रतिशत कार्य सरकार द्वारा ही किया गया। ब्रिटेन में यह काम 60 प्रतिशत हुआ। जब तक सरकार स्वय मकानों का निर्माण प्रारम्भ नहीं करती, तब तक यह समस्या सुलझाई नहीं जा सकती। अधिक धन लगा कर ही इस व्यापक समस्या से निपटया जा सकता है।

यह सुझाव दिया गया है कि हम कम आय वाले लोगों के लिए शहर के मध्यवर्ती क्षेत्र में मकान बनाए ताकि इन लोगों को अधिक दूरी न तय करनी पड़े। हमें मह नीति स्वीकार है और इसलिए हाल में हमने विशेषज्ञों का एक दल नियुक्त किया है जिसमें एक मुख्य एक वास्तुविद नगर आयोजक एक बागवानी विशेषज्ञ और समाज शास्त्री भी शामिल है जो कि दिल्ली के केन्द्रीय क्षेत्र का पुन:आयोजन करेंगे साथ ही साथ यहां के बागों को भी सुरक्षित रखा जाएगा। हमारी योजना जैसी भी बने हमारा दृष्टिकोण यही रहेगा कि जिन लोगों के पास आने जाने के लिए आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं उन्हें उनके कार्य स्थल के निकट रहने की जगह दी जाए किन्तु इसके साथ साथ हमें कार्यालयों को भी भिन्न भिन्न स्थानों में रखना पड़ेगा। एक ही स्थान पर सभी कार्यालयों का केन्द्रीकरण उचित नहीं। माननीय सदस्य ने ठकरू आयोग के बारे में भी कहा है कि उनके पास कोई जगह नहीं किन्तु जब वह सार्वजनिक पेशी का कार्य आरम्भ करेंगे तो हम उन्हें विज्ञान भवन में जगह दे देगें।

जहां तक मैसूर का सम्बन्ध है चौथी योजना में बंगलौर में आवास सम्बन्धी सामान्य पूल की व्यवस्था की जा रही है। हम वहां 144 क्वार्टर बना रहे हैं जिनमें 82 टाइप 3, 42 टाइप 4 और 18 टाइप 5 के होंगे।

जहां तक सरकारी कर्मचारियों को दिए गए मकानों के सम्बन्ध में मालिकना अधिकार देने का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि सरकारी कर्मचारियों को अन्य नागरिकों से पृथक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। उन्हें भी अन्य नागरिकों के समान लाईन में खड़े होकर दिल्ली विकास प्राधिकरण अथवा अपने नगर के आवास बोर्ड आदि से मकान खरीदने पड़ते है। मैंने दिल्ली विकास अधिकरण को सेवा निवृत हो जा रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए कोई योजना तैयार करने का निदेश दिया है। सेवा निवृत होने वाला कर्मचारी अभी से किश्तें देना प्रारम्भ कर देगा और सेवा निवृत होने के बाद बाकी कभी उसको मिले उपदान अथवा भविष्य निधि की राशि से दे दिया जाएगा। इस योजना को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया यह कहना नितान्त अनुचित है कि आवंटन करते समय पक्ष-पात किया जाता है हम आवासीय तथा आवंटन नीतियों को बनाए रखने का प्रयास करते है और हम इन नीतियों की उपेक्षा नहीं करते।

इसके पश्चात लोकसभा शनिवार 31 जुलाई 1971/9 श्रावण 1893 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on saturday, the 31 st, july 1971/Sravana, 9 1893 (Saka)

Ashoka Printing Works, Modi Nagar